अष्टम माला, खंड 50, अंक 41

बुधवार, 3 मई, 1989
13 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 50 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 3 मई, 1989/13 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
23	नीचे से 4	"एच0एल0नन्जे गौडा" के स्थान पर "एच0एन0नन्जे गौडा" पढ़िये।
63	8	उत्तर के आरंभ में "(क)" पढ़िये।
77	1	"मार्किल" के स्थान पर "मार्किट" पढ़िये।
79	6	"(क)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
88	7	"सेलवे" के स्थान पर "रेलवे" पढ़िये।
89	1	"(म)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
116	नीचे से 8)	उत्तर के आरंभ में "(क)" पढ़िये।
127	15)	
130	नीचे से 17	"(क) से (घ)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
130	नीचे से 2	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
158	नीचे से 8	"श्री एच0एल0 भगत" के स्थान पर "श्री एच0के0एल0 भगत" पढ़िये।
161	2	"श्री वी0किशोर चन्द्र" के स्थान पर "श्री वी0किशोर चन्द्र एस0देव" पढ़िये।
161	नीचे से 9	"(व्यवधाग)" के स्थान पर "(व्यवधान)" पढ़िये।
174	11	"श्री एच0के0 भगत" के स्थान पर "श्री एच0के0एल0 भगत" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 50, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 41, बुधवार, 3 मई, 1989/13 वैशाख, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 820, 823, 824, 826, 830, 832 और 833	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—161
तारांकित प्रश्न संख्या : 821, 822, 825, 827 से 829, 831 और 834 से 840	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7795 से 7819 और 7821 से 7963	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	161—163
राज्य सभा के सन्देश	164—165
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	166
66 वां प्रतिवेदन	
नियम समिति	166
तीसरा प्रतिवेदन	
याचिका समिति	166—167
9 वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	168—173
(एक) सभी गांवों में डाकघर खोले जाने की मांग	
डा० फूलरेणु गुहा	168
(दो) प्रभा देवी, दादर (बम्बई) में समुद्र तट पर खेल के मैदान के भू-खंड पर संचार भवन का निर्माण किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्विचार किये जाने की मांग	
श्री शरद दिघे	168

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

(तीन) महाराष्ट्र की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री बालासाहिब विखे पाटिल 169

(चार) तीस्ता बराज परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने की मांग

श्री आनन्द पाठक 169

(पांच) गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित किए जाने की मांग

श्री उत्तम भाई ह० पटेल 170

(छ) खेलकूद के सामान के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता में कोई कटौती न कर उसे उसी प्रकार जारी रखे जाने और खेलकूद सामान उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उपाय किये जाने की मांग

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 170

(सात) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग

श्री नित्यानन्द मिश्र 172

रेल विधेयक

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1986-87

विचार करने के लिए प्रस्ताव 174—208

श्री माधवराव सिंधिया 174—175

श्री बी० बी० रमैया 175—182

श्री टी० बशीर 178—179

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 179—182

श्री एन० टोम्बी सिंह 182—184

श्री० नारायण चौबे 184—187

श्री वी० कृष्ण राव 187—189

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल 189—190

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक 190—191

श्री सी० जंगा रेड्डी 191—193

श्री० राम सिंह यादव 193—196

श्री सत्य गोपाल मिश्र 196—198

श्री हरीश रावत 198—200

विषय	पृष्ठ
श्री० पी० अप्पाला नरसिंहम	201—203
श्री दामोदर पांडे	203—204
श्रीमती ऊषा चौधरी	204—205
श्री भद्रेश्वर तांती	206—210
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री माधव राव सिंधिया	
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1989	210—211
पुर:स्थापित	
श्री माधव राव सिंधिया	210—211
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री माधवराव सिंधिया	
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री माधवराव सिंधिया	
नियम 193 के अधीन चर्चा	212—158
देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति	
श्री जी० एम० बनातवाला	212—215
श्री बृजमोहन महन्ती	215—217
श्री जैनुल बशर	218—222
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	222—228
श्री राम प्यारे पनिका	229—231
श्री इन्द्रजीत गुप्त	231—242
श्री गिरधारी लाल व्यास	242—244
श्री अताउर्रहमान	244—247
चौधरी सुन्दर सिंह	247—249
श्री सैयद शाहबुद्दीन	249—253
श्री राजीव गांधी	253—258
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	
कार्य-मंत्रणा समिति	259
71 वां प्रतिवेदन	

लोक–सभा

बुधवार, 3 मई, 1989/13 वैशाख, 1911 (शक)

लोक-सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"सोसाइटीज रिजेंट डी० डी० ए० पोलिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[अनुवाद]

+

*820. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दौलत सिंह जी जडेजा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सोसाइटीज रिजेंट डी० डी० ए० पोलिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सकरारी आवास समितियों को भूमि उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) समितियों की संख्या कितनी है और इस विलम्ब से इनके कितने सदस्य प्रभावित हुए हैं; और

(घ) सम्बन्धित समितियों को पप्पन कलां क्षेत्र में भूमि कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां

(ख) से (घ) पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली के पास पंजीकृत : 285 सहकारी सामूहिक आवास समितियों के नाम उनके द्वारा भूमि के आबंटनार्थ भेजे गये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि की समिति उपलब्धता और पंजीकृत व्यक्तियों के पिछले बकाया को ध्यान में रखते हुये, सहकारी सामूहिक आवास समितियों की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन है। पपनकलां परियोजना जिसका कार्यान्वयन निकट भविष्य में निर्धारित है, में भूमि आबंटन में इन समितियों की आवश्यकताओं पर सम्भावित सीमा तक विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि 19 अप्रैल को मुझे बताया गया था कि 1281 को आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज हैं, आज आप कहती हैं कि 1285 हैं, तो ये 4 कैसे बढ़ गई ? दूसरी बात यह हैं कि मेरे पिछले क्वश्चन के जबाव में भी आपने कहा था कि पपन कलां में हम एक्सक्लूसिबली ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज को जो 1281 हैं, उनको एडजस्ट करेंगे, और उसी वक्त मुझे यह भी बताया गया गया था कि 7500 एकड़ लैंड एक्वायर हो चुकी है और 1281 सोसायटीज को जो जमीन चाहिए वह 2000 एकड़ चाहिए, यह भी आपने बताया । अब मुझे समझ नहीं आता कि आप किस उलझन में हैं कि आप किसी तरफ़ जा नहीं रही हैं । दो हजार एकड़ जमीन देनी है और आपने 7500 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली है । बैंक लॉग के बारे में डी० डी० ए० के पिछले चेयरमैन मि० ओमकुमार ने कहा था कि 5 साल के अन्दर हम बैंकलॉग को क्लियर करेंगे । अब मैंने बहन जी से पूछा है, तो बहन जी बताती नहीं हैं । इसलिए अब आप मुझे स्पेसिफिक बताएं कि 7656 एकड़ लैंड आपने एक्वायर की है, उसमें से 2 हजार एकड़ इन सोसायटीज को चाहिए, तो फिर आप क्यों नही देती हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, रामूवालिया जी ने जो कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज का सवाल पूछा है कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज का जाहिर है कि हाउसिंग में एक बहुत बड़ा रोल होता है और हम सब मानते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जमीन दें । अब तक 518 सोसायटीज को जमीन दी जा चुकी है । पपनकलां की जो आप बात कर रहे हैं, यह बिलकुल सही बात है कि 4728 एकड़ जमीन वहां एक्वायर की जा चुकी है । आपको मालूम है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, वह सारा रेजीडेंश्यल एरिया नहीं कहलाता है । उस में जब वह डिवेलप होता है, तो कुछ रोड्स और पार्क ने एरिया बना जाता है, कामर्शल एरिया होता है, कुछ रेजीडेंस्यल होता है, तो ये सब चीजें मिलकर वह प्रोजेक्ट बनता है हमने कहा है और आज भी उस चीज पर हम कायम हैं कि जब यह पपनकलां का प्रोजेक्ट क्लियर होगा, एप्रूव होगा तो ये जो 1200 से ज्यादा जो सोसायटीज हैं, उनमें से कुछ को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे । जहाँ तक बैंकलॉग का सिलसिला है, आपको मालूम है कि डी० डी० ए० ने जो शुरू से अब तक रजिस्टर्ड कर लिया और मैं समझती हूं कि जो बेसिक मिस्टेक बुनियादी गलती डी० डी० ए० से हुई वह यही कि जितने भी एप्लीकेंट आए, इन सबको उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया और इस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बना ली कि सबको हम मकान देंगे । इस वक्त जो डी० डी० ए० के पास बैंकलॉग है वह लगभग एक लाख 20 हजार है जिसमें से 50 हजार तो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, बाकी के लिए उनके पास जमीन नहीं है । इसलिए जो रजिस्ट्रेंट्स है, उनको भी जमीन चाहिए और हमें ही उनको जमीन देनी है । इसलिए रजिस्ट्रेंट्स का जो प्रिफरेंस रखा गया है, उसकी वजह से जो और हाउसिंग एक्टिविटीज हैं, जो कोआपरेटिव हाउसिंग एक्टिविटीज हैं, उनको जमीन नहीं दी । लेकिन मैं मान कर चलती हूं कि कोआपरेटिव सोसायटीज को जमीन देनी चाहिए और हमारी कोशिश होगी कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कर सकें ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सर, जैसा मन्त्री जी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई, कि अन्धाधुंद जो भी आया रजिस्टर्ड करते गए, लेकिन गलती तो एक और हो गई, वह मैं बताता हूं । बहन जी वह गलती यह हो गई कि पहली सोसायटीज को तो जमीन मिली नहीं, अब देखिए 21 अक्तूबर, 1985 को एक सोसायटी और रजिस्टर्ड हुई, 10 सितम्बर, 1987 को एक और सोसायटी रजिस्टर्ड हो गई और 26 अक्तूबर, 1987 को और एक सोसायटीज रजिस्टर्ड हो गई । मेरे पास पूरी

लिस्ट है 9 सोसायटीज उसके बाद और रजिस्टर्ड हो गई। पहले तो ये देखिए कि ये क्यों हुई ? जब पहली रजिस्टर्ड सोसायटीज को जमीन नहीं मिलीं, तो ये 9 और क्यों उनके बाद रजिस्टर्ड हुई ? पहले अंधाधुंद हो गई और उसके बाद फिर अंधाधुन्द रजिस्टर्ड हो गई। इसकी मुश्किल तो सरकार को होगी या डी०डी०ए० को होगी। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहली सोसायटीज के बाद में, ये 1985 के बाद में आज तक ये 9 और ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई हैं, इनके बारे में मुझे बताया जाए ?

मेरे ख्याल में डी० डी० ए० की अथारिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आपने बताया था कि 6500 एकड़ डी० डी० ए० की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, न तो आप जमीन का कब्जा छुड़ाने के काबिल हैं और नई सोसाइटीज रजिस्टर किये जा रहे हैं और जहां जमीन ली है, उसको बांट नहीं रहे हैं तो इस मामले में जो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, इसको कोई कमेटी बनाकर या कोई सैपरेट लेकर आप क्या करने वाले हैं, यह मेरा प्रश्न है ? यह बीमारी बढ़ती जा रही है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि कन्फ्यूजन कोई नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि नई सोसाइटीज रजिस्टर हो रही है तो रजिस्ट्रेशन की बात भी उसमें नहीं है क्योंकि 1983 तक रजिस्ट्रेशन किया गया था उसके बाद खोला नहीं गया है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास होता है। 1500 के करीब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज 1983 से पहले रजिस्टर हुई। 1500 में से 1285 को रजिस्ट्रार ने डी० डी० ए० को रिकमैंड किया कि इनको जमीन दे दी जाए। जो 1500 रजिस्टर हुई थीं उनमें से रजिस्ट्रार कभी भी रिकमैंड कर सकता है, जो नार्म्स में आती हैं, जिनसे वह सैटिस्फाई होता है कि इनको जमीन देनी चाहिए। मैं यह कह सकती हूं कि नई सोसाइटी कोई रजिस्टर नहीं हुई है।

रजिस्ट्रेशन जो स्पेशली खोला गया है, वह उनका है जो पुराना बैकलॉग है रजिस्ट्रैन्ट्स का डी० डी० ए० के पास। हमने उनको यह ऑफर किया कि आप डी० डी० ए० के पास अपनी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना दें और उनको हम लैंड देंगे अगर आप मुझे पूरी लिस्ट भेजेंगे तो मैं देखूंगी, लेकिन जो बैकलॉग है, उनके स्पेशल परमीशन एल० जी० ने दी है कि आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बना सकते हैं, जमीन डी० डी० उनको देगी। जो बैकलॉग है, वे जल्दी से मकान बना सकें, इसलिए उनको स्पेशल परमीशन दी जाएगी। जो रजिस्ट्रेन्ट्स हैं डी० डी० ए० के पास वह अपनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना लें। कोई नई सोसाइटीज रजिस्टर नहीं हुई हैं। जो रजिस्ट्रार के पास हैं उनमें से जो वह रिकमैंड करते हैं डी० डी० ए० को कि इनको लैंड दी जाए, वह डी० डी० ए० के पास हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास । अध्यक्ष महोदय को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं गरीब लोगों के लिए मकान सप्लाई करने के लिए और व्यवस्था भी यही होनी चाहिए मगर दिल्ली में या बड़े-बड़े शहर हैं, बम्बई, अहमदाबाद जयपुर वगैरह, उनमें बड़े-बड़े लोगों ने को-अपरोटिव सोसाइटीज बना ली हैं और उनमें ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जिन्होंने शहर के पास नजदीक में जमीन खरीदकर सस्ते भाव पर और उसके बाद इस प्रकार की गड़बड़ की कि उसमें करोड़ों रुपया कमाकर लोगों को प्लाट-प्लाट किए तो क्या दिल्ली के अन्दर भी इस प्रकार की गड़बड़ है, क्या ऐसी सोसाइटीज हैं, जिन्होंने इस तरह जमीन खरीदकर उसका नाजायज फायदा उठाया और अपने आप को, मालदार बना लिया ?

जिनको, जमीन, मकान और प्लाट मिलने चाहिएं थे, ऐसी लोगों को उपलब्ध नहीं कराए ? इन 1200 सोसाइटीज में क्या आपने कोई जांच कराई है कि इसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं ? गरीब इसमें नहीं हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : जो सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं, उनके कुछ कायदे कानून होते हैं और उनको रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज देखते हैं कि उसमें बड़े लोग है। या छोटे लोग हैं जो उनके नाम्सं में आते हैं, वे अपने को रजिस्टर कराते हैं और वही ग्रुप हाउसिंग कहलाती हैं। गवर्नमैंट नहीं देख सकती कि बड़ों की है या छोटों की है। लेकिन गवर्नमैंट का सबसे बड़ा ध्येय यह है कि जो हमारा वीकर सैक्शन है, उसको जमीन उपलब्ध कराएं। मिडिल इनकम और हायर इनकम ग्रुप, इन लोगों के लिए कोआपरेटिव्ज बनी हुई हैं लेकिन गवर्नमैंट का जहां तक तालुक है उसका पूरा जोर है कि जो इकनामिकली वीकर सैक्शन हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा घर बनाने की सहूलियतें दी जा सकें। दिल्ली में बहुत से प्लाट डेवलप हुए हैं जो सिर्फ वीकर सैक्शन्ज को ही दिए गए है जिन पर उन्होंने अपने मकान बनाए हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 1200 में ऐसी कौन सी सोसाइटीज है, जो बड़े-बड़े लोगों की हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह मुझे नहीं मालूम कि कौन बड़ा है और छोटा है।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल : 1983 में कुछ समितियां अस्तित्व में आई और इन्हें भूमि आवंटित कर दी गई। संसद सदस्यों की समिति भी उनमें से एक है। परन्तु कुछ लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर कर दी और यह मामला वहां लम्बित पड़ा है। मैं समझता हूं कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पाठक कर रहे थे जिनका चयन अब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या निर्णय सुना दिया गया है।

दूसरे पिछले 6 वर्षों से 1200 से भी अधिक समितियां भूमि आवंटन के इंतजार में है। मैंने मंत्री महोदय से पहले भी भूमि आवंटन के कार्य को तेज करने के लिए निवेदन किया था। उस समय यह महसूस किया गया था कि आबंटन शायद 19 नवम्बर, 1988 तक कर दिया जाएगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हमें बताया गया था कि भूमि की कीमत जो 450 रु० प्रति वर्गमीटर रखी गई थी, में कुछ संशोधन चल रहा था। यदि संशोधन 2000 ई० तक चलता रहा तो उन समितियों के कुछ सदस्य तो स्वर्ग भी सिधार जायेंगे और न्याय नहीं हो पाएगा। क्या आप इस मामले को कम से कम लोकसभा चुनावों से पहले निपटायेंगे और देखेंगे कि दिल्ली में समितियों को भूमि आवंटित हो जाये ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय सदस्य कुछ विशेष समितियों के बारे में पूछ रहे हैं। मामला न्यायालय में है। मामला इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि हमारे पास भूमि नहीं है। परन्तु अब हमने पप्पन कलां में भूमि का अधिग्रहण किया है और सम्पूर्ण परियोजना 'दिल्ली अरबन आर्टस कमीशन' के समक्ष है।

श्री विजय एन० पाटिल : परन्तु हम समझते हैं कि पप्पनकलां में निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : नहीं, बिलकुल नहीं। परियोजना 'दिल्ली अरबन आर्टस कमीशन' के समक्ष है। ज्यों ही वे योजना को स्वीकृति देंगे, हम सहकारी समितियों को कुछ भूमि देने की कोशिश करेंगे।

दिल्ली के दूसरे मास्टर प्लान में नए अस्पतालों के लिए व्यवस्था

+

*823. **श्री भद्रेश्वर तांती**

श्री अब्दुल हमीद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली के दूसरे मास्टर प्लान में नए अस्पतालों के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सदर्भ 2001 ई० के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट मास्टर प्लान में अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी कीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षमताओं वाले 114 अस्पतालों के लिए भूमि आरक्षित करने का एक प्रस्ताव शामिल है।

श्री भद्रेश्वर तांती : जवाब देने के लिए मैं माननीय मंत्री का शुक्रगुजार हूं। बहुत से लोग दिल्ली में ही परेशान हो रहे हैं और मरीजों के लिए; विशेषतौर पर दूर-दराज से आने वाले गरीब मरीजों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में छोटे से आपरेशन के लिए भी लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। मंत्री जी ने यह नहीं बताया है कि ये प्रस्तावित 114 अस्पताल कब शुरू होने जा रहे हैं। यह भी नहीं बताया कि दिल्ली में प्रस्तावित अस्पतालों के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ? क्या ये अस्पताल इस शताब्दी के अन्त तक तैयार हो जायेंगे अथवा हमें अगली सदी तक इंतजार करना होगा ?

कुमारी सरोज खापर्डे : बहुत लम्बी सूची है। मैं सभा में केवल यह कहना चाहती हूं कि वृहत योजना प्रस्तुत कर दी गई है। ज्यों ही इसे स्वीकृति मिल जायेगी मेरे विचार में तभी हम इस बारे में सही उत्तर दे पायेंगे।

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या मंत्रालय ने कोई कदम उठाये हैं। इस वृहत योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ? इन अस्पतालों का निर्माण कब तक हो जाएगा और ये कब तक शुरू हो जायेंगे ? इस मामले में हमें कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं है। परन्तु लोग मर रहे हैं और पीड़ित लोगों से आप क्या फायदा करते हैं ?

श्री मधु दंडवते : श्रद्धांजली।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, मैं जानती हूं कि कुछ क्षेत्र है जहां हमें वास्तव में कुछ शीघ्र करना चाहिए। यह मैं दिल्ली के बारे में कहना चाहती हूं।

दिल्ली के बाशिन्दों, जैसे जे० जे० कालोनियों के द्वार पर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन पहले ही 18 फरवरी, 1989 से 20 चालू डिस्पेन्सरियों का बेड़ा शुरू कर चुका है। ऐसे 16 दल हैं जिनमें प्रत्येक में एक चिकित्सा अधिकारी, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट तथा एक ड्रेसर एक सहायक है। एक निर्धारित तिथि पर प्रत्येक दल एक जे० जे० कालोनी का दौरा करता है। इस प्रकार अब तक 120 जे० जे० कालोनियों में यह सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना द्वारा हम

लगभग 15 लाख लोगों को उपचारात्मक सुविधा प्रदान कर पाये हैं। जब कभी वे जे० जे० कालोनियों का दौरा करते हैं तो प्रतिदिन 100 से 150 रोगियों की जांच की जाती है। सभी आवश्यक दवाईयां मरीजों को बेशक निःशुल्क दी जाती हैं, जब कभी ये दल दिल्ली की इन कालोनियों का दौरा करते हैं।

श्री अमल दत्ता : मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि दिल्ली में 114 अस्पताल बनाने की योजना है। मेरे विचार में इससे दिल्ली तथा पूरे देश में अस्पतालों दी संख्या बराबर हो जाएगी और दिल्ली में अस्पतालों की संख्या बाकी देश के अस्पतालों के बराबर होगी। अब हो यह रहा है कि लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए 50 कि० मी० से 60 कि०मी० दूर से आते है। जब ये अस्पताल स्थापित हो जाएंगे तो लोगों को दिल्लो में इलाज कराने के लिए 1500 कि० मी० दूर से यहां आना पड़ेगा। आप देश का इस तरह से असमान विकास करके ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। मेरे विचार में स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि देश के अन्य भागों में किस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं यह देखना चाहिए कि इस मामले में समानता लायी जाए और दिल्ली में ही इन सुविधाओं को केन्द्रित न किया जाए। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तविक प्रश्न किया है। किन्तु ऐसी स्थिति लम्बे समय के बाद ही आ पाएगी। मैंने यहां दिल्ली का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और मैंने सोचा कि मैं इसकी स्थिति स्पष्ट कर दूं।

"परती भूमि विकास केन्द्र"

*824. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश में परती भूमि के विकास के लिए कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

(ख) राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) उक्त राज्य में गत दो वर्षों के दौरान कितनी परती भूमि का विकास किया गया और कितनी धनराशि अभी तक उपयोग में लाई गई; और

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश में परती भूमि विकास के लिए कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण किया गया क्षेत्र और प्रयोग में लाई गई धनराशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	वनीकरण किया गया क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	प्रयोग की गई धनराशि (लाख रुपयों में)
1986-87	1·43	3436·01
1987-88	1·52	3172·03

वर्ष 1988-89 में मार्च 1989 तक सूचित किया गया कुल वनीकृत क्षेत्र 1·42 लाख हैक्टेयर है और 3538·00 लाख रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया था।

(ग) आठवीं योजना अवधि के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्योरा अभी नहीं बताया जा सकता। योजनाओं को प्रत्येक वर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : माननीय अध्यय महोदय, 26 तारीख को मैंने इसी से सम्बन्धित प्रश्न संख्या 747 में पूछा था उसमें इन्होंने आन्ध्र प्रदेश की 7 परियोजनाओं को रिजेक्ट करके बताया कि हमारे यहां कोई पेंडिंग नहीं है, निल है, ऐसा करके मन्त्री जी ने जवाब दिया और आज मैं यह पूछ रहा हूं तो इसमें राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश में परती भूमि विकास के लिए कोई केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। दूसरे में, प्रश्न नहीं उठता तो किसमें प्रश्न उठता है, आपकी सरकार वह बता दे तो हम वह पूछें। एग्रीकल्चर के लिए पूछते हैं तो नहीं, किसी प्रोजेक्ट के लिए हम पूछते हैं तो नहीं, इण्डस्ट्री के लिए पूछते हैं तो नहीं, आरोग्य के लिए पूछते हैं तो उसमें भी नहीं, किसी प्रोजेक्ट के लिए हम पूछते है तो नहीं, नहीं के सिवा हां का किसी ने कोई बताया है तो बताइये। आपकी सरकार क्या चाहती है, हम उस हिसाब से पूछें, हम 30 माननीय सदस्य रहकर आगे पब्लिक को क्या जवाब दें? पब्लिक ने क्या गुनाह किया है, पब्लिक ने आपका क्या नुकसान किया है? हम क्या पूछें आपसे, वह हमको बताओ। ना ना है तो हां कब होगी, आप थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए।

श्री रामनिवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न और भाषण इस बात से प्रारम्भ किया—कुछ दिन पहले यहां बताया गया था कि वहां की योजनाओं को स्वीकार नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न से उसका कुछ संबंध नहीं है। इसलिए उसका उत्तर मैं देना उचित नहीं समझता। माननीय सदस्य ने पूछा है कि वेस्ट लेंड डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत आन्ध्र में कितने कार्य किए हैं? हमने कहा है, कोई नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरह के केन्द्र स्थापित करने की हमारी योजना में है ही नहीं। न हमने भारतवर्ष में कहीं और जगह इस तरह के केन्द्र स्थापित किए हैं। माननीय सदस्य थोड़ा आगे चलकर यदि प्रश्न के उत्तर को पढ़ लेते तो स्पष्ट हो जाता कि केन्द्र भले ही न हो, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश को 1986-87 में 3436 लाख रुपए दिए और 1·43 लाख हैक्टेयर फॉरेस्ट लगाया। 1987-88 में 1·52 लाख हैक्टेयर में फारेस्ट लगाया और केन्द्रीय सरकार ने 3172 लाख रुपए दिए। इसी तरह से 1988-89 का प्रश्न है। इसलिए यह उत्तर में निहित है कि आंध्र प्रदेश को कितना दिया गया और कितनी उन्होंने उपलब्धि हासिल की।

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, जो एमाउन्ट मंत्री महोदय द्वारा बताया गया, वह किस बेस पर दिया है, किसको दिए हैं? किसानों को डायरेक्ट दिए हैं या किन व्यक्तियों को दिए हैं या किसी आफिसर के साथ उसका बंटवारा किया है? किस हिसाब से···(व्यवधान)···क्या चाहिए,

आपको। क्या तकलीफ हो रही है आपको। जरा बतलाइए। हम पूछ रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो रही है।··· (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : सदन का समय खराब किया जा रहा है, इस तरह की बातें करके। (व्यवधान)···

श्री वी० तुलसीराम : आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई योजना है, तो उसके लिए बताया है, नाहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं वही पूछ रहा हूं···(व्यवधान)···

प्रो० मधु दंडवते : पेट में दर्द है।

श्री वी० तुलसीराम : पेट में तो इनके दर्द होता है जब इनको कुछ नहीं मिलता है, तो पेट में दर्द तो होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपने किस बेश पर वेस्ट लैंड डवेलपमेंट के लिए किसको पैसा दिया है। वेस्ट लैंड की जो हमारी योजनाएं थीं, जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया है, उन्हीं योजनाओं से वेस्ट लैंड डेवलप कर सकते थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी आपने कुछ नहीं कहा है कि आप कुछ रखेंगे। आप कृपा करके इस बारे में सदन को थोड़ा ठीक से बताइएगा।

श्री राम निवास मिर्धा : स्पष्ट रूप से कहा है कि आंध्र प्रदेश को दिया है। आंध्र प्रदेश की सरकार को यह पैसा दिया गया है, 34 करोड़ रुपए, 31 करोड़ रुपए और इस वर्ष 35 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जंगल लगाने के कार्यक्रमों में। वे योजनाओं के अन्तर्गत लगायें या वे अपनी पसन्द की जगहों पर लगायें, जो भी उनकी नीति है जंगल लगाने की, जंगल को वापिस ठीक करने की, वेस्ट लैंड को सुधारने की, उसके मुताबिक राज्य सरकार उसका इस्तेमाल करती है।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, वेस्ट लैंड की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। सन् 1980 के बाद देश के सामने बड़ी कठिन समस्या पैदा हुई है। हर वर्ष 1500 हैक्टेयर जमीन जंगल से खाली होती थी, लेकिन अब सरकार के प्रयास से 150 हैक्टेयर रह गई है। मैं तुलसीराम जी से सहमत नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसाकि आपने कहा है कि देश में जो वालन्ट्री आर्गेनिजेशन हैं उनको पैसा देकर जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, उन पर पेड़ लगाते हैं और जो लाखों-लाख हैक्टेयर जमीन फारेस्ट के अन्तर्गत आने वाली है, वह बेरन हो चुकी है, उसमें जंगल नहीं है, क्या आप वेस्ट लैंड डवेलपमेंट की जो स्कीम है, उसमें तबदीली करेंगे आप अपने बोर्ड्स से फारेस्ट लगाने की एजेंसी तैयार करें, क्योंकि वालन्ट्री आर्गेनिजेशन देश में सही-सही काम नहीं कर रही है ? तो क्या आप ऐसा परिवर्तन करेंगें जिससे जंगल में जो जमीन बेकार पड़ी है, उस पर हरे-भरे पेड़ लगाए जा सकें।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् वेस्ट लैंड बोर्ड जो अनुदान देता है या उनके कार्यक्रमों के अंदर जो अनुदान मिलता है, उसके बारे में माननीय सदस्य को गलतफहमी है कि वह सारा वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन्स को दिया जाता है। वालेन्टरी एजेन्सीज को अवश्य जाता है लेकिन बहुत कम पैसा उनके माध्यम से देते हैं। मुख्य रूप से जो भी पैसा देते हैं, वह केन्द्र सरकार राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार के वहां पर अपने जंगल के विभाग हैं जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति उसके अन्दर हैं। मुख्य रूप से वहां पर काम होता है लेकिन वालेन्टरी एजेंसीज को भी थोड़ा बहुत दिया जाता है और काफी वालेन्टरी एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। मुख्य रूप से यह पैसा राज्य सरकार को ही दिया जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह सही है कि जंगलों

की गंभीर स्थिति है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बोर्ड को मजबूत करने की बात कही गई और भी कई योजनाएं हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जंगल लग सकें। हम आशा करते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में और भी ज्यादा बृहत कार्यक्रम बनाया जायेगा जिससे इस गहन समस्या का कुछ हल निकल सके।

[अनुवाद]

श्री आनन्द पाठक : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को दार्जिलिंग चाय बागान मालिकों की एसोसिएशन से वन विभाग के अधीन दार्जिलिंग में बंजर और परती भूमि में चाय बागान लगाने की अनुमति देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां तो सरकार उनके अभ्यावेदन के संबंध क्या कार्यवाई करेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : चाय बागान मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आते। इसका संबंध वाणिज्य मंत्रालय से है। जहां तक आरक्षित वन चाय क्षेत्र या अन्य क्षेत्र का संबंध है। यह राज्य सरकार की नीति के अनुसार होता है।

श्री आनन्द पाठक : राज्य सरकार को पहले ही अभ्यावेदन दिया जा चुका है और राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने पहले ही यह मामला केन्द्र सरकार को भेज दिया है। समस्या यह है।

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे इसके लिए पृथक नोटिस दिया जाए।

एड्स रोग को फैलने से रोकने के लिए अभियान

***826. श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ वाइरोलाजी और पुणे नगर निगम ने एड्स को फैलने से रोकने के लिए पुणे नगर में संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ वाइरोलाजी के सहयोग से अन्य बड़े नगरों में इसी प्रकार का अभियान चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने पुणे नगर निगम के साथ मिलकर एच० आई० वी० संक्रमण की जांचें करने के लिए वेश्याओं से रक्त नमूने एकत्रित किये थे। इन जांचों के परिणाम पुणे नगर निगम को सूचित कर दिए गए थे, जो स्वास्थ्य कार्ड जारी करेगी, जिससे वेश्याओं को समय-समय पर चिकित्सा परिचर्या और उपचार सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान सरकार और निगम के नियंत्रणाधीन अस्पतालों से रक्त के नमूने प्राप्त करके रक्त दाताओं और यौन

संचारित रोगों से पीड़ित रोगियों जैसे अत्यधिक खतरे वाले अन्य समूहों के व्यक्तियों के रक्त की जांच कर रहा है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों के सहयोग से 30 शहरों में 40 निगरानी केन्द्र स्थापित किए हैं। ये निगरानी केन्द्र भी एच० आई० बी० संक्रमण का पता लगाने के लिए अत्यधिक खतरे वाले समूहों के व्यक्तियों के रक्त की जांच कर रहे हैं। महानगरीय शहरों में, उन क्षेत्रों में जहां वेश्याएं काफी बड़ी संख्या में रहती हैं, चिकित्सा परिचर्या और परामर्श सुविधाओं के लिए क्लिनिक स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सभी प्रकार के रक्तदानों की जांच करने के लिए 4 बड़े शहरों को प्राथमिकता दी जाती है और इन शहरों में रक्त जांच की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, चार-पांच साल पहले भारत में एड्स का का नाम कोई नहीं जानता था। चार साल पहले अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि एड्स का एक केस डिटेक्ट हुआ है और बाद में इस सदन में चर्चा भी हुई। जहां तक मुझे याद है, यह कहा गया कि फारेनर्स आते हैं और शायद कोई फारेनर एड्स का बीमार रहा होगा और वहीं से यह बीमारी फैल रही है। ऐसा लगता है कि यह विशाल रूप में फैलने वाला है। रोज अखबार में पढ़ते है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से मर रहे हैं और बम्बई में भी ऐसे कई केसेज हो गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूना में जो जांच की गई है, वह किस तरह की जांच की गई है और कितने लोगों की जांच की है, इस बीमारी के कितने केसेज पूना में डिटेक्ट हुए हैं। यह बीमारी फैले नहीं इसके लिए सरकार क्या उपाय करने वाली है।

[अनुवाद]

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्य ने पूना में किए जा रहे कार्य के बारे में पूछा है। हमने जो सुविधाएं बम्बई के लिए तय की थी वे अब पूना नगर में उपलब्ध होगी। परीक्षण की सुविधाएं निम्नलिखित चार संस्थाओं में उपलब्ध होगी।

(1) दि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरालाजी, पूना;

(2) बी० जे० मेडिकल, कालेज पूना

(3) सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पूना; और

(4) एस० टी० डी० सेन्टर आफ पूना, नगर निगम क्षेत्र।

नैमित क्षेत्र निगरानी क्रियाकलापों में उपरोक्त चार सेवा केन्द्रों की सहायता से वृद्धि की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य के लिए मंजूर किए जाने वाले चार नए प्रस्तावित एस० टी० डी० केन्द्रों में से पूना नगर निगम (पू० न० नि०) में एक अतिरिक्त एस० टी० डी० केन्द्र स्थापित किया जाएगा। रोग के नियंत्रण और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि देश में इस रोग के आयात रोकने के लिए और इस रोग पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जैसाकि मैंने अभी कहा है देश में अत्यधिक जोखिम वाले वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की जांच के लिए एड्स कार्यक्रमों की निगरानी का कार्य वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। सार्वजनिक शिक्षा, प्रचार माध्यमों और निगरानी क्रियाकलापों के विस्तार तथा एड्स रोगियों का पता लगाने, निदान

और इलाज करने की क्षमता का विकास करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर इस कार्यक्रम को तीव्र किया जा रहा है। फिलहाल देश में 40 निगरानी केन्द्र और चार संदर्भ केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि आपने कितने लोगों की जांच की है और कितने लोग एड्स के रोगी मिले हैं? रोग के निदान से पहले उसके कारण ढूंढ़ना जरूरी है। जब कारण मालूम हो जायेंगे तो इस बीमारी का निदान ठीक हो सकता है। आप पहले यह पता लगायें कि एड्स कैसे आया जिसका चार साल पहले अपने यहां नाम नहीं सुनाई देता था, अब यह बीमारी बढ़ती जा रही है इसलिए इसके कारण मालूम करने चाहिए तभी रोग की रोकथाम हो सकेगी।

[अनुवाद]

कुमारी सरोज खापर्डे : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरालाजी, पूना और पूना नगर निगम ने संयुक्त रूप से 24 और 30 मार्च के बीच शुक्रावरपट, पूना के रेड लाइट क्षेत्र में वेश्याओं का सर्वेक्षण किया था। इस अवधि के दौरान एकत्रित किए गए और जांच किए गए खून के नमूने इस प्रकार हैं।

खून के नमूनों की संख्या : 147

सीरो-पोजिटिव वेश्याओं की संख्या : 3

बम्बई में दिसम्बर, 1988 तक वेश्याओं के 1649 खून के नमूनों में से 763 मामले सीरो पोजिटिव वाले पाए गए। इन वेश्याओं ने जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। वे इस बीमारी को अनेक लोगों को लगा सकती हैं। एच० आर० ई० पोजिटिव वाली महिलाएं लोगों में इस बीमारी को फैला सकती है। और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरालॉजी खून दानकर्ताओं और एस० टी० डी० रोगियों का भी परीक्षण कर रही हैं। एन० आई० वी०, पूना में 31 मार्च, 1989 तक की गई निगरानी के परिणाम निम्नलिखित हैं :

खून के नमूने	:	11,550
सीरो पोजिटिव	:	69
वेश्याएं	:	6
एस० टी० डी० रोगी	:	29
खून दानकर्ता	:	22
विदेशी छात्र	:	29
कुल	:	69

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरा प्रश्न एड्स के विज्ञापनों के बारे में है। लोगों को शिक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली में बसों में विज्ञापन इस प्रकार दिए गए हैं;

[हिन्दी]

"अजनबी मर्द और पराई औरत से सम्पर्क न करें।"

[अनुवाद]

अब इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि महिलाएं पराई क्यों हैं। महिला कोई भी हो सकती है, आपकी अपनी या कोई और भी हो सकती है ? क्या वह उनकी अपनी नहीं हो सकती ? हम समाज में जनता को गलत बात समझा रहे हैं ? मर्द अजनबी हो और औरत पराई हो ? यह गलत बात है और आप इसे बदलने का प्रयास करें। यह मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्य ने यहां पर जो सवाल उठाया है, हमारे मंत्रालय की कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज से अवगत करायें। आपने जो सुझाव रखा है सदन के सामने हम उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि पूना नगर में एड्स को फैलाने का एक स्रोत पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी छात्र हैं ? चिकित्सा परीक्षण के लिए 100 रुपये लिए जाते हैं किन्तु अभी तक कोई परीक्षण नहीं हुआ है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : एड्स ही नहीं बल्कि बाह्य एंड (व्यवधान)

श्री शरद दिघे : इसलिए, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार पूना विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश से पूर्व उनकी चिकित्सा जांच कराये जाने के लिए बाध्य करने के लिए कदम उठाएगी।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे नोटिस में पूना अस्पताल की बात लाई। मैं सदन को और माननीय सदस्य को भी यह विश्वास दिलाती हूं कि मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करूंगी।

डा० कृपासिंधु भोई : अध्यक्ष महोदय, हम सदन में अनेक बार एड्स की उत्पत्ति और यह तृतीय ग्रेड के कैंसर से किस प्रकार अधिक खतरनाक है, के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लोगों को इस खतरे की जानकारी नहीं है। और मंत्री महोदया नियमित रूप से यह बता रही हैं कि यह बीमारी वेश्याओं के लिए ही अधिक खतरनाक हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में पश्चिमी देशों के स्थानिक मारी और महामारी क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों की एंटी बाडी और एच० आई० वी० वायरस की उपस्थिति संबंधी जांच की जा रही है ? यदि नहीं तो क्या मंत्री महोदय (विदेश मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करेंगे, और नियमित रूप से यह परीक्षण करेंगे।

हमें वेश्याओं और रक्तदान करने वालों के खून का परीक्षण और जांच अवश्य करनी चाहिए इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी को इस तथ्य की जानकारी है कि बम्बई और पुणे में जिन स्थानों पर 9 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा गेमाग्लोबिन तैयार किया गया है, वहां पर वीर्य सम्बन्धी और यकृत सम्बन्धी कीटाणुओं का पता लगाने के लिए तथा रक्त में 'ऐड्स' कीटाणुओं

का पता लगाने के लिए ऐसे परीक्षण नहीं किए गए है कि वे कीटाणुमुक्त है अथवा नहीं। ऐसा पता लगा है कि वे कम्पनियां बन्द कर दी गई हैं। मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन 9 दोषी कम्पनियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया है।

कुमारी सरोज खापर्डे : प्रश्न के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में मैं यहां यह उल्लेख करना चाहती हूं कि सम्बन्धित कम्पनियों के सम्पूर्ण भंडार को नष्ट कर दिया गया है।

महोदय, विदेशी विद्यार्थियों के बारे में, माननीय सदस्य पूछ रहे थे··· (व्यवधान)

डा० कृपा सिन्धु भोई : सभी लोगों के लिए। यद्यपि हम डा० पॅटल की सिफारिशों से पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते फिर भी हमें यह करना होगा। नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा।······ (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : हमने विदेशियों के लिए 'ऐड्स' परीक्षण की जाँच करने हेतु मार्ग-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। विदेशी विद्यार्थियों के लिए, मेरे पास एक बहुत ही लम्बी सूची है। यदि माननीय सदस्य रुचि रखते हैं, तो वह मेरे पास आकर इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं यह सूची उन्हें तथा सदन को भी परिचालित करूंगी।

कैंसर रोग के निदान और उपचार की सुविधाएं

*830. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर रोग निदार और उपचार के लिए देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध सुविधायें पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विशेषकर उन नगरों में जहां इस रोग के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, इस रोग के निदान और उपचार की सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर का पता लगाने तथा उपचार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। भारत सरकार निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है—

(1) नौ क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्रों को उपकरण खरीदने के लिए।

(2) कैंसर उपचार के कार्य में लगे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को कोबाल्ट थिरेपी यूनिटें खरीदने के लिए।

(3) कैंसर का शीघ्र पता लगाने वाले केन्द्रों और पैप स्मीयर परीक्षण यूनिटें स्थापित करने के लिए।

कैंसर संस्थान, मद्रास, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ और के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ को जापान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 में कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैनर दिए गए हैं। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत एस० एम० एच० एस० अस्पताल, श्रीनगर, एस० एम० एस० मेडिकल कालेज और अस्पताल, जयपुर, कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान ग्वालियर, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल इलाहाबाद और एम० एन० जे० कैंसर अस्पताल और रेडियम संस्थान, हैदराबाद को पांच और सी० टी० स्कैनर दिए जा रहे हैं। एक अन्य परियोजना के अन्तर्गत जापानी सहायता से कैंसर संस्थान दिये मद्रास को अत्याधुनिक उपकरण सप्लाई किए जाने हैं।

श्री वी० कृष्ण राव : महोदय, देश में कुछ कैंसर संस्थानों को जापानी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 'कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैनर' दिए गए हैं। किदवई मेमोरियल संस्थान बंगलौर, जो कि सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है, वहां पर बहुत से मरीजों को दाखिल किया जा रहा है और उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश, मंत्री जी के उत्तर में बंगलौर किदवई संस्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या माननीय मंत्री सदन को यह विश्वास दिलाएंगे कि वह किदवई कैंसर संस्थान को भी कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैनर सप्लाई करेंगी ?

कुमारी सरोज खापर्डे : यदि कर्नाटक सरकार हमसे कहेगी तो हम निश्चित रूप से इस संबंध में कुछ करेंगे।

श्री वी० कृष्ण राव : ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर से पीड़ित बहुत से मरीजों की मृत्यु हो रही है क्योंकि उनका उचित तरीके से निदान नहीं हो पाता है। अस्पताल केवल शहरी क्षेत्रों में हैं। क्या सरकार कुछ वैन भेजकर अथवा कुछ अन्य प्रबन्धों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर का पता लगाने के लिए कुछ प्रबन्ध करेगी ?

कुमारी सरोज खापर्डे : सरकार न केवल शहरी क्षेत्रों को बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का हमेशा प्रयास करती रही हैं यदि माननीय सदस्य कोई विशेष उदाहरण मेरे नोटिस में लाएंगे तो मैं निश्चित रूप से पूरे मामले को देखूंगी।

डा० टी० कल्पना देवी : क्या मन्त्रालय को एम० एन० जे० कैंसर अस्पताल का दर्जा बढ़ा कर उसे क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र बनाने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ? क्या माननीय मंत्री आंध्र प्रदेश में कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए केन्द्र और पी० ए० पी० समीर टैस्टिंग यूनिट की स्थापना करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : इस प्रश्न के लिए मुझे एक अलग नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बृजमोहन महन्ती : क्या कटक मेडिकल कालेज, बुराला मेडिकल कालेज और ब्रह्मपुर मेडिकल कालेज में कैंसर का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए कोई प्रबन्ध हैं, यदि हां, तो क्या उस संस्था का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया गया है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : उड़ीसा में ऐसे दो स्थान हैं अर्थात कटक मेडिकल कालेज और ब्रह्मपुर मेडिकल कालेज, जहां पर परीक्षण सुविधाएं मौजूद हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : क्या उनका दर्जा बढ़ाने का कोई प्रयास किया गया है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : यदि राज्य सरकार हमसे इसके बारे में कहती है तो हम निश्चित रूप से सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

उड़ीसा में "प्लासमोडियम फेलिसिपेरम कंटेनमेंट प्रोग्राम" बन्द करना

*832. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया के बारे में अनुसंधान से सम्बन्धित (प्लासमोडियम फेलिसिपरेम कन्टेनमेंट प्रोग्राम) बंद किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस कार्यक्रम को किस तारीख से बन्द किया जाएगा;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में कार्य करने वाले तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उन्हें अन्य विभागों में नियोजित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977 में स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के वित्तीय सहयोग से "प्लासमोडियम फाल्सिपेरम कन्टेनमैंट प्रोग्राम" शुरू किया गया था । भारत सरकार और सीडा के मध्य इस कार्यक्रम को समर्थन देने का वर्तमान करार 30-6-89 को समाप्त हो जायेगा इस परियोजना के अन्तर्गत अधिकारी और तकनीकी और प्रशासन कर्मचारियों को मिलाकर 365 कार्मिक दैनिक वेतन आधार पर कार्य कर रहे हैं और इस करार की समाप्ति के पश्चात् उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

प्लासमोडियम फालसिपेरम कन्टेनमैंट प्रोग्राम में दिहाड़ी पर लगे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं । उनके खपाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मण मलिक : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1977 में निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी मार्गनिर्देश और स्वीडन सरकार के वित्तीय समर्थन में प्लासमोडियम फाल्सिपेरम कन्टेनमैंट प्रोग्राम शुरू किया गया था । प्रारम्भ में विभिन्न राज्यों में इन कार्यों पर नियन्त्रण करने के लिए चार जोनल मुख्यालय स्थापित किए गए थे, उनके नाम इस प्रकार है :

जोन- I—शिलोंग (इसमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं)

जोन-II—भुवनेश्वर (इसमें उड़ीसा और आंध्रप्रदेश शामिल हैं),

जोन-III—रांची (इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं) और

जोन-IV—भोपाल (इसमें मध्य प्रदेश और अन्य राज्य शामिल हैं) ।

इस संगठन में 365 कर्मचारी हैं। गत 12 वर्षों में, इस कार्यक्रम में देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर प्लासमोडियम फाल्सिपेरम की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां पर उनमें कमी आई है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान कार्य सफलतापूर्वक किये गये हैं। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, यह कार्यक्रम 30-6-1989 को समाप्त हो रहा है। 365 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या अनुसंधान कर्मचारियों सहित इन 365 कर्मचारियों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और आई० एम० आर० सी० में खपा लिया जाएगा ? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पहलू पर विचार कर रही है अथवा नहीं।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, इस परियोजना में 365 कर्मचारी हैं जिनमें 80 अधिकारी और 281 तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैंने अपने मुख्य उत्तर में पहले पहले ही यह बता दिया है कि वे इस परियोजना के अन्तर्गत दैनिक वेतन आधार पर कार्य कर रहे हैं और वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त माननीय आधार को देखते हुए, इस मन्त्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में इन कर्मियों के जीवनवृत्त परिचालित करने का विचार है और सम्बन्धित राज्य में यह कहा गया है कि उनके पास जितने रिक्त स्थान उपलब्ध हैं. उन्हें यथासंभव उनमें खपाया जाए।

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि (**दी जर्नल आफ कम्युनीकेबल डिस्सीज**) स्पेशल इशु ओन मलेरिया रिव्यु के अनुसार देश में कुल प्लासमोडियम फाल्सिपेरम मामलों में उड़ीसा का प्रतिशत राज्यों से अधिक है। उड़ीसा में, यह लगभग 35 9 प्रतिशत है जो कि सम्पूर्ण देश में सबसे अधिक है। वर्ष 1976 में, यह 27·9 प्रतिशत था ; वर्ष 1981 में यह 39·8 प्रतिशत था और 1985 में यह 35·9 प्रतिशत था। यह कार्यक्रम फूलवनी और कोरापुर के आदिवासी जिलों में कार्यान्वित किया गया था। अतः मेरा माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि यदि इन आदिवासी लोगों को इस सुविधा से वंचित रखा जाता है तो उन्हें सबसे अधिक नुकसान होगा। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी फूलबनी कोरापुर जिलों में, जहां पर आदिवासी लोग रह रहे हैं, क्या 'प्लासमोडियम फाल्सिपेरम कन्टेनमैंट' प्रोग्राम को जारी रखा जायेगा ?

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, माननीय सदस्य उड़ीसा का उल्लेख कर रहे थे। मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि इस महामारी की स्थिति के बारे में फाल्सिपेरम की घटना के बारे में 1984-88 की अवधि के लिए तुलनात्मक स्थिति मेरे मुख्य उत्तर में दी गई है। फिर भी मैं यहां उल्लेख करना चाहती हूं कि उड़ीसा में आजकल इन घटनाओं में कमी आई है। यदि आप वर्ष 1984-88 के आंकड़ों को देखें तो आपको पता लगेगा कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इन घटनाओं में पर्याप्त कमी आई है और हम उड़ीसा राज्य में इस कार्यक्रम को काफी समर्थन देना चाहेंगे।

श्री नारायण चौबे : महोदय, मलेरिया और फिलेरिया बीमारियां पूरी तरह से समाप्त नहीं की गई हैं; फिर भी सरकार ने यह बताया है कि उड़ीसा और अन्य राज्यों में इनमें कमी आई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि विदेशी एजेंसी से इसके लिए सहायता बन्द हो जाती है तो भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर विदेशी सहाता के बिना भी इस कार्यक्रम को जारी क्यों नहीं रखती जिससे कि इस कार्यक्रम को जारी रखा जा सके और इसमें विदेशी निर्भरता को समाप्त किया जा सके।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, हम इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जारी रखने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मैं यहां यह उल्लेख करना

चाहती हूँ कि यदि आप 1984 के आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में इस बीमारी विशेष की घटनाएं कम हो रही हैं।

राष्ट्रीय मजदूरी नीति

*823. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1957 में हुए पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन की उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक समान मजूरी नीति तैयार करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये हैं जिनमें न्यूनतम मजूरी के निर्धारण के लिए 5 मानदंडों यथा 3 उपभोक्ता यूनिट सहित 4 यूनिट वाला परिवार, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन द्वारा प्रतिदिन के लिए स्वीकृत 2700 केलोरीज, मानक आदास और आवास लागत, प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार के लिए 70 मीटर कपड़ा और बच्चों की शिक्षा आदि जैसे अन्य व्यय के लिए कुल न्यूनतम मजूरी का 20 प्रतिशत को अपना ने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और केन्द्रीय सरकार मे निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर के अधिकारियों को मिलने वाली मजूरी के मध्य अंतर को कम से कम करने के लिए और एक कामगार के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं क्योंकि इस मुद्दे पर देश के सभी मजदूर संघों में परस्पर सहमति है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने के प्रश्न पर जुलाई, 1957 में हुए 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को बाद की जांचों और इस प्रश्न पर विचार विमर्शों ने रद्द कर दिया है। अतः 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों का स्मरण करना संगत नहीं है।

2. 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने कुछ मानदण्ड निर्धारित किये जिन पर आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया जाना था। भारतीय श्रम सम्मेलन ने भूलभूत मसले उठाये कि क्या आवश्यकता ही केवल मजदूरी निर्धारित के लिये मानदण्ड होने चाहिएं। द्वितीय वेतन आयोग (1957-1959) ने 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन के प्रस्ताव की विस्तार से जांच की और न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने में सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। तथापि, द्वितीय वेतन आयोग ने महसूस किया कि न्यूनतम पारिश्रमिक की परिभाषा से अधिक महत्वपूर्ण यह बात अधिक महत्व रखती है कि 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा क्या सिफारिश की गई थी। मजदूरी बोर्डों ने, जिन्होंने द्वितीय वेतन आयोग के पश्चात् रिपोर्ट दी, 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन तथा राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा बताये गये मानदंडों के बराबर मुद्रा (मनि) के ब्यौरे तैयार करने का प्रयास किया। मजदूरी बोर्डों की पद्धति के कामकाज सम्बन्धी राष्ट्रीय ग्रामीण आयोग की समिति ने यह रिपोर्ट किया कि अधिकांश मजदूरी बोर्डों ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी (15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा सुझाये गये आधार) को किसी एक या निम्नलिखित अनेक कारणों से निर्धारित करना उचित नहीं समझा।

(क) यह उद्योग की अदा करने की क्षमता से बाहर होगा। (ख) यह उसी क्षेत्र में उद्योगों के बीच मजदूरी की सापेक्षता को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा। (ग) इससे मजदूरी में बहुत ज्यादा और अचानक वृद्धि होगी। यह उपभोक्ता की लागत पर फिजूलखर्ची होगी जिन पर बढ़ी हुई मजदूरी और वेतन का भार पड़ेगा।

3. राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अगस्त, 1969 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बताया :

"प्रशासनिक सुविधा तथा कारगरता के अलावा, यह आशंका है कि अधिकतर क्षेत्रों में अनिवार्यत: राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किए जाने से बहुत सी कठिनाइयां हो सकती है। देश की विशालता तथा उद्योगों और क्षेत्रों में विकास स्तरों में अधिक भिन्नता होने के कारण, एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तर्क-संगत नहीं होगी। समन्वय का अभाव ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। केन्द्र और राज्यों में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियों द्वारा समन्वय को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य देशों का अनुभव भी हमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश करने के लिए प्रेरित नहीं करता। अत: हम महसूस करते हैं कि सम्पूर्ण देश के लिए एक समान न्यूनतम आर्थिक पारिश्रमिक के अभिप्राय से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी न तो संभव है और न ही वांछनीय। यदि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है तो इसका नुकसान यह होगा कि ऐसे क्षेत्र भी होंगे जो न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं कर सकते यदि न्यूनतम मजदूरी को आशाजनक तरीके से तैयार किया जाता है। यदि संगणन किसी गरीब क्षेत्र या उद्योग द्वारा प्रभावित होती है तो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी लागू करने लायक नहीं होगी। हालांकि यह सच है कि राष्ट्रीय मजदूरी चाहे वह कुछ भी हो, श्रमिक संगठनों को कुछ ऐसी चीज प्रदान कर सकती है जिसके आधार पर वह जनमत तैयार कर सकते है, न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने में निहित कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तथापि, यह संभव हो सकता है कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न समरूप क्षेत्रों में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित किया जाए। वास्तव में छोटे भौगोलिक क्षेत्र में अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों में व्यापक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ऐसी क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी दरें आवश्यक प्रतीत होती हैं। ऐसी क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यह कर्मकार संगठनों को जनमत तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय प्रदान कर सकता है कि किसी नियोजक को अधिसूचित की गई न्यूनतम मजदूरी दरों से कम देने की अनुमति न दी जाये। उचित समय में, पूरे राज्य को इसके अंतर्गत लाने के लिए क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारित करने के लिए किसी राज्य से बाहर क्षेत्र का विस्तार करना अव्यवहारिक हो सकता है और यह कर्मकारी वे हित में भी नहीं हो सकती।"

4. वर्ष 1985 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने सिफारिश की कि जब कभी विशेष अनुसूचित रोजगार में, जिसमें दो या अधिक राज्य आते हैं मजदूरी दरों में व्यापक विषमता हो, तो इस विषमता को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों द्वारा प्रयास किये जाने चाहिएं।

बाद में 28 वें भारतीय श्रम सम्मेलन (1985) ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया। इसने यह महसूस किया कि जब तक ऐसा संभव न हो, क्षेत्रीय न्यूनतम

मजदूरी का होना कांछनीय होगा जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करे। इन दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, विवरण से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह सुजाव दिया है कि प्रत्येक रोग को कुछ क्षेत्रीय न्यूनतम मंजूरी नीति अपनानी चाहिए अनुभव की जाने वाली कुछ कठिनाइयों को देखते हुए राष्ट्रीय मंजूरी नीति को कार्यान्वित जाने की संभावना नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिकतर राज्यों ने किसी क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति को अपना लिया है, जैसाकि श्रम आयोग ने सिफारिश की थी।

[हिन्दी]

श्री राधा किशन मालवीय : अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना राज्यों का काम है और नेशनल वेज पालिसी एक बड़ा विस्तृत प्रश्न है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ डायरेक्शनज दिए, समय-समय पर जो वेज पालिसी निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार हुए परन्तु आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी को संभव नहीं पाया।

उसके सम्बन्ध में 1957-59 में द्वितीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस पर विचार किया, 1969 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, 1983 में और 1985 मचिवों की समिति ने, 1985 में श्रम मन्त्री सम्मेलन जो कि राज्य श्रम मंत्रियों का ग्रुप था, उसने विचार किया और 1985 में ही 28 वां भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ, उसमें विचार किया गया और अभी हाल ही में नवम्बर 1988 में श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार हुआ और उसमें हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि कम से कम न्यूनदम मजदूरी 11 रुपए निर्धारित की जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औषधियों की प्रयोगावधि समाप्त होने के कारण हुई हानि

[अनुवाद]

*821. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थिति सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपो को औषधियों की प्रयोगावधि समाप्त होने के कारण पिछले तीन वर्षों में कोई हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण से हुई हानि का मदवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अस्पतालों को भी प्रयोगवधि समाप्त औषधियों की सप्लाई की गई थी; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऐसी औपधियों के स्थान पर नई औषधियां दी गई थीं, और यदि हां, तो इसके कारण हुई हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, मद्रास द्वारा किसी अस्पताल को अवधि समाप्त औषधियों की आपूर्ति नहीं की गई।

(घ) निर्माताओं से एवज में नि:शुल्क औषधियों को प्राप्त करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और इस कारण सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

केरल में हथकरघा उद्योग

*822. **श्री के० कुन्जम्बु :**

श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में हथकरघा उद्योग की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में हथकरघा उद्योग को क्या सहायता देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अन्य राज्यों की ही तरह केरल में हथकरघा उद्योग जिन मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है वे है, हैंक यार्न की कीमतों में वृद्धि तथा विद्युतचालित करघा क्षेत्र से स्पर्द्धा के कारण हथकरघा क्षेत्र को अपने उत्पादों की बिक्री करने में असमर्थता।

(ग) सरकार ने उचित कीमतों पर हथकरघा क्षेत्र को यार्न की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे हैंक यार्न दायित्व योजना, बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना तथा हथकरघा क्षेत्र के लिए आकर्षक उत्पादन निर्मित करने के वास्ते मौजूद। मिलों की क्षमता में विस्तार के लिए सहकारी विकास निगम ऋण सहायता देना तथा हथकरघा क्षेत्र को यार्न की सप्लाई करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से यार्न की कीमतों में हाल ही की वृद्धि की वृत्ति को रोकने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय भी किए गए हैं :

(1) सूती यार्न के निर्यात के बदले शुल्क मुक्त आर० ई० पी०। अग्रिम लाइसेंस के आधार पर रूई के आयात की अनुमति दी गई है।

(2) 1 से 60 तक के काउण्ट समूहों में हैंक यार्न के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है।

(3) वर्ष 1987-88 के रूई वर्ष में हथकरघा क्षेत्र को सप्लाई करने के उद्देश्य से हैंक यार्न का उत्पादन करने के लिए मध्यम। लम्बे स्टेपल की रूई की एक लाख गांठ के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(4) जनता कपड़े पर उपदान की दर 1-3-1988 से 2.00 रु० वर्ग मीटर से बढ़ाकर 2.75 रु० प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है।

(2) विद्युतचालित करघा क्षेत्र की तुलना में हथकरघा क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही कठिनाई को दूर करने के लिए अनेक वित्तीय रियायतें प्रदान की गयीं हैं। इसके अतिरिक्त हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण), अधिनियम, 1985 के जरिए हथकरघा क्षेत्र में विशेष रूप से उत्पादन करने के लिए अन्य 22 मदों को आरक्षित किया गया है। केरल में प्रवर्तन तंत्र की स्थापना करने के लिए भारत सरकार ने केरल सरकार को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

(3) हथकरघा उद्योग को विकसित करने तथा हथकरघा बुनकरों की सामाजिक-आर्थिक और रहन-सहन की दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार केरल सहित देश के सभी राज्यों में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :—

(1) हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों के सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए शेयर पूंजी सहायता;

(2) करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता;

(3) करघा-पूर्व तथा करघा-पश्चात, संसाधन सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्य हथकरघा विकास निगमों तथा हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता;

(4) बाजार विकास सहायता योजना जो कि निम्नलिखित पूर्ववर्ती योजनाओं के स्थान पर शुरू की गई है विशेष छूट, राज्य की शीर्षस्थ सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता तथा हथकरघा विकास निगमों और प्राथमिक समितियों को प्रबन्धकीय उपदान की योजना।

(5) जनता कपड़ा योजना;

(6) थ्रिफ्ट निधि योजना,

(7) वर्कशैड-सह-आवास योजना।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता केरल सहित सभी राज्यों को प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है।

केरल में वन भूमि पर बसे लोगों का कब्जा नियमित करना

*825. **प्रो० पी० जे० कूरियन** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पहले यह निर्णय लिया था कि केरल में वन भूमि पर वर्ष 1977 से पूर्व के कब्जाधारियों का कब्जा नियमित कर दिया जाए; और

(ख) उनके कब्जे को कब तक नियमित कर दिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारत सरकार, वन भूमि में 1-1-1977 से पूर्व के कब्जों को नियमित करने पर विचार करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई थी। लेकिन बाद में, केरल सरकार ने केरल के इदुक्की जिले सहित 5 जिलों में कृषकों को देने

के लिए 28588.15 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव भेज दिया। केरल उच्च न्यायालय ने इडुक्की जिले में वन भूमि कृषकों को देने के बारे में सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पर आगे विचार करने का कार्य आस्थगित रखा गया है।

लाला रामस्वरूप क्षयरोग अस्पताल को वित्तीय सहायता

*827 **श्री राज करन सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाला राम स्वरूप क्षयरोग अस्पताल गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इसके भवन की दशा बहुत खराब है;

(ख) क्या टी० बी० एसोसिएशन आफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें इस अस्पताल को चलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की गई है तथा केन्द्रीय सरकार से इसका अधिग्रहण करने और इसे एक सरकारी संस्थान की तरह चलाने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा इस अस्पताल के अधिग्रहण करने के एक प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत वृक्षों के जीवित रहने की प्रतिशतता

*828. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत लगाए गए वृक्षों के जीवित रहने की प्रतिशतता काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के उद्देश्य की प्राप्त हेतु वृक्षों के जीवित रहने की प्रतिशतता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) **"सामाजिक वानिकी परियोजना के अधीन वृक्षों की जीवितता दर'**

(क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा पांच राज्यों में हाल ही में किए गए एक विशेष अध्ययन के अनुसार 1983-84 से 1987-88 के बीच किए गए वृक्षारोपण की जीवितता दर निम्न प्रकार रही है :

राज्य	औसत जीवितता प्रतिशत
गुजरात	63.64
कर्नाटक	79.39

1	2
तमिलनाडु	60.57
उत्तर प्रदेश	60.69
पश्चिम बंगाल	67.56

इस प्रकार सामान्य तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जीवितता दर बहुत कम है।

(ख) उच्च जीवितता दर प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कार्यान्वयन एजेंसियों को उचित प्रजातियों के चयन, पौदरोपण तकनीक, पौधों की देखभाल, जन-सहभागिता को बढ़ावा देने, विशेष सुरक्षा उपायों, आदि की ओर अधिक ध्यान देने की सलाह दी गई है।

नये मेडीकल विश्वविद्यालयों की स्थापना

*829. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने मेडिकल विश्वविद्यालय हैं और राज्यवार वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या मेडिकल शिक्षा पुनरीक्षा समिति की सिफारिश पर कोई नया मेडीकल विश्वविद्यालय खोला गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) इस प्रकार के दो विश्वविद्यालय खोले गए हैं, एक विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तथा दूसरा मद्रास में तमिलनाडु सरकार द्वारा।

(ग) चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति की भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित शिफारिशें आवश्यक कारंवाई हेतु राज्य सरकारों को जून, 1986 में भेज दी गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना अप्रैल, 1986 में की थी जबकि तमिलनाडु सरकार ने डा० एम० जी० आर० मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना सितम्बर, 1987 में की थी। ये दोनों विश्वविद्यालय स्वशासी सांविधिक निकाय हैं। उनके कार्यों में शामिल हैं—चिकित्सा शिक्षा का एक समान स्तर बनाए रखना, आधुनिक तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति, नर्सिंग तथा दूसरी अर्ध-चिकित्सा प्रशिक्षण की विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में तालमेल बैठाना, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के स्तरों में सुधार लाना, इत्यादि।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के ठेकेदारों के लिए मूल्य समायोजन खण्ड

*831. **श्री एच० एल० नन्जे गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा समय-समय पर सिविल निर्माण कार्यों में लगाये गये ठेकेदारों को भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी विभागों की भांति मूल्य समायोजन खण्ड की सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निगम के कुछ ठेकेदारों द्वारा इस सुविधा की मांग की गई है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० एण्ड ओ०) लि० कलकत्ता द्वारा दिये गये सिविल ठेकों की शर्तों में कोई "कीमत समायोजन धारा" नहीं है। एन० टी० सी० (धारक कम्पनी) द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं कि संविदा की वास्तविक शर्तों को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों द्वारा सिविल निर्माण कार्य में प्रयोग किये जाने वाले सामान की लागत में वृद्धि से सम्बन्धित मामलों में निरपराध रूप से स्थानीय लोक निर्माण विभाग पद्धति का ही अनुसरण किया जाना चाहिए।

(ग) सिविल ठेकेदारों में से एक ठेकेदार बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स नं० 2 में सिविल। निर्माण कार्य के अधूरे हिस्से को पूरा करने के लिए आर० बी० आई० फार्मूले के आधार पर कीमत वृद्धि की मांग करता रहा है। एन० टी० सी० इस अनुरोध पर सहमत नहीं हुआ है :

वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) को घाटा

***834. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) कलकत्ता को वर्ष 1987-88 और 1988-89 में कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या इस सहायक एकक को वर्ष 1987-88 में हुए घाटे की तुलना में 1988-89 में बहुत अधिक घाटा हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० ओ०) लि०, कलकत्ता को हुई निवल हानि नीचे दी गई है :

वर्ष	करोड़ रु० में
1987-88 (लेखा परीक्षित)	28-16
1988-89 (अनन्तिम)	30-82

(ख) और (ग) जी नहीं,। पिछले वर्ष के दौरान हुई हानि की तुलना में वर्ष 1988-89 (अनिन्तम) के दौरान हुई हानि में मामूली वृद्धि हुई है। हानि में यह मामूली वृद्धि मुख्य रूप से कपास लागत में वृद्धि, कताई में उपयोगिता स्तरों में गिरावट, बिजली की कटौती, अतिरिक्त श्रमिक बल, श्रमिकों के अनुपस्थित रहने तथा अपर्याप्त आधुनिकीकरण आदि की वजह है।

कुत्ते के काटने के मामले

***835. डा० बी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुत्ते के काटने के कितने मामले आए;

(ख) कुत्ते के काटने के मामलों की राज्यवार और वर्ष वार संख्या कितनी है तथा इसके कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आयातित टीके/देश में निर्मित रैबीज के टीके, सीरम की लागत सहित देश में इसके उपचार, रोगियों की अस्पतालों में देखभाल आदि पर वर्षवार कितना व्यय किया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों से दिल्ली और अन्य स्थानों में अवारा कुत्तों को मारने पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ख) 1986-88 के दौरान दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कुत्ते के काटने के सूचित किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :

	1986	1987	1988
सफदरगंज अस्पताल	10,708	10,972	10,774
डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	3,529	3,456	3,415
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल	352	356	359
दिल्ली नगर निगम अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालय	16,357	16,254	21,318

कुत्ते के काटने के मामलों की राज्यवार तथा वर्षवार संख्या तथा इससे हुई मौतों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान देश में कुत्ते के काटने के रोगियों पर किया गया वार्षिक खर्च, आयात की गई जलातंक वैक्सीन/सीरिमों सहित अस्पताल में देख-भाल पर हुए कुल खर्च के बारे में भी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कुत्तों के मारने पर किया गया वार्षिक खर्च नीचे दिया गया है :

1986	1987	1988
5,73,516 रु०	7,55,791 रु०	7,67,712 रु०

राज्यों और दूसरे संघ राज्यों क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पालेकर पंचाट लागू किया जाना

[हिन्दी]

*836. **श्री कुंवर राम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन समाचारपत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक पालेकर पंचाट लागू नहीं किया है; और

(ख) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदभ उठाये जा रहें हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार वह प्राधिकरण है जो पालेकर पंचाट को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। बिहार सरकार के अनुसार, 10 समाचारपत्रों ने पालेकर पंचाट को लागू नहीं किया है। बिहार सरकार ने चार समाचारपत्रों पर मुकदमा चलाया है। बिहार सरकार ने पंचाट से कार्यान्वियन की जांच करने के लिए स्तर सलाहकार समिति भी नियुक्त की है।

काम के दौरान चोट लगने की संभावना वाले उद्योगों में बाल श्रमिकों को काम पर लगाया जाना

[अनुवाद]

*837. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों का पता लगाया है जिनमें बाल श्रमिकों को काम के दौरान प्रायः चोट लगती रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उद्योगों में बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 24 के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न अधिनियमों के अधीन बालकों का नियोजन कानूनी रूप से प्रतिषिद्ध है। कारखानों में 14 वर्ष से कम की आयु के किसी भी बालक को नियोजित नहीं किया जा सकता, जबकि खानों में नियोजन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1985, मोटर परिवहन अधिनियम, 1961; बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में भी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है। राज्य सरकारों ने सामान्यतः दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के अधीन अपने-अपने राज्यों में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया है हालांकि निर्दिष्ट आयु सीमा 12 वर्ष और उससे अधिक के बीच है।

बाल श्रम (प्रतिषिद्ध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में इसकी अनुसूची में उन व्यवसाओं और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया गया है जिनमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता या उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

बालकों को व्यावसायिक चोटों और स्वास्थ्य के खतरों से बचाने के लिए इन विभिन्न अधिनियमों में निर्दिष्ट प्रतिषेध के अलावा, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन एक तकनीकी सलाहकार समिति भी गठित की गई है। इस समिति को उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं का पता लगाने का काम सौंपा गया है जो 14 वर्ष से कम की आयु वाले बालकों के लिए खतरनाक है और जिनमें उनके नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए। जुलाई, 1988 में प्रस्तुत अपनी प्रथम रिपोर्ट में, समिति ने निम्नलिखित व्यवसाओं और प्रक्रियाओं का पता लगाया :

(1) अस्थायी लाइसेंसों वाली उन दुकानों में नियोजन, जो पटाखे और आतिशबाजी बेचते हैं।

(2) स्लेट पेंसिलों का विनिर्माण (पैकिंग सहित)

(3) अगेट से उत्पाद का विनिर्माण

(4) सीसा, मरकरी, मेंगनीज, क्रोमियम, कैडमियम, बैनजीन, पैस्टीसाइड और ऐस्बेस्टास जैसे विषाक्त धातुओं और पदार्थों का प्रयोग करने वाली निनिर्माण प्रक्रियाएं।

सरकार के इस आशय की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में निर्दिष्ट अनुसूची में इन व्यवसायों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश में वनरोपण कार्यक्रम

[हिन्दी]

*838. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि पर कार्यान्वित किए जा रहे वनरोपण कार्यक्रम का कोई वार्षिक मूल्यांकन करती है;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार के सहयोग से बंजर भूमि पर वनरोपण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) यद्यपि बंजर भूमि पर वनीकरण का वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाता, तथापि उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों के सन्दर्भ में विभिन्न वनीकरण कार्यक्रमों की नियमित रूप से जांच की जाती है।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में वनीकरण कार्यक्रम की वर्षवार प्रगति निम्न प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
		(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)
1985-86	1·62	1·77
1986-87	2·25	2·43
1987-88	2·10	2·21
1988-89	2.55	2·65

(ग) आठवीं योजनावधि में वनीकरण कार्यक्रमों के लक्ष्य को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए जाने की आशा है।

(घ) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988-89 में 75.89 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान वनीकरण कार्यक्रम के लिए कुल परिव्यय 95·73 करोड़ रुपये है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धनराशि का उपयोग

*839. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री कमला प्रसाद रावत : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए वर्ष 1988-89 के लिये बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ;

(ख) वर्ष के दौरान इसमें से वस्तुत: कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) कितनी धनराशि व्यय नहीं की जा सकी तथा इसके क्या कारण हैं :

(घ) क्या वर्ष के आरम्भ की अवधि में किए गए व्यय की तुलना में वर्ष के अन्तिम कुछ महीनों के दौरान अधिक व्यय किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ङ) चूंकि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लेखों को संकलित व पूर्ण किया जा रहा है, इसलिये सूचना यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

पर्वतीय जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना

[अनुवाद]

*840. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में अहमदनगर में पर्वतीय जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र (माउंटेन बायोस्फेयर रिजर्व) स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के लिए कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति हेतु इस परियोजना से संबंधित कोई योजना भेजी है; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

औषधियों के बारे में पता लगाने के लिए "फील्ड किट"

7795. **श्री बक्कम पुरुषोत्तम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबंधियों के बारे में पता लगाने के लिए एक स्वदेशी "फील्ड किट" विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त किठ का वाणिल्यक स्तर पर निर्माण आरम्भ हो गया है;

(घ) क्या यह किट अन्य देशों में निर्मित किट की तुलना में सस्ती है, और

(ङ) यदि हां, तो इसका अन्य देशों को किस सीमा तक निर्यात किया जा सकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर नीचे दिया गया है :

(क) से (ग) स्वापक औषधों और साइकोट्रापिक पदार्थों का तत्काल पता लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के इस्तेमाल के लिये औषध का पता लगाने संबंधी एकस्वदेशी किट राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे द्वारा विकसित की गई है। तकनीकी जानकारी मैसर्स हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे को स्थानांतरित की गई है जिसने देश में विभिन्न औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के इस्तेमाल के लिए उक्त किटों का वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

(घ) और (ङ) यद्यपि अन्य देशों में ऐसी किट के मूल्य के बारे में विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि यह संयुक्त राष्ट्र औषध पहचान किटों के मूल्य के साथ अच्छी तरह से तुलनीय है और चेकोस्लोवाकिया की किट से सस्ती है। जहां तक निर्यात करने की गुंजाइश का सम्बन्ध है, इस विषय के बारे में संयुक्त राष्ट्र स्वापक औषध प्रभाग को उपयुक्त रूप से लिख दिया गया है।

बोरोटोन मरहम

7796. **श्री रामपूजन पटेल** : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोरोटोन मरहम एक होम्योपैथिक ऐन्टिसैप्टिक क्रीम है, जिसे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के फामूंला से तैयार किया गया है, और जिसे होम्योपैथिक औषध लाइसेंस के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया है;

(ख) क्या इस क्रीम के निर्माता इसे आयुर्वेदिक उत्पाद के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और इस प्रकार आवश्यक औषध लाइसेंस प्राप्त किये बिना उसकी बिक्री कर रहे हैं और भोली-भाली जनता को ठग रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे दोषी निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपाबन्धों के अनुसार इस मामले में पश्चिम बंगाल के औषध नियंत्रक लाइसेंस देने के प्राधिकारी हैं। के० एम० पी० आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र, 1-बर्मन स्ट्रीट, कलकत्ता-7 द्वारा लाइसेंस संख्या एच० एल० 605 एम० के अन्तर्गत बोरोटोन मरहम 5-2-1988 तक एक होम्योपैथिक रोगाणुरोधी क्रीम के रूप में निर्मित किया गया था। इस क्रीम के पैकिंग पर दिया गया फामूंला इस प्रकार है।

"प्रत्येक 5 ग्राम में शामिल है

बोरिक एसिड	:	1 प्रतिशत डब्ल्यु/डब्ल्यु
जिंक ऑक्साइड	:	3 प्रतिशत डब्ल्यु/डब्ल्यु
बरबेडिस एक्विफोलियम		1 × — 0·05 मि०ग्रा०
कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस	:	1 × — 0·05 मि०ग्रा०
सल्फर आयोडेटम	:	3 × — 0·025 मि०ग्रा०
अल्कोहल	:	4 प्रतिशत वी/डब्ल्यु
लैनोलिन और पैराफिन	:	क्यू. एस."

बोरिक एसिड तथा जिंक आक्साइड जैसे घटक अपरिष्कृत अवस्था में इस्तेमाल किये गये थे और इसलिए इसे होम्योपैथिक संरचना का फामूंला नहीं कहा जा सकता। इस फर्म ने 10-2-1988 को अपना लाइसेंस जमा करवा दिया तथा उसके बाद आयुर्वेदिक लाइसेंस संख्या 604-एम के अन्तर्गत 14-9-88 को बोरोटोन की स्वीकृति प्राप्त कर ली।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्य समिति

7797. **श्री राजकुमार राय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक कार्य समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) कार्य समिति का गठन करना अभी तक आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु नियम/विनियमन बनाये हैं और इस व्यवस्था ने सन्तोषजनक कार्य किया है। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण में बहुत सी यूनियनें हैं और यह निर्णय लेना सम्भव नहीं है कि किस यूनियन (यूनियनों) से कार्य समिति में सदस्य लिये गये। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह मामला पहले ही दिल्ली प्रशासन को भेज दिया है।

सहकारी आवास निर्माण समिति के सचिव को समिति की बैठक बुलाने का अधिकार

7798. **श्री सनतकुमार मंडल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत किसी सहकारी आवास निर्माण समिति के सचिव को समिति के सीधे चुने हुए प्रेसीडेन्ट से परामर्श किए बिना समिति की प्रबन्ध समिति (मैनेजिंग कमेटी) की बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या औचित्य है।

(ग) क्या पंजीयक ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड, पुष्पांजली एन्क्लेव, दिल्ली को दो चुनावों के बीच 20 महीने के अन्तराल के बाद मई, 1989 में नए चुनाव कराने की अनुमति दे दी है जबकि सहकारी समिति के नियमों के अनुसार चुनाव प्रति वर्ष कराने होते हैं;

(घ) क्या पंजीयक ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन समिति के वाइस प्रेसीडेन्ट, सचिव और खजांची को लगातार दो कार्यकाल तक अपने पदों पर कार्य करते रहने की अनुमति दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त मामले का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं। समितियों की बैठकें तभी की जानी होती हैं जब आवश्यक समझी जाती हैं और 3 बैठकों या प्रबन्ध समिति के एक-तिहाई सदस्यों से, इनमें से जो भी अधिक हो, या सहकारी समितियों के पंजीयक से या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से मांग-पत्र प्राप्त होने पर सचिव द्वारा बैठक बुलाई जानी होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

7799. **श्री सैफुद्दीन सोज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असलतपुर गांव के निकट ए-2 ब्लाक जनकपुरी में मूल रूप से नर्सरी स्कूल के लिए नियत की गई दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर डेयरियों और झुग्गियों का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस भूमि पर से इन्हें हटाने तथा इसका आबंटन शैक्षिक संस्था को करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं और तत्पश्चात शैक्षिक संस्थान को आबंटन किया जायेगा।

मिनिस्ट्री आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड

7800. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनिस्ट्री आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली को दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कब पंजीकृत किया गया था;

(ख) उक्त सोसाइटी की स्थापना की तारीख से अब तक इसकी प्रबन्ध समिति के चुनाव किन-किन तारीखों को कराए गए;

(ग) सहकारी गृह निर्माण समितियों के पदाधिकारियों का कितना कार्यकाल होता है;

(घ) क्या उक्त सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को लगातार दो कार्यकालों से अधिक समय तक पदों पर बने रहने दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सोसाइटी के अगले चुनाव कब तक कराये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) बम्बई सहकारी समिति अधिनियम 1925 के अन्तर्गत, जैसा कि इसे 5-9-60 को दिल्ली के संघ शासित प्रदेश तक बढ़ाया गया था, इस समिति को पंजीकृत किया गया था। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 92 के अनुसार बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 जैसा कि दिल्ली के संघ शासित प्रदेश मे लागू है, के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक समिति को दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के सदृश प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत समझा जाएगा तथा उसके उपनियम, जहां तक कि ये उस अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के अनुरूप न हों, तब तक लागू रहेंगे :

(ख) सहकारी समितियों के पंजीयक को भेजी गई सूचना के अनुसार समिति ने 1960 में अपने पंजीकरण के समत से निम्नलिखित चुनाव कराए थे :

क्रम संख्या	चुनाव की तारीख
1.	9-5-60
2.	अक्तूबर, 1961
3.	31-7-63
4.	14-5-65
5.	15-7-67
6.	15-4-69
7.	20-12-70
8.	22-3-73
9.	30-8-77
10.	12-6-80
11.	26-12-81
12.	3-8-83
13.	15-11-85
14.	7-10-87

(ग) समिति के पदाधिकारियों का कार्यकाल दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 31 (3) तथा दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 62 द्वारा नियन्त्रित होगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) समिति ने सहकारी समितियों के पंजीयक को सूचित किया है कि प्रबन्धक समिति के चुनाव कराने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है तथा जल्दी ही चुनाव कराए जाएंगे।

जल आपूर्ति और मल व्ययन उपक्रम विभाग के कर्मचारियों को नियमित करना

[हिन्दी]

7801. **श्री सत्यनारायण पवार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के जल आपूर्ति और मल व्ययन उपक्रम में क्लर्क, फिटर और बेलदार गत 8-10 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे है और अभी तक उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं;

(ख) गत दो वर्षों में श्रेणीवार कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है और ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है किन्तु वे अभी भी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का उन सभी दैनिक वेतनभोगियों की सेवाओं को, जिन्होंने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है, नियमित करने हेतु आदेश जारी करने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है ;

(i) मस्टर रोल पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के 345 कर्मचारियों तथा 10 अवर श्रेणी लिपिकों को नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया है।

(ii) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है और जो अभी भी दिहाड़ी पर कार्यरत हैं :

अवर श्रेणी लिपिक — 195

फिटर्स — 47

बेलदार —4197

(ग) शेष कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले पर संस्थान के नियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

आयात और निर्यात निष्पादन

[अनुवाद]

7892. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के दौरान वस्त्रों, कपास, धागे पटसन और रेशम का, वस्तुवार कितनी मात्रा में आयात और निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : संलग्न विवरण-1 में 19:8-89 के दौरान वस्त्र, सूती धागे, पटसन तथा रेशम का निर्यात दर्शाया गया है।

संलग्न विवरण 2 में 1988-89 के दौरान इन वस्त्र मदों का आयात दर्शाया गया है।

विवरण-1

1988-89 के दौरान वस्त्रों का आयात

मद	अनन्तिम
1. सूती वस्त्र (करोड़ रु० में)	1092
2. सूती धागा (करोड़ रु० में)	237
3. रुई (कच्ची) (गांठों में)	16130 (सितम्बर 1988 से आरम्भ रुई वर्ष 1988-89 के दौरान)
4. पटसन (करोड़ रु० में)	225
5. रेशम (करोड़ रु० में)	327

स्रोत : निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु प्रभाग/वस्त्र आयुक्त का कार्यालय।

विवरण-2

1988-99 के दौरान वस्त्रों का आयात

(अप्रैल-दिसम्बर)

मद	अनन्तिम
1. वस्त्र धागा, फैब्रिक्स तथा मेड-अप वस्तुएं (करोड़ रु० में)	203·87
2. कपास (गांठों में)	0·90 लाख गांठ (सितम्बर 88 से आरम्भ रुई वर्ष 1988-89 के दौरान)
3. कच्ची रेशम (करोड़ रु० में)	33·00
4. पटसन	शून्य

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता/वस्तु प्रभाग

—इन आंकड़ों में अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत सूती धागे, सूती वस्त्र तथा मेड-अप के निर्यात के बदले किया गया रुई का आयात शामिल है।

बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते

7803. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसड़ा, रांची के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार किया जाता है;

(ख) क्या इस संस्थान के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार को वर्ष 1982 में ही हस्तान्तरित करने के बारे में सरकार के आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण, बीच की अवधि (1982 से अब तक) के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवार पारिवारिक पेंशन तथा भविष्य निधि में जमा राशि के बीमें के लाभ से वंचित हो गये हैं;

(ग) क्या इस संस्थान के वर्तमान भविष्य निधि नियमों में अनेक कमियां एवं खामियां हैं तथा इसमें मामूली बहानों पर कर्मचारियों की निजी अंशदान की राशि सहित भविष्य निधि तक को जब्त करने की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां। बताया गया है कि संस्थान को पहली अप्रैल, 1982 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, बताया गया है कि संस्थान देय तिथि से परिवार पेंशन अंशदान आदि को अदा करने के लिये सहमत हो गया है ताकि परिवार पेंशन तथा जमा सम्बद्ध बीमा लाभ के भुगतान में सुविधा हो। यह भी बताया गया है कि उन्होंने अपने भविष्य निधि नियम संशोधित किए हैं ताकि उन्हें सांविधिक उपबंधों का दर्जा दिया जा सके।

(घ) यह सुनिश्चित करना क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कर्तव्य है कि गैर-सरकारी भविष्य निधि से कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ सांविधिक योजना के अधीन उपलब्ध लाभों से कम न हों। इस तरह कर्मचारियों का हित पूर्णतः सुरक्षित रहता है।

खाद्य तेलों का साबुन एककों को दिया जाना

7804. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों को साबुन निर्माता एककों को दिए जाने के कारण देश में वनस्पति तेल की कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) देश में वनस्पति तेलों की कमी है, जिसका मुख्य कारण यह है कि तिलहनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है। खाद्य तेलों का कुछ भाग साबुन निर्माता एककों के पास पहुंचने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु किसी भी रूप में कमी की स्थिति के लिए यह मात्रा उल्लेखनीय नहीं है।

सुपर बाजार की नई शाखाएं खोलना

7805. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान पुरानी दिल्ली की किन-किन कालोनियों में सुपर बाजार की शाखाएं खोलने का है; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुपर बाजार की शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) दि कोऑपरेटिव स्टोर लि०, (सुपर बाजार), दिल्ली का वर्ष 1989-90 के दौरान पुरानी दिल्ली के निम्नलिखित क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है :

1. त्रिनगर
2. डेसू कालोनी, त्रिपोलिया
3. आर० पी० पाकेट, पीतमपुरा
4. बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल (किराना स्टोर)
5. आयकर कालोनी, पीतमपुरा
6. वैशाली, पीतमपुरा
7. गीता कालोनी (यमुनापार)
8. स्वास्थ्य बिहार (औषध बिक्री केन्द्र)

(ख) सुपर बाजार के पास अलीपुर तथा पालम गांवों में एक-एक भू-खण्ड उपलब्ध हैं। सुपर बाजार द्वारा इन गांवों में एक-एक शाखा यथा समय खोल दी जाएगी। तथापि, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली के 5 ग्रामीण ब्लाकों में 76 गांवों को सुविधा प्रदान करने के लिए सुपर बाजार, दिल्ली की 5 ग्रामीण विशेष मोबाईल वैनें चल रही हैं।

मोतियाबिन्द के रोगियों पर एस्पिरिन का प्रभाव

7806। **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि ऐस्पिरिन से मोतियाबिन्द बढ़ने का खतरा कम हो जाता है;

(ख) जनता को जागरूक करने के विशेष संदर्भ में इस अध्ययन की सिफारिशें क्या हैं और इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ग) बढ़ते हुए मोतियाबिन्द आप्रेशनों की समस्या का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) जन-जागरूकता को बढ़ाया जा रहा है।

(ग) केन्द्र गश्ती नेत्र चिकित्सा यूनिटों, विभिन्न राज्यों में स्थित जिला गश्ती नेत्र चिकित्सा यूनिटों की सहायता से और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में नेत्र शिवरों के आयोजन द्वारा मोतियाबिंद आपरेशन की बढ़ती हुई मांग की समस्या का समाधान किया जा रहा है।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाना

7807 **श्री राम सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भीड़ कम करने विकेन्द्रीकरण अभियान तहत दिल्ली बाहर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) ऐसा निर्णय कब लिया गया था और उन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पहले ही स्थानान्तरित किया जा चुका है;

(ग) उन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) कार्यालयों के इस प्रकार स्थानान्तरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ङ) निर्णय लिये जाने से लेकर अब तक राजधानी से बाहर खोले गये नये कार्यालयों स्थानान्तरित किये गये कार्यालयों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि दिल्ली में लम्बे समय से कार्य कर रहे कार्यालयों को स्थानान्तरित न किया जाये ताकि काफी संख्या में परिवारों के पुनर्वास की समस्या से बचा जा सके ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपड़ा उद्योग में रूग्णता

7808. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग में रूग्णता बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986, 1987 और 1988 के अन्त तक कितनी कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई थीं;

(ग) इससे कपड़े के उत्पादन और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार इन रूग्ण मिलों का अधिग्रहण करने और उनका नवीकरण करके उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि इस उद्योग को बन्द होने से बचाया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी हां। संगठित मिल क्षेत्र में रूग्णता बढ़ रही है।

(ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के अन्त में बंद मिलों की संख्या क्रमशः 84, 133 तथा 138 थी।

(ग) सभी प्रकार की वस्त्र मदों के समग्र उत्पादन तथा निर्यात में 1986 से 1988 तक के वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है।

(घ) सरकार द्वारा रूग्ण वस्त्र एककों का अधिग्रहण करने से रूग्णता की समस्या का समाधान नहीं होता है तथा सरकार सामान्यतः ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है जहां एकक के समुचित अवधि के भीतर अर्थक्षम होने की सम्भावना नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका को हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

7809. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में वर्ष-वार संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुमानित कितनी धनराशि के हथकरघा वस्त्रों का निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार संयुक्त राज्य अमीरीका को सूती हथकरघा वस्तों तथा मेड-अप्स के निर्यात 1987 में 81.74 करोड़ रु० तथा 1988 में 100.93 करोड़ रु० के रहे।

राजधानी में जबरन नसबन्दी

7810. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में किए जा रहे जबरन नसबन्दी आपरेशनों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस मंत्रालय में दिल्ली प्रशासन से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी भर्ती एजेंसियों द्वारा भारतीय श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी

7811. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में निर्माण कार्यों में रत कुछ विदेशी कम्पनियां भारतीय श्रमिकों को विभिन्न देशों में भेज रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन विदेशी कम्पनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कुछ मामलों का पता चला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध की गई कारंवाई का क्या ब्योरा है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में "एड्स" जांच सुविधायुक्त चल परीक्षण केन्द्र

7812. **श्री सोडे रमैया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में "एड्स" के प्रभाव का पता लगाने के लिए रक्त की जांच का तरीका बहुत पेचीदा है और इसकी सुविधाएं सहज सुलभ नहीं है;

(ख) क्या इसके कारण लोग स्वेच्छा से "एड्स" रोग की जांच कराने के प्रति रूचि नहीं दिखाते हैं;

(ग) यदि हां, तो सही शहरों और जिला नगरों में सहज सुलभ और अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश भर में एक वर्ष के लिये एड्स की जांच के लिये चल-परीक्षण केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐसी योजना तैयार करने का है जो आबादी के अधिकांश वर्गों का पता लगाये और जांच करे; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का एड्स की संभावना वाले लोगों की शीघ्र जांच के लिये आपात आधार पर क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जी, नहीं। एड्स संक्रमण की दृष्टि से रक्त की जांच करने की प्रक्रिया न तो दुर्वहनीय ही होती है और न ही कठिन। चार निगरानी केन्द्र, दो संदर्भ केन्द्रों सहित, पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इंस्टीट्यूट आफ

पैथालाजं में कार्य कर रहे है। अब तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर के 30 शहरों में एच० आई० वी० प्रतिपिण्डों की दृष्टि से अधिक खतरे वाले समूहों के व्यक्तियों के रक्त की जांच करने के लिए 40 निगरानी केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) गश्ती जांच केन्द्र उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एड्स रोगियों की क्लीनिकल देखभाल के लिए एड्स यूनिटें बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद बंगलोर लखनऊ, जयपुर, कटक और श्रीनगर के मेडिकल कालेज अस्पतालों में स्थापित कर ली गई की जा रही हैं। ऐसी ही सुविधाएं चरणबद्ध ढंग से अन्य बड़े-बड़े शहरों में भी उपलब्ध की जाएगी।

गाजियाबाद की होमियोपैथिक औषधि प्रयोगशाला द्वारा औषधियों मानक के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

7813. **श्री जनक राज गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री गाजियाबाद में होमियोपैथिक औषध प्रयोगशाला के बारे में 29 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3918 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद की होमियोपैथिक औषध प्रयोगशाला द्वारा होमियोपैथिक औषधियों के मानक स्तर को बनाए रखने के लिए क्लिनिक दृष्टि से तथा अन्यथा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) देश में सिनेरेरिया मारीतिमा सक्कस पर उनके द्वारा किए गए अनुसंधान और मूल्यांकन कार्य का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) ये प्रक्रियाएं क्लीनिकी रूप से प्रमाणित औषधों के भौतिक रासायनिक भेषज-अभिज्ञानीय, फाइटो रासायनिक और भेषजिक अध्ययनों से प्राप्त की जाती है ताकि आंकड़ों का एक ऐसा समुच्चत प्राप्त किया जा सके जिनको लागू करने पर वे औषध विशेष का मानव हो जाते है। ये प्रक्रियाएं हर औषध के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं जो कि उस औषध के घटकों तथा उसके सम्भावित अपमिश्रा पर निर्भर करती हैं।

(ख) सिरेरेरिया मैरीटाइमा सक्कस पर अपरिष्कृत सामग्री, रस और आई-ड्रा के भौतिक-रासायनिक, भेषज अभिज्ञानीय फाइटो-रासायनिक और भेषजिक क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन कार्य किया गया था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में किए गए तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल है और निष्कर्षों के वास्तविक परिणामों की एक प्रति जो कि होम्योपैथिक भेषज सहिता समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और भारतीय होम्योपैथिक भेषज संहिता के खण्ड 5 में प्रकाशित किये गये हैं, संलग्न विवरण दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय होम्योपैथिक भेषज संहिता

सिनेरेरिया मैरीटाइमा **जाति —कम्पोजिट**

वानिस्पतिक नाम :	सैनेसिओ सिनेरेरिया डी० सी०
पदार्थ :	सिनेरेरिया मैरीटाइमा लिन
सामान्य नाम :	अंग्रेजी डस्टी मिलर

1	2
विवरण :	एक बारहामासी झाड़ी 75 से० मी० तक ऊंची, जड़ से ही शाखाओं वाली हमेशा बहुत सफेद विशेष रूप से पत्तियों के नीचे ऊनी तरह की पत्तियां दीर्घ पिच्छाकार आयताकार और कुन्द। सिरा सामान्य 0.6 से 1.25 से० मी० ऊंचा, कम ठोसपन समीमाक्षा पुष्पक पीत किरण लेकिन रंग सारे पादप सफेद पुष्प की तरह दिखाई देता है।
प्रयोग में लाए जाने वाला भाग	सम्पूर्ण पादप
सूक्ष्मदर्शन :	पत्तियां, बाह्य कोशिकाएं उपत्वचा से आवृत निचली बाह्य कोशिकाएं लम्बी एककोशीय ट्रिकोम के हल्के विकास वाली। ऊपरी बाह्य भाग पर पैलिसेड सेल की 2 से 3 परतें। पैलिसेड के नीचे स्पांजी पैरेकाइमा। मध्यशिरे से निचले बाह्य भाग में क्लोरेंकाइमा टिशू वेस्कुलर बण्डल स्कलेनेक इमेटस बंडल शीथ द्वारा घिरा हुआ। ग्राउंड टिशू पेटेकाइमेटस। बाहरी पैलिसेड में पेटिओल कार्डेट जैसी बाह्यत्वचा कोशकाएं, जो बाह्य स्पर्शी भाग पर अरीय प्रसार वाले बहुत पतले होते हैं। असंरक त्वाचारोम, एकपंक्तिक, घिरनी-बाह्य कोशिकाओं में जालीदारी कोलेकाइमा चोटी पर 6 से 7 पर खांचियों पर 1 से चार परतें। पैरेकाइमेटस ग्राउंड टिशू में रिंग पर वैस्कुलर बंडल, सारे ग्राउंड टिशू में बहुत से गर्त वाली पाषाण कोशिकाएं।
चयन :	अल्कोहल हटाने के लिए पानी डालकर सक्कस का 10 मि० लि० वाष्पीकरण। प्रबल अमोनिया सॉल्यूशन और क्लोरो-फार्म लेयर अलग करने से इसे एक्केलाइन बनाने के बाद 10 मि० ली० क्लोरोफार्म के साथ विशिष्ट का सार। इथानाल प्रयोग में सिलिकाजिल "जी" पर क्लोरोफार्म लेयर की टी० एल० सी० अमोरिन (100 : 8.6 मि० ली०) बाइलपेज के रूप में, ड्रेंजेंडाफरी के साथ छिड़काव से आर० एफ० 0.93 और 0.95 पर दो चिह्न।
अमलता	नगण्य जैसी।
परीक्षण	25 मि० ली० सक्कस और अल्कोहल वाष्पीकरण लें। अमोनियां के साथ इसे अल्कालीन बनाकर क्लोरोफार्म के साथ सार बनाएं। क्लोरोफार्म सार के साथ वाष्पीकरण करके इसे 10 मि० ली० 0.1 एन० हाइड्रोक्लोरिक एसिड में

1	2
	विघटन करें। अधिक हाईड्रोक्लोरिक एसिड का 0.1 सोडियम हाईड्रोक्साइड के साथ अनुमापन करिए। प्रत्येक 0.1 एन० मि० ली० हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.01?4 मि० ग्राम के बराबर होगी। सेनासेलानीन के संदर्भ में कुल अल्काहल वजन के रूप में 0.085 प्रतिशत में कम नहीं होना चाहिए।
विश्व में कहां-कहां :	भूमध्यसागरीय क्षेत्र। भारत में भी पैदा की जा रही है
इतिहास एवं प्राधिकरण :	बोरिक : मैटमेड एण्ड रेपर्टरी 9वां संस्करण 210, क्लार्क : डिक्शनरी आफ प्रेक्टिकल मैट० मेडि० वाल्यूम 1,525
निर्मित : 1 (क)	मदर टिंक्चर औषध शक्ति 1/10

सिनेरेरिया मैरिटाइम	100 ग्राम
परिष्कृत जल	400 मि० लि०
स्ट्रांग अल्कोहल	625 मि० ली०

मदरटिंक्कर के एक हजार मि० लि० बनाएं।

(ख) शक्ति : 2 × एक भाग मदर टिंक्चर तीन भाग परिषद जल, छह भाग स्ट्रांग अल्कोहल, 3 × और अधिक-अल्कोहल के साथ।

11. सक्कस :

निष्यंदित रस	87 प्रतिशत
स्ट्रांग अल्कोहल	8 प्रतिशत
ग्लिसरीन	5 प्रतिशत
फिनाइल मरक्यूरिक नाइट्रेट	0.0001 प्रतिशत

उड़ीसा में बीड़ी श्रमिकों को मकान बनाने के लिए ऋण

7814. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) बीड़ी श्रमिकों को मकान बनाने हेतु ऋण देने के लिये उपलब्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन श्रमिकों को कितनी राशि के ऋण दिये गये; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितने बीड़ी श्रमिक लाभान्वित हुए ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा में लगभग 1.60 लाख बीड़ी कर्मकार हैं।

(ख) बीड़ी कर्मकारों के लिए "अपना मकान स्वयं बनाएं योजना" और "ग्रुप आवास योजना" में 1,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में और प्रति मकान 6000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए व्यवस्था है । ऋण नौ वर्ष से अनधिक अवधि में मासिक किश्तों में वसूली योग्य है, "अपना घर स्वयं बनाएं योजना" के अधीन प्रत्येक बीड़ी कर्मकार को लाभ उपलब्ध हैं । बीड़ी कर्मकारों के लिए "ग्रुप आवास योजना" के अधीन लाभों के लिए बीड़ी कर्मकारों के कम से कम 50 कर्मकारों द्वारा बनाई गई पंजीकृत सहकारी ग्रुप आवास सोसायटी पात्र है ।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान "अपना घर स्वयं बनाएं योजना" के अधीन स्वीकृत ऋणों की कुल राशि और योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले बीड़ी कर्मकारों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	ऋण की राशि	लाभ प्राप्त करने वाले बीड़ी कर्मकारों की संख्या
1987-88	6,000 रुपये	1
1988-89	2.40 लाख रुपए	40

मद्रास में पेंशनरों के लाभार्थ स्वास्थ्य योजना

7815. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों के लाभार्थ स्वास्थ्य योजना को मैसूर नगर में रह रहे लोगों पर भी लागू किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कोई औषधालय मैसूर में भी कार्यरत है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का वहां औषधालय खोलने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार के उन पेंशनरों को जो सेवा के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के पात्र थे यह विकल्प है कि वे अपने नाम उन शहरों में स्थित के० स० स्वा० यो० के औषधालयों में पंजीकृत कराएं जहां यह योजना चल रही है, भले ही वे उस शहर में रहते हैं या नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

"सिनेरेरिया मेरीटिया सक्कस" की सफलता के संबंध में विलेख (मोनोग्राफ) के लिए पैरामीटर

7816. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री "सिनेरेरिया मेरीटिमा सक्कस, से संबंधित विलेख के बारे में 29 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न सं० 3747 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम्योपैथिक औषध, कोष समिति की विशेषज्ञ समिति द्वारा तत्संबंधी निर्धारित पैनामीटरों का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन पैरामीटरों का मूल्यांकन किया है, यदि हाँ तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालल में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) विलेख (मोनोग्राफ) बनाने के लिए होम्योपैथिक भेषजसंहिता समिति द्वारा निर्धारित पैरामीटर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। ये पैरामीटर सुस्थापित फार्माकोपिया संबंधी मानदण्डों के आधार पर बनाए गए हैं जिनका भारतीय फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया आदि द्वारा पालन किया जाता है तथा इस प्रकार इनका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

विवरण

कच्चे पदार्थों के लिएवानस्पतिक मोनोग्राफ

1. औषध का नाम व संक्षिप्त नाम
2. वानस्पतिक नाम
3. कुल
4. पर्यायवाची नाम, यदि कोई हो
5. अंग्रेजी, हिन्दी, फ्रेंच, जर्मन आम नाम
6. विवरण
7. जो भाग इस्तेमाल किया गया
8. मैक्रोस्कोपिकल
9. माइक्रोस्कोपिकल
10. पहचान
11. विवरण
12. विवरण व प्राधिकारी
13. बनाना
14. चेतावनी, यदि कोई हो।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की परियोजनाएं

7817. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा लीबिया, ईराक और यमन से कोई परियोजनायें शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन परियोजनाओं का मूल्य कितना है; और

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के पे-रोल में कितने इंजीनियर हैं और उनमें से कितने इंजीनियर विदेशों में कार्य कर रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) (1) एन० बी० सी० सी० के वेतन चिट्ठा (पे-रोल) पर (इंजीनियर्स) —810 31-3-88 की स्थिति के अनुसार

(2) विदेशों में कार्यरत उपर्युक्त इंजीनियरों में से—53

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का विवरण	ठेके की राशि
		(राशि मिलियन लिबियन दिनारा में)
लीबिया		
1.	न्यू घाट एयरपोर्ट के लिए रैनवे टैक्सी वेज और एप्रेनस का निर्माण और न्यू घाट एयर पोर्ट से घाट टाउन तक 22 किलो मीटर अप्रोच रोड का निर्माण	11.387
2.	निम्नलिखित का निर्माण	
	(I) बेनीवालिद में 1000 मकान	11.896
	(II) घाट में 305 मकान	5.984
3.	घाट में 120 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	7.294
4.	ब्राराक एयरपोर्ट का निर्माण	6.810
5.	न्यू घाट एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण	1.809
6.	न्यू घाट एयरपोर्ट के लिए टर्निंगपैड के 3 बेडरूम वास और एयरफोर्स कैम्प के परिवर्तित आर्डर नं० 2, 3, और 4	2.346
7.	बैनिवालिद में 10 विद्यालय भवनों का निर्माण	3.315
8.	बेनिवालिद में सामाजिक सुरक्षा केन्द्र का डिजाइन और निर्माण	1.525
9.	घाट में सामाजिक सुरक्षा केन्द्र का डिजाइन और निर्माण	1.242
10.	बेनिवालिद में जन उपयोगी सेवाओं का निर्माण	3.670
11.	घाट में 2 विद्यालय भवनों और छात्रावास का निर्माण	2.150

1	2	3
12.	न्यूघाट एयरपोर्ट में अनुषंगी रेलवे में स्थायी सुविधाओं का निर्माण	0.300
13.	घाट में मस्जिद का निर्माण	0.300
14.	बेनिवालिद में सड़क प्रकाश कार्य	1.482
15.	तावरघा में सड़क प्रकाश कार्य	3.500
16.	घाट में नर्सों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र छात्रावास, और 60 डाक्टरों के लिए रिहायशों का निर्माण	6.369
17.	ब्राराक के समीप बरगेन और इद्री (एल० सती) में सड़कों और पथ प्रकाश की व्यवस्था	2.147
18.	बरकत में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	0.587
19.	तुनीन में 12 मकानों का निर्माण	0.465
20.	कलाला में 12 मकानों का निर्माण	0.465
21.	घाट में 54 मकानों का निर्माण	2.592
22.	घाट में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	0.660
23.	बरकत में स्टेडियम का निर्माण	0.500
24.	घाट में विद्यालय के अनुषंगी कार्य	0.338
25.	फिवेट औषधालय का निर्माण	0.491
26.	घाट टाउन के लिए सड़कों की आयोजना और डिजाइन	0.040
27.	घाट में 304 मकान, जन उपयोगी सेवाओं की योजना और डिजायन	0.025

ईराक

(सभी राशियां मिलियन ईराकी दिनारों में)

1.	प्रीस्ट्रेस्ट कंक्रीट कास्ट इन-सीट सुटैट सीवरेज प्रोजेक्ट बगदाद का डिजाइन और निर्माण	1.402
2.	बगदाद विश्वविद्यालय के लिए संरचनात्मक कंक्रीट कार्यों का निर्माण	1.980
3.	बग्दाद में एयरपोर्ट रोड़ पर 2 फ्लाईओवरों का निर्माण	2.000
4.	मोसूल में चारतारा इन्टरनेशनल होटल का निर्माण	8.750

1	2	3
5.	डोकन में 100 बिस्तर वाले टूरिस्ट होटल का निर्माण	2.650
6.	बगदाद में मंत्री परिषद भवनों के लिए सड़क कार्य का निर्माण	0.576
7.	बगदाद विश्वविद्यालय की परिसज्जा मदें	0.293
8.	किरकूक में खारा भण्डारण हौज का निर्माण	1.796
9.	किरकूक में जलशोधन संयंत्र का निर्माण	1.747
10.	बगदाद अल-काइम-अकाशत रेलवे प्रोजक्ट के लिए भवन की परिसज्जा मदें	20.862
11.	कुबैसा में पेंसजर विल्डिंग ईजल शेड-सिक लाइन्स आदि का निर्माण	1.228

यमन

(सभी राशियां मिलियन यमनी रियाल से)

1.	तमार (सन्ना) में 774 मकानों का निर्माण	59.366
2.	फरदा-अल-हुब्रा रोड़ पर पुलियों और क्रासिंग का निर्माण	9.407
3.	एम० ए० आर० ई० डी० में स्थायी हुटमेंट को स्थानान्तरित करना	1.000

सेवारत डाक्टरों की संयुक्त कार्यवाही परिषद द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

7818. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संगठनों में कार्यरत डाक्टरों की संयुक्त कार्यवाही परिषद ने हाल ही में अधिक आरम्भिक वेतन देने, सेवानिवृत्ति की आयुसीमा बढ़ाने और प्रैक्टिस संबंधी भत्ते में वृद्धि करने सम्बन्धी अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय करने के बारे में एक अन्य ज्ञापन दिया है,

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगे उच्च वेतनमान, समयबद्ध पदोन्नति, प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति अथवा बिना किसी प्रकार की उच्चतम सीमा के मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 62-65 वर्ष तक करना, जोखिम भत्ता, वाहन भत्ता, आकस्मिकता भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, शिक्षण भत्ता, प्रशासनिक भत्ता, ग्रामीण/कठिन क्षेत्र भत्ता जैसे विविध भत्तों की मंजूरी/वृद्धि चिकित्सा अधिकारियों की सेवा पूर्व तिथि से गिनना, सेवा सम्बन्धी मामलों में सभी राज्यों की रेजीडेंसी सेवा को गिनना, सेवा के सभी डाक्टरों के लिए सदृश वेतनमान

और पदोन्नति के अवसर प्रदान करना, पदोन्नति/नियुक्ति के सभी लाभों को 1-1-1986 से लागू करना, एस० ए० जी० स्तर के पदों की तदर्थ संख्या, हड़ताल की अवधि के लिए वेतन देना तथा इसका लाभ सभी संघटकों को देना, आदि से संबंधित हैं।

(ग) उनकी मांगों की जांच की जा रही है।

"केस आफ मिसिंग रोहिणी रजिस्ट्रेंटस" शीर्षक से समाचार

7819. **श्री कृष्ण सिंह :**

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में केस आफ मिसिंग रोहिणी रजिस्ट्रेंटस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ड्रा के माध्यम से नयी प्राथमिकता सूची तैयार करते समय जिन पंजीकृत व्यक्तियों के नामों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकाली गयी प्राथमिकता सूची को समाप्त करने और पुनः ड्रा निकालने के लिए सभी पंजीकृत व्यक्तियों के नामों की एक नयी सूची तैयार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) कुछ मामलों में पंजीकृतों द्वारा 1981 में बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राथमिकता सूची तैयार करने के बाद बैंकों से प्राप्त हुये थे। इन व्यक्तियों के नाम लाटरी निकालते समय पंजीकृतों की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किये जा सके क्योंकि उनके नाम व आवेदन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं थे। प्राथमिकता सूची तैयार किये जाने के बाद दुखी पंजीकृत व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्पर्क किया और यह पता लगा कि जिन पंजीकृत व्यक्तियों के नाम प्राथमिकता सूची में नहीं है, अभी तक उनकी संख्या लगभग 300 है परन्तु अभी तक कोई निश्चित आंकड़ों का पता नहीं लगाया गया है। कम्प्यूटर तथा बैंक के साथ वास्तविक जांच की जा रही है ताकि वास्तविक पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची में सही स्थान दिया जा सके।

दिल्ली में बहुमंजिली इमारतें

7821. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए दिल्ली में बहुमंजिली इमारतें बनाने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में नए मार्ग-निर्देश किस तारीख को जारी किये गये और उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा नए मार्गनिर्देशों को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) इन नए मार्गनिर्देशों के लागू होने के बाद जिन भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है उनका ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितने फर्श-क्षेत्रफल के निर्माण की अनुमति दी गई।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) बहुमंजिले निर्माण के बारे में मार्गनिर्देशन 8.2.88 को जारी किये गये थे। इन मार्गनिर्देशनों के बारे में स्पष्टीकरण 27-7-88 को जारी किये गये। तीनों पत्रों की प्रतिलिपियां सभापटल पर रख दी गई हैं। [**ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 7968/89**]

(ग) मार्गनिर्देशण जारी करने के पूर्व दिल्ली नगर कला आयोग के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया था।

(घ) नये मार्गनिर्देशणों द्वारा प्रस्तावित फर्शी क्षेत्र अनुपात की वृद्धि सहित किसी के लिए कोई भवन नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है।

सर्वप्रिय विहार का मास्टर प्लान

7822. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली के मास्टर प्लान में गत वर्षों में कई संशोधन किये गये हैं और सर्वप्रिय विहार सहकारी आवास निर्माण समिति द्वारा भूमि प्रयोग के प्रयोजनों को बार-बार बदला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर कला आयोग और भूमि एवं विकास कार्यालय की पूर्वानुमति ली गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त समिति द्वारा कुछ सामुदायिक प्रयोजनों के लिए नियत क्षेत्रों और सड़कों पर भी अवैध कब्जा कर रखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) सर्वप्रिय विहार में फ्लैटों के निर्माण के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली नगर कला आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो गया था। भूमि तथा विकास कार्यालय और दिल्ली नगर निगम से कोई सम्बन्ध नहीं था।

(ग) एक भूखण्ड मालिक द्वारा अतिक्रमण ध्यान में आया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंड मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने सोसाइटी से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है कि सक्षम प्राधिकारी की इच्छानुसार अतिक्रमण हटाया जायेगा।

अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सहायता योजना

7823. **श्री कमल चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए नि शुल्क चिकित्सा सहायता की कोई व्यापक योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पंजाब में इस योजना से अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का पंजाब में इस प्रकार की नि:शुल्क चिकित्सा सहायता की व्यापक योजना आरम्भ करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों सहित सभी के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 30,000 की आबादी और एक उप-केन्द्र के लिए 5,000 की आबादी आधारभूत ढांचे के लिए निर्धारित मानदंड हैं।

छोटे और मझोले कस्बों की समन्वित विकास योजना में कर्नाटक के नए कस्बों को शामिल करना

7824. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को छोटे और मझोले कस्बों की समन्वित विकास योजना में वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ नये कस्बों को शामिल किए जाने के बारे में स्वीकृति हेतु कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत कस्बों का राज्यवार नियतन क्रमिक योजना के आधार पर किया जाता है। सातवीं योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने हेतु कर्नाटक के लिये सात कस्बे आबंटित किए गए थे और सभी सात कस्बे शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा प्राथमिकता विकास के लिए राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा शिनाख्त किए गए कस्बों में से एक और कस्बा शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में वेतन को उत्पादकता के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव

7825. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन को उत्पादकता के साथ जोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलो में कार्यान्वित करने के लिए सरकार के विचाराधीन था;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का घाटा कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाना था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं। सरकार क्षेत्रीय-सह-उद्योग सिद्धांत पर निर्धारित किये जाने वाले वेतन पैटर्न को अन्तिम रूप दिये जाने के मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लेडी हार्डिंग अस्पताल में टेलीफोन आपरेटरों का लिपिक संवर्ग में विलय

7826. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने नवम्बर, 1986 में लेडी हार्डिंग आपरेटरों के मामले में अपना निर्णय दिया था जिसके अन्तर्गत उनका लिपिक संवर्ग में विलय किया गया है;

(ख) क्या इसके बावजूद न तो वरीयता सूची को अंतिम रूप दिया गया है और न ही पदोन्नति के फलस्वरूप टेलीफोन आपरेटरों को वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त निर्णय को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लिपिकीय ग्रेड में टेलीफोन आपरेटरों को शामिल करने के पश्चात लिपिकीय ग्रेड में एक संयुक्त वरीयता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टेलीफोन आपरेटरों को लिपिकीय ग्रेड में शामिल करने के पश्चात उन्हें वेतन की बकाया रकम देने संबंधी एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

झिलमिल, शाहदरा, दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में रक्त बैंक

7827. **श्री मानकूराम सोडी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में झिलमिल, शाहदरा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में रक्त-बैंक की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल में रक्त-बैंक की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं जो जीवन रक्षक का कार्य करता है;

(ग) आपात स्थिति में विशेष रूप से दुर्घटना और जलने के मामले में रक्त का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है;

(घ) उन प्राइवेट रक्त-बैंकों का ब्यौरा क्या है जहां से पिछले छह महीनों के दौरान गम्भीर मामलों में रक्त की व्यवस्था करायी गई और उन मरीजों का ब्यौरा क्या है जिन पर प्राइवेट रक्त-बैंकों से प्राप्त रक्त का हानिकारक प्रभाव पड़ा; और

(ङ) इस अस्पताल में शीघ्र ही एक रक्त-बैंक की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) (क) से (ङ) क० रा० बी० अस्पताल, झिलमिल नवम्बर, 1988 को स्थापित किया गया था। इस समय इसमें 72 पलग हैं जिससे अलग से ब्लड बैंक खोलने का औचित्य नहीं बनता तथापि क०रा०बी० निगम ने एक निजी ब्लड बैंक संगठन के माध्यम से जिसे कि दवा नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजन हेतु विधिवत रूप से लायसेन्स दिया गया है अपने लाभानुभोगियों के लिए रक्त की मुफ्त आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। पिछले 6 महीनों के दौरान 23 बार रक्त लिया गया था। इस अस्पताल में रक्त दिए जाने के परिणामस्वरूप कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान में संकाय और शैक्षिक पद

7828. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली में इस समय अनेक संकाय और शैक्षिक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार और क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) भावी आवश्यकताओं के लिए कितने और संकाय और शैक्षिक पद सृजित किए जाएंगे ;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) यह सत्र अनुसंधान कार्यभारों पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा पालिएस्टर स्टेपल फाइबर की खरीद

7829. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कपड़ा निगम, बम्बई द्वारा ऊंचे दामों पर और बहुत अधिक मात्रा में पालिएस्टर स्टेपल फाइबर खरीदने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा पता चला है कि पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर की अत्यधिक खरीद के फलस्वरूप एन० टी० सी० को लगभग 6·35 लाख रु० का घाटा हुआ है, जिससे बचा जा सकता था। इस राशि को वसूल करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

कृत्रिम रेशे का उत्पादन और इसकी तस्करी

[हिन्दी]

7830. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृत्रिम रेशे के कम उत्पादन तथा मूल्य अधिक होने के कारण यहां इसकी तस्करी काफी बढ़ गई है जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा का घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का शुल्क दरों में उपयुक्त परिवर्तन करने तथा मिलों को उचित मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने का विचार है ताकि मिलें पूरे समय चलें ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जब कि उपलब्ध रिपोर्टों से ऐसा पता चलता है कि सिन्थेटिक फाइबर तस्करी के लिए एक संवेदनशील मद है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि तस्करी में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) सिन्थेटिक फाइबर सम्बन्धी शुल्क ढांचे में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास के अन्तर्गत कोलार को शामिल करना

[अनुवाद]

7831. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक के कोलार शहर को छोटे और मध्यम शहरों की समेकित विकास सम्बन्धी योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डा को घाटा

7832. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय बस अड्डा दिल्ली घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना घाटा हुआ और अब तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में एक समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो घाटे को दूर करने के लिए समिति ने क्या सुझाव दिए; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां। तथापि, 1987-88 में लाभ हुआ था।

(ख)	1985-86	(—)	48·37 लाख रुपये
	1986-87	(—)	8·77 लाख रुपये
	1987-88	(+)	74·76 लाख रुपये

1981-82 से 1987-88 तक की अवधि में 125·07 करोड़ रु० का संचयी घाटा हुआ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्त सदस्य तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के सचिव ने अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के कार्यों की जांच की।

(घ) और (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां

7833. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों जैसे दम्पति नसबंदी दर, अशोधित जन्म और मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, प्रतिरक्षण प्रसूति पूर्व स्वास्थ्य सेवा आदि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या इन लक्ष्यों को पूरा किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि कोई लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण है; और

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के साथ-साथ योजना अवधि अर्थात 1990 तक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया गया है :

अशोधित जन्म दर	:	29·1 (प्रति हजार जनसंख्या)
अशोधित मृत्यु दर	:	10·4 (प्रति हजार जनसंख्या)
शिशु मृत्यु दर	:	90 (प्रति हजार जीवित जन्म)
कारगर दम्पती सुरक्षा दर		42 प्रतिशत
रोगप्रतिरक्षण	:	85 प्रतिशत शिशु और 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं प्रसव
पूर्व परिचर्या	:	75 प्रतिशत।

(ख) उपलब्धि (अनन्तिम) का नवीनतम उपलब्ध स्तर निम्न प्रकार है :

अशोधित जन्म दर :		32·0 (प्रति हजार जनसंख्या) वर्ष 1987 के लिए
अशोधित मृत्यु दर :		10·8 (प्रति हजार जनसंख्या) वर्ष 1987 के लिए
शिशु मृत्यु दर	:	95 (प्रति हजार जीवित जन्म) वर्ष 1987 के लिए

कारगर दम्पती सुरक्षा दर 39·9 प्रतिशत (31 मार्च, 1988 तक)

सातवीं योजना में अब तक प्राप्त रोग प्रतिरक्षण और प्रसव पूर्व परिचर्या वैक्सीन वार व वर्ष वार लक्ष्य और उपलब्धि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चूंकि सातवीं योजना अभी तक समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति पर अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक समुचित कार्यनीति है जिसमें सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के जरिए बच्चों को जीवित रखने की दर में वृद्धि कर जनसंख्या शिक्षा को गहन करने, समुदाय की सहभागिता बढ़ाने, विकसित संचार नीतियां अपनाने, स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने, नवदम्पतियों और कम बच्चों वाले दम्पतियों को प्रेरित करके, बच्चों के जन्म में अन्तराल रखने के लिए परिवार नियोजन अपनाने पर जोर दिया गया है।

विवरण

1985-90, सातवीं योजना में रोगप्रतिरक्षण के लक्ष्य और उपलब्धि

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	वैक्सीन	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्ध	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत कवरेज
1	2	3	4	5
1985-86	टी० टी० (पी० डब्ल्यु)	128.60	103.6	80.6
	डी० पी० टी०	140.0	151.8	108.1
	पोलियो	140.4	131.9	93.9
	बी० सी० जी	140.4 (केवल एक वर्ष से कम)	66.2	47.3
	खतरा	—	—	—
	डी० टी०	111.90	125.3	112.0
	टाइफाइड	11.90	78.7	70.3
	टी० टी० (स्कूल जाने वाले बच्चे)			
	10 वर्ष	55.40	45.3	82.0
	16 वर्ष	33.00	30.0	90.9
1986-87	टी० टी० (पी० डब्ल्यु)	152.00	116.60	76.7
	डी० पी० टी०	153.00	115.60	75.6
	पोलियो	253.00	101.60	67.1
	बी० सी० जी०	153.00	111.20	72.7
	खतरा	57.00	37.10	67.5

1	2	3	4	5
	डी० टी०	121.0	108.00	89.2
	टाइफाइड	121.0	78.4	64.8
	टी० टी० (10 वर्ष)	67.0	52.8	78.7
	टी० टी० (16 वर्ष)	41.0	34.8	84.8
1987-88	टी० टी० (पी० डब्ल्यु)	169.31	146.06	86.6
	डी० पी० टी०	172.09	165.22	96.2
	पोलियो	172.09	143.67	83.7
	बी० सी० जी०	172.09	162.21	94.5
	खसरा	112.09	99.89	89.3
	डी० टी०	130.00	103.68	87.5
	टाइफाइड	130.00	74.26	62.6
	टी० टी० (10 वर्ष)	78.00	63.90	88.7
	टी० टी० (16 वर्ष)	48.00	41.49	92.7
1988-89 (अप्रैल से फरवरी, 89 तक)	टी० टी० (पी० डब्ल्यु)	226.88	139.023	61.27
	डी० पी० टी०	180.47	155.116	85.95
	पोलियो	180.47	145.231	80.47
	बी० सी० जी०	180.47	158.008	87.59
	खसरा	157.66	105.49	66.90
	डी० टी०	189.395	90.37	47.71
	टाइफाइड	नहीं रखे जा रहे हैं।		
	टी० टी० (10 वर्ष)	97 48	55.913	57.35
	टी० टी० (16 वर्ष)	60.116	36.087	60.02

1	2	3	4	5
1989-60	टी० टी० (पो० डब्ल्यू०)	252.746		
	डी० पी० टी०	192.086		
	पोलियो	192.086		
	बी० सी० जी०	192.086		
	खसरा	192.086		
	डी० टी०	188.945		
	टी० टी० (10 वर्ष)	182.515		
	टी० टी० (16 वर्ष)	174.14		

पी० डब्ल्यु : गर्भवती महिलाएं

एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड का चरणबद्ध आधुनिकीकरण

7834. एन० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता ने घाटे पर चलने वाले अपने कुछ एककों का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण करने के लिए व्यापक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या संस्थागत वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने से पहले इन प्रस्तावों को निदेश मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि नये कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले राष्ट्रीय कपड़ा निगम को पिछली आधुनिकीकरण योजनाओं को पूर्णरूप से कार्यान्वित किया जाए ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्तीय नियन्त्रणों को ध्यान में रखते हुए, आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कुछ विस्तार कार्यक्रमों में काट-छांट की गई है। इस समय इन योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के मूल्यों में वृद्धि

7835. श्री पी० एम० सईद :

श्री केसवराव पारधी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि का क्या औचित्य है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विकास सदन के सामने हाल ही में कुछ प्रदर्शन किए गए थे और एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनन्तिम मांग पत्र जारी किए थे जिन पर आवंटितियों द्वारा आपत्तियां की गई थीं। कुछ शिष्टमण्डलों ने इस मामले में ज्ञापन दिये थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनकी गणना की जांच करने और आवश्यक समायोजन आदि करने के पश्चात् लगभग एक महीने की अवधि में अन्तिम मांग पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। निल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों की लागत के परिकलन को अन्तिम रूप देने और अन्तिम मांग पत्र जारी करने के लिए शीघ्र सभी सम्भव प्रयास कर रहा है।

गेहूं की नीलामी

7836. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और इसके मूल्य में कमी करने की दृष्टि से गेहूं की नीलामी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो नीलामी राज्यवार किन-किन स्थानों पर की गई;

(ग) इस नीलामी के क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षा की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां। रोलर फ्लोर मिलों से टेंडर आमंत्रित करके उन्हें अगस्त, 1988 से गेहूं की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (ग) गेहूं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दिल्ली संघ शासित प्रदेश सहित सभी राज्यों में मासिक आधार पर नीलामियां आयोजित की गई हैं। अगस्त, 1988 से मार्च, 1989 की अवधि के दौरान नीलामियों के जरिए रोलर फ्लोर मिलों को 5.1 लाख टन गेहूं की आपूर्ति की गई।

(घ) इस नीति की प्रत्येक मास समीक्षा की जाती है। अक्तूबर, 1988 और उसके बाद से कमी की अवधि के दौरान अधिक मात्रा में गेहूं की पेशकश की गई थी। मार्च, 1989 में, नीलामी के जरिये इन मिलों की बिक्री के लिए 3 लाख मीटरी टन गेहूं की पेशकश की गई थी। इन नीलामियों से खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता और उसके मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में नई मशीनों का प्रयोग न किया जाना

7838. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा नगर लिमिटेड के सहायक निगमों द्वारा बड़ी संख्या में खरीदी गई नई मशीनों तथा उपकरणों का अधिकांश एककों में प्रयोग नहीं किया जा रहा है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रयोग न किये जाने के कारण अधिकांश नई मशीनें और उपकरण बेकार हो गए हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि एन० टी० सी० के सहायक निगमों द्वारा खरीदी गयी बहुत सी मशीनें और उपस्कर अधिकांश एककों में बेकार पड़े हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय चिकित्सा पद्धति में परिवार नियोजन संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य

[हिन्दी]

7838. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा की आयुर्वेदिक होम्योपैथी, और यूनानी पद्धतियों में परिवार कल्याण के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने नान-स्टेराइडल खाए जाने वाले गर्भ निरोधक तैयार करने के लिए अध्ययन शुरू किए हैं। नैदानिक स्क्रीनिंग अध्ययन एकल औषधों के साथ-साथ मिश्रित योगों पर किए गये हैं। "पिप्पल्यादि योग" जैसी कुछ औषधों और कुछ मिश्रित योगों पर किए गए अध्ययन से आशाजनक परिणाम निकले हैं। तथापि, ये औषधें अभी भी परीक्षणाधीन हैं।

होम्योपैथी के संबंध में कुछ होम्योपैथी औषधों के जनन क्षमता-रोधी कार्यकलापों का आकलन करने के लिये केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने अध्ययन किये हैं। तथापि, इन प्रयोगों के परिणाम पुन: पुष्टि योग्य नहीं पाए गये थे इसलिए परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि किसी भी होम्योपैथिक औषध में गर्भाधान रोधी कोई खास प्रभाव नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगे अनुसंधान कार्य छोड़ दिया गया है।

यूनानी चिकित्सा के सम्बन्ध में केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी खाये जाने वाले यूनानी गर्भ निरोधकों की नैदानिक जांच की है। परीक्षणाधीन यूनानी औषधों के कुछ मिश्र योगों ने एक गर्भाधान से दूसरे गर्भाधान की अवधि में कुछ वृद्धि दिखाई है।

सहकारी समितियों को बैंकों द्वारा ऋण

[अनुवाद]

7839. **श्रीमती बसव राजेश्वरी :**

श्री बी० एस० बासवराजू : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने कर्नाटक में सहकारी समूह आवास समितियों को आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक को वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कितनी धन राशि का ऋण दिया गया ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां। हुडको ने वर्ष 1988-89 के दौरान कर्नाटक में सहकारी आवास समितियों को ऋण के रूप में 92.83 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

तमिलनाडु में जन्म-दर

7840. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में जन्म को विकास-दर क्या रही है;

(ख) क्या आंकड़ों से पिछले वर्षों में कोई सुधार नजर आता है; और

(ग) जन्म दर कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) नमूना पंजीयन पद्धति से प्राप्त तमिलनाडु में जन्मदर का अद्यतन अनन्तिम अनुमान वर्ष 1987 में प्रति हजार जनसंख्या पर 23.6 जन्म है। तमिलनाडु के पिछले पांच वर्षों के जन्मदर के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	जन्म-दर (प्रति 1000 जनसंख्या)
1983	27.9
1984	28.0
1985	24.7
1986	23.8
1987 (अनन्तिम)	23.6

(ख) वर्ष 1981 से 1984 तक तो जन्म दरें 28 के आसपास लगभग स्थिर रहीं लेकिन बाद के वर्षों में इसमें लगातार गिरावट आई है।

(ग) जन्मदर में कमी लाने के लिए हमारे पास एक सुस्पष्ट कार्य नीति है जिसमें सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के जरिए बच्चे के जीवित रहने की दर में वृद्धि करने जनसंख्या शिक्षा को गहन करने, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने, संचार की उन्नत पद्धतियां अपनाने, स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने, बच्चों के जन्म में अन्तर रखने पर और अधिक जोर देने युवा दम्पतियों और कम बच्चों वाले दम्पतियों को परिवार नियोजन के लिए जोर दिया गया है।

जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास

7841. प्रो० मधु दंडवते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान जनसंख्या वृद्धि की औसत दर और आर्थिक विकास की औसत दर का तुलनात्मक ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त योजनावधियों में जनसंख्या वृद्धि की दर के कारण आर्थिक विकास की अपेक्षित दर प्राप्त नहीं की जा सकी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस असन्तुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) विभिन्न योजना अवधियों के दौरान जनसंख्या की वृद्धि की औसत वार्षिक दर तथा कारक लागत पर कुल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में हुई मितव्यता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आर्थिक विकास में विशेष रूप से प्रति व्यक्ति विकास दर में आ रही एक प्रमुख कठिनाई जनसंख्या की वृद्धि की उच्च दर का होना है। भारत की जनसंख्या में 2 प्रतिशत और अधिक वृद्धि दर का मतलब आर्थिक विकास की वार्षिक प्रति व्यक्ति वृद्धि 1 से 3 प्रतिशत है।

(ग) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कुल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में वृद्धि करने तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

जनसंख्या और आर्थिक विकास की वार्षिक दर

योजना अवधि	जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत	कुल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर	प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पाद में वास्तविक वृद्धि
1	2	3	4
प्रथम योजना 1951-56	1.83	3.55	1.72
दूसरी योजना 1956-61	2.00	4.19	2.99
तीसरी योजना 1961-66	2.25	2.69	0.44
चौथी योजना 1969-74	2.29	3.46	1.17
पांचवीं योजना 1974-79	2.27	5.15	2.88
छठी योजना 1980-85	2.16	5.57	3.41
सातवीं योजना × 1985-88	2.03	4.58	2.55

× योजना के प्रथम 3 वर्षों का अनुमान

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शामिल किए
गए नए राज्य

7842. श्री अताउर्रहमान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चलायी जा रही है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत किन-किन नये राज्यों को शामिल करने का विचार है; और

(ग) क्या गुहावटी सहित असम के विभिन्न स्थानों पर इस योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निम्नलिखित राज्यों में चल रही है :

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) बिहार

(3) गुजरात

(4) कर्नाटक

(5) महाराष्ट्र

(6) उड़ीसा

(7) राजस्थान

(8) तमिलनाडु

(9) उत्तर प्रदेश

(10) पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के प्रारूप को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान, दिल्ली में अनुसूचित जातियों/
अनुसूचित जनजातियों के इन्जीनियरों के लिए मानदण्ड

7843. श्री गंगा राम : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान में कनिष्ठ इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) को सहायक इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) के पद पर पदोन्नत करने के लिए क्या मानदण्ड नियम और निदेश हैं;

(ख) वर्ष 1985 से प्रत्येक वर्ष कितने कनिष्ठ इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) को सहायक इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) के पद पर पदोन्नत किया गया है और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं तथा कितने पिछड़े आरक्षित पद रिक्त रखे गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आठ वर्ष से अधिक सेवा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कनिष्ठ इंजीनियर (ई०एण्ड एम०) को अगले उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है;

(घ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ कनिष्ठ इंजीनियर (ई० एंड एम०) अगले उच्च पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन देते रहे हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सहायक इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) कोटे के पिछले आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या विशेष उपाय किए गये हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई : दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान भर्ती नियमों का अनुसरण कर रहा है जो कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिक) से सहायक इंजीनियर के पद (विद्युत और यांत्रिक) के लिए पदोन्नति हेतु मानदंड निर्धारित करते हैं, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1985 में तदी आधार पर एक कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिक) को पदोन्नत किया गया था और 2 को 1986 में 1 वर्ष 1985-86 के दौरान कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति कोटे में पिछला बकाया क्रमशः 2 और 4 है।

(ग) जी, हां। केवल ऐसा एक व्यक्ति है जिसने 8 वर्ष की सेवा पूरी की है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सर्व श्री दर्शन नाथ, सूरजपाल सिंह, यश प्रकाश ने अपेक्षित अनुभव पूरा कर लिया है और यदि वे विचारणीय जोन में आते हैं तो उनकी पदोन्नति भविष्य की रिक्तियों पर निर्भर करती है।

विवरण

पद का नाम	श्रेणी	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा के नियम 30 (पेंशन नियमावली, 1972) के अन्तर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है।	शैक्षिक अर्हता	प्रोबेशनावधि
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक इंजीनियर विद्युत और यांत्रिक)	बी०	650-1200 रुपये	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।	नहीं	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी डिप्लोमा (2) विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी कार्यों में 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति	पदोन्नत/प्रति नियुक्ति/अंतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रति नियुक्ति/अन्तरण किया जाता है।	यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका संघटन	परिस्थितियां, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती नियमों के बारे में परामर्श लिया जाता है।
9	10	11	12
(1) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा। (2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नत : कनिष्ठ इन्जीनियर (विद्युत और यांत्रिक) ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा, उन मामलों में जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा तुल्य से विद्युत अथवा यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री रखते हैं। 7 वर्षों की नियमित सेवा, उन मामलों में जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा तुल्य से विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा रखते हैं।	1. मुख्य इन्जीनियर (निर्माण), अध्यक्ष 2. सहायक आयुक्त (डब्ल्यू)···सदस्य 3. लेखा और वित्त अधिकारी,······सदस्य	(1) विनियमों के कोई भी प्रावधानों का संशोधन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। (2) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश द्वारा और नाम से।

"वन अनुसंधान संस्थानों के लिए स्नातकों को प्रशिक्षण"

7844. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान संस्थान अकादमियों में प्रशिक्षु स्नातकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम में निम्न स्तरीय वन सम्बन्धी समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी दी जाती है;

(ख) क्या ऐसे स्नातक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में इस क्षेत्र में वास्तविक परिस्थितियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती है; और

(ग) इस संबंध में पाठ्यक्रम को विस्तृत करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षकों और निचले स्तर के विशेषज्ञों के बीच और अधिक तालमेल सुनिश्चित किया जा सके ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी तथा राज्य वन सेवा और वन राजिक महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निचले स्तर के वन कर्मचारियों की समस्याओं पर यथोचित बल दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए उनके प्रशिक्षण के रूप में पर्याप्त क्षेत्रीय दौरों के प्रबन्ध किए जाते हैं। पाठ्यक्रम की विषय सूचियों और पाठ्यक्रमों में वानिकी तकनीकों के नए ज्ञान और प्रगति को शामिल करके उन्हें अद्यतन बनाया जाता है ।

बंधुआ श्रमिक

7845. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय क्षेत्र राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अलग-अलग, बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक राज्य-वार, कितनी धन-राशि का आबंटन किया गया तथा उपयोग किया गया ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, निधियां रिलीज की जाती हैं बशर्ते कि कतिपय दिशा-निर्देशों का पालन किया गया हो, जैसे कि अतीत में रिलीज की गई राशि के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना और पुनर्वास के लिए किसी विशिष्ट योजना को अनुमोदित करते हुए जिला स्तर जांच समिति के कार्यवृत भी प्रस्तुत करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों को रिलीज की गई राशियों और ऐसी राशियां जिनके संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र भेजे गए हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	रिलीज किए गए केन्द्रीय हिस्से की राशि (रु० लाखों में)	राशियां जिनके लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। (रु० लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	225.88	129.60
2.	बिहार	64.31	46.84
3.	गुजरात	0.62	0.62

1	2	3	4
4.	हरियाण	—	—
5.	कर्नाटक	562.98	386.42
6.	केरल	—	—
7.	मध्य प्रदेश	—	—
8.	महाराष्ट्र	8.25	3.27
9.	उड़ीसा	239.53	693.34*
10.	राजस्थान	5.80	13.33*
11.	तमिलनाडु	3.52	—
12.	उत्तर प्रदेश	242.75	206.27
कुल		1353.64	1479.69

* उड़ीसा तथा राजस्थान की राज्य सरकारों ने छठी योजना अवधि से संबंधित अवधियों के लिए भी उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं। केवल सातवीं योजना के दौरान उपयोग की गई राशियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

बिहार में रहस्यमय बीमारी के कारण मौतें

7846. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिहार के सिंहभूम जिले के टोन्टो ब्लाक के विभिन्न क्षेत्रों में रहस्यमय बीमारी से कम से कम 50 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार दक्षिण बिहार में कोई चिकित्सा दल भेज रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) बिहार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार के सिंहभूम के टोंटो प्रखंड में मेनिंगोकोकल मेनिंगजाइटिस के कारण 1989 के दौरान (14 4-89 तक) 28 मौतें सूचित की गई थीं।

(ख) मेनिंगोकोकल मेनिंगजाइटिस के नियंत्रण उपायों में निम्नलिखित शामिल है :—

— अर्ध चिकित्सीय स्वास्थ्य कार्मिक द्वारा रोग की शीघ्र सूचना दी जाए, ताकि सभी संदिग्ध रोगियों का अस्पताल में उपचार किया जा सके।

— रोग का पता लगाने और निदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए चिकित्सा दलों का गठन किया जाए।

— क्रिस्टैलाइन बेनज़िल पेनिसिलीन और क्लोरेमफेनीकोल जैसी उपयुक्त औषधें देकर रोगियों का उपचार किया जाए।

— चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कार्मिकों को जो अस्पतालों और आपातकालीन विभागों में रोगियों की देखरेख करते हैं, टीका लगाया जाए।

— रोगियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को सल्फाडायजीन देकर, उनकी सुरक्षा की जाए।

(ग) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली से एक दल ने तकनीकी मार्गदर्शन और रोग के फैलने के कारणों की जांच करने और इस रोग को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने का सुझाव देने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरान किया।

(घ) मेनिंगजाइटिस के नियंत्रण कार्यकलाप पर होने वाले व्यय का भार राज्य सरकार उठाती है।

दिल्ली क्लाथ मिल की भूमि का विकास

7847. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल के मालिक को न्यायायल से मिल बन्द करने का आदेश प्राप्त होने के बाद मिल की भूमि के विकास की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली क्लाक मिल से सम्बन्धित भूमि के पुर्नविकास के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके प्लाट में से कुल कितनी भूमि का सार्वजनिक कार्यों हेतु प्रयोग किया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) : न्यायायल के आदेशों के बाद, दिल्ली क्लाथ मिल की भूमि के विकास के लिये दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 313 के अन्तर्गत अनुमोदन के लिये उन्होंने ऐसी कोई योजना दिल्ली नगर निगम को प्रस्तुत नहीं की है।

सरकारी पाठ्य पुस्तक प्रेसों का अन्तरण

7848. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पाठ्य पुस्तक प्रेसों का किसी अन्य सरकारी ऐजेंसी को अन्तरण करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या डाक और तार विभाग ने इन प्रेसों का प्रबंध ग्रहण करने में रुचि दिखायी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है;

(ग) क्या इन प्रेसों ने अपने कार्यकरण में सुधार किया है और वे विस्तार करने के लिए तैयार हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसके लिए मूलभूत सुविधाओं और कार्यकरण संबंधी त्रुटियों को अब तक दूर नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इस बारे में डाक और तार विभाग के प्रस्ताव पर अथवा किसी अन्य अभिकरण के प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उत्पादकता में कोई प्रत्यक्ष सुधार नोटिस में नहीं आए हैं। विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) मूलभूत सुविधाओं और कार्यकरण संबंधी त्रुटियां दूर करना सरकार की ओर से एक सतत प्रयत्न है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत फ्लैटों का पंजीकरण आबंटन

7849. **डा० ए० के० पटेल :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत हैं तथा प्राधिकरण ने उनसे फ्लैटों के आबंटन के लिए अब कितनी धनराशि प्राप्त की है;

(ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक फ्लैटों का आबंटन किया जाना था और उनमें से वास्तव में अब तक कितने व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इस समय प्रत्येक योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई पंजीकृत करणा राशि तथा उस पर ब्याज सहित कितनी राशि है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रत्येक योजना के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् रूप से कुल कितने व्यक्ति फ्लैटों के आबंटन की प्रतीक्षा में है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क)

क्र० सं०	योजना का नाम	पंजीकृतों की कुल सं०	प्राप्त हुई पंजीकरण जमा राशि (रुपये करोड़ों में)
1.	प्रथम पंजीकरण 1969-70	10866	2.90
2.	द्वितीय पंजीकरण 1971-72	20385	6.56
3.	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पंजीकृत योजना 1972	834	0.04
4.	विशेष पंजीकरण-73	5453	0.45
5.	नवीन पंजीकरण-1976	27190	12.03
6.	न्यू पैटर्न पंजीकरण-1979	171272	33.23

1	2	3	4
7.	सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष पंजीकरण-1982	3440	2.53
8.	सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना-1985	4370	4.52
9.	प्रथम स्व-वित्त पोषित योजना-1979	2743	2.73
10.	द्वितीय स्व-वित्त पोषित पंजीकरण योजना-1978	4393	4.30
11.	तृतीय स्व-वित्त पोषित पंजीकरण योजना-1979	3616	4-75
12.	चतुर्थ स्व-वित्त पोषित पंजीकरण योजना-1981	8615	11.03
13.	पंचम स्व-वित्त पोषित पंजीकरण योजना-1982	34631	44.88
14.	सेवानिवृत्त/सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष स्व-वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना (i) 1981 (ii) 1983	3142	1.44
15.	षष्टम स्व-वित्त पोषित पंजीकरण योजना-1985	17805	21.62

(ख) फ्लैटों के आबंटनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। आबंटन के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित योजना 1 से 5, 7, 9, 10 तथा 11 योजनाओं के अन्तर्गत सभी पंजीकृतों को फ्लैट आबंटि कर दिये गये हैं।

(2) इसके अलावा 70881 तथा 2733 व्यक्तियों को योजना 6 और 7 के अन्तर्गत फ्लैट आबंटित किये हैं। विभिन्न स्व-वित्त पोसित योजनाओं के अन्तर्गत कुल 44412 फ्लैट आबंटित किये गये हैं।

(ग) पंजीकरण राशि और उसपर ब्याज का विवरण इस प्रकार है :—

योजना	1-4-88 को पंजीकरण राशि (करोड़)	1-4-88 को ब्याज (करोड़)
स्व-वित्त पोषित योजनाएं	34.31	8.47
न्यू पैटर्न स्कीम-79	23.34	14.02
सामान्य आवास योजनाएं	1.08	1.54
सेवानित्त सरकारी कर्मचारी योजनाएं	4.66	0.85
फ्लैटों के लिए धरोहर राशि	0.84	शून्य
विशेष आवास योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के लिए धरोहर राशि	0.15	शून्य

(घ) आबंटन के लिए प्रतीक्षारत पंजीकृतों की कुल संख्या इस प्रकार है :

(1) न्यू पैटर्न स्कीम-79	...	94613
(2) सामान्य आवास योजना आर० पी० एस० 1985	...	1586
(1) स्व-वित्त पोषित योजनाएं	...	23909

विकासपुरी के निवासियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण के बारे में शिकायतें

7850. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विकासपुरी, नई दिल्ली के मध्यम आय समूह के फ्लैटों के निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारी उनके फ्लैटों में, शिकायत करने पर भी मरम्मत करने नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां। पाकेट डी० जी०-11 मध्यम आय वर्ग फ्लैट, विकासपुरी के निवासियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शिकायतों को दूर किया है।

(ख) ये शिकायतें आमतौर पर त्रुटिपूर्ण पलस्तर करने, रिसाव तथा फर्श पर त्रुटिपूर्ण ढलाव के बारे में हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल पर एक शिकायत रजिस्टर रखा हुआ है तथा वहां के निवासी अपनी शिकायतों को उस रजिस्टर में दर्ज करते हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुरन्त ही निपटा दिया जाता है। शिकायतों को दूर करने में किसी प्रकार के विलम्ब को दूर करने के लिए परियोजना इंजीनियर द्वारा बारम्बार जांच की जाती है। आवंटितियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्थल पर ही उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जाता है।

खाड़ी के देशों में निर्माण कम्पनियों में कार्यरत भारतीय श्रमिक

7851. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित कई निर्माण कम्पनियों द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान उड़ीसा से कितने श्रमिकों को विदेश में भेजा गया;

(ख) क्या इन निर्माण कम्पनियों द्वारा इन श्रमिकों को विदेश भेजते हुए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) (क) विदेश भेजे जाने वाले श्रमिकों के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

सम्पदा कार्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों को दुकानों का आबंटन

7852. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा कार्यालय द्वारा दिल्ली में अनुसूचित जनजाति के लोगों को दुकानों का आबंटन निविदाएं आमन्त्रित करके किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष कितनी दुकानों का आबंटन किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इन श्रेणियों के लिए सीमित निविदाएं आमन्त्रित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दुकानों के आबंटन के लिए 22.5 प्रतिशत का आरक्षण है।

(ख) चूंकि, अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति ने उसके लिए आवेदन नहीं किया, इस लिए एक एक दुकान और एक प्लेटफार्म अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुनर्वास कालोनियों में सफाई की स्थिति

7853. **श्री मोहम्मद महफूजअली खां :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स में राजधानी में पुनर्वास कालोनियों में सफाई व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नगर की पुनर्वास कालोनियों तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के सम्बंधित अधिकारियों द्वारा स्वच्छता का अपेक्षित स्तर बनाए रखने में लापरवाही किए जाने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है कि पुनर्वास कालोनियों में उचित स्वच्छता स्थिति का अनुरक्षण किया जाता रहे। इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा रही हैं :

(1) सामुदायिक शौचालयों तथा अन्य जन सुविधाओं का उचित रख-रखाव

(2) सड़कों का सुधार, नालियों आदि का सुधार।

(3) उच्च स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों का प्रबोधन।

(4) दिल्ली नगर निगम ने भी 12·64 करोड़ रुपये की लागत से 5,942 सीटों के सुलभ शौचालयों का निर्माण किया है।

दिल्ली नगर निगम ने 211·23 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से निम्नलिखित गतिविधियों हेतु एक योजना तैयार की है :

(क) सड़कों तथा नालियों का निर्माण/सुधार।

(ख) मल-निर्यात तथा जल आपूर्ति को बढ़ाना।

(ग) सुलभ शौचालयों का निर्माण तथा विद्यमान शौचालय ब्लाक का सुधार।

(घ) पार्कों तथा अन्य बागवानी कार्यों एवं सामुदायिक सभागारों का सुधार निर्माण।

(ङ) पथ प्रकाश का सुधार।

कपड़ा मिलों की भूमि को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव

7854. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल और बम्बई टेक्सटाइल मिल्स के कब्जे में काफी भूमि है;

(ख) क्या सरकार का इन मिलों का उचित मुआवजे का भुगतान करके इस भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) केन्द्रीय सरकार निजी क्षेत्र की वस्त्र मिलों के भूमि धारण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रूव वन"

7855. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मैंग्रूव वन प्रतिवर्ष कम होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा में कम होते जा रहे मैंग्रूव वनों की रक्षा के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के समुद्र तट के कच्छ वनस्पति संसाधनों में कमी होने के मुख्य कारण कच्छ वनस्पति के वनों का धान की खेती, झींगा मछली को संवर्धन के लिए उपयोग में लाना और जलावन की लकड़ी व इमारती लकड़ी के लिए वृक्षों का काटा जाना है।

(ग) भिटारकनिका और महानदी डेल्टा कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को संरक्षण और प्रबन्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए चुने गये 15 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। 1988-89 के दौरान इन दोनों क्षेत्रों की कार्य योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है जिसमें क्रमशः 9·50 लाख रुपये और 7·00 लाख रुपये का परिव्यय शामिल है। इनमें क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन, बाड़ लगाना, खाई खोदना, कच्छ वनस्पति को पुनः लगाना और निगरानी और वाच टावरों का स्थापित करना शामिल है।

नई दिल्ली में बंगाली मार्किट स्थित सरकारी क्वार्टरों में फिटिंग्स/फिक्सचर्ज

7856. डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बंगाली मार्किट स्थित टाइप (4) के सरकारी क्वार्टरों के लिए अपेक्षित फिटिंगों/फिक्सचरों का माप क्या है;

(ख) क्या इन क्वार्टरों में सिंक और वाश-बेसिन शीशे तक नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन क्वार्टरों में निर्धारित माप के फिटिंग और फिक्सचर्ज उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) संलग्न विवरणानुसार।

(ख) इन क्वार्टरों में वाशबेसिन लगाए गए हैं परन्तु रसोई में सिंक तथा शीशों की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) निधियां उपलब्ध होने पर ही मानदण्डों के अनुसार फिटिंग तथा फिक्सचर उपलब्ध कराए जाएंगे।

विवरण

टाइप 4 "डी" क्वार्टरों में फिटिंग/फिक्सचरों का मानदंड

क्र० सं०	विवरण	मानदंड
1.	**रसोईघर** — सिविल	
(1)	एक इंच मोटी एक दीवार के साथ-साथ पंक्ति में खुली शैल्फें जिनकी चौड़ाई 400 मि० मी० से अधिक न हो।	हां
(2)	निचला फर्श (रसोईघर) में इसके अतिरिक्त काम करने की शैल्फ के रूप में उसी सामग्री के निकासी बोर्ड के साथ एक सफेद चमकदार सिंक उपलब्ध कराया जाए।	एक
(3)	कार्य करने के शैल्फ के साथ-साथ तथा निचले फर्श के आसपास खिड़की सिट स्तर तक 1 फूट ऊंचा डैडो।	हां
(4)	दीवार के साथ-साथ खाना पकाने की शैल्फ के खिड़की सित स्तर के नीचे शैल्फों तथा शटर के साथ अलमारी (300 मि० मी०)	एक
(5)	खाना बनाने की शैल्फ स्टैंडिंग	हां
2.	**अन्य कमरे**	
(1)	शैल्फों, जिनकी चौड़ाई 1100 मि० मी० से अधिक न हो, के साथ बनी खुली अलमारी	बैठक में एक
(2)	लकड़ी के शैल्ड और शटर के साथ अलमारी जिसकी चौड़ाई 1100 मि०मी० से अधिक न हो।	2 शयन कक्षों में दो
(3)	25 मि० मी० मोटे शैल्फ जिनकी चौड़ाई 400 मि० मी० से अधिक न हो (स्टोर में, यदि उपलब्ध कराए जाते हैं)	हां
(4)	शयनकक्ष में अलमारी के ऊपर सामान रखने की जगह (खुली)	एक
(5)	आगे वाले दरवाजे पर ज्यूडस आई	एक

(6) पर्दे की राड	हां। बैठक तथा खाने के कमरे से साथ और अन्य कमरों में बैल्मेट के बिना
(7) पैग का सेट	स्नानघर में
3. सैनिटरी फिटिंग	
(1) ऊपरली फलशिंग के साथ भारतीय ढंग का डब्ल्यू. सी.	एक
(2) उच्च स्तर पर फ्लसिंगसिस्टर्न के साथ यूरोपियन प्रकार का डब्ल्यू० सी०	एक
(3) प्रत्येक के एक नल के साथ वाश बेसिन	एक
(4) नल (रसोईघर, स्नानघर तथा डब्ल्यू. सी.)	3+1 (सिंक के लिए)
(5) भब्बारे	एक
(6) तौलिया रखने की छड़	एक
(7) शीशा	एक
(8) शीशे की शैल्फ 24"×5"/अथवा जहां निर्मित किया जाये उस दीवार की मोटाई के आधार पर निच	एक
(9) साबुन का केक (डब्ल्यू० सी०/स्नानघर में निच)निच	एक
(10) संग्रहण टंकी	एक
4. विद्युत संबंधी	
(1) लाइट प्वाइंट	सं० 12
(2) पंखे के प्वाइंट	सं० 5
(3) छत के पंखे	सं० 4
(4) लाइट प्लग	[सं० 5
(5) पावर प्लग	सं० 3
(6) काल बैल	सं० 1
(7) बिजली का मीटर	सं० 1
(8) पावर मीटर	सं० 1
(9) फोन कनेक्शन	सं० 1

बंगाली मार्किट क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में बिजली की फिटिंग

7857. **श्रीमती प्रभावती गुप्त :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली मार्किट क्षेत्र, नई दिल्ली से सरकारी क्वार्टरों में बिजली की फिटिंग बहुत पुरानी है और इससे वहां के निवासियों की जान और माल को भारी खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वहां मीटर बोर्ड टूटे हुए हैं, उनमें कट आऊट नहीं हैं और तारें सीधी मीटर से जोड़ी गई हैं जिसके कारण निवासियों, विशेषकर बच्चों की जान के भारी खतरा बना हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसी जर्जर फिटिंग द्वारा उत्पन्न खतरे में बच्चों और वयस्कों को को बचाने के लिए कंड्यूट पाइप फिटिंग कर उचित मीटर बोर्ड उपलब्ध कराने और उन पर आवरण चढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) हालांकि बंगाली मार्किट क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों में बिजली के तार पुराने है, फिर भी इससे वहां के निवासियों के जीवन तथा सम्पत्ति के लिए कोई खतरा नहीं है।

(ख) मीटर बोर्ड न तो टूटे हुए है और न ही बिना कट-आउट के हैं। जब भी कभी कोई मीटर दोष पूर्ण अथवा कट-आउट क्षतिग्रस्त पाया जाता है, तो उन्हें बदल दिया जाता है। इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर काफी ऊंचाई पर लगाया गया है ताकि उससे उनके जीवन के लिए कोई खतरा न हो सके।

(ग) कंड्यूट वायरिंग तभी उपलब्ध कराई जाएगी जबकि क्वार्टर खाली होंगे अथवा किराए दारों की सहमति होगी क्योंकि इस कार्य से वहां रहने वालों के लिए असुविधा होगी।

सामान्य अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

7858. **श्री बांगफा लोवांग :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 जुलाई, 1987 को सेवारत चिकित्सकों के लिए अनेक अन्तरिम लाभ देने की घोषणा की थी, जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को 12 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने की भी घोषणा की गई थी,

(ख) क्या राजपत्र द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित पदों की उपलब्धता होने पर ही पदोन्नत किया जायेगा और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन सामान्य कार्य अधिकारियों को पदोन्नति के अवसरों की रक्षा की गई है, जिन्होंने दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जुलाई,

में डाक्टरों के लिए घोषित किए गए लाभों के पैकेज में यह व्यवस्था की गई है कि समूह "क", में कुल 12 वर्ष की नियमित सेवा वाले चिकित्सा अधिकारियों (3000-4500 रुपये) को वरिष्ठता एवं स्वस्थ्यता के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (3700-5000 रुपये) के अगले ग्रेड में पदोन्नति दी जानी है, बशर्ते उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में 2 वर्ष की सेवा की हो।

(ख) और (ग) 27-2-89 को प्रकाशित की गई राजपत्र अधिसूचना में यह व्यवस्था है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति गुणावगुणा पर चयन के आधार पर की जाएगी। सामान्य ड्यूटी उप संवर्ग में अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाला वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए विचार किए जाने का पात्र है बशर्ते रिक्तियां उपलब्ध हों।

दिल्ली में पानी की गैर-सरकारी ट्रॉलियों द्वारा पानी सप्लाई

7859. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गैर-सरकारी ट्रालियों द्वारा पानी बिक्री करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिबन्ध का ब्यौरा क्या है तथा यह किन कारणों से लगाया गया है;

(ग) क्या राजधानी में प्रतिवर्ष मई से अगस्त के बीच भीषण गर्मी पड़ती है;

(घ) क्या सरकार का उक्त अवधि के दौरान गर्मी से निढाल व्यक्तियों की प्यास बुझाने के लिए सड़क के किनारों पर अस्थायी सार्वजनिक नल लगाने अथवा प्याऊ खोलने हेतु व्यवस्था करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसने अपने क्षेत्राधिकार में निजी पानी की ट्रॉलियों से पेयजल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसी प्रकार की सूचना नई दिल्ली नगर पालिका में प्राप्त नहीं हुई है और इसके प्राप्त होते ही इसे सभा पटल रख दिया जायेगा।

(ख) रैफ्रिजिरेटर के पानी की ट्रॉलियों से बेचे जाने वाले पानी को जीवाणु जांच पर स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित नहीं पाया गया था।

(ग) मई तथा जून के गर्मी के महीने आमतौर पर अधिक गर्म होते हैं परन्तु जुलाई तथा अगस्त के मानसून के महीनों तपती धूप से कुछ राहत होती है।

(घ) और (ङ) गर्मियों के दौरान आम जनता को पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए "प्याऊ" लगाने के लिए सामाजिक/धर्मार्थ/धार्मिक संगठनों को अस्थायी अनुमतियां दी जा रही हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मीटरों की सहायता से बिजली का अवैध ढंग से इस्तेमाल किया जाना

7860. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर (सतर्कता) नई दिल्ली को जनवरी माह के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो वहां के निवासियों द्वारा सायंकल में खेलने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मीटरों की सहायता से बिजली के अवैध ढंग से इस्तेमाल के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) श्री उमेश कुमार सरीन, निवासी 71-एच, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कम्पलेक्स, वसन्त बिहार, नई दिल्ली से अन्य बातों के साथ-साथ निवासियों द्वारा बैंठमिंटन खेलने के लिए जीवों की बत्ती से अवैध ढंग से कनैक्शन लेने के बारे में दो शिकायतें जनवरी, 1989 में प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की संबंधित अधिकारियों तथा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में कार्यपालक इंजीनियर (सतर्कता) द्वारा पड़ताल की गई थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मीटर से कोई अवैध कनेक्शन नहीं पाया गया था। तथापि, संबंधित सहायक इंजीनियर द्वारा यह सूचना दी गई थी कि कुछेक किरायेदार कुछ समय पहले बैडमिंटन खेलने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण बिभाग के मीटर से बिजली का इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे तथा उसे तत्काल ही कटवा दिया गया था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मीटरों से अवैध ढंग से बिजली लेने वालों मामलों में जीवों की बत्ती काटने के बावत आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

स्वास्थ्य बीमा योजना

7861. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण-कार्य में लगे कामगार गंभीर खतरों में घिरे रहते हैं और उन्हें किसी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) विनिर्माण कार्य में नियोजन कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की अनुसूची-III में निर्दिष्ट जोखिमपूर्ण नियोजनों की सूची में शामिल है और विनिर्माण कर्मकार अधिनियम के अधीन नियोजन से चोट के कारण निशक्तता अथवा मृत्यु के मामले में प्रतिकर के पात्र हैं। तथापि, इस समय विनिर्माण कर्मकारों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए कोई सांविधिक उपबंध नहीं है।

(ख) विनिर्माण कर्मकारों को चिकित्सा लाभ देने के लिए कोई विधान बनाने को कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्त के नए विकल्प की बिक्री प्रारंभ करना

7862. डा० बी० एल० शैलेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त ग्रुप का विचार किए बिना रक्त का एक पूर्णरूपेण नया विकल्प जो सभी रोगियों को दिया जा सकता है, विश्व के बाजारों में शीघ्र ही बिक्री हेतु उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इसके भंडारण करने, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात परिस्थितियों में बड़ी मात्रा में इसकी मांग को पूरा करने के लिए स्टाक रखने की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या अमरीका की फर्म द्वारा रक्त के नये विकल्प का जानवरों पर किये गए परीक्षण सफल रहा है;

(घ) क्या मानवों पर किया गया परीक्षण भी सफल सिद्ध हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषध-विज्ञान पर सफलता पूर्वक परीक्षण करने के बाद देश में रक्त के नये विकल्प की बिक्री प्रारम्भ करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : क) से (ङ) रक्त का विकल्प तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है । अब तक इन विकल्पों में रक्त के प्रत्येक गुण को शामिल करना सम्भव नहीं हो सका है ।

पोलिमेराइज्ड ह्यूमन हिमोग्लोबुलिन एक प्रायोगिक उत्पाद है जो अभी आजमाइश के चरण में है ।

खाने के लिए प्रयोग होने वाले गैर आयोडाइज्ड नमक की बिक्री पर प्रतिबंध

7863. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में खाने के सभी प्रकार के नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और इसके बदले खाने के नमक के मूल्यों में बिना वृद्धि किए आयोडाइज्ड आयोडीन युक्त नमक ही बेचे जाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब तक लागू कर दिया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि आम नमक की अपेक्षा आयोडाइज्ड नमक उच्च मूल्यों पर बेचा जा रहा है यदि हां, तो इसके मूल्यों में समानता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या आयोडाइज्ड नमक के उत्पादन के लिए आयोडीन का आयात किया जायेगा और यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग)

दिल्ली प्रशासन ने पहली जून, 1989 से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आयोडीकृत न किए गये नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार आयोडीकृत नमक के विनिर्माताओं को खाए जाने वाले नमक का आयोडीकरण करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले रसायन, पोटाशियम आयोडेट की कीमत को वहन करने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है। बाजार में आयोडीकृत नमक उसी किस्म और पैकिंग वाले अन्य आम नमक के मुकाबले थोड़े उच्च मूल्यों पर उपलब्ध है। दिल्ली को 1988 के दौरान 1.66 लाख टन आयोडीकृत नमक सप्लाई किया गया है।

(घ) भारत सरकार आयोडीकृत नमक का निर्माण करने के लिये आयोडीन का आयात नहीं कर रही है। तथापि, सरकार की खुले सामान्य लाइसेंस नीति के अधीन नमक आयुक्त से अनिवार्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर वास्तविक उपभोगकर्ताओं द्वारा अपरिष्कृत आयोडीन का आयात किया जा रहा है।

केरल में परियोजनाओं के विकास के लिए सहायता

7864. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य से कुछ परियोजनाओं के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विश्व बैंक सहायता के लिये एक शहरी विकास परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आरम्भ करने की आशा है और इसमें त्रिवेन्द्रम, कोचीन तथा कालीकट लाभान्वित होंगे।

होम्योपैथी में "एड्स" पर अनुसंधान और विकास

7865. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथी में "एड्स" के इलाज के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका लाभ उठाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) इस समय होम्योपैथी के अन्तर्गत एड्स के उपचार के लिए कोई व्यवस्थित अनुसंधान एव विकास कार्य नहीं किया जा रहा है।

तथापि, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने एड्स के सम्बन्ध में अनुसंधान एवं उपचार करने के लिए एक अनुसंधान परिषद को भेजा है। उन होम्योपैथिक औषधों को जो एड्स के उपचार में लाभ दायक हो सकती हैं, एड्स से सम्बन्धित पृष्ठभूमि सामग्री तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इस रोग के उपचार की सामग्री को प्राप्त किया गया है।

दिल्ली में मक्खीरोधी तथा मच्छर रोधी कार्यवाही

*866. श्री कमल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में और दिल्ली के निकट मक्खी और मच्छरों का उत्पादन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत छः वर्षों के दौरान दिल्ली में मच्छर-रोधी और मक्खी-रोधी कार्यवाही कितनी बार की गई है; और

(घ) दिल्ली में मच्छरों और मक्खियों की रोकथाम के लिये पुनः क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं। मच्छरों और मक्खियों का जोर मौसम के हिसाब से होता है। दिल्ली में वसन्त और पतझड़ ऋतु के दौरान मच्छर बढ़ते हैं।

(ख) से (घ) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा मच्छरों को पलने से रोकने के लिये वर्ष भर साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से लावारोधी उपाय और फोकल कीट-नाशी छिड़काव किया जा रहा है। इन उपायों को ऋतुओं की तीव्रता अवधियों के दौरान आगे सुदृढ़ किया जाता है। इन रोगों को फैलने से रोकने और मच्छरों और मक्खियों के कारण रूग्णता-दर को कम करने के लिये आगे और शुरू किये गये उपाय इस प्रकार है :

1. शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक लावारोधी उपाय जिनमें निम्नलिखित का उपयोग किया जा रहा है :

(क) मच्छर लार्वानाशी तेल

(ख) फेन्कियोन

(ग) पायरोसीन तेल

(घ) टेमेफास

(ङ) पेरिसग्रीन

2. ग्रामीण क्षेत्रों और श्रमिक झोपड़ियों में बी० एच० सी० सहित तीन बार अवशेषी कीट-नाशी छिड़काव।

3. मलेरिया के सक्रिय रोगियों के घरों और उसके आस-पास पोयरेक्रम का फोकल छिड़काव।

4. टी० आई० ए० एफ० ए० फागिंग को वाहन पर चढ़ाकर 5 प्रतिशत मालाथियन से समय-समय पर फॉगिंग।

5. लावभिक्षी मछली से जीववैज्ञानिक नियंत्रण।

समाचार पत्रों में पत्रकारों के लिए ठेका प्रणाली

[हिन्दी]

7867. **श्री हरीश रावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संवाददाताओं और पत्रकारों को कुछ बड़े समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में ठेका प्रणाली के आधार पर नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और

(ग) इस प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहा हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकारों की एक यूनियन से दिल्ली प्रशासन को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दो समाचारपत्रों के प्रबंध तन्त्रों के विरुद्ध विधान के अन्तर्गत पात्र लाभों से उन्हें वंचित करके ठेका आधार पर श्रमजीवी पत्रकारों को नियुक्त करने की शिकायत है।

(ग) मामले में समुचित सरकार दिल्ली प्रशासन ने पत्रकारों के प्रतिनिधियों को एक औद्योगिक विवाद उठाने की सलाह दी है क्योंकि ठेका आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति प्रतिषिद्ध नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर बड़े दण्ड वाले आरोप

[अनुवाद]

7868. **श्री राज कुमार राय** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारियों के खिलाफ दो वर्ष से अधिक समय से ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें आरोप सिद्ध हो जाने पर बड़ा दंड मिलेगा;

(ख) क्या कुछ ऐसे मामले भी हैं जो 1973 से विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर एक निश्चित समयावधि के पश्चात भी आरोप पत्रों को वापस लिया जा सकता है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मोतिया खान में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण

[हिन्दी]

7869. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोतिया खान, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी भूमि दो वर्ष पूर्व अलग-अलग स्थानों पर खाली पड़ी थी और इस समय कितनी भूमि खाली पड़ी हुई है;

(ख) क्या मोतिया खान में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है; यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1987 से अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है;

(ग) क्या गोदामों और शेडों के मालिक इस भूमि के मालिक हैं और यदि हां, तो ऐसे उनके स्वामित्व का क्या प्रमाण है;

(घ) यदि नहीं, तो उस व्यक्ति/एजेंसी का क्या नाम है जो सरकारी क्वार्टरों के चारों और भूमि पर निर्मित गोदामों और शेडों का किराया वसूल कर रहा है; और

(ङ) अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति प्रभार वसूलने के क्या मानदंड हैं; और दिल्ली विकास प्राधिकरण की उक्त भूमि से अतिक्रमण न हटाने के क्या कारण हैं।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कुल क्षेत्र लगभग 426 एकड़ हैं जिसमें से दो एकड़ गत दो वर्षों से खाली पड़ा हुआ है।

(ख) वहां अतिक्रमण हुए हैं परन्तु उन व्यक्तियों, जिन्होंने 1987 से भूमि पर अतिक्रमण किया था, के ब्यौरे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एकत्र नहीं किये हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कुछ अतिक्रमण गोदामों/शेडों के रूप में किये गये हैं और इन्हें किराये पर दिया गया है। यद्यपि इस क्षेत्र में पट्टे 1-4-1955 से निर्धारित किए हुये हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्नलिखित व्यक्ति दो मंजिले क्वार्टरों के समीप ही बनाये गये और उन्हें किराये पर दिए गए गोदामों/शेडों का किराया वसूल कर रहे हैं :

(1) श्री बशीर अहमद

(2) श्री बक्शी अवतार सिंह

(3) श्री अवतार सिंह सुपुत्र श्री केहर सिंह

(4) श्री शिव चरण

(ङ) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत हर्जानों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसकी वसूली की जाती है। इन अतिक्रमणों को न हटाये जाने की परिस्थितियों का दिल्ली विकास प्राधिकरण से पता लगाया जा रहा है।

खाद्य तेलों का भंडार

7870. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खाद्य तेलों का भंडार कितना है; और

(ख) इतना अधिक भंडार हो जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) 30 अप्रैल 1989 को राज्य व्यापार निगम के पास सरकार के खाते में आयातित खाद्य तेलों की 2.25 लाख मी० टन मात्रा स्टाक में थी।

वनस्पति उद्योग को रियायती दरों पर तेलों म आवंटन को समाप्त करने के सरकार के निर्णय तिलहनों की भरपूर पैदावार होने तथा परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में कमी किए जाने के कारण राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भंडार अपेक्षित मात्रा से अधिक है।

भारतीय आवास विकास वित्त निगम को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण मिलना

[अनुवाद]

7871. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आवास विकास वित्त निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (ए० आई० डी०) से 350 लाख डालर का दीर्घावधि ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दीर्घावधि ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) भारतीय आवास विकास वित्त निगम का इस राशि को आवास क्षेत्र में किस प्रकार से खर्च करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) आवास विकास वित्त निगम सीमित (एच० डी० एफ० सी०) को यू० एस० केपीटल मार्कीट से यू० एस० हाउसिंग गारंटी प्रोग्राम के तहत 35 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह राशि अब तक ली गई कुल 125 मिलियन अमरीकी डालर राशि दीर्घावधि निधियों की अन्तिम ट्रांची है।

(ख) ऋण की शर्तें तथा निबन्धन इस प्रकार हैं :

(1) ब्याज दर : 70 आधार सूत्रों पर लगायी गयी यू० एस० 91 दिन से अधिक राजकोष बिल दर, ब्याज त्रैमासिक रूप में देय है।

(2) अन्तिम भुगतान समय : 15 वर्ष

(3) विलम्बन काल : 12 वर्ष

(4) पुनंभुगतान : 12 वें 13 वें, 14 वें में तथा 15 वर्ष के अन्त में चार समान वार्षिक किश्तों में।

(5) प्रतिभूति : यू० एस० अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की गारंटी।

(6) शुल्क : एक समय में फ्रंट एण्ड भुगतान के रूप में प्राप्त राशि का 0.38 प्रतिशत।

इसके अलावा प्रतिवर्ष 1/2 प्रतिशत की गारण्टी फीस और 1 प्रतिशत की फ्रंट-एण्ड फीस यू० एस० अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को देय हैं। आवास विकास वित्त निगम को भुगतान तथा अन्तरण एजेंट फीस भी देनी है जो वार्षिक दी जाने वाली वितरण फीस 20,000 अमरकी डालर और 3,000 अमरीकी डालर प्रशासनिक फीस है।

(ग) यह निधि का उपयोग निम्न आय वर्ग के परिवारों जिनमें औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के परिवार भी शामिल हैं, की आवास की आवश्यकताओं के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए किया जायेगा।

कुटीर उद्योग एम्पोरियम के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उठाए गए कदम

7872. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर उद्योग एम्पोरियम पर्यटकों के आकर्षण और विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देने तथा प्रत्येक स्तर पर विभिन्न बिक्री-केन्द्रों पर होने वाले विलम्ब और लम्बी-लाइनों में कमी करने हेतु जिनके कारण पर्यटक और अन्य ग्राहक इन केन्द्रों की आलोचना करते हैं, बेहतर देखरेख की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम (सी० सी० आई० सी०) घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है तथा अपने सभी स्तरों के कार्मिकों को समय-समय पर अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी भेजता है। निगम, कार्यों में होने वाली देरी को कम करने तथा ग्राहकों को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए, आवश्यक कदम उठाता रहा है। बेहतर नियंत्रण तथा निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन कक्षों को चार क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। व्यस्ततम अवधि के दौरान ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिये काउन्टरों पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाता है।

मद्रास स्थित सरकारी मेडीकल स्टोर डिपो के कार्निश बोयलर लगाना

7873. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित सरकारी मेडिकल डिपो में कार्निश बोयलर लगाया गया है, यदि हां, तो कब;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा इससे सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिये जाने के बाद उस पर वित्त मन्त्रालय की सहमति ले ली गयी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी,

हां। कानिश बादलर गवर्नमेंट मेडीकल स्टोर डिपो फैक्टरी मद्रास में लगाया गया था और इसने 7-1-1985 से काम करना शुरू कर दिया था।

(ख) इस विषय में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी थी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास द्वारा प्राप्त किए गए "मांग पत्रों" का मूल्य

7874. **श्री के० राममूर्ति :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास को प्रति वर्ष कितने मूल्य के मांग पत्र प्राप्त हुए;

(ख) विभिन्न शीर्षों जैसे "श्रीलंका के लिए सप्लाई" आदि के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपयुक्त वर्षों के दौरान अस्पतालों को की गयी सप्लाई के लिए अस्पतालों से कितनी धन राशि वसूल की गयी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास द्वारा प्राप्त किये गये मांग पत्रों का मूल्य इस प्रकार था।

(लाख रुपयों में)

1986-87	379.00
1987-88	495.00
1988-89	585.00

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	श्रीलंका	केन्द्रीय सरकार संस्थान	तमिलनाडु	संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	अन्य
					(लाख रुपये में)
1996-87	—	137.05	33.01	27.12	31.42
1987-88	72.72	92.85	58.99	49.46	46.35
1988-89	34.66	160.06	87.67	68.41	59.54

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान की गयी सप्लाईयों के विरुद्ध अस्पतालों से की गई वसूलियां निम्न प्रकार थीं :

(लाख रुपयों में)

1986-87	325.91
1987-88	313.06
1988-89	341.44

दक्षिण रेलवे और अन्य विभागों द्वारा मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से खरीदी गई सामग्री का मूल्य

7875. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे द्वारा सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में कितने मूल्य की सामग्री खरीदी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पांडिचेरी और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा कितने मूल्य की सामग्री खरीदी गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मेडिकल स्टोर, मद्रास द्वारा कितनी राशि की सामग्री खरीदी गयी तथा इस अवधि में गैर-सरकारी फर्मों से सामग्री की खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिणी रेलवे द्वारा खरीदे गये समान का मूल्य इस प्रकार था :

1986-87	1987-88	1988-89
		(लाख रुपए)
5.50	1.79	शून्य

(ख) पांडिचेरी और तमिलनाडु द्वारा खरीदे गए समान का मूल्य इस प्रकार था :

	1986-87	1987-88	1988-89
			(लाख रुपए)
पांडिचेरी सरकार	57.17	49.46	60.41
जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	41.43	30.22	51.41
तमिलनाडु सरकार	33.01	58.99	87.67

(म) पिछले तीन वर्षों के दौरान गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो, मद्रास द्वारा खरीदे गए सामान की कुल धनराशि इस प्रकार थी :

	1986-87	1987-88	1988-89
			(लाख रुपए)
	192.70	313.22	356.76

केन्द्रीय तथा स्थानीय दोनों खरीदें प्राइवेट स्रोतों से की गई थी ।

कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन

7876. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिये राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है तथा प्रत्येक राज्य में क्या न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है; और

(घ) किन-किन राज्यों ने अभी तक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) प्रत्येक राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन समुचित सरकार होने के नाते अपनी स्थानीय परिस्थितियों का मूल्यांकन करती है और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय उपयुक्त मानदंडों का पालन करती है । राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय गरीबी रेखा सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखें । मई, 1987 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 36 वें अधिवेशन ने यह स्वीकार किया कि अधिनियम के अधीन निधारित न्यूनतम मजदूरी का "गरीबी रेखा" की अवधारणा से संबंध होना चाहिए । विचार-विमर्श के उपरांत सामान्यतया यह विचार ताकत किया गया कि मजदूरी का स्तर 11 रुपये प्रतिदिन से अन्यून निर्धारित किया जाना चाहिये । न्यूनतम मजदूरी की दरों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । नवम्बर, 1988 में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन के 37 वें अधिवेशन ने कृषि श्रमिकों के लिए पिछले सम्मेलन में स्वीकार किए गए 11 रुपये प्रतिदिन के स्तर में संशोधित करके 1989 में उच्च स्तर की न्यूनतम मजदूरी के सुझाव पर विचार किया जबकि 31 वें अधिवेशन, 1980 द्वारा सिफारिश की गयी दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जायेगी । आगे मई, 1989 में अधिसूचित किए जाने वाले न्यूनतम संशोधित मजदूरी के स्तर की कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के साथ संबंद्ध किसी तंत्र द्वारा मुद्रास्फिति से रक्षा किए जाने के सुझाव पर भी विचार किया गया था ।

विवरण

राज्य का नाम		किस तारीख से प्रभावी हैं	न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन
राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	9-2-97	8.50 रु० से 11 रु०
2.	अरुणाचल प्रदेश	1-9-86	15 रुपए से 18 रु० क्षेत्रानुसार
3.	असम	1-7-88	19.09 रुपये
4.	बिहार	16-10-86	10 रु० या 5 किलोग्राम धान या उसी मूल्य के अन्न की कोई अन्य किस्म तथा एक समय नाश्ता।
5.	गोवा	1-7-86	12 रु०
6.	गुजरात	5-2-86	11 रु०
7	हरियाणा	1-10-88	17.87 रु० भोजन सहित अथवा 21.87 रु० बिना भोजन।
8.	हिमाचल प्रदेश	14-4-87	15 रु०
9.	जम्मू एवं कश्मीर	24-3-89	15.00 रु०
10.	कर्नाटक	21-7-88	12.00 रु० से 17.65 रु०
11.	केरल	1-6-84	12.00 रु० से 15.00 रु०
12.	मध्य प्रदेश	26-6-87	11 रु०
13.	महाराष्ट्र	1-5-88	12 रु० से 20 रु०
14.	मणिपुर	1-12-88	23.70 रु० पहाड़ी क्षेत्र के अलावा क्षेत्र के लिए और 26.70 रु० पहाड़ी क्षेत्र के लिये
15.	मेघालय	1-3-87	15.00 रु०
16.	मिजोरम	1-1-87	15.00 रु०
17.	नागालैंड	5-5-88	15.00 रु०
18.	उड़ीसा	10-2-99	11.00 रु०
19.	पंजाब	1-10-88	19.86 रु० भोजन सहित और 22.86 रु० बिना भोजन

1	2	3	4
20.	राजस्थान	1-3-87	14.00 रु०
21.	सिक्किम	1-10-87	14.00 रु० (मजदूरी को एक कार्यकारी आदेश द्वारा निर्धारित किया गया है)
22.	तमिलनाडु	3-4-89	14.00 रु०
23.	त्रिपुरा	8-8-86	14.00 रु०
24.	उत्तर प्रदेश	28-5-87	11.50 रु० से 12.50 रु०
25.	पश्चिम बंगाल	1-10.88	19.65 रु० बिना भोजन और 16.45 रु० 1 + 2 प्रमुख भोजन
		संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	15-8-86	18.00 रु० से 19.00 रु०
2.	चंडीगढ़	1-4-87	रु० 18.48 (बिना भोजन) 15.48 रु० भोजन सहित
3.	दादर-नागर हवेली	1-2-87	11.00 रु०
4.	दिल्ली	13-3-88	21.60 रु०
5.	लक्षद्वीप	1-9-88	20.75 रु० मजदूरी को एक कार्यकारी आदेश द्वारा निर्धारित किया गया है।
6.	पांडिचेरी		
	(1) पांडिचेरी क्षेत्र	3-12-83	7.00 रु०
	(2) माहे क्षेत्र	7-4-89	12.00 रु०
	(3) यमन क्षेत्र	5-4-83	10.00 रु०
	(4) कारायकल क्षेत्र	16-5-86	8.00 रु०

छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास के लिए उड़ीसा को सहायता

7877. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत विकास हेतु चुने गये उड़ीसा के छोटे और मध्यम शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1989 के लिए इनमें से प्रत्येक शहर के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता किस्तों में दी जाती है जो परियोजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति पर निर्भर है। राज्यवार या शहर-वार निधियों का नियतन किया जाता है।

विवरण

छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को रिलीज की गई निधियों का शहर-वार विवरण

क्रम सं०	शहर का नाम	छठी योजना के अंत तक	सातवीं योजना के दौरान 31-3-1989 तक	योग
छठी योजना		(लाख रुपयों में)		
1.	बालासोर	40·00	—	40·00
2.	धनकानल	30·00	10·00	40·00
3.	जयपोर	28·00	12·00	40·00
4.	पुरी	37·00	3·00	40·00
5.	राउरकेला	40·00	—	40·00
6.	सम्बलपुर	37·50	—	37·50
7वीं योजना				
7.	बारीपाडा	—	46·00	46·00
8.	बोलानगिर	—	45·00	45·00
9.	केओंझर	—	38·00	38·00
10.	कोरापुट	—	20·00	20·00
11.	पारादीप	—	18·00	18·00
	योग :	212·50	192·00	404·50

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर होटलों का अवैध कब्जा

7878. **श्री राजकरन सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कुछ भूमि पर नई दिल्ली के कुछ पन्च-तारा होटलों का अवैध कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में मधुमेह रोगियों की संख्या में वृद्धि होना

7879. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री जी० एस० बासवराजू :

श्री प्रकाशचन्द्र :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि राजधानी में कितने रोगी मधुमेह से पीड़ित हैं,

(ख) क्या इस रोग में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है,

(ग) क्या इसके मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की राय मांगी है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली की दरियागंज बस्ती में 1986 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 6878 निवासियों की मधुमेह के लिए जांच की गई थी।

(ख) ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि मधुमेह के रोगियों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। तथापि, आंकड़ों के विश्लेषण से केवल गैर-इन्सुलिन आसित डायबिटीज मलीटस के रोगियों में वृद्धि का पता चलता है।

(ग) और (घ) जी, हां। मधुमेह के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. अधिक वजन (मोटापा)।
2. अधिक कैलोरी वाले आहार का उपभोग :
3. आहार में परिष्कृत कारबोहाइड्रेट का अधिक अनुपात में उपभोग।
4. आहार में वसा का अधिक अनुपात में उपभोग।

5. शारीरिक कार्यकलाप और शारीरिक व्यायाम की कमी।

6. जीवनयापन की बदलती शैली।

अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

788(. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शहरी विकास मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में 21 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्नसंख्या (7) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1991 तक जल आपूर्ति के सम्बन्ध में शत प्रतिशत तथा सीवर और स्वच्छता के मामले में 80 प्रतिशत जनसंख्या को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 1989 तक श्रेणी एक, श्रेणी दो तथा अन्य नगरों की ठीक कितने प्रतिशत जनसंख्या को नियमित और विश्वसनीय जल आपूर्ति तथा सीवर एवं स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) 31 मार्च, 1989 तक इन दो कार्यों के मामले में प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता हेतु कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में इस कार्य हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जैसी कि राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचना भेजी है। शहरी जल पूर्ति तथा स्वच्छता के अन्तर्गत लाभान्वित जनसंख्या की प्रतिशतता 31-3-87 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 79.24 प्रतिशत तथा 40.37 प्रतिशत है।

(ख) 31-3-87 की स्थिति के अनुसार इन दो कार्यों के मामलों में प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान उपयोग किए गए शहरी जल पूर्ति तथा स्वच्छता का कुल परिव्यय संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के नियतन को अभी भी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण-1

31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार शहरी जल पूर्ति तथा स्वच्छता जनसंख्या कवरेज का स्तर

(जनसंख्या हजारों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च, 1987 के अनुसार जनसंख्या	मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार कवरेज जलपूर्ति जनसंख्या	जलपूर्ति प्रतिशतता	स्वच्छता जनसंख्या	स्वच्छता प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश*	14200	9301	62·42	2376	15·94
2.	अरुणाचल प्रदेश*	120	120	100·00	120	100·00
3.	असम*	2347	881	37·53	369	15·72
4.	बिहार	9669	6148	63·58	3713	38·40
5.	गोवा	480	391	81·45	136	28·33
6.	गुजरात	13146	12272	93·35	10415	79·22
7.	हरियाणा	3211	3211	100·00	1135	35·34
8.	हिमाचल प्रदेश	393	365	92·87	73	18·57
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1615	1534	94·98	111	6·873

1	2	3	4	5	6	6
10.	कर्नाटक	12742	12578	98·82	7628	59·86
11.	केरल	5495	3606	65·62	1627	29·60
12.	मध्य प्रदेश	12478	10043	80·48	1214	9.729
13.	महाराष्ट्र	26027	25951	99·70	16196	62·22
14.	मणिपुर	530	400	75·47	50	9·433
15.	मेघालय	287	142	49·47	60	20·90
16.	मिजोरम	140	26	18·57	2	1·428
17.	नागालैंड	161	32	19·87	10	6·211
18.	उड़ीसा*	3573	1326	37·11	959	26 84
19.	पंजाब	5308	3778	71·17	2709	51·03
20.	राजस्थान=	7667	4181	54·53	695	9·064
21.	सिक्किम	146	98	67·12	38	26·02
22.	तमिलनाडु	17604	15534	88·24	8344	47·39
23.	त्रिपुरा*	344	183	53·19	39	11·33
24.	उत्तर प्रदेश	21687	15029	69·29	3034	13·98
25.	पश्चिमी बंगाल	16221	11078	68·29	6424	39·60
राज्यों के लिए योग :		176291	138209	78·39	67477	38·27

1	2	3	4	5	6	7
संघ राज्य क्षेत्र :						
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	69	69	100·00	69	100·00
27.	चण्डीगढ़	613	613	10)·00	613	100·00
28·	दादर तथा नगर हवेली ?	19	14	73·68	7	36·84
?9.	दमन तथा द्वीव 1					
30.	दिल्ली	7166	6950	96·98	6195	86·44
31.	लक्षद्वीप "	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	373	373	100·00	144	38·60
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योग :		8240	8019	97·31	7028	8529

टिप्पणियां :

* 31-3-1987 को समाप्त अवधि के लिए शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता के कवरेज की सूचना राज्यों द्वारा अभी भी प्रस्तुत की जानी है।

= राजस्थान के बारे में, शहरी स्वच्छता के कवरेज के आंकड़े, शहरी जलपूर्ति के आंकड़े से ऊंचे हैं। राज्य ने अभी संगत आंकड़े प्रस्तुत करने हैं।

1 गोवा राज्य में शामिल सूचना।

" लक्ष्य द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में कोई शहरी क्षेत्र नहीं है।

? राज्यों द्वारा 31-3-87 को समाप्त हुई अवधि के लिए पुनसंकालित, आंकड़े अभी प्रस्तुत किये जाने हैं।

विवरण 2

शहरी जल पूर्ति तथा स्वच्छता परिव्यय/व्यय—सातवीं योजना।

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1985-86 परिव्यय	व्यय	1986-87 परिव्यय	व्यय	1987-88 परिव्यय	व्यय	1988-89 परिव्यय	व्यय (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	आंध्र प्रदेश	2296·00	2544·00	2800·00	3145·00	4400.00	3961·00	4500·00	4900·00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	110·00	150·01	150·00	187·64	250·00	267·87	119·00	188·00	
3.	असम	690·00	302·00	400·00	254·25	400·00	386·00	389·00	391 00	
4.	बिहार	1294·00	1213·00	1400·00	1965·00	1530·00	1177·17	980·00	930·00	
5.	गोवा	737·00	682·32	845·00	715·51	950·00	1102·41	950·00	1578·42	
6.	गुजरात	2845·00	4214·88	3255·00	3357·35	3593·00	3584·23	4850·00	4209·00	
7.	हरियाणा	316·00	265·78	271·00	257·85	712·00	262·17	712·00	712·00	
8.	हिमाचल प्रदेश	169·00	149·19	210·00	136·06	350·00	233·13	213·00	530·00	
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1420·00	1273·55	1700·00	1013·00	1525·00	2138·77	1439·00	1986·21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	कर्नाटक	1725·00	1284·59	1925·00	1216·01	3850·00	2473·62	2589·00	2785·00
11.	केरल	719·00	863·66	1100·00	747·30	600·00	808·81	485·00	557·00
12.	मध्य प्रदेश	2548·00	1661·00	2900·00	2668·00	2900·00	2481·25	2700·00	3223·48
13.	महाराष्ट्र	13954·00	14471·72	19105·00	14431·58	17147·00	10174·63	18978·00	18942·45
14.	मणिपुर	270·00	205·20	223·00	244·03	295·00	269·00	245·00	245·00
15.	मेघालय	456·00	385·00	300·00	196·00	317·00	232·30	273·09	272·00
16.	मिज़ोरम	296·00	418·00	465·00	448·00	385·00	382·32	371·00	371·00
17.	नागालैंड	213·00	81·24	200·00	125·54	246·00	206·90	270·00	260·00
18.	उड़ीसा	495·00	494·02	675·00	503·33	600·00	649·92	641·00	656·70
19.	पंजाब	677·00	499·50	586·00	547·00	600·00	545·00	396·09	501·00
20.	राजस्थान	1346·00	1055·00	1265·00	1257·00	2100·00	1553·44	2650·00	2780·00
21.	सिक्किम	179·00	233·00	185·00	185·00	200·00	152·50	175·00	175·00
22.	तमिलनाडु	7532·00	6685·00	9000·00	4183·41	12589·00	6326·63	13408·00	11189·38
23.	त्रिपुरा	233·00	164·92	225·00	213·34	215·00	217·37	215·00	215·00
24.	उत्तर प्रदेश	1729·00	2123·98	2237·00	2812·59	3425·00	2938·96	3773·00	2954·00
25.	पश्चिम बंगाल	600·00	705·50	800·00	823·00	580·00	659·92	543·00	659·00
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	127·00	123·00	68·00	69·47	73·00	109·01	75·00	75·00
27.	चण्डीगढ़	501·06	648·00	501·00	501·00	338·00	338·00	345·00	345·00

1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
28.	दादर तथा नगर हवेली	9·01	8·00	6·00	0·00	4·00	0·00	8·00	8·20
29.	दमन तथा द्वीप	—	—	—	—	—	127·78	152·00	148·10
30.	दिल्ली	4511·00	4338·00	5373·00	5130·00	6164·00	5917·00	6934·00	6894·00
31.	लक्षद्वीप	4·00	0·00	5·00	0·00	0·00	0·00	0·00	0·00
32.	पांडिचेरी	113·00	74·72	107·00	82·00	102·00	151·38	106·00	97·28
	योग :	48159·06*	47197·78	58272·00"	47405·16	66480·00	49969·34	69481.00	68778·22

* ग्रामीण सफाई के लिए भी 1379/-लाख रुपये शामिल हैं ।

" ग्रामीण स्वच्छता के लिए भी 866/-लाख रुपये शामिल हैं .

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम का कार्यान्वयन

7881. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शहरी विकास मन्त्री शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन के बारे में पूछे गए दिनांक 22 अगस्त, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 354 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन (अधिनियम, 1976 में प्रयुक्त कुछ शब्दों जैसे परिवार, खाली भूमि अनुलग्न भूमि की परिभाषा में संशोधन तथा इस अधिनियम के उचित कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकार को कुछ शक्तियों के प्रत्यायोजन को अभिनिर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम में किए गये संशोधन की एक व्यापक गुणात्मक संवीक्षा करने सम्बन्धी सुझावों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सही ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या अभिज्ञान समस्याओं का एक व्यापक सर्वसम्मत हल निकालने तथा इस अधिनियम के कार्यान्वियन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1975 में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

लिंग (निर्धारण) परीक्षण के कारण मादा भ्रूण हत्याओं में वृद्धि

7882. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लिंग निर्धारण परीक्षण के परिणामस्वरूप मादा भ्रूण हत्याओं में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अद्यतन वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस चिन्ताजनक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि सरकार को लिंग निर्धारण के परीक्षण के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों और विज्ञापनों की जानकारी है।

(ग) और (घ) सरकार प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों, जिनसे भ्रूण के लिंग का पता चलता है, के प्रयोग तथा इसके दुरुपयोग को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार कर रही है।

जनता ऊनी कपड़ा योजना

7883. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री हरिहर सोरन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों को रियायती दरों पर जनता ऊनी कपड़ा देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब से लागू किया जायेगा ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों को कितनी-कितनी मात्रा में यह कपड़ा दिये जाने का विचार है; और

(घ) क्या शेष राज्यों विशेषकर पहाड़ी राज्यों को भी यह सुविधा देने के लिए व्यवस्था की जायेगी और ऐसा कब तक किया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) वस्त्र नीति, 1985 में दिए गए प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार ने "ऊनी जनता कपड़ा योजना" नामक एक योजना की घोषणा की है ताकि देश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को ऊनी कपड़ा और कम्बल उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इस योजना का यह भी अभिप्राय है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां ऊनी हथकरघा कपड़ों का उत्पादन होता है, बेरोजगारों और कम रोजगार हथकरघा बुनकरों को रोजगार दिया जाए। यह योजना उस समय चल रही हथकरघा जनता कपड़ा योजना के एक भाग के रूप में 1 अप्रैल, 1989 से चलाई जानी है। यह निश्चय किया गया है कि ऊनी जनता कपड़ा योजना को शुरू में 9 राज्यों अर्थात्—उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में चलाई जाए। अन्य राज्यों को, जहां ऊनी हथकरघा कपड़े का उत्पादन होता है, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यथासमय शामिल किया जायगा। वर्ष 1989-90 में संपूर्ण देश के लिए ऊनी जनता कपड़ा उत्पादन का प्रायोगिक लक्ष्य 1·40 मिलियन वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त प्रायोगिक लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

राज्य	1989-90 के लिए लक्ष्य (मिलियन वर्गमीटर में)
1. आन्ध्र प्रदेश	0·10
2. गुजरात	0·10
3. हरियाणा	0·10
4. हिमाचल प्रदेश	0·10
5. जम्मू और काश्मीर	0·20
6. कर्नाटक	0·10
7. पंजाब	0·10
8. राजस्थान	0·10
9. उत्तर प्रदेश	0·50
योग :	1·40

इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन के लिए इस समय पांच ऊनी मदों अर्थात शोडी कम्बल, प्लेन शोडी शाल, प्लेन प्योर वूल शालें, लोई/पट्टू या मर्दानी शालें और रनिंग लेन्थ में ऊनी कपड़ा, उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। इस योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण बुनकर सहकारी समितियों या सीधे ही सूचीबद्ध बुनकरों के माध्यम से उन्हें उत्पादन के लिए अपेक्षित यार्न उपलब्ध कराके, ऊनी जनता का कपड़ा का उत्पादन करेंगी। इस योजना के अन्तर्गत बुनकरों की यार्न की संपूर्ण आवश्यकता कार्यान्वियन अभिकरणों द्वारा पूरी की जाएगीं। इस योजना के अन्य पैरामीटर वही होंगे जो सूती जनता कपड़ा योजना के कार्यान्वियन के लिए विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों को शासित करते हैं उपर्युक्त ऊनी कपड़ा उत्पादों के उत्पादन पर केन्द्र सरकार का उपदान 11/-रु० प्रति वर्गमीटर होगा।

कम लागत के मकानों के निर्माण के लिए पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग करना

7884. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण लागत में वार्षिक वृद्धि की दर क्या है;

(ख) क्या पश्चिमी देश निर्माण लागत को कम करने हेतु अधिकतर पूर्वनिर्मित भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसी पूर्वनिर्मित भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1986 से 1988 की अवधि के लिए और 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रमुख भवन निर्माण सामग्रियों के थोक मूल्य सूचकांक संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्रियों सहित औद्योगिकीकृत आवास प्रणाली का विकसित देशों में व्यापक उपयोग किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था/जलवायु परिस्थितियों पर पूर्व निर्मित प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा जांच की जा रही है परन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

1986 से 1988 की अवधि तथा जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रमुख भवन निर्माण सामग्रियों के लिए थोक लागत सूचकांकों का विवरण

मदें	वार्षिक 1986	वार्षिक 1987	वार्षिक 1988	जनवरी 1989
ईंटें	843·8	892·8	965·6	1035·0
टाइलें	501·7	574·8	578·6	614·6
शीशे की सीटें	448·[illegible]	457·3	465·0	549·3
सेनिटेरी वेयर	400·0	396·5	404·2	414·0
सीमेंट	470·4	475·3	484·8	457·7

सलाखें तथा छड़ें	581·0	582·7	665·8	685·8
संरचनात्मक	544·2	545·1	593·5	609·4
बोल्टस तथा न2	535·4	567·2	840·0	1140·1
सहतीर तथा लकड़ी	873·8	907·3	1124·4	1186·5
रोगन तथा वारनिश	440·7	492·8	537·1	564·7
प्लाईवुड	367·5	367·5	415·4	421·0

कोल्हापुरी चप्पलों के र्निाण में लगे श्रमिक

[हिन्दी]

7885. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलों के बनाने के काम में लगे श्रमिकों को स्थिति सुधारने की दृष्टि से वर्ष 1965 में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशें लागू कर दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? और

(ग) क्या सरकार का इस व्यवसाय में लगे श्रमिकों की दुर्दशा को देखते हुए उनकी स्थिति सुधारने हेतु एक समिति गठित करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय को ऐसी किसी समिति के होने की जानकारी नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं

7886. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए लम्बित हैं; और

(ख) वर्ष 1988 के दौरान उत्तर प्रदेश की जिन बिद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई है, उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 31-3-89 तक मंजूरी के लिए लम्बित विद्युत परियोजनाओं के नाम :

क्र० सं०	नाम
1.	कोटेश्वर बांध
2.	132 कि० वाट सूरजपुर सब-स्टेशन से सूरजपुर में उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग निगम के लिए 33 किलोवाट डी/सी विद्युत लाइन

(ख) उत्तर प्रदेश की उन विद्युत परियोजनाओं की सूची जिन्हें 1988 के दौरान मंजूरी दी गई है :

क्र० सं०	नाम
1.	काटपाथर जल विद्युत परियोजना

"वनों में आग पर नियंत्रण के लिए हेलीकाप्टरों का प्रयोग"

7887. **श्री हरीश रावत :** क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों में आग के कारण प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना नुकसान होता है;

(ख) क्या वनों में आग बुझाने और उस पर नियंत्रण के लिए हेलीकाप्टरों के बड़े पैमाने पर प्रयोग की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानतः प्रतिवर्ष औसतन 14.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जला जिससे लगभग 390 लाख रुपए औसत क्षति हुई।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के राज्यों में 1984 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायित "आधुनिक दावानल नियंत्रण" परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि हेलिकाप्टरों से वनों की आग को रोकने, उसका पता लगाने और बुझाने के सिद्धांतों और तकनीकों को तैयार किया जा सके, उनका परीक्षण और प्रदर्शन किया जा सके इस पर मार्च 1989 तक 14,18,569 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग की स्थिति

7888. **श्री हरीश रावत :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग संबंधी कार्य-दल ने उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) वस्त्र उद्योग संबंधी 8 वीं योजना कार्यदल की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

चावल वसूली की प्रणाली

7889. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के खरीफ के मौसम के दौरान चावल का रिकार्ड उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिकार्ड उत्पाद के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चावल की कम वसूली की है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87, 1987-88 और वर्ष 1988-89 के दौरान क्रमशः कितने-कितने चावल की वसूली की गई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कम वसूली के कारण विदेशों से चावल आयात किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में अधिक उत्पादन के बावजूद कम वसूली को ध्यान में रखते हुए, चावल वसूली की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, खरीफ, 1988-89 के दौरान 62.7 मिलियन मीटरी टन के आस-पास चावल का रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग)

विपणन मौसम	चावल की वसूली (चावल के हिसाब से धान समेत) (लाख मीटरी टन में)
1986-87	91.56
1987-88	68.94
1988-89 (28-4-89 को)	70.70

(घ) 1986-87 और 1987-88 के दौरान चावल का कोई आयात नहीं किया गया था। 1988-89 के दौरान 6.84 लाख मीटरी टन चावल का आयात किया गया है क्योंकि 1987 के भयंकर सूखे के कारण 1987-88 के दौरान चावल की कम वसूली होने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ने की वजह से बफर स्टाक कम हो गया था।

(ङ) जी नहीं।

महाराष्ट्र में परती भूमि विकास केन्द्र

[अनुवाद]

7890 **श्री बालासहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में परती भूमि विकास के लिए परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा कितने केन्द्र स्थापित किए किये हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा कुल अलग-अलग कितने वन और कृषि क्षेत्र का विकास किया गया; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान इन प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र में परती भूमि विकास के लिए कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। राज्यों में परती भूमि विकास कार्यक्रम राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाता है।

(ख) बोर्ड का कार्यक्रम इस समय वनीकरण के माध्यम से परती भूमि के विकास पर केन्द्रित किया गया है। महाराष्ट्र में विगत दो वर्षों के के दौरान की गयी प्रगति नीचे दी गई है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
	(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)	
1987-88	1.30	1.53
1988-89	1.65	2.05

(ग) विगत दो वर्षों में वनीकरण कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	परिव्यय (लाख रुपयों में)
1987-88	1403.50
1988-89	1245.63

अपौष्टिक खाद्य-पदार्थ की बिक्री

7891. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकार की संसाधित खाद्य-पदार्थों को प्रोत्साहन देने की नीति के कारण स्वास्थ्य वर्द्धक खाद्य-पदार्थों के नाम पर और अधिक अपौष्टिक खाद्य पदार्थ बाजार में आते जा रहे हैं;

(ख) क्या संसाधित खाद्य-पदार्थों के लाभ केवल बिचोलियों, खाद्य-पदार्थ संसाधकों, विपणन-कर्ताओं तथा निर्यातकों को ही मिल रहे हैं तथा किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य एसोसिएशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित विश्लेषणात्मक समाचार-रिपोर्ट "जंक फूड्स इन हेल्थ फार मिलियन्स" (अक्तूबर, 1988) की ओर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क), (ग) और (घ) सरकार ने जंक फूड की बिक्री के बारे में लेख देखा है जो अक्तूबर, 1988 में "हेल्थ फार मिलियन्स" अंक में प्रकाशित हुआ था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी खाद्य

अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अन्तर्गत सभी खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य करते हैं।

(ख) संसाधित खाद्य मंत्रालय से एकत्र की गयी सूचना के अनुसार खाद्य संसाधित उद्योगों द्वारा भरमार वाले मौसम में उनके "निकृष्ट" फलों, अधिक मात्रा में पैदा हुए फलों और सब्जियों को खरीद कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। जो फल एक जैसे रंग, शक्ल और आकार के नहीं होते अथवा ओला वृष्टि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, को भी खाद्य संसाधित उद्योगों को बेच दिया जाता है। बिचौलिए, और परिवहन मालिक किसानों से फल और सब्जियां लाकर उन्हें संसाधित उद्योगों को भेजकर अपनी आजीविका कमाने में समर्थ होते हैं। खाद्य संसाधक, श्रमिकों, तकनीकी व्यक्तियों और प्रशासकों को सीधे रोजगार प्रदान करने में समर्थ होते हैं। वे अपने परिवारों और साझीदारों और निदेशकों के परिवारों के लिए भी आजीविका कमाने में समर्थ होते हैं। थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता सारे वर्ष होटलों, रेस्टोरेंटों आदि को संसाधित फल और सब्जियां बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। विदेशी मुद्रा कमाने वाले निर्यातक निर्यात प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने और अपने परिवारों के लाभ के लिए अपनी आजीविका कमाने में समर्थ होते हैं।

इसके अतिरिक्त किसान व विचौलिए, खाद्य संसाधक, विपणनकर्ता, परिवहन मालिक, निर्यातक और जहाज एजेंट भी इन उद्योगों से अपनी आजीविका कमाते हैं।

रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम की निगरानी हेतु तन्त्र की स्थापना

7892. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोग प्रतिरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी, जांच मूल्यांकन और निरीक्षण के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता लेने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्यक्रम जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानिटर किया जा रहा है। मन्त्रालय के अधिकारी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए राज्य मुख्यालयों का दौरा करते हैं। समय-समय पर कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण किए जाते है। इसके अलावा कोटा, ठाणे, सागर, भड़ोच, हसन, कुरुक्षेत्र और मदुरै जिलों में गहन समीक्षा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा इस समूचे कार्यक्रम की राष्ट्रीय समीक्षा आयोजित की जा रही है और कार्यक्रम के कार्यान्वियन की कोटि का मूल्यांकन करने के लिए स्वावलम्बी विशेषज्ञों के दलों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किये गए लगभग 50 जिलों का दौरा किया जाएगा।

(ग) सरकार इस कार्य में स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग का स्वागत करती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु कर्नाटक को हुडको द्वारा सहायता

7893. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों/एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रोंवासों के निर्माण हेतु हुडको से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता राशि मांगी गई है;

(ग) कितने छात्रावासों का निर्माण करने का विचार है;

(घ) क्या हुडको ने इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि मंजूर की है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गयी तथा प्रदान की गई ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्नाटक में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक केन्द्र

7894. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में आयुर्वेद काफी लोक प्रिय हुआ है;

(ख) क्या सरकार का भारतीय चिकित्सा पद्धति, विशेषरूप से आयुर्वेद, को प्रोत्साहन देने के लिए कर्नाटक में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कर्नाटक में 8 कालेजों, 16 अस्पतालों, 507 औषधालयों में आयुर्वेद सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा 1952 पंजीकृत चिकित्सक है जिससे पता चलता है कि कर्नाटक में यह पद्धति लोकप्रिय है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका मार्किटों में दुकानों के आबंटितियों को स्वामित्व अधिकार

7895. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका मार्किटों में आबंटितियों को स्वामित्व का अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका मार्किटों में दुकानों के आवंटियों के मलिकाना अधिकारों को अन्तरिम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

"वोमेन अप इन आर्म्स अगेन्स्ट फैमिली प्लानिंग पालिसी" शीर्षक से समाचार

7896. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल 1989 के "हिन्दू" (दिल्ली संस्करण) में "वोमेन अप इन आर्म्स अगेन्स्ट फैमिली प्लानिंग पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें परिवार नियोजन नीति के कार्यान्वित के तरीके पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कारंवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) महिलाओं के एक संगठन संबला संघ से सम्बन्धित महिलाओं ने सरकार का दमनकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम के विरुद्ध नई सीमापुरी की पुनर्वास कालोनी के सरकारी औषधालय परिसर में प्रदर्शन किया। समाचार के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने शिकायत की कि औषधालय में आने वाली महिलाओं को डाक्टर नसबन्दी आपरेशन के लिए प्रेरित करते हैं। समाचार पत्र में अन्य वातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि सबला संघ द्वारा किए गये अध्ययन से यह पता चलता है कि नसबन्दी आपरेशन के बाद महिला को होने वाली स्वास्थ्य समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और महिलाओं को नसबन्दी आपरेशन के लिए बाध्य किया जाता है ।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि नसबन्दी आपरेशन कराने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता है और यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है। आपरेशन के बाद परिचर्या न किए जाने के दोषारोपण को भी गलत बताया गया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए राशि

7897. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तत्सम्बन्धी राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों में 8.00 करोड़ रुपए (आठ करोड़ रुपये) की राशि की व्यवस्था की गयी है। सहभागी राज्यों को नियतन परियोजना के आधार पर उनके मूल्यांकन पर किया जायेगा ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एम० डी० एम० एस० पाठ्यक्रमों में आरक्षण

7898. **श्री मानकू राम सोडी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० डी०/एम० एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) विभिन्न मेडिकल संस्थानों से एम० डी०/एम० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कितने प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं;

(ग) क्या इस नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है; और

(घ) क्या हरियाणा मेडिकल कालेज में ऐसी कोई आरक्षण नीति नहीं है यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की शिफारिशों में एम० डी०/एम० एस० पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, नीति के तौर पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः कुल सीटों की 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं।

(घ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाने हेतु मृत्यु की कानूनी परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव

7899. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मरणासन्न व्यक्तियों के अंग से अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाने के लिये भारत में मृत्यु की कानूनी परिभाषा को बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता समिति तथा भारतीय सामाजिक एवं नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के सन्दर्भ में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी; और

(ग) यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है। मृत्यु की कानूनी परिभाषा को बदलने के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सफदरजंग अस्पताल में दूषित दवा का इंजेक्शन लगाने के कारण मृत्यु

7900. **डा० बी० एल० शैलेश** :

श्री के० प्रधानी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को तथा-कथित दूषित दवा

का इंजेक्शन लगाने के बाद एक युवा रोगी की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा करायी गई जाँच का क्या परिणाम निकला;

(ख) यदि हां, तो सप्लाईकर्ता फर्म को इसका आर्डर किस प्रकार दिया गया और क्या सप्लाई स्वीकार करने से पूर्व इस बारे में क्या जांच की गयी थी;

(ग) रिंगर लेक्टे नामक इंजेक्शन की दवा तैयार करने वाली तथा सप्लाई करने वाली इन्दौर की फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(घ) भविष्य में ऐसे घटिया और नकली इन्जेक्शनों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) प्रारम्भिक जांच चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा की गयी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अशोक कुमार नामक एक रोगी की सफदरगंज अस्पताल में मृत्यु हुई परन्तु उसकी मौत आयी वी फ्लूड या रिंगर लैक्टेट्स के इस्तेमाल के कारण हुई नहीं बतायी गयी हैं।

राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में "एड्स" के रोगियों की चिकित्सा

7901. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने "एड्स" के रोगियों की चिकित्सा की गयी है; और

(ख) इन राज्यों मे राज्य-वार और वर्षवार अस्पतालों में एड्स के रोगियों के उपचार की दर क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और गुजरात से 4 एड्स के रोगियों की सूचना मिली है। एक विदेशी को, जिसे एड्स हो गया था, यहाँ से वापस भेज दिया गया।

उत्तर प्रदेश में दो व्यक्तियों को एड्स के संक्रमण होने का पता चला था। प्रतीत होता है कि दोनों को ही यह संक्रमण अफ्रीका में हुआ था। दोनों ही इस रोग से कालकवलित हो गए। एड्स के एक रोगी का उपचार सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में किया गया और वह इस रोग से काल-कवलित हो गया। यह एक भारतीय था, जिसे अफ्रीका में इस रोग का संक्रमण हुआ प्रतीत होता है।

एलिसा परीक्षण द्वारा जांच की जाती है, और वेस्टर्न ब्लाट टेस्ट द्वारा पुष्टि करने के लिए रोगी को रेफरेंस केन्द्र को भेजा जाता है, जो पर्याप्त है।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

7902. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** । क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में नारियल जटा उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) चालू वर्ष के लिये नारियल जटा के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री रफीक आलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कयर और कयर उत्पादों के निर्यात निम्नलिखित हैं :

	मात्रा (मेट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1986-87	23214	31.44
1987-88	25148	32.20
1988-89	25165 (अनन्तिम)	33.12 (अनन्तिम)

स्रोत : कयर बोर्ड ।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान 30 करोड़ रु० के कयर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ग) भारत के कयर निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गये कदमों में शामिल हैं, व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजना, बाजार अध्ययन और बाजार अनुसंधान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना और प्रकाशन सामग्री का वितरण करना, बड़े-बड़े बाजारों में मेलों में भाग लेना, कयर उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना, नकद मुआवजा सहायता देना आदि ।

"केरल में वन भूमि को लीज पर देना परिवर्तित करना"

7903. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत केरल सरकार से वन को लीज पर देने/परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवश्यक मंजूरी प्रदान किये गये और लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त लंबित प्रस्तावों की मंजूरी कब प्रदान किये जाने की आशा है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) केरल सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अब तक मंजूरी के लिए कुल मिलाकर 95 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15-4-89 तक 48 मामले मंजूर किए गये हैं, 22 मामले गुणदोष के आधार पर नामंजूर किये गए और 20 मामले सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर किए गये हैं। केरल राज्य सरकार ने चार मामले वापस ले लिए और एक मामला विचाराधीन है जिसे आस्थगित रखा गया है । इस प्रकार केरल राज्य का कोई मामला लम्बित नहीं है ।

केरल में हाथी पांव के रोगियों की संख्या

7904. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों में हाथी पांव के कितने रोगियों का पता लगाया है; और

(ख) इस रोग की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में पता लगाए गये रोगियों की संख्या इस प्रकार है :

1985		1986		1987	
जांच किये गए रोगियों की संख्या	सक्रिय रोगियों की संख्या	जांच किए गए रोगियों की संख्या	सक्रिय रोगियों की संख्या	जांच किए गए रोगियों की संख्या	सक्रिय रोगियों की संख्या
41122	446	34545	401	48579	664

वर्ष 1988 की सूचना अभी राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यूनिटों से मिलनी बाकी है।

(ख) इस समय देश में 203 नियंत्रण यूनिटें, 27 सर्वेक्षण यूनिटें और 186 फाइलेरिया क्लीनिक कार्य कर रहे हैं जिसमें शहरी क्षेत्रों में फाइलेरिया को फैलने से रोकने के लिए केरल राज्य में 16 नियन्त्रण यूनिटें, 2 सर्वेक्षण यूनिटें और 11 क्लीनिक शामिल हैं। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों में जो शामिल हैं, वे है : वैक्टर संख्या को कम करने के लिए मच्छर पलने वाले स्थानों पर सप्ताह में एक बार मच्छर पलने वाले स्थानों पर सप्ताह में एक बार मच्छर लार्वानाशी तेल का छिड़काव करके लार्वारोधी उपाय और सूक्ष्म-फाइलेरिया वाहकों और ऐन्सेफ्लाइटिस के रोगियों का उपचार करने के लिए रात्रि में रक्त सर्वेक्षण करना।

इसके अतिरिक्त जीव विज्ञानियों नियन्त्रण और पर्यावरणात्मक नियन्त्रण उपायों के माध्यम से उत्पत्ति-स्थान घटाने सम्बन्धी उपाय भी किए जाते हैं।

अनुसूचित अनुपात वाले औषध मिश्रणों की बिक्री

7905. **श्री राम कुमार दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक अनुसूचित अनुपात वाले औषधि मिश्रणों की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी मिश्रणों के क्या नाम है और उनकी कब से बिक्री की जा रही है; और

(ग) बाजार से इन्हें वापस लेने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों में नियुक्त किये गये लाइसेंसिंग प्राधिकारी औषधों/औषध सम्मिश्रणों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करते हैं। तथापि सम्मिश्रणों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने में कोई एकरूपता नहीं है। केन्द्र सरकार ने सम्मिश्रणों की लाइसेंसिंग को एकरूपता देने के लिए हाल ही में औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपबन्धों का संशोधन किया है। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा औषधों के असंगत सम्मिश्रणों की लाइसेंसिंग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है कि किसी सम्मिश्रण के पंजीकरण से पहले आवश्यक तकनीकी डेटा प्रस्तुत किया जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा उन लाइसेंसों की पृथक-पृथक रूप से ब्यौरेवार मानीटरिंग नहीं की जाती जो राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने प्रदान किये हैं।

औषध परामर्शदात्री समिति द्वारा गठित एक विशेषज्ञ उप-समिति मिश्रित योगों की जांच के कार्य मे लगी हुई है जिसमें बाजार में बेचे जा रहे मिश्रणों की सुरक्षा, गुणकारिता और युक्तियुक्तता शामिल है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड और विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस शुदा 27 वर्गों के औषधि योगों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है। सूची संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

विवरण

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के खण्ड 26क के अन्तर्गत प्रतिबंधित औषध/योग

1. एमिडो पाइरिन
2. प्रदाहक-रोधी घटकों तथा प्रशंन्तकों सहित विटामिन के निर्धारित खुराकों वाले योग।
3. एनेल्जेसिक और एंटीफाइटेटिक्स में एस्ट्रोपोन के निर्धारित खुराक वाले योग।
4. टॉनिक्स में स्ट्राइपिन तथा कैम्पोबे के निर्धारित खुराक वाले योग।
5. टेस्टोस्टेरोन और विटामिन के साथ योहिम्बाइन तथा स्ट्राइपनोन के निर्धारित खुराक वाले योग।
6. स्ट्रिकनीन-अनिर्सेक और योहिम्बाइन के साथ निर्धारित खुराक वाले योग।
7. अन्य औषधों के साथ सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट के निर्धारित खुराक वाले योग।
8. फेनाकेटिन।
9. अतिसार-रोधी के साथ एंटी-हिस्टेमीनिक्स के निर्धारित खुराक वाले योग।
10. सल्फोनामाइड के साथ पेनिसिलिन के निर्धारित खुराक वाले योग।
11. एनेल्जेसिक के साथ विटामिन के निर्धारित खुराक वाले योग।
12. विटामिन "सी" के साथ टेट्रासाइक्लिन के निर्धारित खुराक वाले योग।
13. उन योगों जो अतिसार तथा पेचिश के उपचार में इस्तेमाल किए जाते हैं तथा जो केवल बाह्य इस्तेमाल के लिए होते हैं, को छोड़कर औषधों के हाइड्रॉक्सीक्वीनोलिन समूह के निर्धारित खुराक वाले योग।
14. किसी अन्य औषध के बाह्य उपयोग के लिए कोर्टीकोस्टरायड के निर्धारित खुराक वाले योग।
15. किसी दूसरी औषध के साथ बाह्य इस्तेमाल के लिए क्लोराम्फेनिकोल के निर्धारित खुराक वाले योग।

16. एरनाट के निर्धारित खुराक वाले योग।

17. पाइरिडाक्सिन हाइड्रोक्लोरिक (विटामिन बी-6) के साथ आइसोनाइजाइड के योगों को छोड़कर क्षयरोग रोधी औषधे तथा विटामिनों के निर्धारित खुराक वाले योग।

18. पेन्सिलिन स्तिन/आंखों का मरहम।

19. टेट्रामाइक्लिन घोल ओरल सभ्पाक।

20. नियालामाइड।

21. प्रेक्टोलोल।

22. मेथापाइरिलीन, इसके लवण।

23. मेथाक्आलीन।

24. आक्सीटेटा साइक्लिन घोल ओरल/सम्पाक।

25. हेपेस्लोसाइक्लिन घोल ओरल/सम्पाक।

26. अन्य औषधों के साथ एनाबोलिक स्टेरायड के योग।

27. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन के निर्धारित खुराक वाले योग।

(खाए जाने वाले गर्भ-निरोधकों को छोड़कर) जिसमें प्रति गोली ओस्टोजन घटक 50 एम० जी० से अधिक होता है (एथीपाइल एस्टेडायल के समतुल्य) और प्रोजेस्टीन का घटक 3 मि० ग्रा० (नोरेथिस्टेरोन एसिटट के समतुल्य) से अधिक होता है

औषध निर्माता कम्पनियों की परीक्षण प्रयोगशालाएं

7906. **श्री राजकुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषध निर्माता कम्पनियों की संख्या क्या है, जिनके पास जांच और विश्लेषण करने की पूर्ण सज्जित प्रयोगशालाएं नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके उत्पादों के नमूने लिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने नमूने लिये गये और उनके नमूने की जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : सरकार के पास उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि महाराष्ट्र में 93 यूनिटें ऐसी है जिनमें उनकी अपनी परीक्षण प्रयोगशालाएं नहीं हैं। इनमें से 54 यूनिटों ने आयुक्त, खाद्य और औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य के उन आदेशों के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं जिनमें उनसे विश्लेषण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) इन यूनिटों के 378 नमूने उठाए गए हैं इनमें 63 नमूने मानक गुणवत्ता के नहीं पाये गये हैं।

दिल्ली में प्रशिक्षुओं को वृत्तिका

[हिन्दी]

7907. **श्री सत्यनारायण पंवार :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा फैक्टरियों में प्रशिक्षुओं के रूप में भेजे जाने वाले तथा फैक्टरियों द्वारा चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षुता नियमों के अनुरूप वृत्तिका की पूरी राशि का भुगतान नहीं दिया जाता है और सरकारी छुट्टियों के लिए उनकी वृत्तिका की धनराशि में से कटौती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रशिक्षकों को पूरी वृत्तिका की अदायगी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उटाए गए हैं;

(ग) क्या देश में बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए वृत्तिका की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) शिक्षुओं को छात्रवृत्ति न देने के बारे में कुछ शिकायतें दिल्ली प्रशासन में प्राप्त हुई थीं। तथापि, सरकारी छुट्टियों के लिए छात्रवृत्ति में कोई कटौती नहीं की गई है।

(ख) प्रत्येक शिकायत का निपटान करने तथा शिक्षुओं को छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि की अदायगी के लिए कारंवाई की गई है। प्रतिष्ठानों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं कि शिक्षुओं को छात्रवृति की अदायगी केवल चैकों द्वारा ही की जानी चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

तमिलनाडु की नदियों में प्रदूषण

[अनुवाद]

7908. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में प्रदूषण से प्रभावित नदियों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और ये नदियां कितनी प्रदूषित हुई हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने तमिलनाडु में कावेरी व उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण स्रोतों का पता लगाने और जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सहयोग से कावेरी बेसिन/उप-बेसिन का अध्ययन किया। इसके अलावा, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।

इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों के अनुसार, कावेरी और तम्बीरापारनी के कुछ भाग प्रदूषित हैं और उनकी जल गुणवत्ता वांछित स्तर से नीचे है।

(ग) (1) नदी जल गुणवत्ता हेतु मानक निर्धारित किए गए है और जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए निगरानी की जा रही है।

(2) प्रमुख जल प्रदूषक उद्योगों से बहिस्रावों के विसर्जन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) उद्योगों और नगर पालिकाओं को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने बहिस्रावों को निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित करें।

(4) प्रमुख दोषी इकाइयों के खिलाफ मुकद्दमें चलाये गये हैं।

(5) कावेरी नदी, इसकी सहायक नदियां और कावेरी नदी बेसिन के अन्य जलस्रोतों की सफाई के लिए एक कावेरी कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के कार्यान्वियन पर गंगा कार्य योजना से प्राप्त अनुभव और निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

केरल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

7909. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पिछले तीन वर्षों से राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कोई मिल लाभ अर्जित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने कितना लाभ अर्जित किया है;

(ग) क्या सरकार का केरल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन किसी मिल को बन्द करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) केरल में एन०टी० सी० किसी भी मिल ने पिछले तीन वर्षों अर्थात 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान लाभ अर्जित नहीं किया है। तथापि एक मिल, अर्थात कन्नानूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कन्नानूर ने वर्ष 1988-89 के दौरान 3·89 लाख रु० (अनन्तिम) का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बन्द मिलों के कामगारों को रोजगार

7910. **प्रो मधु दंडवते** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों में बन्द होने के फलस्वरूप देश भर में कुल कितने कामगार बेरोजगार हुए हैं; और

(ख) इन बेरोजगार कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) दिनांक 28-2-89 की स्थिति के के अनुसार बंद पड़ी वस्त्र मिलों की नामावली में "कामगारों" की संख्या लगभग 1·85 लाख है।

(ख) वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि के अन्तर्गत पात्र मिलों के कामगारों को सहायता देने के अलावा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित कामगारों के पुनर्नियोजना/पुनर्वास के उपाय करें।

जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान में जूनियर इन्जीनियर/असिस्टेंट इंजीनियर

7911. **श्री गंगाराम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान में जूनियर इंजीनियरों (ई० एण्ड एम०) और असिस्टेंट इंजीनियरों (ई० एंड एम०) की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा भरा गया है; यदि नहीं, तो बकाया आरक्षित रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

श्रेणी	कुल संख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति
कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत तथा मेकेनीकल)	154	40
सहायक इंजीनियर (विद्युत एवं मेकेनिकल)	63	4

(ग) कनिष्ठ इंजीनियरों (विद्युत एवं मेकेनीकल) की श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कोटा पूर्ण है। सहायक इंजीनियरों की श्रेणी में अनुसूचित जाति के लिए दो पद तथा अनुसूचित जनजाति के लिए चार पद प्रोन्नति कोटा में पिछले बकाया है। ये पद भरे नहीं गए थे क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई उम्मीदवार 1985-86 के दौरान जब अन्तिम प्रोन्नति की गई थी, उपलब्ध नहीं था। सीधे भर्ती कोटा में दो रिक्तयां अनुसूचित जाति तथा एक रिक्ति अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित होती हैं। इन रिक्तियों में भर्ती के लिए कार्यवाही पहले ही चल रही है।

हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

7912. **श्री एन० डेनिस** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से विदेशों को निर्यात किया गया काफी मात्रा में हथकरघा वस्त्र क्रेताओं द्वारा निकासी न कराये जाने के कारण यूं ही पड़ा रहता है; और

(ख) यदि हां, तो इन हथकरघा वस्त्रों का निर्यात किन-किन देशों को किया गया था और कितनी मात्रा में हथकरघा वस्त्र निकासी के लिए पड़ा हुआ है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र से गुजरात को श्रमिकों का प्रवास

7913. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18-31 मार्च, 1989 की "फ्रंटलाइन" पत्रिका में "माइग्रेट माइ-माइजरी शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र से आए लगभग कितने श्रमिक दक्षिण गुजरात के सूरत और बालसाड जिलों के गन्ने के खेतों में काम कर रहे है;

(ग) प्रवासी श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए "बालवाडी" योजना सहित कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे प्रवासी कर्मकारों की संख्या के बारे में सूचना मंत्रालय में रखना सम्भव नहीं है, लेकिन प्रवासी कर्मकार विभिन्न श्रम कानूनों, जिनमें अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 प्रमुख हैं, का लाभ उठाते हैं। ठेकेदारों आदि द्वारा किए जा रहे प्रवासी कर्मकारों के शोषण को रोकने की व्यवस्था किए जाने के अतिरिक्त, इस अधिनियम में कर्मकारों को दिए जाने के लिये पीने के पानी प्रथमोपचार विश्राम कक्ष आदि जैसी कल्याणकारी सुविधाओं की भी व्यवस्था है। इस अधिनियम को प्रवर्तित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। अक्तूबर, 1988 में केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने सभी मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखा है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों का कारगर रूप से कार्यान्वयन करें।

(घ) यह सूचना प्राप्त की जा रही है कि क्या यह सरकार की योजना है और यदि हां, तो उसके ब्यौरे सभापटल पर रख दिए जाएंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान बढ़ाना

7914. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान 8·33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रावधान है, के उपबंधों को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस सुविधा का लाभ लगभग कितने कामगारों को प्राप्त होगा ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1988 में अन्य बातों के साथ साथ भविष्य निधि अंशदान की न्यूनतम दर को मूल मजदूरी के $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत बढ़ाकर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत करने तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी जांच, जो वह ठीक समझे, कराने के बाद भविष्य निधि अंशदान की दर को $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की शक्तियां प्रदान करने वाले समर्थक उपबंध करने की व्यवस्था की गई है। यह संशोधन पहली अगस्त, 1988 से लागू किया गया। अतः संशोधन अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि अंशदान की दर को $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत से और बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ठेका श्रम प्रणाली

7915. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में ठेका श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) ठेका श्रम नियोजन से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं तथा ये रखे नहीं जाते हैं। ठेका श्रम नियोजन को ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान बढ़ाना

7916. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने अथवा मिलों के आधुनिकीकरण किए जाने के कारण कुल कितने कपड़ा श्रमिक बेरोजगार हुए;

(ख) इस सम्बन्ध में बम्बई में कितने श्रमिक बेरोजगार हुए, और

(ग) सरकार का पूरे देश मे बेरोजगार हुए कपड़ा-श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण भारत और बम्बई में वस्त्र मिलों के बन्द होने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या निम्नलिखित है।

समाप्त वर्ष	सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के बन्द होने से प्रभावित कामगार (हजारों में)	
	अखिल भारत	बम्बई
1986	94·3	10·1
1987	171·4	14·0
1988	169·6	16·8

आधुनिकीकरण के कारण बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दी गई है कि वे प्रभावित कामगारों के पुनर्वास/पुनर्वियोजन के उपाय करें ।

उड़ीसा में कस्बों के विकास के लिए धनराशि

7917. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास के लिए कस्बावार अब तक कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या दी गई धनराशि का उपयोग किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कस्बों के विकास पर खर्च की जा रही धनराशि पर निगरानी रखती है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) एक अधीनस्थ कार्यालय, नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन के माध्यम से इस मन्त्रालय द्वारा इस योजना के कार्यान्वियन का प्रबोधन किया जाता है । निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सहायता किस्तों में दी जाती है । पहली किस्त परियोजना के अनुमोदन पर रिलीज की जाती है और बाद की किस्तें सामान्यतः रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता के 70 प्रतिशत से आधिक्य अर्हक व्यय और एक साथ ली गई राज्य के समान अंशदान के पश्चात दी जाती है ।

विवरण

छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को रिलीज की गई निधियों का शहरवार विवरण

क्र० सं०	शहर का नाम	छटी योजना के अन्त तक	सातवीं योजना के दौरान 31-3-1989 तक	योग
छठी योजना			**(लाख रुपयों में)**	
1.	बालासोर	40·00	—	40·00
2.	धनकानल	30·00	10·00	40·00

1	2	3	4	5
3.	जयपोर	28·00	12·00	40·00
4.	पुरी	37·00	3·00	4 ·00
5.	राउरकेला	40·00	—	40·00
6·	सम्बलपुर	37·50	—	37·50
7 वीं योजना				
7.	बारीपाडा	—	46·00	46 00
8.	बोलानगिर	—	45·00	45 00
9.	केओंझर	—	38·08	38·00
10.	कोरापुट	—	20·00	20·00
11.	पारादीप	—	18·00	18·00
	योग :	212·50	192·00	404·50

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में धूम्रपान पर रोक

7918. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का राजधानी में इसकी शुरूआत करके केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी रोक लगाने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन महीनों में नई दिल्ली में आयोजित एक विचार गोष्ठी में धूम्रपान के कानूनी, चिकित्सा कानूनी और मानवीय पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद धूम्रपान की भयंकर कुरीति पर रोक लगाने के लिए एक धूम्रपान निषेध कानून बनाने का सुझाव दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ङ) उक्त अपेक्षित कानून बनाने से पहले सरकार का कौन सा धूम्रपान निषेध अभियान चलाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) धूम्रपान से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने की दृष्टि से दिल्ली, केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों सहित, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे मनोरंजन के विभिन्न स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में मौजूदा कानून/अनुदेशों को लागू करें और इन्हें अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी अमल में लाएं।

(ग) स्वास्थ्य मन्त्रालय को पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित सेमिनार में दिए गए सुझावों यदि कोई हो, की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) धूम्रपान के स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से जन प्रचार के माध्यमों, सिनेमा स्लाइड और पम्पलेटों के जरिए एक देश व्यापी स्वास्थ्य शिक्षा अभियान शुरू किया गया है।

कुवैत में भारतीय मजदूर

7919. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत से लगभग 1200 भारतीय श्रमिकों को पहला दल, जिनमें से अधिकांश पर भारी कर्ज का बोझ है, 11 सप्ताह की हड़ताल की समाप्ति पर वापिस आ गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने श्रमिकों की कितनी अवधि के लिए उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके वेतन उन्हें शीघ्र दिलाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नैमित्तिक/ठेका श्रमिक प्रणाली

[हिन्दी]

7920. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस समय ठेका श्रमिक प्रणाली को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे नैमित्तिक श्रम पद्धति या ठेका श्रम पद्धति को प्रोत्साहन मिले।

(घ) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 में अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय परिस्थितियों में ठेका श्रम नियोजन को समाप्त करने तथा कतिपय प्रतिष्ठानों में इसे विनियमित करने की व्यवस्था की गयी है। इसमें ठेका श्रम पद्धति को पूर्णत: समाप्त करने की परिकल्पना नहीं की गयी है।

डी-रोधी टीके के निर्माण पर रोक

[अनुवाद]

7921. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में 3 प्रमुख निर्माताओं द्वारा डी-रोधी टीके के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या सुधारात्मक एवं उपचारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या कोई अन्य एकक, छोटे एवं बड़े इसी प्रकार के टीकों का निर्माण कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) रक्त उत्पादों के विनिर्माताओं को इनका निर्माण करने से नहीं रोका जाता है लेकिन उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होता है। इनमें प्रत्येक रक्तस्राव और पूल्ड प्लाजमा की जांच करना शामिल है ताकि रक्त उत्पादों का निर्माण करने के लिए केवल एच० आई० वी० प्रतिपिंडों से मुक्त रक्त प्लाजमा का ही इस्तेमाल किया जा सके। विनिर्माताओं के लिए रक्त/प्लेसेंटा सम्पर्कों में वाइरस का निष्क्रियकरण सुनिश्चित करने के लिए कोहन आनक्ले और अन्य तकनीकों को अपनाना भी जरूरी होता है।

(ग) मानव रक्त/प्लेसेंटा से लिए गये उत्पादों का निर्माण करने वाली यूनिटों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(घ) अत्यधिक सावधानी के रूप में राज्य औषध प्राधिकारियों को मार्च, 1989 में निदेश दिए गये थे कि अब तक निर्मित रक्त/प्लेसेंटा से लिए गये सभी रक्त उत्पादों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

विवरण

रक्त/प्लेसेंटा उत्पादों के विनिर्मिताओं की सूची

1. मैसर्स सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया, पुणे।
2. मैसर्स प्लाज्मा फ्रैक्शनस आफ इंडिया, बम्बई।
3. मैसर्स हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन, बम्बई।
4. मैसर्स भारत सीरमस एंड वैक्सीन्स, बम्बई।
5. मैसर्स इम्यु केमिया लेबोरेटरीज, बम्बई।
6. मैसर्स बायोजेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई।
7. मैसर्स क्यूरेबैल (इंडिया) लिमिटेड, फरीदाबाद।
8. मैसर्स कैमेक लेबोरेटरीज लिमिटेड, मद्रास।
9. मैसर्स एल्बर्ट डेविड लिमिटेड, कलकत्ता।

मानव रोगों के फैलाने वाले कीटों में कीटनाशकों के प्रति रोधात्मक शक्ति पैदा होना

7922. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, रोगवाही कीटों में कीटनाशकों के प्रति रोधात्मक शक्ति उत्पन्न हो गयी है और यदि हां, तो किन कीटों की जांच की गयी है और इनमें कीटनाशकों के प्रति कितनी रोधात्मकता पायी गयी है ;

(ख) क्या पांडिचेरी स्थित वैक्टर कंट्रोल रीसर्च लेबोरेटरी मनुष्यों के मलेरिया जैसे रोगों को फैलने वाले कीटों में कीटनाशकों के प्रति रोधात्मक शक्ति का पता लगाने के सम्बन्ध में कार्य कर रही है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई उपचारात्मक उपाय तैयार किये गये हैं; और

(घ) क्या कीटनाशकों के प्रति मलेरिया के रोगाणुओं में भी प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पन्न हो गई है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में अब तक मलेरिया के 9 रोगवाहकों पर किए गये अध्ययनों में, तीन रोगवाहक (ए० क्यूलिसिफेसिस, ए० एनालेरिस, ए० स्टीसेन्साइ) देश के कुछ भागों में प्रचलित कीटनाशकों का प्रतिरोध करने की शक्ति रखते हैं । जांचे गये कीटनाशक अधिकतर डी० डी० टी० डाइल्ड्रिन तथा मलाथियन हैं यह पाया गया कि ए० क्यूलिसिफेसिस में 261 जिलों में डी० डी० टी०, 261 में से 141 जिलों में डी० डी० टी० तथा डाइल्ड्रिन तथा इनमें से 62 जिलों में सभी तीन कीटनाशकों का प्रतिरोध करने की शक्ति पायी गई । ए० एनालेरिस में 45 जिलों में डी० डी० टी०, इनसे से 7 जिलों में डी० डी० टी० तथा डाइल्ड्रिन का प्रतिरोध करने की शक्ति रखता पाई गई । ए० स्टीफेन्साइ में उप जिलों में डी० डी० टी०, इनमें से 19 जिलों में डी० डी० टी० तथा डाइल्ड्रिन और 7 जिलों में भी तीन कीटनाशकों का प्रतिरोध करने की शक्ति पायी गयी ।

(ख) जी, हां । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत रोगवाहक नियंत्रक अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी, कीटनाशकों के प्रति मलेरिया और फाइलेरिया रोगवाहकों की अतिसंवेदनशीलता पर परीक्षण कर रहा है ।

फाइलेरियासिस फैलने वाली एक रोगवाहक प्रजाति (मान्सोनियोइड्स) में डी० डी० टी० का प्रतिरोध करने की शक्ति पायी गयी हालांकि बी० एच० सी० के प्रति यह ग्राह्य पाया गया । फाइलेरिया फैलाने वाली अन्य प्रमुख प्रजातियों के सम्बन्ध में परीक्षण जारी हैं ।

मलेरिया फैलने वाले एक रोगवाहक (एनोफ्लीस क्यूलिसिफेसीज) पर किये गये सुग्राह्यता अध्ययन में इस रोगवाहक में उड़ीसा के कोरापुट जिले में डी० डी० टी० बी० एच० सी० को हजम करने की शक्ति पायी गई ।

(ग) जो उपचारी उपाय किये गये हैं उनमें शामिल हैं :

—किसी कीटनाशक विशेष के प्रति रोगवाहक की प्रतिरोध शक्ति को देखते हुए दूसरे वैकल्पिक कीटनाशकों का प्रयोग जैसे डी० डी० टी०, बी० एच० सी० मलाथियन रोग वाहक की उत्पत्ति वाले स्थानों में कमी लाने पर बल देना ।

(घ) जी, हां । देश के कुछ भागों में विषैले किस्म के मलेरिया परजीवियों (पी० फाल्सीपेरम)

में क्लोरोक्विन औषध प्रतिरोध करने की शक्ति आ गयी है। इन क्षेत्रों में इस प्रकार के रोगियों के उपचार में सल्फा पाइरीमेथामीन जैसे वैकल्पिक औषध योग दिये जाते हैं।

यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईसेंस को मान्यता देना

7923. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

श्री शरद दिघे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल सांइसेस को वर्ष 1985 तक मान्यता प्राप्त थी और वर्ष 1985 के पश्चात् इस कालिज से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को स्थायी पंजीकरण, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश और भारत तथा विदेश में चिकित्सा प्रैक्टिस करने जैसे अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में ऐसे कालेजों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को स्थायी पंजीकरण तथा अन्य अधिकार दिये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के पक्षपात के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा पूरे देश में एक समान नीति अपनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : वर्ष 1980 के पश्चात् यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल सांइसेस में दाखिल किये गये छात्रों और अथवा अप्रैल, 1985 के पश्चात् उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का स्थायी पंजीकरण मिलना जारी है जो उन्हें सभी विशेषाधिकार प्रदान करता है, जैसे देश और विदेश में किसी भी जगह प्रैक्टिस करना और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश पाना।

(ख) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम० सी० आई०) को सम्पूर्ण भारत के लिए एवं उससे सम्बन्धित मामलों के लिए एक मेडिकल रजिस्टर का रख-रखाव करना होता है। एम० सी० आई० उपयुंक्त अधिनियम के अनुसार अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को निभाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सतर्कता सम्बन्धी मामलों का अन्तिम निपटान

7924. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितने अनुशासनिक तथा सतर्कता सम्बन्धी मामले शुरू किये गये।

(ख) कितने मामलों को अन्तिम रूप से निपटाया गया है और कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और इनमें विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) जिन मामलों को अन्तिम रूप से निपटाया गया है उनमें की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख)

	जारी किये गये आरोप पत्रों की संख्या	मामले निपटाये गये	लम्बित
1987-88	120	49	71
1988-89	45	08	37

बिलम्ब के कुछ कारण निम्नलिखित हैं :

1. प्राथमिक जांच तथा दोषी व्यक्ति को पहचान करने में समय लगना।

2. आरोप पत्र देने में बिलम्ब।

3. आरोपित कर्मचारियों द्वारा कागजातों का निरीक्षण तथा उनके द्वारा दिये गये उत्तरों को प्रस्तुत करने में समय लगना।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी० बी० सी०) के साथ परामर्श तथा सतर्कता विभाग द्वारा दिये गये उत्तरों की जांच।

(ग) दिया गया दण्ड :	कर्मचारियों की संख्या
(1) निन्दा	24
(2) रिकार्ड करने योग्य चेतावनी	11
(3) साधारण चेतावनी	11
(4) वेतन वृद्धि रोकी गई	37
(5) सेवा से हटाया गया	3
(6) दोष-मुक्त	4

(घ) (1) जिन विभागों का जनता से सीधा सम्बन्ध है उनमें पद्धतियों तथा प्रक्रियों का सरलीकरण किया गया है।

(2) जनता के मार्ग दर्शन के लिए शिक्षाप्रद एवं सूचनात्मक बुकलेट जारी की गयी जिसके करें तथा न करें निर्दिष्ट था।

(3) स्थानीय वास्तुकों को भवन नियम-उपनियमों के अन्तर्गत सी तथा डी फार्मों की जांच का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता अधिकारियों तक जनता को सीधे मिलना अनुमेय किया गया है।

(5) आवधिक आकस्मिक जांच की जाती है।

(6) दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचार निरोधी विभाग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के साथ घनिष्ट सम्पर्क रखा जाता है।

(7) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनता की कठिनाइयों की सुनवाई करना।

स्थाई मजूरी पुनरीक्षा निकाय

7925. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की पुनरीक्षा और संशोधन करने हेतु एक "स्थाई मजूरी पुनरीक्षा निकाय" स्थापित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ग) तत्सम्बन्धी वित्तीय पहलू क्या हैं;

(घ) "स्थाई मजूरी पुनरीक्षा निकाय" की स्थापना कब तक करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) सरकार ने यह आवश्यकता महसूस नहीं की है कि समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों की पुनरीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने के लिए एक स्थायी मजदूरी पुनरीक्षा निकाय गठित किया जाय।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीन से कच्चे रेशम की सप्लाई

7926. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से भारत को कच्चे रेशम की सप्लाई बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपने चीनी साझेदारों के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या चीन ने भारत को कच्चे रेशम की सप्लाई जारी रखने का आश्वासन दिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम

7927. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन जिलों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान सरकार का उड़ीसा राज्य के कुछ और राज्यों में कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) उड़ीसा में

निम्नलिखित जिलों को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के बहु-औषध उपचार के अन्तर्गत कर दिया गया है :

(ख) और (ग) जी, हां। उड़ीसा में चार और जिलों को बहु-औषध उपचार के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया गया है जैसे बोलनगीर, फुलबनी, सुन्दरगढ़, और कोरापुट। उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह आधारभूत ढांचे जिला कुष्ठ सोसायटियों की स्थापना आदि करके उन जिलों को बहु-औषध उपचार के लिए तैयार करे।

होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना

7928. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना के दौरान होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक इलाज को बढ़ावा देने तथा इसका दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) डिग्री स्तर तक चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का सरोकार है तथापि एक विशुद्ध केन्द्रीय स्कीम चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य अन्य विषयों के साथ-साथ होम्योपैथी में स्नातकपूर्व कालेजों का विकास करना है, जो स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे है अथवा जिनको राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हाथ में लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को इस स्कीम के अंतर्गत पुस्तक-बेंक स्थापित करने और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए 1.60 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने और इसे विनियमित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) होम्योपैथी में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए समान पाठ्यचर्या का निर्धारण करना।

(2) होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।

(3) डिप्लोमा अर्हताओं वाले व्यक्तियों के लिए सोपानबद्ध डिग्री पाठ्यक्रम तैयार करना।

(4) कालेजों में शिक्षण सुविधाओं, उपकरणों, आवास के निरीक्षण कालेजों तथा उनसे संबद्ध अस्पतालों में स्टाक के बारे में विनियमों का निर्धारण।

(ग) जी, हां। होम्योपैथी उपचार पद्धति पहले ही मान्यता प्राप्त है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की फरवरी, 1989 में हुई बैठक में यह संकल्प पारित किया गया था कि राज्य

सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार कल्याण के क्षेत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। परिषद ने यह संकल्प पारित किया था कि प्रत्येक राज्य में होम्योपैथी के लिए एक अलग निदेशालय होना चाहिए।

पुरानी दिल्ली में कटरों के मालिकाना अधिकार

7929. **श्री बी० एम० सईद :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी दिल्ली में कटरों के किराएदारों को, उनके मालिकाना अधिकार देने की योजना का सूत्रपात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दूषित औषध-द्रव्यों के कारण मृत्यु

7930. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अपने अस्पतालों और सी० जी० एच० एस० औषधालयों में रोगियों को देने से पूर्व सभी औषधियों, इंजेक्शनों, ग्लूकोस बोतलों आदि की जांच करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) चिकित्सा सामग्री डिपुओं द्वारा अस्पतालों/औषधालयों को केवल पूर्व-परीक्षित दवाइयां सप्लाई की जाती हैं। अतः केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में रोगियों को दवाई देने से पहले उनका परीक्षण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मधुमेह रोग शामिल किया जाना

7931. **श्री राज कुमार राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मधुमेह रोग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बंगाली मार्किट क्षेत्र के सरकारी क्वार्टरों में पानी का दबाव

7932. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बंगाली मार्किट क्षेत्र के सरकारी क्वाटरों में पानी का दबाव बहुत कम है और पानी की सप्लाई सीमित घंटों के लिए ही की जाती है;

(ख) क्या इससे इस क्षेत्र के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो अधिक घंटे पानी की सप्लाई करने तथा पानी का दबाव बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है जिसके आगामी गर्मी के मौसम में स्थिति ठीक हो जाये ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छ जल आपूर्ति प्रणाली का अध्ययन मैसर्ज टाटा परामर्शी इंजीनियर्स द्वारा किया गया है और परामर्शदाताओं की सिफारिश पर तिलक मार्ग पर दिल्ली नगर निगम से 115 लाख लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त पानी प्राप्त करने के लिए बड़े जलाशय का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। बंगाली मार्किट क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों को झण्डेवाला जलाशय से इसकी महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों के माध्यम से पानी दिया जा रहा है और जैसे ही तिलक मार्ग पर नये बड़े जलाशयों के लिये दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जायेगी तो इन क्वार्टरों में अबुल फजल रोड पानी बूस्टिंग स्टेशन के पम्पिंग मैनों से पानी की सप्लाई की जायेगी।

अस्पताल के प्रशासकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान की स्थापना

7933. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पताल प्रशासन के निम्न स्तर को देखते हुए सरकार का विचार अस्पताल के प्रशासकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो देश में अस्पताल प्रशासन में सुधार लाने के लिये किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) : राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली अस्पताल प्रशासन सम्बन्धी सेवा कालीन पाठ्यक्रम चला रहा है। अस्पताल प्रशासन सम्बन्धी डिग्री पाठ्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में चलाया जा रहा है । अस्पताल के प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अस्पताल प्रशासन में सुधार लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है ।

बंगाली मार्किट क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव

7934. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली मार्किट क्षेत्र, नई दिल्ली में टाइप-चार के सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव बहुत ही खराब है;

(ख) क्या ये क्वार्टर बहुत ही पुराने हैं और जीर्ण अवस्था में हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनके उचित रख-रखाव तथा इन्हें रहने हेतु सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक मुख्य मरम्मत कार्य करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये क्वार्टर, जो 1940 में बनाये गये थे, संरचनात्मक तौर से सही हैं तथा रहने के लिए सुरक्षित हैं। उनका समुचित रख-रखाव किया जा रहा है और किसी भारी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

असंगठित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

1935. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक मान्य मेडिकल रिसर्च सेन्टर आफ महाराष्ट्र द्वारा असंगठित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराने के लिए एक अनुपम परियोजना चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना सिक्किम के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर भी लागू होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है! और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण

[हिन्दी]

7936. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुमानतः कितने फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा ;

(ख) क्या बिना बारी के आधार पर भी फ्लैटों का आबंटन किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) लगभग 32,000

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विशेषकर विधवाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अनुकम्पा के मामलों में बिना बारी के आबंटन किये जा रहे थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट खिलाड़ियों, उन रक्षा कर्मिकों जिन्होंने वीरता पुरस्कार जीते हैं तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के मामलों में भी उपराज्यपाल द्वारा विचार किया जाए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में आर्मी मेडिकल कोर के भूतपूर्व चिकित्सकों की नियुक्ति

[अनुवाद]

7937. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी मेडिकल कोर के भूतपूर्व चिकित्सकों को भूतपूर्व सेना कार्मिकों के पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, रक्षा कार्मिकों की कुछेक श्रेणियों के लिये 3 से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए आयु सीमा की ऊपरी सीमा में छूट उस स्थिति में अनुमत्य है जब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा अधिकारी (2200-4000 रुपये) के पद पर सीधी भर्ती की जाती है।

कारखानों/मिलों का बन्द होना

7938. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली क्लाथ मिल्ज के हाल ही में बंद हो जाने से उद्योगों में पुराने कारखानों को रुग्ण होने देने और उनके वाणिज्यिक हस्तांतरण तथा उनकी भूमि तथा परिसरों के उपयोग से भारी मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मजदूर विरोधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए सम्बन्धित कानून में संशोधन करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) (क) जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली क्लाथ मिल्ज के बन्द हो जाने के बारे में अपने 27-3-89 के निर्णय में टिप्पणी की "हम यह स्पष्ट करेंगे कि मामले के विशेष तथ्यों में हमने उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है तथा इसे पूर्व उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाए।"

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में वैकल्पिक वस्त्र उत्पादन क्षमता

7939. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप दिल्ली क्लाथ मिल्स को बन्द करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां; तो क्या राजधानी में इसके स्थान पर वस्त्र उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

वस्त्र मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजधानी में अस्पतालों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

7940. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में विभिन्न अस्पतालों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 2 मई, 1989 को सांकेतिक हड़ताल और इसके बाद अनिश्चित कालीन हड़ताल करने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अस्पतालों के उक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के बकाया सभी मामलों का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी तथा कार्यकर्ता परिसंघ से 2-5-1989 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत इस परिसंघ को विधिवत मान्यता प्राप्त होने के बाद ही इस परिसंघ की मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

आपरेशन थियेटर में बिल्ली के बच्चों को जन्म देना

7941. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली के एक अस्पताल में आपरेशन थिएटर में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था;

(ख) यदि हां, तो आपरेशन थियेटर को रोगाणुओं आदि से मुक्त करने के लिए कितने दिन बन्द रखना पड़ा था;

(ग) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के आपरेशन थिएटर में उसके रोग से ग्रस्त होने वाले बिल्ली जैसे जन्तुओं, को न घुसने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई थी और इस गलती के लिए उत्तरदायित्व

निर्धारित किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के यूरोलॉजी आपरेशन थियेटर की खिड़की के टूटे शीशे के जरिए रात को एक बिल्ली घुस गई थी और 12 अप्रैल, 1989 को उसने चार बच्चों को जन्म दिया।

(ख) तीन दिन अर्थात् 14 से 16 अप्रैल, 1989

(ग) दिल्ली के अस्पतालों में आपरेशन थियेटर वातानुकूलित हैं, इसलिए खिड़कियां बन्द रखी जाती हैं। आपरेशन थियेटर के सभी भागों की प्रतिदिन सफाई कराई जाती है। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के यूरोलॉजी आपरेशन थियेटर की खिड़की के उस सूराख को बन्द कर दिया गया है जिसके जरिए बिल्ली घुसी थी।

(घ) इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाई की जाएगी।

पंजाब में माप-तौल प्रयोक्ताओं का पंजीकरण

7942. **श्री कमल चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उन माप-तौल प्रयोक्ताओं की संख्या क्या है, जिन्होंने संबद्ध अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकता और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन अपना पंजीकरण कराया है;

(ख) क्या सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच करने वाले किसी तन्त्र की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब में इस प्रयोजनार्थ स्थापित प्रतिष्ठान का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना पंजाब सरकार से प्राप्त की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्नाटक में आवास स्थलों के वितरण के लिए आय सीमा

7943. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास स्थल विहीन लोगों को आवास स्थल के वितरण हेतु आय सीमा को 2000/- रुपये से बढ़ाकर 3500 रु० करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि इसे 8वीं पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कार्य दल को भेजा गया है, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार को इस योजना के लिए आय सीमा की वृद्धि को आस्थगित करने का परामर्श दिया है।

"सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कारण प्रदूषण"

7944. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 में पूरे देश में भारी प्रदूषण पैदा करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो इन एककों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) गत चार महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

7945. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के उत्पादों के मूल्य बढ़ाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी, हां। निवेशों की लागत में अत्यधिक वृद्धि, क्वालिटी तथा उत्पाद-मिक्स में सुधार और बाजार में सामान्य सुधार की वजह से एन० टी० सी० मिलों द्वारा उत्पादित कपड़ा तथा यार्न की कीमतों में, वर्ष 1987-1988 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान क्रमशः लगभग 24·2 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) सरकार उस कपड़े की कीमतों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती जो शुल्क मुक्त/रियायत फाइबर/फिलामेंट यार्न से उत्पादित नहीं हैं।

लेडी हार्डिंग अस्पताल में टेलीफोन प्रचालकों को रात की ड्यूटी के लिए समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना

7946. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्याय प्राधिकरण ने नवम्बर, 1986 में दिये गये अपने निर्णय में लेडीहार्डिंग अस्पताल के टेलीफोन प्रचालकों को समयोपरि भत्ते की अदायगी के मामलों में निम्न श्रेणी लिपिक के समकक्ष माना है;

(ख) क्या मंत्रालय में कार्यरत निम्न श्रेणी लिपिकों को रात्री के समय ड्यूटी देने के लिए

समयोपरि भत्ता योजना के अंश के रूप में रात्री भत्ता मिलता है और अस्पताल में रात्री में ड्यूटी देने के लिए टेलीफोन प्रचालकों को कोई रात्री कार्य भत्ता नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टेलीफोन आपरेटरों को अपनी सेवा-शर्तों के अनुसार शिफ्ट ड्यूटी करनी होती है। इसलिए वे रात्रि ड्यूटी के भत्ते के हकदार नहीं होते। वे लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए अनुमत्य समयोपरि भत्ते के हकदार होते हैं।

लेडी हार्डिंग अस्पताल में टेलीफोन आप्रेटर की ड्यूटी करने के लिए
अवर श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों को विशेष वेतन का भुगतान

7947. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा नवम्बर, 1986 में दिए गए अपने निर्णय में टेलीफोन आपरेटर की ड्यूटी करने वाले अवर श्रेणी लिपिकों और अपर श्रेणी लिपिकों को क्रमश: 20 रु० प्रति माह और 30 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन देने सम्बन्धी तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था ;

(ख) क्या अस्पताल के प्राधिकारियों ने टेलीफोन आपरेटर की ड्यूटी करने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/मुख्य लिपिकों (हैड क्लर्कस) को 30 रु० प्रति माह का विशेष वेतन अभी तक मंजूर नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का टेलीफोन आपरेटरों की ड्यूटी करने वाले लिपिकों/मुख्य लिपिकों को विशेष वेतन का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्पताल प्राधिकारी टेलीफोन आपरेटरों का कार्य करने वाले उच्च श्रेणी क्लर्कों/प्रधान क्लर्कों को 30 रुपये प्रतिमास की दर से विशेष वेतन नहीं देते हैं क्योंकि टेलीफोन आप्रेटरों का कार्य करने वाले उच्च श्रेणी क्लर्कों को विशेष वेतन देने सम्बन्धी भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार शुरू में टेलीफोन आपरेटर के पद पर लगा व्यक्ति सामान्य लिपिकीय ग्रेड में विलयन के पश्चात उच्च श्रेणी क्लर्क/प्रधान क्लर्क के पद पर प्रोन्नत हो जाने पर यदि टेलीफोन आपरेटर का कार्य ही करता रहता है, तो वह 30 रुपये प्रतिमास की दर पर विशेष वेतन पाने का पात्र नहीं है। इन हिदायतों के अनुसार 30 रुपये प्रतिमास की दर से विशेष वेतन उन मामलों में दिया जाता है जहां टेलीफोन आपरेटर कुछेक सुपरवाइजरी पदों पर तैनाती के लिए उच्च श्रेणी लिपिकों में से आवधिक आधार पर लिए जाते हैं।

संस्थागत क्षेत्रों का विकास

7948. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मन्त्री संस्थागत क्षेत्रों के विकास के बारे में 12 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5901 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत समितियों को भूमि आवंटित करने के क्या मानदंड हैं; और

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भूमि और विकास कार्यालय द्वारा नियम संस्थागत क्षेत्रों में अब तक किन-किन समितियों को भूमि आवंटित की गई है और प्रत्येक मामले में आवंटन का मूल प्रयोजन और उद्देश्य क्या था ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्मार्थ प्रकृति की पंजीकृत समितियों से भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त अनुरोधों पर उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों एवं भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। संस्थानों के क्रियाकलापों से सम्बन्धित मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात संस्थान के सदस्यों के चरित्र और पूर्ववत एवं इसके क्रियाकलापों के बारे में दिल्ली प्रशासन से भी रिपोर्ट मंगाने के पश्चात आवंटन के अनुदानों पर विचार किया जाता है। इन रिपोर्टों के आधार पर आवंटन/जांच समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर अनुरोधों पर विचार किया जाता है। समिति की सिफारिशों को शहरी विकास मंत्री के सम्मुख आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सांस्थानिक क्षेत्रों आवंटित प्लाटों की सूची

(क) राउज एवेन्यू

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई)
3. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवक केन्द्र
4. श्रीनिवास मलिहा मैमोरियल थियेटर क्राफ्ट ट्रस्ट
5. अखिल भारतीय अनुव्रत समिति
6. बिहार ऐसोसिएशन
7. अंजूमन तरक्की उर्दू हिन्द
8. गांधर्व महाविद्यालय
9. पंजाबी साहित्य सभा
10. पुरुषोत्तम हिन्दी भवन न्यास समिति
11. यंगमैन सिख ऐसोसिएशन
12. युवा भारतीय ट्रस्ट
13. गृह मंत्रालय

14. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
15. भारतीय विश्वविद्यालय ऐसोसियेशन
16. सेंट्रल बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन
17. ऐसोसियेशन फार सोसियल हल्थ एन इण्डिया
18. मोहनसिंह सोसियल वैलफेयर कल्चरल ऐसोसियेशन
19. बार काउंसिल आफ इंडिया

(ख) दिल्ली मथुरा रोड, हार्डिंग ब्रिज के निकट सांस्थानिक क्षेत्र

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2. भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक
3. भारत मानक संस्थान
4. डाक तथा तार
5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम
6. काउंसिल फार दा एंड आफ क्रिमलड एण्ड हैण्डीकेप्ड
7. इन्स्टीच्यूट फार दी फिजिकली हैण्डीकेप्ड
8. नवशक्ति ऐजुकेशन सोसाइटी
9. लोक कल्याण समिति
10. राजा राममोहन राय ट्रस्ट
11. भारतीय बाल कल्याण केन्द्र परिषद्
12. दयालसिंह पुस्तकालय ट्रस्ट

(ग) खैबर पास सांस्थानिक क्षेत्र

आबंटित प्लाट शून्य

(घ) लोधी एस्टेट सांस्थानिक क्षेत्र

1. भारत इस्लामिक सांस्कृतिक केन्द्र
2. चिन्ह माया मिशन
3. वर्ल्ड जाईल्स लाइफ आफ इण्डिया
4. इन्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटज
5. एलाइंस फांसिस डी—दिल्ली
6. यूनीसेफ
7. वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद
8. काउंसिल आफ सोसियल डवलपमेंट
9. फोर्ड फाउन्डेशन
10. इन्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर

(ङ) लोधी रोड संस्थानिक क्षेत्र

1. इस्टींच्यूट आफ टेलको
2. कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटस आफ इण्डिया
3. इन्डियन इन्टींच्यूट आफ आरकीटेक्चर
4. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
5. वैदिक कल्चरल सेन्टर
6. रमन केन्द्र
7. दिल्ली टेवाराकलोसिस ऐसोसियेशन
8. इन्डियन सोसियल इस्टींच्यूट
9. श्री वनिता समाज
10. आल इंडिया मैनिजमेंट ऐसोसियेशन
11. रामायण विद्यापीठ
12. नामदेव मिशन
13. श्री साई भक्त समाज
14. दिल्ली ब्रिज ऐसोसियेशन
15. पोटंस कंसलटेटिव आर्गनाईजेशन
16. लोक कला मंच
17. इन्डियन सोसियल इस्टींच्यूट
18. इस्टींच्यूट जाफ कम्पनी सेक्रेट्रीज आफ इण्डिया
19. इण्डियन इंजीनियरिंग इस्नीच्यूट
20. आंध्र ऐसोसियेशन
21. इण्डो जर्मन सोसियल सर्विस सोसाइटी

(च) बाल भारती के निकट लोधी रोड क्षेत्र

इण्डिया हैवी टाट सेन्टर

(छ) रामाकृष्णा पुरम सेक्टर-4

1. क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के लिए दिल्ली प्रशासन
2. रामचन्द्र मिशन
3. डा० बी० आर० अम्बेडकर अनुसंधान संस्थान
4. इण्डियन डेरी सांइस ऐसोसियेशन
5. जैन मंदिर
6. डा० हरदिकार फाउंडसन ट्रस्ट

7. इण्डियन काउंसल फार सोसियल वेलफेयर
8. भारतीय परिवार कल्याण ऐसोसियेशन
9. मैथो डोस्ट चर्च

(ज) रामाकृष्णा पुरम सेक्टर-9

1. आर्य समाज
2. साउथ दिल्ली वेलफेयर ऐसोसियेशन
3. मणिपुरी फाईन आर्ट सेन्टर

(झ) रामाकृष्णा पुरम सेक्टर-12

1. दिल्ली कर्नाटक संघ
2. राघवेन्द्र स्वामी मठ

मार्किट रोड सांस्थानिक क्षेत्र (भाई वीर सिंह मार्ग)

1. मलंगकेरा जकोवाइट सराईन आर्थडेक्स चर्च सोसाईटी
2. इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस
3. शास्त्री इंडो कनाडियन इस्टीच्यूट
4. कैलाश विद्या तीर्थ रजिस्टर्ड
5. अखिल भारतीय महापौर परिषद
6. कांग्रेस आफ [illegible]
7. यागोडा संतसंग सोसाइटी
8. इण्डियन पेंटेकोस्टल चर्च
9. भारत सेवक समाज
10. भारतीय एकता एवं विकास प्रतिष्ठान
11. करोल बाग यूनियन क्लब
12. बंगाल ऐसोसियेशन
13. नाट्य बालेट सेन्टर
14. बाईबिल फ्लोसिप सोसाइटी
15. वर्ल्ड फ्लोसिप आफ निलिजन्स
16. सेन्टर फार वूमंस [illegible]
17. दिल्ली मार्थोन सराइन चर्च [illegible] सोसाइटी
18. भारतीय कोमनिस्ट पार्टी (एम)
19. कोमी एकता ट्रस्ट

(ट) डिपलोमेटिक एन्कलेव

1. भारती संगम
2. पुलिस अनुसंधान केन्द्र
3. संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान
4. केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड]
5. युथ होस्टल ऐसोसियेशन
6. इण्डियन काउंसिल फार अफ्रीका

इन्टर नेशनल कमीशन आन इरिगेशन एण्ड ड्रीरानेज

8. ली संगीत समिति
9. इण्डियन एक्स सर्विस लीग

(ठ) डिफेंस कालोनी

1. विश्व अहिंसा संघ
2. नैशनल लीग आफ पैन फैन्डस
3. डिफेंस कालोनी वेलफेयर ऐसोसियेशन

(ड) सराय काम्प्लेक्स डी० आई० बंड क्षेत्र

1. डा० सी० पी० चुग मेमोरियल ट्रस्ट

(ढ) इन्द्र प्रस्थ ऐस्टेट

1. इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियरस]
2. इंस्टीच्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टटेन्ट
3. इण्डियन मेडिकल ऐसोसियेशन
4. आन्ध्र वनीता मंडाली
5. स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आरकिट्रेक्चर
6. इन्डियन काउंसिल फार कल्चर रिलेशन
7. एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च
8. आरोनोटिक सोसाइटी आफ इन्डिया
9. भारत स्काउट एंड गाईट्स
10. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा
11. विश्व स्वास्थ्य संगठन
12. इण्डियन इस्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

बिहार में बीड़ी श्रमिक

7949. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 31 दिसम्बर, 1988 को बीड़ी श्रमिकों की संख्या कितनी थी;

(ख) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिक के कल्याण कोष में बीड़ी श्रमिक के कल्याण पर कुल व्यय की धनराशि का वर्षवार तथा मदवार ब्योरा क्या है; और

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान कल्याण कोष से सम्बन्धित प्रशासन पर किए गये व्यय का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) बिहार में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या 3.50 लाख है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान शीर्ष-वार व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत बिहार में शीर्ष-वार व्यय

वर्ष	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	प्रशासन	कुल
1	2	3	4	5	6	7
					(रुपये लाखों में)	
1985-86	11.83	4.00	0.30	—	1.59	17.72
1986-87	11.39	6.03	0.30	—	1.84	19.56
1987-88	12.85	5.96	0.01	—	1.72	20.54

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, झिलमिल, शाहदरा, दिल्ली में कुष्ठ रोगी

7950. **श्री मनकूराम सोढी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल झिलमिल-शाहदरा दिल्ली में ऐसे अनेक कुष्ठ रोगियों की छुट्टी कर दी जाती है जिनका रोग चरम अवस्था पर पहुंच चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों को भर्ती न किए जाने के संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल झिलमिल शाहदरा, दिल्ली में भर्ती कुष्ठ रोगियों

की छुट्टी उचित इलाज किये बिना ही कर दिये जाने के विशिष्ट कारण क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) झिलमिल स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को नवम्बर, 1988 में स्थापित किया गया था। यह बताया गया है कि अभी तक इस अस्पताल में कुष्ठ रोग के दो मामलों में रोगियों को दाखिल किया गया है। प्रथम मामले में, रोगी को उपचार के पूरा होने के उपरांत छुट्टी दे दी गयी थी। दूसरे मामले में, रोगी को विशिष्ट उपचार की आवश्यकता थी। इसलिए उसे कुष्ठ क्लिनिक में कराने के परामर्श के साथ छुट्टी दी गयी थी।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय

7951. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद और सिकन्दराबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कितने औषधालय चल रहे हैं और वे कहां-कहां स्थिति हैं;

(ख) इन औषधालयों के कार्य के समय क्या हैं;

(ग) क्या ये औषधालय सभी कार्य दिवसों को चौबीस घंटे खुले रहते है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन दोनों शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों को शनिवार, रविवार तथा अन्य छुट्टियों में भी चौबीस घंटे खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अधीन 13 एलोपैथिक औषधालय हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थिति हैं :

1. चारमीनार
2. हुमायूं नगर
3. सिकन्दराबाद
4. बेगमपेट
5. हिमायत नगर
6. काचीगुडा
7. मलकापेट
8. कंचनबाग
9. आलवाल
10. अमेरपेट
11. काकतीया नगर

12. दिलसुख नगर

13. तरन्का

(ख) से (घ) दस ऐलोपैथिक औषधालय प्रातः 7.30 से सायं 1.30 तक तथा सायं 1.30 से सायं 7.30 तक सीमित सेवाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। तीन ऐलोपैथिक औषधालय सभी कार्य दिवसों तथा अवकास के दिनों में भी चौबी घंटे खुले रहते हैं और आपातकाल में उनसे सम्बद्ध औषधालयों के लाभार्थियों को भी सेवाएं प्रदान करते हैं।

हैदराबाद में भारतीय खाद्य निगम कार्यालय

7952. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा "प्रोग्रेसिव टावर" के उपयोग के लिए प्रतिमाह कितनी धनराशि किराये के रूप में ही दी जा रही है;

(ख) इस भवन के उपयोग के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्य प्रभारों अर्थात दीवार घड़ी करने इत्यादि पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या हैदराबाद में भारतीय खाद्य निगम के लिए एक भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) हैदराबाद में "प्रोग्रेसिव टावर" की बिल्डिंग का 27,546 वर्ग फुट क्षेत्र का उपयोग करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 130843.50 रुपये का मासिक किराया अदा किया जा रहा है। इसमें पार्टीशन, बिजली और पार्किंग के लिये ढके हुए स्थान जैसी सुविधाओं के लिये प्रभार शामिल हैं। अनुरक्षण प्रभारों को अभी तय किया जाना है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए बिल्डिंग का निर्माण करने हेतु उपयुक्त भूमि अलाट करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है।

"भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल द्वारा किया गया अनुसंधान अध्ययन

7953. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल ने वनों और आदिवासियों के बीच समाज शास्त्रीय अथवा मानव शास्त्रीय संबंधों के बारे में कोई अनुसंधान अध्ययन किए है जिससे यह ज्ञात हो कि ये एक-दूसरे पर कितने अन्योन्याश्रित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अध्ययनों का ब्यौरा क्या है; और इनके क्या निष्कर्ष निकले और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अध्ययन कब किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान ने 1985-86 में "मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में गैर-राष्ट्रीयकृत लघु वन उत्पाद और आदिवासी

अर्थव्यवस्था" नामक एक अध्ययन किया। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

(1) बस्तर जिले के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था मात्र जीवन निर्वाह योग्य है जो मुख्य रूप से लघु वन उत्पादों के संग्रहण पर निर्भर है।

(2) लघु वन उत्पाद का संग्रहण एवं निपटान इस समय अव्यवस्थित है और समुचित प्रबन्ध करके इस कार्य को विकसित करना सम्भव है।

(3) लघु वन उत्पादों के निपटान के लिए नीलामी प्रणाली को बन्द कर दिया जाना चाहिए।

पटसन उद्योग का पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण

7954. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1986 में घोषित पटसन उद्योग आधुनिकीकरण योजना के उद्देश्य क्या थे और कितना उत्पादन करने के लक्ष्य निर्धारित किए गये थे;

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1989 तक हुई उपलब्धि का ब्योरा क्या है;

(ग) पटसन मिल आधुनिकीकरण निधि तथा पटसन विकास निधि में से अब तक वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गयी और उक्त योजना के अब तक पूरी तरह से प्रभावी न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) पटसन उद्योग का तेजी से पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) : वस्त्र मंत्रालय के आग्रह पर नवम्बर 1986 से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पटसन आधुनिकीकरण योजना शुरू की गयी थी। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ रु० की कुल निधि का प्रयोग पटसन उद्योग द्वारा 5 वर्ष की अवधि में 30 करोड़ रु० प्रति वर्ष की दर से किया जाएगा।

(ख) वित्तीय संस्थानों द्वारा पटसन आधुनिकीकरण निधियोजना के अन्तर्गत जारी की गयी स्वीकृतियों की स्थिति तथा 1-1-1989 की स्थिति के अनुसार वास्तविक वितरण 53.74 करोड़ रु० और 5.93 रु० है।

(ग) वित्तीय संस्थानों ने अभी तक (21-4-1989 की स्थिति के अनुसार) 57.29 करोड़ रु० की कुल सहायता (पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत 54.84 करोड़ रु० तथा विशेष पटसन विकास निधि योजना के अन्तर्गत 2.40 करोड़ रु०) की मंजूरी दी है। तथापि, वित्तीय संस्थानों द्वारा अभी तक केवल 8.90 करोड़ रु० का ही समवितरण किया गया है। पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत निधियों के धीमे सम वितरण के निम्नलिखित दो मुख्य कारण हैं :

(1) विशेषकर सरकूलर करघों की प्रौद्योगिकीय का चयन करने में पटसन उद्योग ने पर्याप्त समय लिया है।

(2) वित्तीय संस्थान द्वारा रुग्ण वस्त्र मिलों की पुनस्थापना पैकेज की बारीकी से जांच करनी होती है इनमें अधिकांश मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेजने पड़ते हैं

हैं जो कि ऐसे मामलों निर्णय लेने के लिए अपना समय लेता है।

जहां तक विशेष पटसन विकास निधि का सम्बन्ध है, वस्त्र मंत्रालय मार्च, 1989 के अन्त तक 17.15 करोड़ रु० रिलीज किए हैं। (जिसमें पटसन कृषि विकास कार्य के लिये 10.67 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(घ) पटसन आधुनिकरण निधि योजना और विशेष पटसन विकास निधि के कार्यान्वयन की प्रगति की दो मिल समितियों द्वारा बारीकी से मानीटरी की जाती है इन योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए बकाया मुद्दों को निपटाने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे है।

पंजीकृत बेरोजगार

7955. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987, 1988 और 1989 के शुरू में रोजगार पाने हेतु पहले से ही पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी कितनी थी;

(ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान रोजगार के लिये कितने-कितने नए व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया;

(ग) प्रत्येक वर्ष कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया और प्रत्येक वर्ष के अन्त तक रोजगार के लिए पंजीकृत कुल व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(घ) प्रत्येक वर्ष रोजगार हेतु पंजीकृत किये गये नए व्यक्तियों में से कितने प्रतिशित को रोजगार दिया गया; और

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जिससे प्रत्येक वर्ष नये पंजीकृत किये गए व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को रोजगार अवश्य उपलब्ध कराया जा सकें।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) रोजगार कार्यालय अनेक भर्ती अभिकरणों में से केवल एक अभिकरण होने के कारण, अर्थ व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली सभी कार्य रिक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नहीं भरी जातीं।

विवरण

वर्ष	चालू रजिस्टर (वर्ष के अंत में) (लाखों में)	पंजीकरण (लाखों में)	निम्न के प्रति नियुक्तियों की प्रतिशतता चालू रजिस्टर	पंजीकरण
1985	262.70			
1986	301.31	55-35	1·2	6.3
1987	202.47	60.12	1.1	5.6
1988	300.50	59.63	1·1	5.5

औषधों का आयात

7956. **श्री आनन्द सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीक्सामीथासोन, हाइड्रोकोर्टी ओन प्रेडुइसोन, प्रेडुइसोलोन ऐसीसेट और ट्रिआमीस्नोलोन तथा इसके लवणों का भारत में आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान इनकी आयातित मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है इसका आयात किन-किन देशों से किया गया; और

(ग) इन्हें आयातित करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

औषधों का आयात

क्र० सं०	औषधों के नाम	1984-85		1985-86		1986-87	
		मात्रा कि० ग्राम० में	सी० आई० एफ० रुपये में	मात्रा कि०ग्रा० में	सी० आई० एफ० मूल्य रुपये में	मात्रा कि०ग्रा० में	सी० आई० एफ० मूल्य रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डेक्सामेथासोन और उसके लवण	233	86,55,448	233	89,85,639	296.367	21750,707
2.	हाइड्रो कार्टिसोन	775	55,49,881	913	72 84,816	882.5	77,35,106
3.	प्रेडिन सोन	130	13,71,959	150	16,71,930	234	26,26,131
4.	प्रेडनिसोलोन	2,005	1,97,07,7262	012	1,93,47,376	2,614.45	2,81,14,323
5.	प्रेडनिसोलोन एमिटेट	;121	14,60 730	88	14,51,351	110	22,66,511
6.	ट्रायमसिनोलोन और इसके लवण	102	26,32,050	89	27,25,419	158.313	43,85,630

औषधों के लिए कच्चे माल का आयात

7957. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान मैसर्स जर्मन रेमेडीज लिमिटेड, मैसर्स बूट्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड पार्केडेविस (इंडिया) लिमिटेड, होक्स्ट, ई० मार्क (इंडिया) लिमिटेड, बेयर (इंडिया) लिमिटेड, फिज़र, बोर्हरिंगर नोल रोचे प्रोडक्ट्स लिमिटेड और साइनारिन इन्डिया लिमिटेड द्वारा कितने कच्चे माल (औषध) का आयात किया गया; और

(ख) आयात किए गए माल, उसकी मात्रा उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है और इसका आयात कहां-कहां से किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बब्बल आक्सीजेनेरेटर और मेम्बरान आक्सीजेनेरेटर

7958. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाइमेडिकल माईम के विकास में "बब्बल डेक्सोजेनेरेटर एंड मेम्बरान आक्सीजेनेरेटर" का वर्तमान दर्जा क्या है;

(ख) क्या देश के किसी संस्थान में "एओरटिक वाल्व" और "मितराल वाल्व" का विकास किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी जेनेरेशन तकनीक के तुलनीय है; और

(ग) यदि हां, तो इस तकनीक के विकास पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठनों के मानकों के अनुरूप श्री चित्र तरूनाल संस्थान त्रिवेन्द्रम में बब्बल आक्सी जेनेरेटर विकसित करने के लिए क्रमबद्ध स्वदेशी प्रयास किया जा रहा है। इस संस्थान द्वारा विकसित किया गया बबल आक्सीजेनेरेटर इंजीनियरी की निर्धारित श्रृंखलाओं और पशु परीक्षण में सफल रहा है और 1989 के दौरान क्लिनिकल परीक्षण किए जाने की संभावना है।

(ख) भारत में किसी भी संस्थान ने अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का एआर्टिक वाल्व और मिट्रल वाल्व विकसित नहीं किया है। तथापि, श्री चित्र तिरूनाल संस्थान, त्रिवेन्द्रम पिछले सात वर्षों से टिलिटंग डिस्क वाल्व की कला को विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। चित्र वाल्व ने सभी इन-विट्रो परीक्षण पास कर लिए हैं और इस समय मिट्रल वाल्व को भेड़ में प्रतिस्थापित करने का प्रयास चल रहा है। इसके प्रायोगिक उत्पादन और क्लीनिकल परीक्षण 1990 में शुरू होने की सम्भावना है।

हाल में डा० चौकर की देख-रेख में लोकमान्य तिलक अस्पताल, बम्बई, ने रोगियों में माउटिड होमोग्राफ्ट वाल्व बनाने और उसके प्रयोग करने की सफल शुरुआत की है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बच्चों में अन्धेपन के मामले

7959. श्री आर० एम० भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेत्रहीन बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) बच्चों में अंधापन रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इस पर कितना खर्च किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दृष्टि-हीनता नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बच्चों में दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) भारत सरकार ने समस्त देश में 1976-77 से दृष्टिहीनता नियंत्रण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस नीति में दृष्टिहीनता निवारण के लिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तरों पर एक आधारभूत ढांचे की स्थापना, दूर-दराज के इलाकों में नेत्र परिचर्या सेवाओं के लिए शिविरों का आयोजन तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी उपाय शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त छोटे-बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता के निवारण के लिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम तंत्र द्वारा विटामिन "ए" का वितरण किया जा रहा है।

(2) स्कूल में शिक्षा और अभिभावकों को शिक्षा प्रदान करके बच्चों का आंख की चोटों से बचाव तथा सरकारी औषधालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आंख की चोटों की समुचित देखरेख।

(3) नेत्र बैंकों की स्थापना तथा अंधता की शल्य चिकित्सा के लिए देश के गिने-चुने केन्द्रों में कार्निया की ग्राफ्टिंग की सुविधाएं प्रदान करना।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त प्रशिक्षित नेत्र विज्ञान सहायकों द्वारा स्कूलों और समुदायों में दृष्टि विषयक दोषों और दृष्टिहीनता के अन्य कारणों की स्क्रीनिंग तथा समुचित उपचार हेतु रोगियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पास भेजना।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए किया गया व्यय इस प्रकार हैं :

	(लाख रुपए)
1986-87	210.00
1987-88	203.19
1988-89	187.87

नेशनल इंस्टिट्यूट आफ न्यूट्रिशन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों/अध्ययनों के परिणामों से जनता को अवगत कराने में विलम्ब

7960. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ न्यूट्रिशन द्वारा जन स्वास्थ्य के पहलुओं पर किये गये सर्वेक्षणों/अध्ययनों के परिणामों की जानकारी प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सभी अनुसंधान तथा विकास एककों को यह निर्देश देने का विचार है कि वे इस प्रकार के सर्वेक्षणों/अध्ययनों के पूरा होने के छ: महीने के अन्दर उनके परिणामों से जनता को अवगत करायें;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न स्वास्थ्य आंकड़ों के प्रकाशन के लिए इसी प्रकार के उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा शुरू की गई अधिकांश परियोजनाएं समयबद्ध परियोजनाएं हैं और आंकड़ों का विश्लेषण पूरा करने और कम्प्यूटर समय की उपलब्धता के पश्चात् इसकी रिपोर्ट यथोचित समय के अन्दर-अन्दर तैयार की जाती हैं। ये रिपोर्टें सामान्यत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् छह से नौ माह के अन्दर प्रकाशित होती हैं। संस्थान द्वारा किए गए सभी अनुसंधान कार्यकलाप वैज्ञानिक रिपोर्टों, वैज्ञानिक पत्रिकाओं तथा संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किये जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

7961. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं और उनमें छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए छात्रों की ओर से पुरजोर मांग हो रही है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश में और अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) इस मन्त्रालय के रिकार्ड के अनुसार, 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश के 251 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार के और निजी दोनों) कार्य कर रहे थे और स्थान क्षमता के आधार पर उनके विद्यार्थियों (प्रशिक्षणार्थियों) की संख्या 40,880 थी।

(ख) इस मन्त्रालय की शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण नीति के अनुसार,

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य शिल्पकार स्तर पर प्रशिक्षण की मांग के आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण आरम्भ किये जा रहे हैं।

(ग) 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश से इस मंत्रालय को अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त "ग" के सन्दर्भ में लागू नहीं होता।

"नर्मदा घाटी परियोजना"

7962. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों ने सरकार को नर्मदा घाटी परियोजना को ठप्प करने की याचिका भेजी है, ताकि "भयंकर पारिस्थितिकीय आपदा" को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। याचिका में नर्मदा घाटी में सरदार सरोवार, इन्दिरा सागर तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्य को तब तक के लिए रोकने की मांग की गई है जब तक निम्नलिखित कार्य पूरे न कर लिए जाएं :

—नर्मदा घाटी परियोजना के समग्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का व्यापक विश्लेषण; और

—वैकल्पिक जल प्रबन्ध नीतियों का विस्तार

नर्मदा घाटी परियोजनाओं का कार्य आगे बढ़ाने के लिए जून, 1987 में अन्तिम निर्णय लेते समय याचिका में जिन पर्यावरणीय मुद्दों पर जोर दिया गया है उनकी विधिवत जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय योजनाएं शीघ्र तैयार कर ली जाएं तथा उनको इंजीनियरी कार्य के साथ-साथ कार्यान्वित किया जाए। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि व्यवहार्य कार्य योजनाएं बनाई जाएं और उनको प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए।

"च्यूर वृक्ष से तेल निकालना"

[हिन्दी]

7963. **श्री हरीश रावत :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में च्यूर वृक्ष के बीजों से बड़े पैमाने पर तेल निकाला जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का, तेल उत्पादन में वृद्धि करने हेतु इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में च्यूर वृक्षों को लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में च्यूर के वृक्षों से बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा है।

(ख) और (ग) सरकार का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर च्यूर के वृक्ष लगाने का प्रस्ताव नही है क्योंकि यह प्रजाति स्थानीय प्रकृति की है और इसके लिए पर्याप्त उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है ।

— — — —

12.00 म० प०

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब मत बोलो ।

[अनुवाद]

मैं सब की बात किस प्रकार सुन सकता हूं। आप एक-एक करके बोलिए । श्री पनिका, क्या समस्या है ?

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मान्यवर, हमारे एक माननीय सदस्य इस सदन के और एक सदस्य अपर हाऊस के जिन का मैं नाम नहीं लेना चाहता—

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ?

श्री राम प्यारे पनिका : अभी लंदन में एक कांफ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने भारत वर्ष की उस पालिसी की आलोचना की जिस पालिसी के अन्तर्गत—**(व्यवधान)** —

अध्यक्ष महोदय : लिख कर दीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका : जो कन्वेंशन है, जो परम्परायें है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : फायदा क्या है, आप लिख कर दीजिए ।

[अनुवाद]

आप मुझे यह लिख कर दे दें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब ऐसे बोलेंगे तो फायदा क्या होगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रश्न पूछता हूं क्या इससे किसी को कुछ लाभ होगा ? यह सब क्या है ? आप लिख कर मुझे दे दीजिए, मैं मामले की छानबीन करूंगा । मैं देखूंगा ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, हमने नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। मैंने सुन लिया है, मैं देख कर बात करूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, इससे पहले कि आप विनिर्णय दें, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ सैकिंड के लिए मेरी बात सुनें; फिर आप जो भी विनिर्णय देंगे मैं उसे मानूंगा।

महोदय, आज दि स्टेट्समैन में प्रबंध निदेशक द्वारा प्रधान मंत्री को लिखा गया पत्र छपा है और उस पत्र में उन्होंने पुष्टि की है कि प्रधान मंत्री के नाम पर किसी संदेशवाहक ने उन्हें यह समाचार प्रकाशित न करने के लिए धमकी है······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, अब सुनिए। में इसकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : इस पर प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : में देखूंगा। मुझे नोटिस दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, में देखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रधान मन्त्री से एक वक्तव्य देने की मांग करता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० भोई को अनुमति दी है।

डा० कृपा सिंध भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। सिख आतंकवादी, अफगान मुजाहिदीन तथा जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने लंदन में एक बैठक की है और श्री उन्नीकृष्णन तथा अन्यों ने सरकार नीति तथा संसद के अनुमोदन पर श्रीलंका में भेजी गई भारतीय शांति सेना की कार्यवाही की निंदा की है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दीजिए। मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कुछ नहीं। यह केवल सैद्धान्तिक सच्चाई नहीं है जो सामने आ रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, ऐसे नहीं, कल को आपके खिलाफ कुछ भी लिखा जा सकता है।

[अनुवाद]

मुझे पता लगाना होगा, मुझे पूछना होगा, आपने मुझे नोटिस दिया है। मैं इसे सैद्धान्तिक सत्य नहीं मान सकता।

[हिन्दी]

यह रोज ही कुछ न कुछ चलता रहता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। मैं इसे देखूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मालूम हुआ है कि लोकसभा के एक सदस्य ने सी० बी० आई० को पत्र लिखा है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सुनी-सुनाई बात पर यकीन न करें। कुछ नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, आप हियर से ही काम चलाने लगेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनी-सुनाई बात पर यकीन कैसे कर सकता हूं? कुछ नहीं। ऐसे नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : मैंने प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में एक नोटिस दिया है। मैं पहले ही सभा में **इंडियन एक्सप्रेस** के बारे में कह चुका हूं और अब **दि स्टेट्समैन** के पत्र के बारे में...

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे सुना है। मैं इसे देखूंगा। मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस बारे में नियम अत्यन्त स्पष्ट हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शोर क्यों कर रहे हैं, आप?

[अनुवाद]

मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोले जा रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आपको लिख कर दिया है, मैं उसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एच० के एल भगत : इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि प्रधान मन्त्री अथवा अन्य मंत्रियों जैसे पदासीन व्यक्तियों पर कोई आरोप अथवा लांछन नहीं लगाये जा सकते······**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह कोई आरोप नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं आपका भी देख लूंगा, उनका भी देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : इसके लिए एक प्रक्रिया है। केवल समाचार पत्र में छपी खबर पढ़कर वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरोप किस प्रकार लगा सकते हैं। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय, क्या आपने हमारा प्रस्ताव पढ़ा है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मुझे नोटिस मिल गया है।

[हिन्दी]

आप क्यों जिद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एच० एल० भगत : यह बहुत गलत प्रक्रिया है। यह नियमों के विरुद्ध है। उन्हें यह कहने पर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्हें इसके लिए ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : कोई कटाक्ष नहीं, कोई आरोप नहीं। कृपया कार्यवाही वृतांत देखें। प्रधान मंत्री अथवा गृह मन्त्री से वक्तव्य मांगना कोई कटाक्ष नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप दिए गए प्रस्ताव को पढ़ते भी नहीं हैं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एच० के० एल० भगत : आप नियम जानते है। आप कटाक्ष कर रहे हैं। आप ऐसा नही कर सकते······ (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते: वे बार-बार "कटाक्ष" को ही दोहरा रहे हैं। मैंने नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब मैंने श्री चौधरी को अनुमति दी है। एक मिनट, मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि प्रधान मन्त्री को वक्तव्य अश्वय देना चाहिए क्योंकि किसी और ने कहा है, क्योंकि आप स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कुछ नियम है। नियमानुसार आप अथवा प्रधानमन्त्री के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में तर्क क्यों कर रहे हैं? निर्णय मुझे करना है।

(**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : नियमों के अन्तर्गत इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या आप नियमों को चुनौती दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम प्रधानमन्त्री से वक्तव्य की मांग करते है······

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे है।

[**अनुवाद**]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं एक अन्य मामला उठा रहा हूं। भारत द्वारा खरीदी पनडुब्बियों पर चर्चा के सम्बन्ध में हमारा प्रस्ताव······

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मैं इसकी जांच करूंगा।

[**हिन्दी**]

हो गया। बस ठीक है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या ठीक है?

[**अनुवाद**]

श्री अमल दत्ता : पहले आपने इस आधार पर चर्चा का विरोध किया था कि मामला लोक लेखा समिति के पास है। अब यह मामला लोक लेखा समिति के पास नहीं है। अब हम इस मामले पर चर्चा करवा सकते हैं (**व्यवधान**)

पहले आपने इस मामले पर चर्चा की अनुमति इसलिए नहीं दी थी कि मामला लोक लेखा समिति के पास है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए। मैं जानता हूं कि क्या करना है। नियमों के अन्तर्गत जो भी अनुमत्य होगा, उस पर चर्चा होगी। यह यदि नियमानुसार नहीं है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं इसे देखूंगा।

श्री अमल दत्ता : मामला अब लोक लेखा समिति के पास नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप नाराज क्यों हो रहे है ? मैं इसे देखूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में नियम है।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : आप चर्चा की अनुमति दीजिए। आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कम-से-कम आपको सुनना तो चाहिए। समझदारी की बात भी होनी चाहिए। मुझे इसे कार्य मंत्रणा समिति के पास भेजना होगा। तब हम इस पर निर्णय लेंगे।

श्री अमल दत्ता : कार्य मंत्रणा समिति केवल समय के निर्धाण के लिए है। आप मामले की स्वीकृति दें। आप यह कहें कि इस पर चर्चा की जाएगी। तब कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय का निर्धारण किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसकी अनुमति दी जा सकती है तो मैं अनुमति दूंगा। यदि नहीं दी जा सकती होगी तो नहीं दूंगा। सीधी सी बात है।

श्री अमल दत्ता : आप इसकी अनुमति ,दीजिए। कार्य मंत्रणा समिति समय का निर्धारण करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता, आप मुझे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, ऐसा लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है। महोदय, यदि आप बुरा न मानें, तो मेरा एक निवेदन है। इस मामले की अनुमति री जाए अथवा नहीं, कार्य मंत्रणा समिति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल आप ही निर्णय दे सकते हैं। हमने आपके कक्ष में भी इस बारे में चर्चा की थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही बात कह रहा हूं। यदि इस पर अनुमति दी जा सकती है तो मैं दे दूंगा। तब हम इस पर चर्चा कर सकते है।

(**व्यवधान**)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई रास्ता बन्द नहीं किया है।

श्री वी० किशोर चन्द्र : लोक लेखा समिति के सदस्यों को पहली बार आदेश दिया गया

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई आदेश जारी नहीं किया गया। मेरे पास लिखित में है और मैंने उस बारे में उन्हें लिखा है।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : मैंने नई दिल्ली नगर पालिका के बारे में नोटिस दिया है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : अमल दत्ता जी, आप तो बड़े वकील है। आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे है।

[**अनुवाद**]

श्री अमल दत्ता : आपने फैसला करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय करूंगा।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख कर बताऊंगा।

[**अनुवाद**]

श्री अमल दत्ता : मैंने पहले ही नोटिस दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

12.12 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पदमजा नायडू हिमालयन जिओलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे आदि

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : महोदय, श्री जेड० आर० अंसारी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :

(1) पदमजा नायडू हिमालयन जिओलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1986-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7817/89]

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि-पत्र और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण, भेषजी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत) नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन (तीसरा संशोधन) नियम, 1988 जो 2 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 677 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 12 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 854 (अ) में प्रकाशित अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि-पत्र।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7818/89]

(3) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय भेषजी परिषद (संशोधन) विनियम, 1988 जो 14 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 80 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7819/89]

(4) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7820/89]

(6) (एक) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 198 -88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7821/89]

(8) (एक) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7822/89]

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

उत्प्रवास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड का वर्ष 1987-88 वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि।

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : मैं, उत्प्रवास अधिनियम 1983 की धारा 44 के अन्तर्गत उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 1989 जो 23 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 375 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7823/89]

(2) (एक) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7824/89]

12.13 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने आज 2 मई, 1989 को हुई अपनी बैठक में परिवहन अभिकर्त्ता(अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया।

"कि परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 सम्बन्धी दोनों सदनों की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय राज्य सभा के 151वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाया जाए"

(ii) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 25 अप्रैल, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, लोक सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत है और उक्त समिति के लिए, जिस रीति से सभापति निदेश दें सदन के सदस्यों में से सात सदस्य निर्वाचित करती है"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित किए गए :

(1) श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र

(2) श्री रामेश्वर ठाकुर

(3) श्री जगेश देसाई

(4) श्री सुरेन्द्रसिंह

(5) श्री पी० एन० सुकुल

(6) श्री बीरेन्द्र वर्मा

(7) श्री जसवन्त सिंह

(iii) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 25 अप्रैल, 1989 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा, लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु 1 मई, 1989 से

आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत है और उक्त समिति के लिए जिस रीति से सभापति निदेश दें, सदन के सदस्यों में से सात सदस्य निर्वाचित करती है"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित किए गए :

(1) ठाकुर जगतपति सिंह

(2) श्री रउफ वलीउल्लाह

(3) श्री ए० जी० कुलकर्णी

(4) श्री वी० नारायण स्वामी

(5) श्री कमल मोरारका

(6) श्री दीपेन घोष

(7) श्री टी० बालू

(iv) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार 25 अप्रैल, 19 9 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :

"कि यह सभा इस बात से सहमत है कि राज्य सभा, दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 1 मई, 1989 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए उक्त समिति के सम्मिलित होने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तथा उक्त समिति में कार्य करने के लिए एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इस सभा के 10 सदस्यों को निर्वाचित करती है"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किए गए हैं :

(1) डा० फागुनी राम

(2) श्री जी० स्वामी नायक

(3) श्री धुलेश्वर मीना

(4) श्री जर्ली ई० टैरिएंग

(5) श्रीमती कैलाशपति

(6) श्री पी० के० कुंजाचेन

(7) श्री एन० राजंगम

(8) श्री चतुरानन मिश्र

(9) श्री वी० रामनाथन

(10) श्री आनन्द प्रकाश गौतम

12.14¼ म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

66वां प्रतिवेदन

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 66वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.14½ म० प०

नियम समिति

तीसरा प्रतिवेदन

प्रो एन० जी० रंगा (गुण्टूर) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 331 के उपनियम (1) के अधीन नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.14¾ म० प०

याचिका समिति

9वां प्रतिवेदन

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : महोदय, मैं याचिका समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हू।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : महोदय, समाचार पत्रों में पूरा निर्णय छपा है। न्यायालय ने आक्षेप किये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं इस पर विचार करके आज निर्णय दूंगा।

श्री अमल दत्ता : कैसा निर्णय ?

अध्यक्ष महोदय : अपना विनिर्णय। मैं नहीं जानता कि मेरा विनिर्णय क्या होगा ?

श्री अमल दत्ता : यह ऐसा मामला है जिस पर इस सभा में विचार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि अनुमति के योग्य हुआ तो मैं इसके लिए अनुमति दूंगा अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : महोदय, प्रेस की

स्वतन्त्रता से इस मामले का कोई सम्बन्ध नहीं है। हम प्रेस की स्वतन्त्रता के सिद्धांत के लिए वचनबद्ध हैं। जिस व्यक्ति ने यह विवरण दिया है, वह अनेक वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त है। वह आर्थिक अपराधी है...... (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, वह मामले के गुण-दोषों पर जा रहे हैं। यहां मुद्दा प्रेस की स्वतन्त्रता का है। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आर्थिक अपराधी प्रेस की स्वतन्त्रता के महारथी नहीं हो सकते......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शांताराम नायक.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे.........

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय कीजिए कि क्या एन० डी० एम० सी० के कार्य पर इस सभा में चर्चा हो सकती है या नहीं। यह सुस्थापित प्रथा है कि संसद को एन० डी० एम० सी० के विषय में चर्चा करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। यदि चर्चा की जा सकती है तो इसे कोई नहीं रोक सकता।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, पी ए सी के अन्दर सबमेटिंग का मामला है, उसको माननीय अमल दत्ता ने गलत तरीके से उसको तैयार किया था, जिस पर हम लोगों ने साइन तक नहीं किए हैं। अब वे हाउस में बताना चाहते हैं, जिस चीज को उन्होंने अपनी मर्जी से और गलत तरीके से तैयार किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अयूब खां : सिर्फ यहां पर दिखाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं सब कुछ देख कर ही निर्णय करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : उसको क्लीयर करने से पहले हाउस में ले आए हैं। गलत तरीके से इसको हाउस में ले आए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल न किया जाए ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे के भाषण को ही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी नियम-377 के अधीन डिस्कशन चल रहा है ।

[अनुवाद]

अब नियम 377 के अधीन मामले चल रहे हैं।

12.19 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सभी गांवों में डाकघर खोले जाने की मांग

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अनेक गांवों में डाकघर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करती हूं कि देश के सभी गांवों में डाकघर की बुनियादी सुविधा मुहैया की जाए।

(दो) प्रभादेवी, दादर (बम्बई) में समुद्र तट पर खेल के मैदान के भूखण्ड पर संचार भवन का निर्माण किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की मांग

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, तटवर्ती राज्यों में भवननिर्माण एवं अन्य गतिविधियों द्वारा समुद्र तटों के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, भारत सरकार ने, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के जोर देने पर, इच्छा व्यक्त की थी कि तटों को पूर्ण ज्वार के समग्र जल स्तर के निशान से कम से कम 500 मी० तक सभी प्रकार की गतिविधियों तथा कृत्रिम विकास से मुक्त रखा जाए।

उपर्युक्त नीति के बावजूद, प्रभादेवी, दादर, बम्बई में समुद्रतट पर दिवेश संचार भवन का निर्माण किया जा रहा है। यह प्लाट खेल का मैदान था। इससे क्षेत्र के खेल प्रेमी इस निर्माण कार्य से पिछले चार माह से आंदोलन कर रहे हैं। खेल के मैदानों की कमी बम्बई शहर के लिए चिन्ता का विषय है।

मैं संचार मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह उस प्लाट पर संचार भवन बनाने के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करे और इसे क्षेत्र के किसी आंतरिक इलाके में बनाए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(तीन) **महाराष्ट्र की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपर गांव) : महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग को 25 बड़ी और 48 मझोली सिंचाई परियोजनाएं भेजी थीं। इनमें से कुछ तो 28-1-74 से लम्बित हैं।

राज्य सिंचाई विभाग, जब कभी भी अवसर मिलता है, इस मामले को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री और सचिव स्तर पर भी विचार हुआ है।

केन्द्रीय सरकार ने परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अध्ययन-दल नियुक्त किया है। अध्ययन दल की रिपोर्ट में, प्रस्ताव किया गया है कि परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय जल आयोग और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। अध्ययन दल की रिपोर्ट में बड़ी एवं लघु परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए क्रमशः 24 माह और 12 माह की समय सीमा का प्रस्ताव किया गया है।

मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि इन परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि महाराष्ट्र को भविष्य में सूखे का सामना न करना पड़े या केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों को 20 करोड़ रुपए तक की सिंचाई परियोजनाएं मंजूर करने अनुमति प्रदान कर दें।

12.22 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(चार) **तीस्ता बराज परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने की मांग**

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, तीस्ता बराज परियोजना भारत में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इससे 9.19 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होने की सम्भावना है। इसकी सहायक तीस्ता नहर जल प्रपात विद्युत परियोजना मे 67.5 मेगावाट बिजली पैदा होने की आशा है। अनेक लघु एवं मझोले उद्योग स्थापित करके दार्जिलिंग, पश्चिमी दीनाजपुर तथा उत्तरी बंगाल के अन्य जिलों के अनेकानेक बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। परियोजना की मूल संकल्पना को योजना आयोग ने 1973 में मंजूरी दी थी और बाद में 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। चरण-एक के पहले उप-चरण की अद्यतन संशोधित लागत 510 करोड़ रु० हैं। 5 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता और 1986 में 15 करोड़ रु० की और 1987-88 में 10 करोड़ रु० की अग्रिम योजनागत सहायता के अलावा सारा खर्च अब तक पश्चिम बंगाल सरकार ने वहन किया है। राष्ट्रीय महत्व की योजना होने के नाते, केन्द्रीय सरकार को इस परियोजना के लिए 50:50 के अनुपात से केन्द्रीय सहायता देनी चाहिए जैसी कि पश्चिम बंगाल सरकार की मांग है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उपयुक्त परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिए कदम उठाए।

(पांच) **गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित किए जाने की मांग**

[हिन्दी]

श्री उत्तम भाई ह० पटेल (बलसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक अति लोक महत्व का मामला इस सदन में रख रहा हूं।

केन्द्र के पास गुजरात के बहुत से मामले पेंडिंग हैं जिनमें दक्षिण गुजरात में चार चीनी मिलें, वलसाड एवं सूरत के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों दमणगंगा, वापी, कामरेज, कावेरी (चीखली) एवं निजार (गुजरात) में स्थापित करना है। मिलें स्थापित न करने के कारण आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्र में भारी असन्तोष फैला है। बहुत से मजदूर, गरीब एवं बेकार युवा तथा उद्यमियों की रोजी रोटी का सवाल बन गया है।

ये मिलें छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होते हुए भी अभी तक स्थापित नहीं की गई हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्र इन चीनी मिलों को तुरन्त मंजूरी दे तथा वलसाड एवं सूरत जिले, जो आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां के लोगों के असन्तोष को दूर करें।

(छ:) खेलकूद के सामान के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता में कोई कटौती न कर उसे उसी प्रकार चालू रखे जाने और खेलकूद सामान उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उपाय किए जाने की मांग

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब से बहुत बड़ी मात्रा में खेलकूद के सामान का प्रति वर्ष निर्यात होता है। पंजाब में यह उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में पनप रहा है जिसमें लगभग 30,000 श्रमिक अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। इस उद्योग की यह भी विशेषता है कि इसमें महिलाएं जो अधिकांश कमजोर वर्ग से सम्बन्धित हैं अपना आजीविका उपार्जन करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना उत्पाद विश्व के अन्य देशों के मुकाबले बेच कर वर्ष 1988-89 में इस उद्योग ने देश को 12 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। किन्तु अभी गत दिनों सरकार ने एक घोषणा करके खेलकूद सामग्री के निर्यात पर केश कम्पन्सेट्री सपोर्ट पांच प्रतिशत कम कर दी है। परिणाम स्वरूप विश्व बाजार में भारतीय खेलकूद सामग्री बेंचने में भारी कठिनाइ आयेगी। लोगों का अनुमान है कि सरकार के इस कदम से न केवल इस वर्ष निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव होगा वरन वर्तमान निर्यात में भी भारी कमी आने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। कैश कम्पन्सेट्री सपोर्ट में कमी और कच्चे माल के दामों में लगभग 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण विश्व बाजार में इस सामग्री की बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि स्पोर्ट गुड्स के लिए कैश कम्पन्सेट्री सपोर्ट को चालू रखा जाये तथा इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के तत्काल सख्त उपाय किए जाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नित्यानन्द मिश्र :

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सदस्य नियम 377 के अधीन मामले उठा रहे हैं, तो आप कौन-सा व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप कृपया रिकार्ड देखिए, और माननीय अध्यक्ष महोदय, ने मुझे अनुमति दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए कि हम किस प्रक्रिया से हटे हैं । जब नियम 377 के अधीन मामले उठाये जा रहे हैं, तब आप व्यवस्था क्या प्रश्न उठाना चाहते हैं । यह क्या है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैंने केवल श्री नित्यानन्द मिश्र को ही अनुमति दी है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से पूछिए । मुझसे इस समय कुछ मत पूछिए ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं सभा की अध्यक्षता कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कहने वाले कौन होते है ? क्या जिस समय आपकी इच्छा हो तभी आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं ? यदि कोई तरीका नहीं है ? यदि आप चाहें तो अध्यक्ष से पूछ लें । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस तरह धमका नहीं सकते । यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, कृपया मुझे बताइए कि जब से मैं बैठा हूं क्या ऐसी कोई बात हुई है जिसके कारण आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । क्या मेरे यहां बैठे कोई बात हुई है ?

(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मुझे श्री जयपाल रेड्डी के व्यवहार और उनके द्वारा कही गई बात पर घोर आपत्ति है । उन्हें व्यवस्था के प्रश्न उठाने सम्बन्धी नियमों की जानकारी है । उसका उल्लंघन करके वह इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय को आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं । नहीं, नहीं । मुझे उनके इस व्यवहार पर घोर आपत्ति है । महोदय, कृपया उन्हें कहिए कि वह बैठ जाएं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । जब सदस्य नियम 3 7 के अधीन मामले रख रहे हैं, आप व्यवस्था का कौन सा प्रश्न उठाना चाहते हैं ? मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । यह मेरा विनिर्णय है ।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अध्यक्षपीठ के विरुद्ध जो टिप्पणियां की हैं, उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : यदि आप हमें बोलने के लिए समय नहीं देंगे तो क्या गड़बड़ करने के लिए समय देंगे। (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, आपको प्वाइंट आफ आर्डर सुनने के लिए समय देना चाहिए। यह गड़बड़ करने के लिये समय नहीं मांग रहे हैं। (व्यवधान)

(सात) **उड़ीसा के बोलनगीर जिले में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग**

[अनुवाद]

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) : यद्यपि बोलनगीर पश्चिमी उड़ीसा का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, फिर भी इस प्रदेश में अभी तक आवश्यक दूरसंचार सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गयी हैं, दूर-संचार के विकास की वहां वर्षों से उपेक्षा होती रही है जिससे कि कुछ हद तक इस प्रदेश के आर्थिक विकास पर भी असर पड़ा है बोलनगीर के निवासी पिछले एक दशक से लगातार वहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग कर रहे हैं किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। व्यापारियों और उद्योगपतियों को कलकत्ता, रायपुर, विजाग और अन्य शहरों में अक्सर अपने सहयोगियों के साथ टेलीफोन पर संपर्क स्थापित करने होते हैं और वे इन स्थानों को सीधे टेलीफोन सेवा से जोड़ने की मांग करते आ रहे हैं। राज्य की राजधानी के साथ टेलीफोन का सीधा संपर्क होना बहुत 'जरूरी है क्योंकि सभी ट्रंक काल काफी समय बाद तथा आवश्यक विलम्ब से ही मिल पाते हैं जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी असुविधा और परेशानी होती है। बोलनगीर में एक बड़ा रक्षा उद्योग भी स्थापित होने जा रहा हैं जिसके लिए दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से सीधे टेलीफोन सम्पर्क उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। इस जिले की जनता के मन में यह भावना है कि दूर संचार मंत्रालय उनकी उपेक्षा कर रहा है और उनके साथ पक्षपात कर रहा है। मेरा दूरसंचार मन्त्री जी अनुरोध हैं कि वह इस प्रदेश में एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराके जनता की काफी अर्से से की जा रही मांग को पूरा करें।

————

उपाध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मन्त्री बोलेंगे; वह एक निवेदन करना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। रेल मंत्री जी को कल कुछ काम है। अत: सांप्रदायिक स्थिति सम्बन्धी चर्चा आज शाम 4 बजे कराई जा सकती है। मद संख्या 10 और 11 अर्थात रेल विधेयक और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) पर अभी चर्चा की जा सकती है ताकि हम यह चर्चा पूरी कर सकें और शाम 4 बजे से हम सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा इससे सहमत है।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : जो सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते थे, वे इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। वे कार्य सूची के अनुसार चल रहे हैं। हमने सोचा था कि नियम 193, के अधीन चर्चा पहले की जाएगी। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह चर्चा शाम 4 बजे तक समाप्त नहीं होगी। खैर, इसे कल भी जारी रखा जा सकता है। **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : हम देखेंगे कि 4 बजे तक सब काम पूरा हो जाए। उनकी कुछ कठिनाइयां हैं अन्यथा मैंने इसके लिए नहीं कहा होता। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसमें सहयोग दें। शाम 4 बजे हम सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आपको सांप्रदायिक स्थिति के बारे में कुछ गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए ? **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : बहुत अधिक।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस तरह टुकड़ों में चर्चा नहीं कर सकते।

श्री एच० के० एल० भगत : हम इस बारे में बहुत गंभीर हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूरा देश इस बारे में चिंतित है। फिर आप वरीयता सूची में इसे नीचे क्यों करते जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब, आप 4.00 बजे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के रोजे हैं, रमजान चल रहे हैं। आप थोड़ा हमारा ख्याल भी कीजिए। हमारे लिये प्रोब्लम होगी।

श्री एच० के० एल० भगत : इससे पहले कर लेंगे।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : हमारे रोजे और रमजान को ध्यान में रखते हुए आप कम्यूनल सिचुएशन पर डिस्कशन अभी कर लीजिये।

श्री सी० जंगा रेड्डी : नहीं, सर, यदि आपने 4.00 बजे बोला है तो उससे पहले शुरू नहीं कीजिये। आप पहले सब कुछ तय कर लीजिये तो हमें सुविधा रहेगी। समय निश्चित रहने पर हम उसके लिये तैयारी करके समय पर यहां आ सकेंगे ऐसा मत करिये कि कभी 3.00 बजे और कभी 4.00 बजे कहते रह जायें।

श्री एच० के० एल० भगत : आप 3.00 बजे नहीं तो 4.00 बजे आ जाइये, क्या दिक्कत है।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : यदि आप नियम 193 की चर्चा 4.00 बजे रखेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जायेगी, आप रेलवे बिल वाले आइटम को 4.00 बजे रख लीजिये।

श्री एच० के० एल० भगत : उससे पहले हो सका तो पहले कर लेंगे। हम तो चाहते हैं।

————

12.30 म० प०

रेल विधेयक
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1986-87

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 और 11 अर्थात रेल विधेयक और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) पर एक साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए दो घंटे का समय रखा गया है। मैं समझता हूँ कि हम यह चर्चा इतने समय में पूरी कर लेंगे। फिर हम सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० भगत) : हम दोपहर का भोजनावकाश भी समाप्त कर सकते हैं और यदि यह चर्चा जल्दी समाप्त हो गई, तो हम सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा तुरन्त शुरू कर देंगें।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां। 3 बजे के आसपास 3-4 बजे के बीच कभी भी इस पर चर्चा शुरू की जा सकती है।

श्री एच० के० एल० भगत : 4 बजे का समय निश्चित है। यदि यह चर्चा जल्दी खत्म हो गई तो हम तभी शुरू कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब आप हमारे रोजे और रमजान का ख्याल करते हुए, नियम 193 के अधीन चर्चा अभी कर लीजिए वरना हमें बहुत दिक्कत आएगी। रेलवे बिल पर डिस्कशन 4.00 बजे रख लीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मन्त्री जी के लिए कुछ प्रोब्लम है। जितनी जल्दी हो सकेगा, कर लेंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह चर्चा जल्दी समाप्त हो गई तो आप मुझे बताइए कि हम क्या कर सकते हैं ? इसलिए आपको आश्वासन दे रहे हैं कि शाम 4 बजे का समय निश्चित है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा हम दो घंटे ही इस पर चर्चा करेंगे और 3 बजे हम सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा शुरू करेंगे। दोपहर के भोजन का अवकाश नहीं होगा। श्री सिंधिया······

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों से सम्बन्धित विधि के समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

सभा को याद होगा कि रेल विधेयक इस सभा में 25-4-86 को पुरःस्थापित किया गया था।

विधेयक के बड़ा होने के कारण तथा इसके सार्वजनिक महत्व के कारण इस विस्तृत जांच के लिए दोनों सदनों की नियुक्त समिति के पास भेज दिया गया। 30 बैठकों के बाद, संयुक्त समिति ने 21-2-89 को इस सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की।

समिति ने प्रत्येक खंड की विस्तार से जांच की है और कई उपयोगी परिवर्तन किए है, जैसा कि रिपोर्ट के पैरा 17 से 38 मे दर्शाया गया है। मैं संयुक्त समिति के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने चर्चाओं में गहरी रुचि दिखाई है और उपयोगी सुझाव दिये हैं। समिति द्वारा सुझाए गए सभी परिवर्तन सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं।

हमने समिति द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों और सिफारिशों को भी ध्यान में रखा है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि उन पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है।

चूंकि संयुक्त समिति ने विधेयक की पहले ही पूर्णतः संवीक्षा कर ली है, अतः मैं सदन से समिति द्वारा यथा प्रतिवेदन विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों से सम्बन्धित विधि के समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदन, पर विचार किया जाए।"

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :— मांग संख्या : 5, 13, 14 और 16।"

लोक सभा

1986-87 के लिए सभा की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत अनुदान की अतिरिक्त मांगों (रेलवे) की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	स्वीकृत के लिए सदन में पेश मांग की रकम
1	2	3
		रु०
5.	रेल इंजिनों की मरम्मत और अनुरक्षण	6,07,57,302
13.	भविस्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	53,67,41,390
14.	निधियों में विनियोग	31,91,17,640
16.	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय—पूंजी	57,49,20,707

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त समिति की इस रिपोर्ट और रेलवे

विधेयक के संबंध में मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और संगत हैं। यात्रियों की सुख-सुविधाओं के विभिन्न पक्षों और इसकी सुरक्षा के बारे में विचार करते सम यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत से उपरी पुलों का निर्माण किया जाए। केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों को हीं इसकी जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए; किन्तु सुरक्षा का कार्य रेलवे का है अतः उन्हें रेलवे सुरक्षा और यात्रियों के हित के लिए और अधिक ऊपरी पुलों का निर्माण करना चाहिए। उन्हें और अधिक ऊपरी पुलों का निमाण करना चाहिए और अन्य राज्य सरकारों से अंशदान के लिए कहने की बजाय अपने कोष से ही पर्याप्त मात्रा में धन लगाना चाहिए।

दूसरी बात जिस पर में बल देना चाहूंगा वह बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों से संबंधित है। जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पटरी के रख-रखाव और रेलवे के सही ढंग से संचालन के लिए कर्मीदल रहित क्रॉसिंगों पर उचित कर्मचारी लगाए जाने चाहिए। किसी अन्य जिम्मेदारी थोपने की बजाय रेलवे को अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ स्थानों पर, जहां बड़ी नगर पालिकाएं और बड़े नगर हैं और वे कर्मीदल वाले रेलवे क्रॉसिंग की मांग करते हैं तो रेलवे, नगर पालिकाओं से इनकी लागत और आवर्ती लागत वहन करने पर बल देती है जिसका पालन करना नगर पालिकाओं के लिए बहुत ही कठिन ही कार्य है। इन निकायों की आय बहुत ही कम होती है। मैं समझता हूं कि रेलवे के पास सुरक्षा धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उनकी वसूलो में भी वृद्धि हो रही है। यदि आवश्यक हो तो वे समुचित सुरक्षोपाय करने के लिए और अधिक धन एकत्रित कर सकते हैं।

वास्तव में, हमें इन बातों को महत्व देना चाहिए। पटरी के रख-रखाव के लिए हम यह सुनिश्चित करने में भी असमर्थ हैं कि उनका मानसून मौसम में भी ठीक से रख-रखाव रखा जाता है या नहीं। इस पक्ष की जांच करने वाली विशेषज्ञ समितियों ने यह सिफारिश की है कि तकनीकी तिनिर्दिष्टियों के अनुसार रेल पटरियां ठीक नहीं हैं। पुलों में भी काफी सुधार किया जाना है। वस्तुतः हम देखते हैं कि हर मानसून मौसम में दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। हमने हाल ही में आइलैण्ड एक्सप्रेस दुर्घटना की चर्चा की है। केरल में क्या हुआ ? अनेक लोग मारे गए और अभी भी रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि यह दुर्घटना किसी अन्य कारण से हुई है। किन्तु स्पष्ट कारणों का उल्लेख किसी ने भी नहीं कहा है। हम कर्नाटक एक्सप्रेस की हाल की ही दुर्घटना देख चुके हैं। उसमें कितने लोगों की जानें गईं रेलवे को इन विषयों पर विचार करना चाहिए। यदि आप इसे ठीक ढंग से नहीं कर सकते तो आप कम से कम दूसरों से सीख तो सकते हैं। वस्तुतः भूकम्पों और प्रचण्ड तूफानों के बावजूद जापान विश्व में उत्तम रेलवे प्रणाली चला रहा है। हमारे संगठन को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अच्छा संगठन माना जाता है। इसलिए, हमें जहां कहीं भी आवश्यक हो, दूसरों से सीखने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और जिस देश में हम विशेषज्ञ हैं वहां हम अन्य लोगों और अन्य देशों को सिखा भी सकते हैं। वह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं और मैं बार-बार इस मुद्दे पर बल देता हूं। युवा गतिशील मंत्री को जिन पर इस देश की जनता को बहुत ही अधिक विश्वास है इस मुद्दे पर पहल करनी चाहिए।

यदि अधिकारियों की ओर से लापरवाही की जाए तो उन्हें उनके विरुद्ध कार्रवाई करने और अनुशासन बनाए रखने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके कन्धों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों का जीवन और सम्पत्ति मंत्री जी के हाथ में है। उनसे गतिशील, प्रगतिपरक और हितकर कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है ताकि वह देश की जनता का भला कर सकें। रेलवे इस देश की सम्पत्ति है। इन सबके लिए आप जिम्मेवार होंगे। आपको जनता को अपनी गतिशीलता दिखानी चाहिए और यही वह महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिस पर मैं बल देना चाहता हूं।

डिब्बों की हालत के बारे में सोचा जाए तो हर वर्ष उनकी हालत और भी खराब होती जा रही है। इस देश में अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी और जबकि हम अन्य देशों को इसका निर्यात करने में समर्थ हैं, किन्तु हम अनेक रेलगाड़ियों में उपयुक्त डिब्बे लगाने में समर्थ नहीं हैं आप देख सकते हैं कि अनेक डिब्बे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और वे यात्रियों के लिए कतई उपयुक्त नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप डिब्बों की हालत में सुधार करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार यात्रियों की सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है। किसी-न किसी कारण से हम अभी भी पुराने और बेकार किस्म के सवारी डिब्बों को चला रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस देश की जनता के व्यापक हित में इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

रेलगाड़ियों के आने-जाने के समय के संबंध में उन्हें रेलगाड़ियों के समय और उनके चलने की समय सारणी में सुधार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अनेक रेलगाड़ियों का समय उनके निर्धारित समय के अनुसार नहीं है और मैं नहीं जानता कि वे इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे। यदि कोई ऐसा कारण हो जिसके लिए कुछ भी करना असंभव हो तब तो हम समझ सकते हैं और ऐसा एक बार हो सकता है। किन्तु बार-बार यही हो रहा है। हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम इस पक्ष को सही कर सकें और इस पर नियंत्रण कर सकें।

हम देखते हैं कि विद्युतीकरण का कार्य बहुत धीमा होता जा रहा है। जहां तक रेलवे के आर्थिक पक्ष का संबंध है, हम देखते हैं कि जिस लोको-इंजन प्रणाली को हम चला रहे हैं वह सबसे अकुशल प्रणाली है। हम इन इंजनों को अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। डीजल इंजन ठीक हैं, किन्तु विद्युतीकरण उससे भी अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि हम इस क्षेत्र में पहल करेंगे ताकि यह रेलवे के आर्थिक पक्ष के लिए सहायक हो और रेलगाड़ियों की गति में सुधार हो सके। इससे अन्य अनियमितताओं को भी समाप्त किया जा सकेगा।

दूसरा विषय रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव में सुधार करना है जो कि बहुत ही खराब हो गया है, विशेषकर गर्मी के मौसम में हम विद्युतीय प्रणाली में बहुत अधिक अनियमितताएं और समस्याएं देखते हैं। हालांकि उन्होंने अनेक स्टेशनों पर जनरेटर लगाए हैं किन्तु आप देखते हैं उनके लिए जनरेटर उपलब्ध नहीं हैं और जनरेटर लगाने के बाद भी उन्हें समय पर नहीं चलाया जाता है। कुछ स्थानों पर ऐसी व्यवस्था है। यदि समुचित रोशनी की व्यवस्था न हो तो रात के समय पहुंचने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है विशेषकर जब रेलगाड़ियां लम्बी दूरी में आती हैं तो लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और रेलगाड़ी के डिब्बों को खोजने में बहुत कठिनाई आती है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि उन्हें ठीक ढंग से रखा जाना चाहिए।

और जहां कहीं भी जनरेटर या कोई ऐसा यंत्र हो, तो वहां उसे ठीक ढंग से चलाने और उसके ठीक रख-रखाव के लिए कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। अन्यथा जो सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं, वे बेकार रहेंगी। यह इसका दूसरा पक्ष है। मैं माननीय मंत्री से रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव को सुनिश्चित करने और यह देखने के लिए कि सभी कार्य सही ढंग से हो रहे हैं, का अनुरोध करता हूं। प्राय: माल टेरिफ के संबंध में समस्या आती है। क्योंकि कृषि और औद्योगिक दोनों प्रकार के उत्पादन में वृद्धि हुई है अत: रेलवे को अधिक माल ढोने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टेरिफ दरों में बेतुकी वृद्धि से भी औद्योगिक विकास और आम आदमी की नियमित रोजी-रोटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। टेरिफ में लगभग 1000 करोड़ रु० की वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और उन्हें अत्यधिक दाम देने पड़ेंगे। मैं यह कहूंगा कि टेरिफ में वृद्धि करने की बजाय आपको रेलवे की कुशलता और माल ढोने की पद्धति तथा पटरियों की प्रभावी उपयोगिता में वृद्धि करनी चाहिए।

[श्री बी० बी० रमैया]

महोदय, अन्य देशों की तुलना में हमारा पटरियों का उपयोग अपेक्षित स्तर का नहीं है । यदि हम अपनी पटरियों का उपयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकें तो सम्भवतः हम टेरिफ में वृद्धि करने से उत्पन्न आय अधिक संसाधन जुटा सकेंगे । सौभाग्य से आपने इस वर्ष यात्री भाड़े में वृद्धि नहीं की है किन्तु माल भाड़े में बहुत वृद्धि हुई है । इससे इस देश की आम जनता और व्यापारी वर्ग हर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

मैं माननीय मंत्री से इन पहलूओं पर विचार करने और रेलवे की कुशलता तथा इसके संचालन में सुधार करने का अनुरोध करता हूं ताकि रेलवे इस देश की जनता के प्रति दायित्व पूरा कर सके ।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकल) **:** मैं इस चर्चा में भाग लेने और बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं । महोदय, रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है । देश में यह सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है । अतः इसकी संचालन कार्यक्षमता और इससे सम्बन्धों अन्य बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

जब मैं इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा होता हूं तब मुझे केरल में गतवर्ष जुलाई में घटी एक रेलवे दुर्घटना की रिपोर्ट पर बोलते हुए दुःख होता है । पेरूमल में हुई रेलवे दुर्घटना, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना है, करीब 105 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी । पेरूमल रेलवे दुर्घटना के कारणों पर रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट पर प्रकाशित खबर जनता विशेष रूप से केरल की जनता के लिए अपमानजनक है । महोदय, दुर्घटना के तुरन्त बाद की गई प्रारम्भिक टिप्पणियों की आयोग ने पूर्ण रूप से उपेक्षा की है । मंत्री जी ने इसके बारे में एक नई ही कहानी गढ़ दी है । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मानव ज्ञान एवं उसकी सामान्य बुद्धि के लिए चुनौती है । मैं यह भी कहूंगा कि यह केरल की जनता का अपमान है । लोगों को बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने इस नयी कहानी को सुना । उस स्थान में उस समय किसी भी तूफान का कोई लक्षण नहीं था । मैं नहीं समझ पा रहा हूं । कि कैसे इतने महीनों की जांच के बाद सुरक्षा आयुक्त ने एक नई कहानी रच दी है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार पेरुमल में घटी इस भयंकर दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच नए सिरे से करने का आदेश दे जिससे कि इस रेलवे दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके । मैं समझता हूं कि यह 'टोर्नेडो कहानी' केवल रेलवे अधिकारियों का बचाव करने के लिए ही रची गई है । यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है । केरल की जनता इस रिपोर्ट और इसके निष्कर्षों से बहुत अधिक चिन्तित एवं उत्तेजित हैं । हमें इस रिपोर्ट को देखने का अवसर ही नहीं मिला ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे । जैसा कि मेरे मित्र ने पहले ही कहा है कि इस देश की जनता के लिए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा विशेष महत्व रखती है । बार-बार दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं । अभी हाल ही में घटी । "कर्नाटक एक्सप्रेस दुर्घटना" में 50 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । केरल में अनेक दुर्घटनाएं हुई है । पिछले महीने केरल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई । अतः इस समय रेल मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों का रेलवे के प्रति पुनः विश्वास जगाना है ।

हमारे सवारी डिब्बों का रख-रखाव बहुत खराब है । अधिकतर डिब्बे बहुत पुराने है । कुछ समय पहले मैंने केरल एक्सप्रेस से यात्रा की है जो दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक की लम्बी दूरी की गाड़ी है। यात्रा के दौरान मैंने पाया कि 'टू-टियर' वातानुकूलित यान में वातानुकूलर काम नहीं कर रहा है। आप उस डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियो की दशा का अच्छी तरह अन्दाजा लगा सकते हैं ।

मैं नई रेलवे लाइनों के बारे में एक दूसरी बात कहना चाहूंगा। त्रिवेन्द्रम से अर्नाकुलम तक जाने वाली बड़ी रेलवे लाइन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अनुमान किया जाता है कि इसका वर्तमान उपयोग लगभग 118 प्रतिशत है। जब तक इस लाइन को दोहरा नहीं किया जाता। इस मार्ग पर यातायात में सुधार नहीं हो सकता है। एक नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु एक अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव भी था। वर्ष 1984 में रेलवे बोर्ड ने कोटारक्कड़ और नेदूमंगडू से होकर त्रिवेन्द्रम तक जाने वाली नई बड़ी रेलवे लाइन के प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का आदेश दिया था। परियोजना क्षेत्र की आबादी राष्ट्रीय औसत से कई गुना अधिक है। यात्रा के प्रति झुकाव भी काफी अधिक है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कोटारक्कड़ एन नेदूमंगडु से होकर जाने वाली त्रिवेन्द्रम के लिए एक नई रेलवे लाइन बनाने की दिशा में कदम उठायें।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहूंगा। त्रिवेन्द्रम जिले में वर्कला अति महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यह केवल केरल की जनता के लिए ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की जनता के लिए भी एक तीर्थयात्रा स्थल है। यही समय है जब सरकार को एक ऊपरी पुल का निर्माण करके वर्कला कस्बे में रेलवे फाटक के पुनस्थापन के बारे में विचार करना चाहिए। प्रत्येक 16 घंटों में अर्थात प्रातः 5.30 से रात्रि 9.30 तक इस रेलवे फाटक से करीब 40 बार यातायात रुकता है और प्रत्येक बार फाटक खुलने में करीब 10 मिनट लगते हैं। बहुधा बंद रहने के कारण जनता को जो कष्ट होता है उसे बताया नहीं जा सकता। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वरकाला में उपरिपुल के निर्माण हेतु शीघ्रता से कार्यवाही करें।

अब मैं त्रिवेन्द्रम में वेली रेलवे स्टेशन का उल्लेख करता हूं। इस रेलवे स्टेशन का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसकी बहुत बुरी हालत है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि इस स्टेशन का विकास किया जाए।•

मैं त्रिवेन्द्रम के मॉडल स्कूल का उल्लेख करना चाहता हूं। इस सत्र में मंत्री महोदय ने मुझे जो जवाब दिया उससे प्रतीत होता है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। त्रिवेन्द्रम में माडल रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं की जा रही है। सरकार को इस मॉडल रेलवे स्टेशन के लिये और अधिक धनराशि का आबंटन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी शीघ्रता से कार्यवाही करनी चाहिए कि इस स्टेशन का उचित रूप से विकास किया जाए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को दिल्ली से केरल तक गर्मियों में और स्पेशल गाड़ियां चलनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं इस रेल विधेयक के बारे में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं हाल ही में हुई कर्नाटक एक्सप्रेस दुर्घटना का उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात सुन रहे हैं। वह ईअरफोन भी लगाये हुए हैं।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : मैं एक कान से हमेशा आपकी बात सुनता हूं और मेरे उपसहयोगी दोनों कानों से आपकी बात सुनते हैं। इस प्रकार हमारे चार कानों में तीन आपकी बात सुनते हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : यह बड़ा गम्भीर मामला है। क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है इस दुर्घटना में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के करीब 10 व्यक्ति मरे हैं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे बंगलोर मंडल ने वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए शानदार प्रबन्ध करने में अपने भरसक प्रयास किये हैं कि घायलों और मृतकों के रिश्तेदारों से सम्पर्क स्थापित किया जाए। उन्होंने सभी सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने उनके लिए सभी प्रबन्ध किए जो हवाई जहाज या ट्रेन द्वारा जाना चाहते थे। परन्तु जहां तक दुर्घटना का सम्बन्ध है, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि रेल मंत्रालय और दुर्घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों के बीच संपर्क का अभाव था समाचार पत्रों में बताया गया कि रेल मंत्री को, जो ग्वालियर में थे, भी पांच घण्टे बाद संदेश मिला ऐसा ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ हुआ। यह आश्चर्य की बात है समाचार पत्रों में यह भी बताया गया कि यदि दुर्घटना के तुरन्त बाद रोगीवाहन और अन्य चीजें पहले पहुंच जाती तो और अधिक जानें बचायी जा सकती थीं। यह वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है।

1.00 म०प०

मन्त्री महोदय ने तुलनात्मक आंकड़े दिये हैं कि रेल दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में विगत वर्षों से कमी हुई है। हमारे सक्षम मन्त्री होने के कारण इससे सांत्वना नहीं मिल सकती। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुर्घटना मुक्त, विशेषत: जिन दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या अधिक होती है, कार्य किया जाए। यह वास्तव में दुख की बात है कि जब से ऐसी बातें हुई हैं तबसे जनता का रेल सुरक्षा से विश्वास खत्म होता जा रहा है।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस दिन मैं बंगलोर में था और जब मुझे सूचना मिली तो मैं अगली सुबह रेलवे स्टेशन गया। जहां तक हमारे रेल अधिकारियों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि निःसंदेह उन्होंने अच्छा कार्य किया है। मृतकों के परिवारों की केवल यही शिकायत है कि उन्हें 72 घण्टे तक मृतक शरीर नहीं मिल सके। मैंने दिल्ली में रेलमन्त्री कार्यालय को टेलीफोन किया। दुर्भाग्यवश जिस अधिकारी ने टेलीफोन उठाया उसने कहा; श्रीमान; सहाब नहीं हैं; वह दुर्घटना स्थल पर हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने रेलवे और अनेक एजेंसियों के माध्यम से संदेश भेजे। परन्तु मैं ऐसा करना चाहता था। उनमें चार राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे। उनमें से एक रंगदेव नाम का चैम्पियन था। मैं उन लोगों के परिवारों की दयनीय हालत देख नहीं सका। वे विशेषत: उनके मां और पिता 72 घंटों तक रोते रहे। आप उस स्थिति को समझ सकते हैं।

केवल एक गलती हुई उसे मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि रेलवे को शव हवाई जहाज द्वारा लाने चाहिए थे। उन्हें शव झांसी लाने चाहिए थे, झांसी से दिल्ली और वहां से उन्हें हवाई जहाज द्वारा लाया जा सकता था। जब शव बंगलोर स्टेशन पहुंचे तो रेल अधिकारियों और मन्त्री को यह मालूम है कि वहां बहुत गड़बड़ी थी तथा जनता बहुत अधिक परेशान थी। जिस विशेष गाड़ी द्वारा शव लाये गये उसके बारे में भी उन्होंने पहले दिन कहा कि यह सुबह आयेगी उसके बाद कहा 'दोपहर को' आयेगी। परन्तु यह शाम को आयी। जनता विशेषत: रिश्तेदार और कबड्डी खिलाड़ियों के सैकड़ों प्रशंसक परेशान थे वे सभी रेलवे स्टेशन पहुंच गये। यह एक गलती हुई।

दूसरी दुर्घटना केरल में हुई जिसका श्री बशीर ने उल्लेख किया। समाचार पत्रों में रेलवे सुरक्षा आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उससे लोगों के दिमागों में उत्तेजना पैदा हो गयी है। उसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों का रेलवे सुरक्षा आयोग के निर्णय में विश्वास नहीं रहा है। 'टोर्नेडो'

जैसे बताये गये कारण मिथ्या लगते हैं। सामान्य और अशिक्षित व्यक्ति भी इसका विश्वास नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार सच है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि रिपोर्ट का पूरा अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकालना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि आप रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह रिपोर्ट बहुत पहले मिल गयी थी। मन्त्री महोदय को ऐसा करना चाहिए था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट में जनता का विश्वास खत्म होने पर ये बेकार हो जाएगी इसका महत्व उस कागज के बराबर भी नहीं रहेगा जिस पर ये लिखी गई है। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि इस मामले में रेलवे का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। ऐसा नहीं है सरकार एक ही है। चाहे रेल मन्त्रालय हो या नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो लेकिन वास्तविक जिम्मेदारी सरकार की है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि उचित जांच की जाए। इसकी खुली जांच की जाए और उन्हें वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। मैंने रेलवे सुरक्षा आयोग की अनेक रिपोर्टों का अध्ययन किया है। मैंने इसका रेलवे बजट के बारे में अपने भाषण में भी उल्लेख किया है। अधिकांश रेल दुर्घटनाएं मानव भूल विशेषत रेलवे कर्मचारियों के कारण होती हैं। जब हमारे रेल कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं और मन्त्री तथा रेल कर्मचारियों में अच्छा सम्बन्ध है तो यह दुर्भाग्य की बात है। आपको कारणों का पता करना चाहिए। मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए। मैं रेल कर्मचारियों पर आरोप नहीं लगाता। वे कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं। परन्तु अनेक रिपोर्टों में ऐसा कहा गया है केरल दुर्घटना की प्रारम्भिक रिपोर्ट में भी कहा गया कि यह इंजन चालक की गलती के कारण हुई। निस्संदेह प्रारम्भिक और अन्तिम रिपोर्ट में अन्तर है। आप स्वय निर्णय कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें। मैं कुछ गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के बारे में पूछने वाला था। अब मुझे यह पूछने में डर लगता है क्योंकि उस मामले में मैंने दो बार विचार किया है।

मैं उस विषय के बारे में नहीं पूछना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि रेलवे यह सुनिश्चित करे कि आधुनिकीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आधुनिकीकरण के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है उसे खरीदा जाना चाहिए क्योंकि रेलवे आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है और आप आधुनिकीकरण पर बल दे रहे हैं। इसलिए इसके बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपका सर्वप्रथम कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई रेल दुर्घटना न हो। कर्नाटक में महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो बंगलौर और मिराज तथा मिराज और बंगलौर के बीच चल रही थी, फेर बदल के कारण विवाद उठा था, मंगलौर मिराज के बीच इसका फेरबदल नहीं किया गया है। यह प्रतिष्ठित गाडियों में से एक है। हाल ही में एक नयी गाड़ी (उदयावन) चलाई गई है जो एक वरदान है। इस प्रकार यह फेरबदल वास्तव में कर्नाटक की जनता के लिए एक अभिशाप है वास्तव में हम चाहते हैं कि अरसीकोरी होती हुई बंगलौर से मिराज तक चलने वाली गाड़ी में फेरबदल करने के बजाय मन्त्री महोदय अरसीकोरी होती हुई मिराज से मंगलौर के लिये एक और गाड़ी चलाएं। इस वर्ष आपने अनेक गाड़ियां चलाई हैं परन्तु कर्नाटक के लिए एक भी गाड़ी नहीं चलाई है। कृपया अब ऐसा कीजिए। महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फेरबदल के सम्बन्ध में अदालत से स्थगन आदेश लिया गया परन्तु आपके अधिकारी ने कल ही इसे रद्द करा दिया और आपने कल से ही महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फेरबदल शुरू कर दी। उत्तरी कर्नाटक में असन्तोष फैल गया, इस

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

विषय के बारे में वे बहुत परेशान थे। इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह सुनिश्चित करें कि महालक्ष्मी एक्सप्रेस को इसकी मूल स्थिति अर्थात बंगलौर से मिराज तक पुन: चलाया जाए।

वहां अनेक नयी लाइनें है परन्तु हुबली से कारवर तक की लाइन अत्यधिक महत्वपूर्ण है मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें, इसे रेलवे से जोड़ा जाए क्योंकि वहां दो नौसेना अड्डों की स्थापना की जा रही है। कारतार पत्तन का भी उन्नयन किया जा रहा है। बेलरी तथा होसपेट से कारवार पत्तन द्वारा अयस्क का निर्यात करना अधिक लाभकारी है। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि कारगर हुबली लाइन के सर्वे का आदेश दें। आप हमेशा कहते हैं कि यह वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। परन्तु कुछ रिपोर्टों का कहना है कि यह वित्तीय रूप से उपयोगी है। सौ वर्ष पहले सर्वे किया गया था जो कुछ करोड़ के खर्च से यह पूरा हो सकता था लेकिन अब यह बड़ा महंगा हो गया है। फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि आपका अपना नौसेना प्रतिष्ठान वहां है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा और है। व्हाइटफील्ड और कुप्पम के बीच मद्रास-बनयाल मंगलौर लाइन को दोहरा करने में थोड़ा सा भाग बचा हुआ है। इस वर्ष के बजट में भी आपने इसके लिए वित्त व्यवस्था नहीं की है आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि अनुदान की अनुपूरक मांगों में इसकी व्यवस्था हो। वह भाग अधूरा पड़ा है। कृपया इसे पूरा करवाएं।

मेरा अंतिम अनुरोध माडल स्टेशन (बंगलौर स्टेशन) के आधुनिकीकरण से संबंधित है। मेरा मत इस बारे में माननीय मन्त्री से भिन्न है और दुर्भाग्यवश एक या दो आरक्षित कक्षों के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। माननीय मन्त्री ने मुझे बताया है कि आरक्षण केन्द्र इसके अन्तर्गत है। इसको तो माडल स्टेशन के विचार से बहुत पहले मंजूरी मिली थी। इसलिये कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस परियोजना को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पर गाड़ी का आधे से ज्यादा भाग खुले आकाश के नीचे रहेगा आप बंगलौर स्टेशन पर जाकर देखिये कि क्या यह बड़ी लाइन है या छोटी लाइन है। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि दुर्घटनाओं से बचा जाए।

श्री एन० टोम्बीसिंह (आंतरिक मणिपुर) : मैं रेल विधेयक का समर्थन करता हूं, इसमें रेलवे से सम्बन्धित कानून को मजबूत तथा संशोधित करने का प्रावधान है और मैं मद संख्या 10 और 11 के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का भी समर्थन करता हूं। इन मदों का समर्थन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करना चाहूंगा।

मैं उस राज्य से हूं जहां रेलवे अभी तक नहीं है। फिर भी हम इस देश के हैं और हमें अपने राष्ट्रीय कार्य सारे देश भर में करने होते हैं इसलिए भारतीय रेलवे का हमारा अपना अनुभव है। यह सच है कि गत चार दशकों में विशेषकर आजादी के बाद से भारतीय रेलवे ने अत्यधिक उन्नति और विकास किया है।

आज रेल विधेयक में पुराने कानून को संशोधित करने व इसे मजबूत बनाने का प्रावधान है और जिसमें प्रशासनिक तब्दीलियां तथा कुछ अन्य तब्दीलियां करने की व्यवस्था है। यह अत्यन्त व्यापक विधेयक है। मैं सभी पहलुओं पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे मिले थोड़े समय में ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुभव तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा। सम्पूर्ण असम घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिणी भाग के लिए ब्रह्मपुत्र पुल ही एकमात्र रास्ता है जिसके

माध्यम से रेलवे असम, बैरक घाटी और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पहुंचती है। असम घाटी विशेषकर ब्रह्मपुत्र के उत्तरी भाग में जब कुछ होता है, कोई राजनैतिक आंदोलन या और कुछ होता है तो रेलवे को रोककर सम्पूर्ण पूर्वोत्तर का सम्पर्क तोड़ना अत्यन्त आसान है। सिर्फ यही एक रेल मार्ग है। मैं भारत सरकार और रेल मंत्रालय से अपील करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका किसी भी खर्च पर उचित रख-रखाव किया जाए, अन्यथा यह बहुत महंगा होगा क्योंकि अनेक वर्षों, दशकों के स्वप्नों तथा अत्यधिक आयोजना और तैयारी के बाद ब्रह्मपुत्र का पुल बना था। हम इस नेतृत्व, भारतीय नेतृत्व, पंडित जी के अत्यधिक आभारी हैं जिन्होंने इसमें अत्यधिक रुचि ली थी। इससे हमें बहुत राहत मिली है, लेकिन इतने सारे राज्यों के लिए सिर्फ यही एक लाइन है। यह काफी विशाल क्षेत्र है। इसलिए जब भी इस लाइन पर कुछ होता है तो गाड़ियों का आवागमन रुक जाता है और ऐसा तो यहां हर रोज हो रहा है जैसे कि बोडो आंदोलन चल रहा है। पिछले महीनों में ऐसा अनेक बार हुआ है। मन्त्रियों के आवागमन, आवश्यक वस्तुओं और अन्य अनेक वस्तुओं के आवागमन में हमने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया है, इससे अत्यधिक कष्ट हुआ है। भारत सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढे। जब एक मार्ग पर कुछ घटना घटे तो दूसरा मार्ग होना चाहिए ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके और लोग न फंसे और ऐसा न हो कि सरकार कुछ भी न कर सके, क्योंकि रेलवे यह खतरा नहीं उठा सकता क्योंकि इन प्रभावित क्षेत्रों में हजारों लोग अनेक गाड़ियों में यात्रा करते हैं। इसका एक पहलू तो यह है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक और मुद्दा यह उठा रहा हूं कि त्रिपुरा तथा मिजोरम की तलहटी और मणिपुर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को रेलवे लाइनों का विस्तार करने का आश्वासन दिया गया है; विशेष रूप से मेरे राज्य मणिपुर के लिए सरकार ने बार-बार सिलचर से जारी बाम तक लाइन बढ़ाने का आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि यह लाइन सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाएगी। जहां तक मुझे याद है, पहले भी सरकार के रेल मन्त्रियों ने यह वायदा किया था। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार इस वायदे का अभिप्राय इस कार्य से है। मुझे आशा है कि इसे पूरा किया जाएगा। लेकिन व्यावहारिक अनुभव के आधार पर मैं देखता हूं कि इस वायदे को नियत समय में पूरा करना कठिन होगा। इस क्षेत्र में कार्य की गति बहुत धीमी है मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि सभा में किए गए वायदे को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेवार अधिकारी को यह कार्य सौंपा जाए। क्योंकि यह वायदा श्री गनी खां चौधरी ने काफी पहले 1986 में किया था और अब तो 1989 है। तीन वर्ष बीत चुके हैं। अब और अधिक देरी नहीं होनी चाहिए।

मैं दूसरा मुद्दा उन राज्यों के बारे में उठाना चाहता हूं जहां पर उनकी अपनी रेलवे नहीं है और उन्हें 'आउट एजेंसियां' दी गई हैं, जैसे कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अनेक पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर के संबंध में, नागालैंड में दीमापुर में रेलवे है। उन्हें कुछ गाड़ियों में कुछ कोटा अथवा सीटें मिली हुई हैं। नागालैंड से लगता हुआ मणिपुर है। दीमापुर में गाड़ी लेने के लिए हमें नागालैंड से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारे पास पर्याप्त आरक्षित सीटें उपलब्ध नहीं हैं। मैंने यह अत्यधिक उचित मांग अनेक बार इस सभा में तथा अन्य अनेक मंचों पर उठाई है। राज्य सरकार की ओर से भी अनेक लोगों ने यह कहा है कि हमें पर्याप्त कोटा मिलना चाहिए। फिलहाल आगामी सौ वर्षों में मणिपुर घाटी में रेलगाड़ी के पहुंचने की कोई सम्भावना नहीं है। सरकार कम

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

से कम इतनी उदारता तो दिखाए कि दिल्ली और कलकत्ता की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों के लिए दीमापुर से मणिपुर के लिए एक अलग डिब्बा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं नॉर्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस, तिनसुखिया और हावड़ा जाने वाली कामरूप गाड़ी का उल्लेख करता हूं। दीमापुर को दिल्ली और कलकत्ता से जोड़ने वाली गाड़ियों में मणिपुर के लिये अलग से एक डिब्बा होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि इन दुर्भाग्यपूर्ण तथा पिछड़े राज्यों के लिये ऐसी छोटी सी सुविधा देने में सरकार क्यों हिचकती है।

मणिपुर घाटी की जनसंख्या में ज्यादातर हिन्दू जनसंख्या है। वे देश के तीर्थस्थानों पर जाते हैं। उनके लिए इम्फाल 'आउट एजेंसी' में बुकिंग करने के लिए पृथक से सीटों का कोटा नहीं है इस लिए उन्हें बस से यात्रा करनी पड़ती है। वे तमिलनाडू, रामेश्वरम, तिरुपति द्वारका और अन्य अनेक स्थानों पर जाते हैं। क्योंकि वे सीटों का कोटा न होने से रेलगाड़ियों से यात्रा नहीं कर सकते और दूसरे गाड़ियों से यात्रा का अनुभव न होने के कारण भी उन्हें बस से यात्रा करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा है इन गाड़ियों में मणिपुर के लिए सीटों का पर्याप्त कोटा देने से सरकार मुख्य धारा से शताब्दियों से अलग पड़े इन लोगों को मुख्यधारा की संस्कृति से प्रभावित होने का अवसर प्रदान करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं रेल विधेयक तथा अतिरिक्त अनुदान की मांगों (रेलवे) का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, आज के हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई है। शीघ्र ही दिल्ली में 4·35 मिलियन पाउन्ड की लागत वाला उच्च प्रौद्योगिकी का रेल डिस्क्राइबर पहुंचने वाला है। और अन्तिम मुद्दा यह है कि उत्तर रेलवे की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कल नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली 510 डाउन अवध-असम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है क्योंकि उत्तर सीमान्त रेलवे पर डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण 509 अप गाड़ी आज नहीं आ रही है इसलिए लिंक रेक उपलब्ध नहीं है। भारतीय रेलवे में यह संकट है।

भारतीय रेलवे ने कुछ क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है और माल ढुलाई बेहतर रही है लेकिन ग्रामीण भारत में कुछ लाइनों पर भोजन प्रबन्ध की सेवा के मामले में यह अत्यधिक विफल रही है। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाना चाहता हूं। दूसरे मुद्दे के अन्तर्गत मैं सरकार का ध्यान भारतीय रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता था कि श्री सिंधिया यहां उपस्थित रहते। मैंने 3 नवम्बर 1988 को श्री सिंधिया और श्री राजीव गांधी को एक पत्र लिखा था। जमशेदपुर में अदित्यापुर और टाटानगर दो स्टेशन हैं। अदित्यापुर टाटा के लिए सामान ले जाने के लिये है और टाटा का जो माल आता है और जो निर्यात किया जाता है वह टाटा-नगर मार्ग से जाता है, वहां पर भार मापक है और बुकिंग की जाती है।

वर्ष 1973 से टाटा ने रेलवे अधिकारियों की सांठ गांठ से हजारों वैगन सामान बिना भुगतान किये टाटानगर की बजाय आदित्यपुर से भेजा। यह बात कुछ रेलवे कर्मियों द्वारा ध्यान में लाई गई और बिहार ने एक मामला दर्ज किया। जमशेदपुर, टाटानगर में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को मामला दर्ज न करने के लिए कहा लेकिन बिहार सरकार ने इस बात को नहीं माना। बिहार सरकार ने मुकदमा चलाया और 13 व्यक्तियों को आरोप-पत्र जारी किये जिनमें

से 8 व्यक्ति रेलवे के थे। लेकिन रेलवे अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए रेलवे बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है, रेल भवन की इतनी विशाल इमारत में, जहां बहुत से बड़े अधिकारी और मंत्री बैठते है, उन्होंने बिहार सरकार को रेलवे अधिकारियों पर लगातार सात वर्षों तक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी और बिहार के न्यायालय को इस मामले को छोड़ना पड़ा क्योंकि रेलवे बोर्ड ने रेल अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। मैं मांग करता हूं कि सी० बी० आई० द्वारा इस मामले की उपयुक्त जांच की जानी चाहिए। माननीय मन्त्री श्री सिंधिया ने उत्तर देते हुए कहा है कि उसमें रेलवे अधिकारियों की कोई आपराधिक भावना नहीं थी। वह वकील बन गये है। रेलवे ने बिना बुक किये हुए वैगनों में माल ले जाते हुए डिब्बों को स्वयं पकड़ा है और जुर्माना भी किया गया था। चूंकि टाटा ने माल पकड़े जाने के बाद धन का भुगतान कर दिया था अत: किसी रेलवे अधिकारी को सजा नहीं दी गई या उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या छोटे व्यक्तियों, कुछ क्लर्कों या कुछ छोटे अधिकारियों पर रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा बहुत सी छोटी गलतियों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता? जब इन गलतियों को बड़े लोगों द्वारा किया जाता है तो आप इन गलतियों को करने रहने की अनुमति क्यों देते हो? श्री सिंधिया ने स्वयं को टाटा के वकील के रूप में उत्तर दिया है इस प्रकार, दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। मैं फिर से मांग करता हूं कि इस मामले की सी० बी० आई० द्वारा जांच की जानी चाहिए। टाटा को आदित्यपुर के माध्यम से माल ले जाने की अनुमति क्यों दी गई थी और रेल मंत्रालय चुप क्यों रहा। क्या इसमें टाटा समूह भी शामिल था?

भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आधुनिकीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। आज भी 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' ने आधुनिकीकरण का जिक्र किया है। निश्चय ही कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ अधिक ही भ्रष्टाचार। मैंने मंत्री जी को खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप में आधुनिकी कारण के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में एक पत्र लिखा था। मुझे उत्तर दिया गया था कि जांच की गई थी। मैंने उसकी शिकायत की थी लेकिन जब जांच की गई तो मुझ से सलाह नहीं की गई थी। मैं शिकायत करता हूं। जांच अधिकारी दिल्ली से जाते है। वे जांच करते है लेकिन वे हम से कभी भी सलाह नहीं करते और यह कह देते हैं कि कुछ नहीं किया गया है। मैं पुन: मांग करता हूं कि जांच भली प्रकार की जाये और मुझे जांच से सम्बद्ध किया जाये। अगर मैं सिद्ध करने में असफल रह तो आप मुझे भी सजा दे सकते है और अगर आप उन अधिकारियों को बचाने का प्रयास करोगे तो आपको सजा मिलनी चाहिए। खड़गपुर में आधुनिकीकरण के नाम पर, अधिकारी नई कारें ला रहे हैं, अपने अधिकारियों के लिए नये फ्रिज और बंगले बनाये जा रहे है। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस लाई जा रही है और यह सब कुछ आधुनिकीकरण के नाम पर लाया गया है। क्या आधुनिकीकरण का अर्थ यह है कि अस्पताल की आवश्यकता के लिए एम्बुलेंस और धन आधुनिकीकरण-निधि से लिया जाये?

मैं मन्त्री जी के समक्ष कुछ और मुद्दे रखूंगा। गाड़ियों का पटरी से उतरना और दुर्घटनाएं होना आम बात है ऐसा क्यों है? विशेषतया कानपुर और इलाहाबाद के बीच में रेलगाड़ियां पटरी से बार-बार उतर जाती है और गाड़ियों को लखनऊ से हावड़ा के मार्ग से होकर जाना पड़ता है। मैं रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं भारत में 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। कुछ वर्ष पहले तक भारतीय रेलवे में बहुत से कार्य ठेकेदारों द्वारा किये जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने तथा हमारी स्वतन्त्र सरकार ने ठेकेदारों द्वारा पटरियों के रखरखाव की

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

अनुमति नहीं दी। लेकिन अर्थव्यवस्था के नाम पर, नैमितिक श्रमिकों पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए, नैमिनिक श्रमिकों द्वारा स्थायी करने के लिए कहने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से स्वयं को बचाने के लिए दो से चार वर्ष हाल ही में रेलवे ने ठेकेदारों को ये सब कार्य सौंप दिये हैं। निश्चय ही इससे रेलवे ने काफी धन बचाया था। लेकिन यह पूछे जाने पर कि क्या रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने घटनाओं में वृद्धि हुई है या नहीं, रेलवे हमें हमेशा यह उत्तर दे सकता है कि जो हां, पी० डब्ल्यु०आई० और अन्य रेलवे अधिकारियों से अपने कार्यों की स्वयं देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन क्या वे इसे भली प्रकार कर रहे हैं ? क्या प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति एवं अधिकारी ने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों को देखा है ? मेरे विचार से उस रेलवे लाइन के विशेष खंड का, जिसका मैंने उल्लेख किया था, रेलवे द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। जब कुछ सेक्शन जैसे हावड़ा-दिल्ली सेक्शन को दो दिनों के लिए, तीन दिनों के लिए आप रोकते हैं, तो नैमित्तिक श्रमिकों या रेलवे कर्मियों पर धन खर्च न करने के कारण आप कुछ धन तो बचा सकते हैं, लेकिन इससे राष्ट्र को कितना नुकसान होता है ? मेरे विचार से उन्हें इस पर फिर से विचार करना चाहिए।

जहां तक रेलवे अस्पतालों का सम्बन्ध है, रेल मंत्रालय और रेलवे अधिकारी भली प्रकार जानते हैं कि उन अस्पतालों में सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। हमारे रेल कर्मी रेलवे अस्पतालों से कुछ चिकित्सा लाभ प्राप्त किया करते थे लेकिन अब उन्हें वे लाभ नहीं मिल रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली जैसे शहर में, हमारी राष्ट्रीय राजधानी में, रेलवे अस्पताल में कोई रोग विज्ञानी नहीं है। अगर रेलवे अधिकारी महसूस करते हैं कि उनके रक्त का परीक्षण किया जाना चाहिए तो उन्हें सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। दिल्ली जैसे रेलवे अस्पताल में कोई रोग विज्ञानी नहीं है। खड़गपुर में, दक्षिण पूर्वोत्तर में मेरे अपने क्षेत्र में यहां एक दर्जन पद रिक्त पड़े हैं ! रेलवे इन रिक्तियों को भरने में असमर्थ रही है। मेरे विचार से उन्हें अब इस पर विचार करना चाहिए। पहले तदर्थ डाक्टरों की नियुक्ति की गई थी। चूंकि तदर्थ डाक्टर स्थायी नौकरी के लिए चले जाते हैं अत: न तो रेलवे तदर्थ डाक्टर नियुक्त करती है न ही लोक सेवा आयोग उन्हें समय पर उपयुक्त डाक्टर देते हैं। अत: अधिक से अधिक डाक्टर सेवानिवृत्त हो रहे है और कम से कम डाक्टर नियुक्त किये जाते है। मेरे विचार से इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। अत: रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री नारायण चौबे : जी हां, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। जहां तक स्टाफ की कमी का संबंध है अधिक से अधिक स्टाफ सेवानिवृत्त हो रहा है और कम से कम स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। भारतीय रेलवे में अभी बहुत सी रिक्तियों को भरा जाना है और सरकार बचत के नाम पर रेलवे कर्मियों को नियुक्त नहीं कर रही है जिससे रेल-सेवा कम होती जा रही हैं अधिक दुर्घटनाएं हो रही है, रेलगाड़ियां पटरियों से उतर रही है और इससे रेलगाड़ियां देर से आती है। इन सब बातों को मंत्रालय द्वारा शीघ्र देखा जाना चाहिए। निस्संदेह आप इससे काफी धन बचा सकते है लेकिन इस बचत से रेलवे कर्मियों और देश का नुकसान होगा।

अन्तिम मुद्दा जिसका में उल्लेख करना चाहता हूं, तीसरी रेल लाइन जो खड़गपुर से पंसकुरा और चौथी लाइन पंसकुरा से खड़गपुर तक के बारे में है। इसका सर्वेक्षण किया गया है। अब कार्य शुरू किया जाना चाहिए। इसे शीघ्र ही किया जाना चाहिए अन्यथा खड़गपुर से हावड़ा तक के भीड़भाड़

वाले सेक्शन में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। अतः इस सेक्शन को कुछ राहत दी जाये। अन्यथा समूचे सेक्शन पर कार्य रुक जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर विचार करें कि वे भारतीय रेलवे को वे कैसे चला रहे हैं।

श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : महोदय, इस सदन में माननीय रेल मंत्री श्री माधव राव सिंधिया द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों और रेलवे विधेयकों का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, हाल ही में कर्नाटक एक्सप्रेस की झांसी के पास दुर्घटना हो गई थी जिसमें लगभग 60 लोग मारे गये थे और बहुत से यात्री जख्मी हुए थे। अगर रेलवे स्टाफ एक्सप्रेस गाड़ी आने से पहले सचेत होता तो यह दुर्घटना रोकी जा सकती थी। यह सूचना उन यात्रियों द्वारा दी गई थी जो उसी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। लगभग 150 यात्री जो दुर्भाग्यवश उसी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, मेरे दिल्ली निवास पर आये थे और मुझे दुर्घटना के बारे में बताया था। सौभाग्य से इस दुर्घटना में उनमें से अधिकतर लोग जीवित बच गये थे। ये यात्री प्रधान मंत्री के पास भी गये थे उन्होंने उनकी सुरक्षित यात्रा और जीवित बच जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय रेलवे मंत्री ने कर्नाटक एक्सप्रेस को गुंटाकल से होकर चलाए जाने की बात मान ली है। यह अच्छी बात है और इसमें कर्नाटक के लोगों को सहायता मिलेगी और वे खुश होंगे कि यह गाड़ी आंध्र प्रदेश से होकर जाने की बजाय कर्नाटक राज्य से होकर जा रही है। महोदय, गाड़ियों में खान-पान व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। महोदय महालक्ष्मी एक्सप्रेस, जो बंगलौर से मिराज होकर जाती थी, बम्बई एक्सप्रेस को जोड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस गाड़ी को बंगलौर से होकर जाने के बजाय गुरीमी कोरसे मंगलौर की ओर मोड़ दिया गया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस एक्सप्रेस को पुनः बहाल किया जाये अर्थात इसे बंगलौर और मिराज के बीच चलाया जाना चाहिए।

यदि आवश्यक हो तो उन क्षेत्रों के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महालक्ष्मी एक्सप्रेस के चलने के वर्तमान कार्यक्रम को बदलने के स्थान पर मंगलौर और मिराज से सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक अन्य रेलगाड़ी आरम्भ की जा सकती है।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि बंगलौर कर्नाटक का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शहर है और वहां की राजधानी है और उस क्षेत्र के लिए कोई अलग रेलवे जोन नहीं है। हमें दक्षिणी रेलवे जोन पर निर्भर रहना पड़ता है और कर्नाटक के कुछ भाग के लिए हमें दक्षिण-मध्य रेलवे जोन पर निर्भर रहना पड़ता है। महोदय, हम सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय बंगलौर में बनाने के लिए विचार किया जा सकता है। यह अनुरोध काफी लम्बे समय से लम्बित है। दक्षिण-पश्चिम जोन द्वारा हजारों श्रमिकों और बहुत से रेलवे स्टेशनों और जंक्शनों की देखभाल की जानी चाहिए। एक अलग रेलवे जोन अर्थात् दक्षिण-पश्चिम जोन बनाने और बंगलौर में उसका मुख्यालय बनाने से इस क्षेत्र में रेलवे के उचित रख-रखाव और कार्यकरण में काफी सहायता मिलेगी।

मैं माननीय रेल मंत्री से एक अन्य अनुरोध यह करता रहा हूं कि बंगलौर और मैसूर के बीच वर्तमान मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लाइन है, भारी संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटक और व्यापारी लोग प्रतिदिन इन शहरों का दौरा करते है। यदि मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाता है तो पर्यटक, व्यापारी और दैनिक यात्री इस क्षेत्र में

[श्री वी० कृष्ण राव]

आसानी से आ जा सकेंगे। अत: मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को बंगलोर और मैसूर के बीच मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिए तुरन्त ही कार्यवाही करनी चाहिए। यह अनुरोध काफी समय से लम्बित है। इसी प्रकार बंगलौर और मिराज के बीच एक मीटर-गेज लाइन है। यह लाइन हमारे देश के उत्तर और दक्षिणी भाग को जोड़ती है। मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि इस लाइन को भी बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लाइन है जो कि मेरे चुनाव क्षेत्र से होकर येलाहांका से बंगरुपेट तक जाती है। महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र चिकबल्लापुर में भारी मात्रा में आलू उगाया जाता है और उसका अधिकांश भाग रंगून निर्यात कर दिया जाता है और हमारे देश के अन्य भागों जैसे शिमला इत्यादि में भी भेज दिया जाता है। महोदय, चिकबल्लापुर में परिवहन समस्याओं के कारण किसान अपने उत्पादों को देश के अन्य भागों में भेजने में भारी कठिनाई अनुभव करते है और इस कारण उन्हें भारी हानि होती है। येलाहान्का से रेलवे वेगनों के माध्यम से भारी मात्रा में आलू ढोया जाता है और जब तक येलाहांका क्षेत्र की रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में नहीं बदला जाता है तब तक परिवहन कठिनाइयों का समाधान नहीं होगा।

हमें आलू को बहुत दिनों तक वेगनों में रखना पड़ता है। अत: वे परिवहन के दौरान खराब हो जाते हैं। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इस येलाहांका बांगरपेट लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाईन में बदल दिया जाये।

इसी प्रकार चित्रदुर्ग-रायदुर्ग लाइन जिसकी मंजूरी दी गयी है और जिस पर कार्य आरम्भ किया गया है उसे भी अति शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए। मंगलोर-उदीपी लाइन का कार्य भी आरम्भ किया गया है। इसे भी शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए। कुप्पम—कृष्णराजपुरम लाइन अभी तक सिंगल लाइन है। इस लाइन के सिंगल लाइन होने के कारण जितना समय मद्रास से कुप्पम जाने में लगता है उतना ही समय कुप्पम से बंगलोर जाने में लगता है। अत: इस देरी से बचने के लिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप कृपया यह ध्यान दें कि इस लाइन को दोहरा बनाने के कार्य को यथा-संभव शीघ्रता से पूरा किया जाये।

ज्वालारपेट से विद्युतीकरण का कार्य गत 10-12 वर्षों से लम्बित पड़ा है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि विद्युतीकरण के कार्य को यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाये।

हमें इस बात की खुशी है कि जब श्री जाफर शरीफ रेल मंत्री थे, तो येलाहान्का कर्नाटक में रेलवे एक्साइल संयंत्र की स्थापना की गई थी परन्तु दुर्भाग्य से मुझे यह कहते हुए दुःख है कि कन्नड़ लोगों की उपेक्षा की गई है। अधिकांश नियुक्तियां कन्नड़ लोगों की नहीं की गई हैं। अधिकांश नियुक्तियां बाहर के लोगों में से की गयी है। कृपया इस बारे में कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता दीजिए और यह ध्यान रखिए कि सभी पदों को केवल कन्नड़ लोगों से ही भरा जाये। स्थानीय लोगों, श्रमिकों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी है। (व्यवधान)।

श्री नारायण चौबे : तब बंगाल में केवल बंगाली लोग काम करेंगे और बिहार में केवल बिहारी लोग ही काम करेंगे। तब यह एक राज्य सरकार का मामला बन जाता है। (व्यवधान)

श्री वी० कृष्ण राव : मैं आपको यह बताता हूं कि वहां अकुशल श्रमिकों को नहीं लिया गया है।

श्री जी० एस० बासवराज (टुमकुर) : श्री चौबे, मुझे आशा है कि आप इस संयंत्र को बंद करने के लिए नहीं कहेंगे। (व्यवधान)

श्री वी० कृष्ण राव : फिर भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जी० एस० बासवराज : यदि एक्साइल संयंत्र श्री चौबे के चुनाव क्षेत्र में स्थापित हैं। तो इसे बन्द कर दिया जायेगा। हम जानते हैं कि आप सभी उद्योगों के विनाशक है।

श्री वी० कृष्ण राव : इन शब्दों के साथ मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन कर रहा हूं।

हाल ही में केरल में रेल दुर्घटना के बारे में तकनीकी समिति की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। यह बहुत बुरी बात है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस रिपोर्ट में विश्वास नहीं करेगा। अतः दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए एक न्यायिक जांच कराइये अथवा कोई अन्य तरीका अपनाइये।

दूसरी बात यह है कि केरल सुदूर दक्षिण में स्थित है। रेलवे केरल से दुर्व्यवहार कर रहा है। केरल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। केरल में रेलवे लाइन केवल 810 किलोमीटर लम्बी है। केरल की जनसंख्या के अनुसार हमारी रेलवे लाइन कम से कम 2500 किलोमीटर लम्बी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि हमें अखिल भारत स्तर की केवल एक-तिहाई रेलवे लाइन मिली है। रेलों के डिब्बे बहुत पुराने हैं। देश भर में हमारे यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। दुर्भाग्य से बरसात के मौसम में लोग खुली छतरियों के साथ डिब्बों में बैठे होते हैं। वास्तव में, खुली छतरियों के साथ बैठने पर लोग हंसते हैं। इसी प्रकार वहां खराब इंजनों और डिब्बों को लाया जा रहा है। इसलिए केरल में अधिक दुर्घटनायें होती हैं। अतः कृपया दक्षिण में अच्छे डिब्बे और इंजिन भेजिए। केरल में सहायक उद्योग स्थापित नहीं है। अन्य सभी राज्यों में वेगन फैक्टरी अथवा इंजिन फैक्टरी अथवा कोई अन्य फैक्टरी स्थापित है। केरल में बेरोजगारी की एक भारी समस्या है। दुर्भाग्य से रेलवे ने केरल में कोई सहायक उद्योग आरम्भ नहीं किया है।

विद्युतीकरण कार्य के बारे में वे यह कह रहे है कि वहां से कोई ट्रैफिक नहीं गुजर रहा है।

केरल सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है और हम रेलवे किराये की अदायगी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से केरल में रेलवे लाइन का विद्युतीकरण बिल्कुल भी नहीं किया गया है। एलनी-क्वीलोन लाइन का निर्माण 100 किलोमीटर तक किया है अर्थात् कुल निर्माण केवल 900 किलोमीटर हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे यहां अखिल भारतीय स्तर के मुकाबले केवल 35 प्रतिशत निर्माण हुआ है। अतः मैं रेल मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे कोचीन मदुरई जैसी नई रेलवे लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ करें। इस बारे में 2 वर्ष पहले सर्वेक्षण किया गया था और अब वे कह रहे हैं कि उनके पास धनराशि उपलब्ध नहीं है। या तो वे कहेंगे कि यह व्यवहार्य नहीं है अथवा मितव्ययी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह क्षेत्र चाय इलायची और काली मिर्च के निर्यात से 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। इन रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए एक वर्ष की विदेशी मुद्रा ही काफी है। यहां पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत लोग जंगली हाथियों और मलेरिया से लड़ते है और विदेशी मुद्रा कमाते है।

परन्तु उनके लिए यात्रा की कोई सुविधा नहीं है। अतः मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं

[श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल]

कि वे इस बारे में पुन: विचार करें और कोचीन-मदुरई की अन्तर्राज्यीय रेलवे लाइन पर कार्य आरम्भ करें। यदि उन्हें स्वेज नहर, अमरीका अथवा यूरोप में सामान ले जाना होता है तो उन्हें सीलोन का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। सीधे ही पश्चिम की ओर जाने के बजाय वे श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए पूर्व की ओर जाते हैं और फिर स्वेज नहर की ओर आते हैं। अत: यह एक राष्ट्रीय अपव्यय है। जहाज को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है और हमें कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे शीघ्र ही कोचीन-मदुरई लाइन को पूरा करें ताकि लोग आसानी से पश्चिमी देशों में जा सकें। इसी प्रकार यदि एक यात्री मंगलोर अथवा कोचीन से बम्बई जाना चाहता है तो उसे पूर्वी तट पर जाना पड़ता है और फिर पुन: पश्चिमी तट पर जाना पड़ता है और फिर पुन: पश्चिमी तट पर आना पड़ता है। अत: इस अतिरिक्त दूरी को तय करने में बहुत सा समय और ऊर्जा लगती है।

अत: मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे मंगलोर कोंगन रेलवे लाइन को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करे और केरल में लाइनों का विद्युतीकरण करें। केरल एक्सप्रेस जैसी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में खाना बहुत खराब होता है। विशेष रूप से उत्तर में हमें छोटे से एल्यूमिनियम फायल में खाना मिलता है और अब खाने की वस्तुओं की कीमत में भी 2 रुपये अथवा 3 रुपये की वृद्धि हो गई है। यह खाना यात्रियों की रुचि के अनुसार भी नहीं होता है। मैं रेल मंत्री से अच्छा खाना देने का अनुरोध करता हूं। लगभग तीन सप्ताह पहले मैंने यह प्रश्न पूछा था कि सुपर फास्ट केरल एक्सप्रेस का सही समय पर पहुंचने का प्रतिशत केवल 30 प्रतिशत ही है। इसका अभिप्राय यह है कि यह रेलगाड़ी दिल्ली अथवा त्रिवेन्द्रम में तीन दिन में एक बार भी समय पर नहीं पहुंचती है और आप इस रेलगाड़ी के लिए भी सुपर-फास्ट किराया वसूल कर रहे है। मैं मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त रेलगाड़ी समय पर चले। मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। जैसीकि हमारे देश ने तरक्की की है और इसी रोशनी में देखें तो रेल विभाग ने भी अपने विभाग में काफी तरक्की की है। आजादी से पहले हमें वे सुविधाए नहीं मिली जो आजादी के बाद हमें रेलवे विभाग द्वारा सुविधायें मिलीं। हमारे रेल मंत्रालय के रेल मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयासों से तरह-तरह की नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं और देश को एक सिरे दूसरे को मिलाने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेल विभाग ने जो तरक्की की है, वह बहुत ही प्रशंसनीय हैं और इस अवसर पर मैं माननीय रेल मंत्री, श्री माधवराव सिंधिया की और रेल उप मंत्री, श्री महाबीर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

उन्होंने बहुत-सी गाड़ियां यातायात के लिए उपलब्ध कराई हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी देहरादून से कानपुर तक एक गाड़ी दी है, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से और क्षेत्र के लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आज देश के यातायात की जरूरतों को देखते हुए रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन कुछ बातें कहे बगैर नहीं रहा जा सकता। एक तो पैसिंजर्स गाड़ियों में लैट्रिन बाथरूम में पानी की परेशानी होती है, टोंटियां भी टूटी रहती हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता

है। इसी तरह से आरक्षण की कमी की वजह से भी लोगों को परेशानी होती है, मुरादाबाद के बारे में मैं कह सकता हूं कि वहां पर इन सुविधाओं को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को आसानी से आरक्षण उपलब्ध हो सके। मुरादाबाद-बरेली डबल लाइन प्रस्तावित है लेकिन काम बहुत धीरे-धीरे हो रहा है. इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसी तरह से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के माडर्नाइजेशन का काम भी रुका हुआ है, इसको पूरा करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।

हमारे यहां बर्तनों का भारी व्यापार होता है। वहां से बर्तन सारी दुनिया में और सारे हिन्दुस्तान में जाते हैं, लेकिन मुरादाबाद से आगरा तक के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। आगरा घूमने के लिए फारनर्स आते हैं और वहां पर बर्तनों का अच्छा व्यापार हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि मुरादाबाद से आगरा तक एक गाड़ी चलाई जाए। माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों से मुरादाबाद से रामनगर कन्वर्शन का काम पूरा हो चुका है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। रामनगर से नैनीताल नजदीक है और बाहर से तथा देश के कोने-कोने से यात्री यहां पर आते हैं, लेकिन नैनीताल के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। मेरा सुझाव है नैनीताल बम्बई के लिए भी सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को बधाई देते हुए मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं भी इनकी मांग का समर्थ करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बिल पर रमैया जी ने बोलते समय कुछ बातें बताई, मैं आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। इसके बारे में मंत्री महोदय को पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह गाड़ी दो बजे निकलती है और दूसरे दिन 5 बजे 26 घंटे में पहुंचती है, जबकि 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इस तरह से हमारे दो दिन खराब होते हैं। इसके बारे में कई बार हम बोल चुके हैं, मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन नया टाइमटेबल जो फर्स्ट मई से आया है, उसके 2.15 बजे चलकर 5 बजे सिकंदराबाद पहुंचती है, इस तरह से दो दिन खराब होते हैं। जी० टी० एक दिन दो रात में मद्रास, पहुंचती है, इस तरह से एक दिन खराब होता है, जब मद्रास पहुंच सकते हैं, तो आंध्र क्यों नहीं? तमिलनाडु एक्सप्रेस भी रात को निकलती है। दो रात एक दिन में पहुंचती है। जी० टी० और तमिलनाडु एक्सप्रेस एक साथ चलती है। यानी एक के पीछे एक। तो फिर आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस क्यों नहीं पहुंच सकते। क्या इसलिए कि आंध्र का कोई अधिकारी बोर्ड में नहीं है, जनरल मैनेजर मद्रास का है। आंध्र एक्सप्रेस के बारे में हमारा कहना है कि 24 घंटे के अंदर यह गाड़ी पहुंचनी चाहिए। साढ़े 5 बजे निकलकर साढ़े 8 बजे पहुंच सकती है।

शाम को या सुबह को उसको यहां से निकालना चाहिए। दोपहर का समय ठीक नहीं है। इसके लिए कई बार आपको पत्र लिख चुका हूं। पत्र का न तो जवाब और न एकनोलेजमेंट ही मिलता है क्योंकि आपके अधिकारी नहीं चाहते हैं। बंगलोर-हैदराबाद एक्सप्रेस को तीन-चार घंटे लूज टाइम देते है ताकि प्राइवेट बसें रेलगाड़ी से पहले पहुंच सकें। इस तरह का रवैये बदला जाना चाहिए। मैंने आपको पत्र लिखा है लेकिन जवाब नहीं मिला है। हिन्दूपुर, बेंगलोर जाने के लिए दो-तीन घंटे गाड़ी खड़ी करते हैं। इसका कारण यह है कि बंगलोर-हैदराबाद के बीच में बसें चलती हैं। बस पहले पहुंचती

[[श्री सी० जंगा रेड्डी]

हैं। और गाड़ी बाद में पहुंचती है इसीलिए लोग रेलगाड़ी की बजाय बस में जाना पसंद करते है। आपके अधिकारी पैसे लेकर गाड़ियों को रोकते हैं। यह जो लूज टाइम है इसको खत्म करना चाहिए। चौदह घंटे के अंदर ही हैदराबाद से बेंगलोर पहुंचना चाहिए। ए० पी० एक्सप्रेस का समय भी जल्दी से जल्दी चेन्ज करा दें। यह कहा जाता है कि कोचेज की कमी है इसलिए नये कोचेज बनाने के लिए पैसा चाहिए। काजीपेट में कोच फैक्ट्री लगाने की बजाय पंजाब में लगा दी है और एक फैक्ट्री मद्रास में बना दी है। दोनों कोनों पर एक-एक कोच फैक्ट्री हो गई और हम बीच में परेशान हैं। काजीपेट में कोच फैक्ट्री देने के लिए आपकी एक्सपर्ट कमेटी ने भी सिफारिश की थी। लेकिन उसको आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और एकता के नाम पर पंजाब में आग लगा दी।

आपने यह समझा कि पंजाब में उग्रवादिता बेरोजगारी के कारण बढ़ रही है और लोग भूख से मर रहे हैं इसलिए वहां पर फैक्टरी लगा दी। मगर साबुत हो गया वह अलग मामला है। लेकिन आन्ध्र प्रदेश में भूख के कारण उग्रवादिता बढ़ रही है, नैक्सालाइट बढ़ रहे है, जुल्म हो रहे हैं, काफी लोग बेरोजगार हैं फिर भी आपने वहां पर फैक्टरी खोलने की कोई चेष्टा नहीं की। जहां पर फोड़ा है वहां आपने दवा नहीं लगाई। आप बिना रोगी को पहचाने की दवा देने की कोशिश करते हैं। रोगी जिस कारण से कष्ट उठा रहा है उसके लिए दवा देने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि दूसरी जगह पर दवा देने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि काजीपेट में कोच फैक्टरी लगाइये ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। जनगांव मैन-गेट के बारे में भी मैंने पत्र लिखे हैं। आपका कहना है कि पांच किलोमीटर के अन्दर मैन-गेट नहीं दे सकते हैं। अगर म्युनिसिपेलिटी या गांव पंचायत दो लाख रु० या मेंटीनैंस चार्ज देने के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो आप वहां पर खोलने के लिए तैयार हैं। फ्युअल पैट्रोल व डीजल को बचाने के लिए कम से कम दो किलोमीटर पर मैन गेट बनाइए। दो किलोमीटर के अंदर कम से कम बिना आदमी का गेट बनाने की कोशिश करें। इस बारे में मैंने पत्र लिखा था। मेरे क्षेत्र में जनगाव नामक म्युनिसिपेलिटी है, वहां पर ओवर-ब्रिज बन रहा है जिससे मैन गेट खत्म हो जाएगा। तीन किलोमीटर पर वहां से है जहां पर चालीस-पचास हजार की जनता है। गेट बनाने के लिए म्युनिसिपेलिटी से दो लाख रुपए के बारे में पूछा है। लेकिन वहां तो सफाई के लिए पैसे नहीं है। पानी पिलाने के लिए पैसा नहीं है। दवा के लिए पैसा नहीं है, पानी पिलाने के लिए पैसा नहीं है तो गेट बनाने के लिए पैसा कहां से मिलेगा।

इसलिए मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। आप गाड़ियों को रोक रहे हैं। एक मंत्री जी बोलते हैं कि यहां गाड़ी रोक दो तो आप वहां गाड़ी रोक देते है मदुरा में आप कोणार्क एक्सप्रेस को रोक रहे हैं, वेंगलराव जी ने कहा था इसलिए। जबकि मदुरा और जलगांव की जनसंख्या में काफी अन्तर है। मदुरा की जनसख्या 15 हजार है और जलगांव की जन-संख्या 50 हजार है। लेकिन जलगांव में आप गाड़ी नहीं रोक रहे हैं। हमने अधिकारियों से पूछा कि मदुरा में आप कोणार्क या मीनार एक्सप्रेस को रोक रहे है और जलगांव में क्यों नहीं रोकते नहीं तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं, आप मंत्री जी से पूछे। अगर कोई गाड़ी सुपर फास्ट है तो आप तालुका हैड क्वार्टर या जनसंख्या के आधार पर रोकने के नियम बनाइये। आपके मंत्रिमंडल के एक सहयोगी के कहने पर आप वहां गाड़ी रोक दें ऐसे नहीं चलेगा। आंध्र प्रदेश में गोदावरी, गोमती और नर्सीपुर जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनको पुराने तालुका हैड क्वार्टर पर रोकने की कोशिश करें और जल्दी रोके ताकि उनके व्यापार में आने-जाने की सुविधा हो। एक चार मीनार एक्सप्रेस है और एक

मद्रासएक्सप्रेस है। मद्रास तो पहले जलगांव में रुकती थी, अब नहीं रुकती है और चार मीनार तो सुपर फास्ट है इसलिए वह नहीं रुकेगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : चार मीनार नहीं मीनार एक्सप्रेस होगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मीनार एक्सप्रेस आपके जमाने में चालू किया गया था अब चार मीनार आ गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : चार मीनार सिगरेट भी हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जलगांव एक बड़ी म्यूनिसिपलिटी है उसकी आबादी पचास हजार की है वहां पर इन गाड़ियों को रोकना चाहिए। आंध्र में जो पुराने तालुका हैं जिनकी आबादी बीस से पचास हजार है जहां पर काफी बिजनेस होता है इन गाड़ियों को वहां रोकने की कोशिश करें। केवल रेल स्टोपेज के लिए मंत्री जी के पास जाकर भीख मांगे यह अच्छी बात नहीं है। आप प्रथम श्रेणी में बेड रोल का इंतजाम करने की कोशिश करें। वहां ए. सी. II में होता है। आपने जो सुविधा स्वतन्त्रता सेनानियों को दी है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उस रोकें। काजीपेट में एक डिवीजन खोलें और एक इलैक्ट्रोनिक लीको शैड स्थापित करने का मैं आपसे आग्रह करता हूं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रीजी ने जो रेल विधेयक 1986 सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। अपने विभाग में और अपने कार्यक्षेत्र में रेलवे ने प्रशंसनीय ख्याति अपनी उपलब्धियां में प्राप्त की है जिसके लिए रेल मन्त्री जी और उनके सहयोगी श्री महाबीर प्रसाद जी तथा रेलवे अधिकारीगण और समस्त रेलवे परिवार के सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। रेल विभाग आज पूरे हिन्दुस्तान में अपना एक कीर्तिमान पैदा कर सका है। इसके साथ ही उसकी प्रकृति अपने आप में देश की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। रेलवे में जो विभिन्न विभाग में कार्य चल रहे हैं उन कार्यों के जो प्रोजेक्ट्स हैं रेल मन्त्री और रेल मन्त्रालय ने अपना एक ओब्जेक्टिव रखा है, दृष्टिकोण रखा है जो वास्तव में रेल विभाग के विस्तार और विकास के लिए बहुत आवश्यक है।

2.00 म० प०

सर्वप्रथम मैं माननीय मन्त्री जी को कार्पोरेट प्लान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से सन् 1984-85 से लेकर सन् 1999-2000 तक 15 वर्षीय कार्पोरेट प्लान बनाकर पेश किया है, जिसमें देश की तमाम आवश्यकताओं फ्रेट सम्बन्धी और पैसेंजर ट्रैफिक सम्बन्धी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखा गया है, जिसके लिए रेल मंत्री जी और रेल मन्त्रालय के तमाम अधिकारी गण धन्यवाद के पात्र हैं। यह कार्पोरेट प्लान सन् 2000 तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके साथ-साथ पैसेंजर ट्रैफिक के लिए इसमें एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जिसकी प्राप्ति के लिए, देश की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक प्रावधान किए गए है।

2·01 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मेजर ओब्जेक्टिव उस कार्पोरेट प्लान का यह है कि 41? से 440 बिलियन किलोमीटर, इन्क्लूडिंग बोथ-नॉन-सब-अर्बन पैसेंजर ट्रैफिक एण्ड नॉन सबर्बन ट्रैफिक जो 310 और 330 बिलियन के बीच

[श्री राम सिंह यादव]

है, जब कि सब-अर्बन पैसेंजर ट्रैफिक 105 और 110 बिलियन के बीच है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें व्यवस्था की गयी है। यह प्लान अपने आप में अनूठा है जो रेलवे की तरक्की के लिए, रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। रेल मन्त्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

आज हमारे रेल मंत्रालय या रेल विभाग के पास जितने सब-डिवीजन या कार्पोरेशन्स हैं, जितने पब्लिक अंडरटेकिंग रेल मन्त्रालय के अधीन हैं, मैं यहां खास तौर से इरकान की तारीफ करना चाहूंगा, उसने देश और विदेशों में जितना कार्य किया है, बड़ी जिम्मेदारी से किया है और नियत अवधि में कार्य का सम्पादन करके बड़ा नाम कमाया है। उसे देश और विदेशों में जितने टेंडर्स या कान्ट्रैक्टस मिले; उन सब में उसने अच्छे स्टैन्डर्ड कार्य करके दिखाया है।

देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित की है, कमाई है। इसके साथ-साथ हमारे देश के अनेक इंजीनियरों और दूसरे स्किलफुल लोगों को रोजगार मिला है। दुनिया के दूसरे प्रगतिशील देशों में रेलवे ने जितनी तरक्की की है, उनके मुकाबले भारतीय रेल पहुंच गई है, उनके समकक्ष हमारे यहां तरक्की के काम हुए हैं, जिसके लिए मैं इरकौन को धन्यवाद देता हूं। आज इरकौन ने 27 करोड़ रुपये का प्रौफिट कमाया, जिसका टर्न ओवर 197 -77 में केवल दो करोड़ रुपये से शुरू हुआ था, लेकिन आज वह बढ़ कर 208 करोड़ रु० हो गया है। यह अपने आप में ऐसा पब्लिक अंडरटेकिंग है जिसकी जितनी तारीफ की जाये कम है क्योंकि जहां एक ओर वह देश के नवयुवकों, स्नातकों और इंजीनियरों को रोजगार प्रदान करता है, वहीं हम ग्लोबल टेंडर्स या रेलवे कंसट्रक्शन काम में कैसे दक्षतापूर्वक कम्पीट कर सकते हैं, उसके अवसर भी हमें प्राप्त हुए हैं। इससे हमारे यहां के अधिकारियों की कार्यकुशलता और हौसला बढ़ता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मौजूदा रेलवे बिल कन्सोलिडेटिड फार्म में सदन के समक्ष रखा है। पहले रेलवे बिल में बहुत सी कमियां थीं, जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अब रेलवे बिल के माध्यम से उनकी पूर्ति की जा सकेगी।

माननीय रेल मंत्री जी पुनः धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने पहली बार देश में फ्रेट ट्रिब्यूनल और पैसेंजर्स के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया है जो यह सजेस्ट करेगा कि फ्रेट के रेट हमारे देश में क्या होने चाहिए। यह एक नया कन्सैप्शन है। वास्तव में प्रजातांत्रिक देश में एक पैसेंजर जिस व्हीकल का प्रयोग करता है या मोड ऑफ कन्वेयैंस का इस्तेमाल करता है, वह उसके लिए कितना किराया देने की स्थिति में है, रेलवे विभाग एक पैसेंजर से कितना किराया वसूल कर सकता है, इसका निर्णय प्रजातांत्रिक ढंग से किये जाने की पहली बार व्यवस्था की गयी है। उस प्रजातांत्रिक तरीके का समावेश मौजूदा रेलवे बिल में किया गया है। अब रेलवे विभाग में एक ट्रिब्यूनल होगा, और एक चीफ कमिश्नर दो सहयोगी मेम्बर्स, जिनमें एक आर्थिक दृष्टि से कुशलताप्राप्त होगा और दूसरा रेलवे मैनेजमेंट में दक्ष होगा, उसमें रखे गये हैं। इस प्रकार के रेलवे ट्रिब्यूनल की जो आपने फारमेशन की है या जिसके फारमेशन करने की इसमें कल्पना की है, जो प्रावधान किया है, वह अपने आप में एक प्रशंसनीय कदम है।

माननीय रेल मन्त्री जी आपने रेलवे अधिनियम में इसकी धारा 106 में इस बात को कहा है कि रेलवे के खिलाफ जब कोई भी क्लेम पेश करेगा, तो उससे पहले उसको एक नोटिस देने की आवश्यकता होगी और नोटिस के बावजूद भी यदि रेलवे ने अपने आप में कोई क्लेम तय कर दिया है तो

क्लेम के बाद वह किसी भी तरह से भी रेलवे के खिलाफ सिविल अदालत या दूसरी अदालतों में दावा नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में पुन: विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि रेलवे क्लेम के तय होने के बाद रेलवे क्लेम, जिस व्यक्ति को लॉस हुआ है या जो क्लेम पाने का अधिकारी है, वह रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने जाकर और रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया है, उस फैसले को चुनौती देने का अधिकार संविधान में भी और हमारी सिविल प्रक्रिया में भी एक सिटीजन को, एक आम नागरिक को दिया हुआ है। आपने उसको इस आधार पर वंचित करना चाहा है कि यदि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के पास से जो उसका निर्णय हुआ है, उस निर्णय की प्रति और उस मुआवजे की जो रकम है उस व्यक्ति को दी गई है, उसके बारे में यदि वह कहता है कि यह फैसला हो चुका है, तो फिर वह सिविल कोर्ट में दावा नहीं कर सकता है और वह दावा नहीं चल पाएगा। मेरा ऐसा मत है कि विधि के अनुकूल उस व्यक्ति को जिसका डैमेज हुआ है, इस तरह का दावा सिविल कोर्ट में करने का अधिकार है और यह अधिकार उसको रहना भी चाहिए।

इस प्रकार के अधिकार से उसको वंचित करना न्यायोचित नहीं है। और इस प्रकार के प्रावधान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कानूनी आधार पर, कानूनी मुद्दे पर के आधार पर। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने क्लेम्स के बारे में जो यह चिन्ता जाहिर की है कि एक्सीडेंटस क्लेम का पेमेंण्ट्स सही तरीके से और जल्दी हो, लेकिन माननीय मंत्री जी आप जिस कल्पना के साथ चल रहे है, इसमें एक्सीडेंट्स, क्लेम और खासतौर से ऐसे केस जहां पर पैसेन्जर की मृत्यु हो जाती है, वहां पर उस क्लेम की एक इंस्टालमेंट उसी वक्त मिलनी चाहिए विदिन वन मथ, चाहे वह दरख्वास्त दे या न दें। कम से कम उस क्लेम का वन फिफ्थ हिस्सा, यानी उसको 25 हजार रुपए की राशि एक महीने के अन्दर-अंदर मिलनी चाहिए, जिस तरह से हमने मोटर विहीकल के एक्ट में यह प्रावधान किया है कि उसको 15 हजार रु० की राशि एकमुश्त, शुरू में दे दी जाएगी। उसी प्रकार से रेलवे में भी 25 हजार रुपए की राशि शुरू में दी जानी चाहिए और उसके बाद आज के हालातों को देखते हुये जिस व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है, उसको कम से कम भी डेढ़ लाख रुपया क्लेम का दिया जाना चाहिए।

महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रेलवे एक्सीडेंट्स क्लेम्स के बारे में जो देरी हो जाती है, उन क्लेम्स का भी शीघ्र निपटारा होना चाहिए, खासतौर से एक्सीडेंट्स के मामले में। आपने इस अधिनियम में यह प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति मरता है, उसके उत्तराधिकारी कौन कौन हों। मैं समझता हूं कि आपने जो उत्तराधिकारी का चैप्टर दिया है, इसका निर्णय उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत कानून से होना चाहिए कि वे किस कानून से गवर्न करते हैं। इसलिए आपने जो यह प्रावधान रखा है, इसके लिए यदि वह हिन्दू है, तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट है, यदि वह मुसलमान है, तो मुसलमान सक्सेशन एक्ट है, यदि वह क्रिश्चयन है, तो उसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट से है, उसके तहत, उसके वारिस का और उसके इनहेरीटर्स का फैसला होना चाहिए। बनिस्बत इसके कि जो प्रावधान आपने रेलवे बिल में किया है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र अलवर के बारे में रेल मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस वर्ष मथुरा अलवर, ब्राडगेज रेलवे लाइन, जो नई निर्माणाधीन है, उसका निर्माण कार्य अलवर की ओर से शुरू कर दिया है। उसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मथुरा की तरफ भूमि की अवाप्ति के बारे में कुछ विवाद थे और अलवर में करीब-करीब 60-70 कि० मी०,

श्री राम सिंह यादव

जहां तक राजस्थान का क्षेत्र था, वह सारी जमीन अवाप्ति करके रेलवे विभाग को दे दी है और कब्जा भी उसका दे दिया गया है। कोई एक-दो मील के ऊपर कोई डिस्प्यूट होगा, तो उसको भी जल्दी ही राजस्थान सरकार और हम सब मिलकर उसका निर्णय शीघ्र करा रहे हैं। यह कार्य काफी तेजी से चला हुआ है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य को जिस तरीके से इसका 44 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और इस साल इसमें आपने केवल 7 करोड़ रुपये दिए हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि सप्लीमेंटरी डिमाइंड्ज के लिए जब आप इस सदन के सामने आएं तो कुछ और रकम इसमें दें जिससे जल्द से जल्द यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, क्योंकि आपकी यह इच्छा है कि आप अलवर और जयपुर को बड़ी रेल लाइन से जल्दी से जल्दी जोड़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस का मामला इसमें व्याधा हो सकता है। जिस प्रकार से आपका रेलवे विभाग अच्छी तरह से प्राफिट अर्न कर रहा है, मुझे आशा है आप इसकी आपूर्ति करा सकेंगे।

अलवर में आपने जो रेलवे स्टेशन के समीप ओवर-ब्रिज बनाने का कार्य किया है, मेरा निवेदन है कि आप उसका उद्घाटन करें लेकिन आपने उसके लिये केवल 40 लाख रुपये का प्रावधान किया है और यह प्रोजेक्ट 1 करोड़ 20 लाख का है इसलिए आप इसके लिए अधिक धनराशि दें जिससे यह इसी वर्ष दिसम्बर से पहले पहले पूरा हो जाये, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो दोनों तरफ लिंकेज थी, उसको पूरा कर दिया है।

खानपुर अहीर जो इस समय फ्लैग स्टेशन है और जिसके बारे में रेलवे विभाग ने भी सिफारिश की है कि इसको रेगुलर स्टेशन बना दिया जाये क्योंकि वहां पर स्टूडेंटस कम्युनिटी, फार्मर्स कम्युनिटी और लेबर कम्युनिटी भी है और वहां पर पैसेंजर्स काफी संख्या में होते हैं और फ्रेट ट्रैफिक भी बहुत हैं, इसलिये खानपुर अहीर जो रिवाड़ी और बांदीकुई सेक्शन के बीच है, जिसके बारे में आपके विभाग ने मुझे लिखित आश्वासन भी दिया है, उस पर विचार करके उसको आप नियमित स्टेशन का स्वरूप दे दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नया बिल इस सदन में पेश कर के, इस कानून में जो भी कमियां थीं उनको पूरा करने का सफल प्रयास किया है मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, सभा में सभी ओर से एक व्यापक रेल विधेयक लाने के सुझाव दिये गये थे। उन्हीं के अनुरूप माननीय रेल मन्त्री एक व्यापक विधेयक लाये थे और फिर उस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त चयन समिति को भेजा गया था। समिति ने दो वर्ष से अधिक समय तक इस पर विस्तार से विचार किया है।

कुछ बहुमूल्य मुद्दे उठाये गये थे और उनमें से बहुत सी बातों को मान लिया गया था। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मेरे विचार में ये दो बातें विधेयक में शामिल कर लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि उन लोगों को जो इंजन कर्मचारियों को लगातार 10 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य करते हैं, दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि वे इन्जन कर्मचारियों को

लगातार 10 घंटे से अधिक काम करने के लिये बाध्य करते हैं तो उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए। यह बात विधेयक में शामिल की जानी चाहिए थी।

दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में, मैं दुर्घटना लाभों के लिये दिये गये सुझावों का स्वागत करता हूं। परन्तु मान लीजिये कोई 'गैंगमैन' या इंजीनियरी कर्मचारी रेल लाइन पर काम कर रहा होता है और उस समय दुर्घटना हो जाती है और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा? किसी तरह का मुआवजा मिलना चाहिये क्योंकि वे काम पर थे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कुछ लोग रेल लाइन के साथ काम कर रहे होते हैं और उस समय यदि कोई रेल दुर्घटना हो जाती है और वे मर जाते हैं तो उन्हें क्या मुआवजा दिया जायेगा? यह उनकी गलती नहीं है। अतः ये बातें विधेयक में शामिल की जानी चाहिये।

अनुपूरक मांगों पर आते हुए यात्री सुविधाएं होनी चाहिए क्योंकि दो प्रमुख संस्थाएं हैं। पहली समस्या पुराने यात्री डिब्बे हैं और दूसरी खराब लाइनें हैं। इसलिए पुराने डिब्बों और खराब लाइनों को बदलना आवश्यक है। पुराने डिब्बे तथा खराब लाइनें दोनों ही दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बेशक पुराने डब्बों के स्थान पर नये डब्बे लगाये जा रहे हैं परन्तु बदलने का अनुपात बहुत कम है। पिछले वर्ष केरल में हुई दुर्घटना का हमें दुःखद अनुभव है जिसमें कुछ लोग मारे गये थे। इस दुर्घटना के बारे में कुछ रिपोर्ट आई है। क्या यह दुर्घटना मनुष्य की गलती के कारण हुई या जैसाकि कुछ समाचार पत्रों में कहा गया है कि यह तूफान के कारण हुई है जिसने 7-8 डिब्बे पटरी से उतार दिये? मैं यथास्थिति जानना चाहता हूं रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए और सभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस वर्ष हमें कर्नाटक एक्सप्रेस की दुर्घटना का अनुभव है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुराने डिब्बों और खराब लाइनों को आवश्यकतानुसार बदल देना चाहिए।

मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में कुछ चालू परियोजनाएं हैं। कोई नहीं जानता कि वे परियोजनाएं कब पूरी होंगी। पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि तामलुक-धीमा परियोजना कब पूरी कर ली जाएगी कुछ घोषणाएं की गई हैं परन्तु हम जानना चाहते हैं कि बलूरघाट—एकलाखी परियोजना कब पूरी हो जाएगी। इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा। बज बज – लक्ष्मीकांतपुर रेल लाइन कब पूरी होगी। बजट में बहुत कम धनराशि का प्रावधान किया गया है और इस तरह मैं नहीं सोचता कि ये परियोजनाएं 50 वर्ष में भी पूरी हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि हावड़ा-बरगाचिया-अमता सियाकला परियोजना को छोड़ दिया गया है। इस परियोजना की नियति के बारे में कोई नहीं जानता। वर्ष 1971 में इस परियोजना का शिलान्यास रखा गया था परन्तु अब वर्ष 1989 में हम देखते हैं कि इस परियोजना का भाग्य अधर में झूल रहा है।

दूसरी बात मैट्रो रेल के बारे में है। मैं जानता हूं कि कुछ समस्यायें हैं। चार मामले लम्बित हैं। कोई नहीं जानता कि अदालत में कितना समय लगेगा परन्तु यदि आवश्यक धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती (जो 150 करोड़ रुपये से भी अधिक है) तब तक मैट्रो रेल पूरी नहीं होगी। समस्या पैसे की है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्य बात, भाप के इंजनों को विद्युत तथा डीजल इंजनों में परिवर्तित करने के संबंध में है। रेलवे इसे प्राथमिकता दे रहा है। पश्चिम बंगाल में एक लाइन बन्देलकलुआ है। काफी लम्बे समय से

हम इस लाइन को विद्युत लाइन में बदलने की मांग कर रहे हैं परन्तु रेल मंत्रालय कोई जवाब नहीं दे रहा है। त्रिपुरा में चुनाव के समय कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी परन्तु उनके कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है। कोई भी नहीं जानता कि अगरतला को रेल लाइन से कब जोड़ा जाएगा। हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हम चाहते है कि वास्तव में रेल लाइन का निर्माण किया जाए। मुझे आशा है कि रेल मन्त्री इन मामलों की ओर ध्यान देंगे और सम्भावित उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, भारतीय रेलवे को मेरे विचार से तीन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत है एक तो प्लानिंग कमिशन का आशीर्वाद ताकि उनको लार्जर एलोकेशन मिल सके, दूसरा आम लोगों की सिम्पैथी और तीसरा हार्ड वर्किंग मिनिस्टर और डिसिप्लिंड वर्क फोर्स। सौभाग्य से हमारे पास हार्ड वर्किंग मिनिस्टर और डिसिप्लिंड वर्क फोर्स है। जितना समर्थन रेलवे को एलोकेशन के मामले में प्लानिंग कमीशन का मिलना चाहिए था, वह समर्थन रेलवे को नहीं मिल पाता और यही कारण है कि बहुत सारी नैसेसिटीज जिनको रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्टर महसूस करते हैं, उनको भी वह हाथ में नहीं ले पाते, उन प्रोजेक्ट्स और उसके कारण कई प्रकार की दिक्कतें खड़ी होती है।

जहां तक पब्लिक की सहानुभूति का सवाल है, निश्चित तौर पर हमारे जैसे देश में रेलवे से अलग हटकर कोई सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकता लेकिन इधर कई प्रकार के ऐसे एलीमैण्ट्स सामने आते है कि किसी से किसी प्रकार का गुस्सा हो तो वह गुस्सा रेलवे लाइन पर जाकर निकालते हैं। कहीं टैक्सटाइल की हड़ताल हो तो रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया जायेगा, रेल रोको आन्दोलन चला दिया जायेगा, कहीं पर स्टेट गवर्नमैण्ट के खिलाफ एजीटेशन हो तब रेल रोक दी जायेगी, कहीं पश्चिम बंगाल जैसे प्रान्त के अन्दर पोलिटिकल मामलों को लेकर पश्चिमी बगाल बन्द हो तो रेल को बन्द कर दिया जायेगा, इससे पब्लिक को भी नुकसान है, रेलवे को भी नुकसान है और रेलवे की फंक्शनिंग में किस तरह से डिस्टरबेंसेज पैदा होते हैं, हम उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाते। मैं समझता हूं कि इसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री को एक सिस्टेमेटिक प्रोपेगण्डा स्कीम दूरदर्शन और मीडिया के माध्यम से चलानी चाहिए ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि इस तरह से रेल रोके जाने के कारण कितना नुकसान रेलवे को अनावश्यक रूप से वहन करना पड़ता है और उससे जनता को कितनी कठिनाई होती है।

हमारे बहुत सारे मित्रों ने रेलवे एक्सीडेंण्ट्स का जिक्र यहां पर किया। मैं भी उनकी चिन्ता के साथ अपने आपको सम्बद्ध करना चाहता हू। मैं 1980 से इस सदन में हू, 1980 से लेकर 1983-84 तक रेलवे की जब भी बात चलती थी तो हमेशा रेलवे को क्रिटीसाइज किया जाता था रेलवे की फंक्शनिंग के लिए, रेलवे के एक्सीडेण्ट्स के लिए, चोरी की घटनाओं के लिए और भी कई ऐसी चीजें हैं लेकिन इधर रेलवे के अन्दर जो इम्प्रूवमेंट आया है, आज हम लोग जब भी रेलवे पर चर्चा करते हैं तो नई रेलवे लाइन की मांग करते हैं, रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन की बात करते है और सुधारों की बात करते हैं लेकिन फंक्शनिंग की वजह से क्रिटीसिज्म कम से कम होता गया है। इसके लिए हम सब लोगों को इस फैक्टर को एकनालिज करना चाहिए। हम भी चाहते हैं और मैं समझता हूं कि रेलवे मिनिस्टर सबसे ज्यादा इस बात के लिए चिन्तित होंगे कि वह रेलवे को कैसे एक्सीडेंण्ट फ्री बनाया जाय लेकिन हमारे जैसे देश में जिसका इतना बड़ा एरिया हो और जगह-जगह रेलवे लाइनें बिछी हुई हों, उसमें किस तरीके से रेलवे को एक्सीडेंण्ट फ्री किया जा सकता है जबकि कई प्रकार के कंस्ट्रेंट्स

हों, कई प्रकार की दिक्कतें हों, कई प्रकार के एक्सटरनल फैक्टर्स हों जिनपर रेलवे का बस नहीं है तो मैं यह बात नहीं समझ सकता कि रेलवे को चाहे स्वयं भगवान आकर क्यों न मैनेज करने लगे, रेलवे को एक्सीडेंण्ट फ्री नहीं किया सकता है। हां, एक्सीडेंण्ट्स की मात्रा को कम किया जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है। यदि तीन चार साल के ग्राफ को देखें तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे में एक्सीडेंण्ट्स का परसेण्टेज घटा है, मेरी समझ में इस साल पिछले साल से 32 परसेण्ट कम एक्सीडेंण्टेस हुए हैं। यदि हम दूसरे देशों के साथ तुलना करें, उन देशों के साथ जिन्होंने रेलवे के अन्दर हाइएस्ट एवेलेबल टेक्नोलोजी यूज किया है, जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस और इंगलैंड, तो वहां भी रेलवे के एक्सीडेंण्ट्स होते हैं।

रेलवे में यदि कहीं दुर्घटना होती है, चाहे छोटी दुर्घटना हो या बड़ी दुर्घटना हो, वह सदन के लिए और रेलवे के लिए चिन्ता का विषय है और रेलवे मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं ताकि यह महसूस हो सके, उनको जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कि रेलवे पूरे परिवार के साथ दुखी परिवार के साथ खड़ी है और रेल वे मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट उनके साथ खड़े हैं इस बात को इस फैक्टर को यदि हम लोग एक्नोलिज नहीं करेंगे तो यह अपने आप में बड़े दुख का विषय होगा। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए भी किया कि रेलवे मिनिस्टर को न तो मेरी प्रशंसा की जरूरत है क्योंकि उनका काम अपने आप में प्रशंसा है और व्यक्तिगत तौर पर मेरी रेलवे मिनिस्टर से कई प्रकार की शिकायतें हैं, यदि मैं उनका जिक्र करने लगूं।

[अनुवाद]

कम से कम मेरे विचार में मैं इन शिकायतों के बारे में कम से कम 30 या 40 मिनट तक बोल सकता हूं।

[हिन्दी]

लेकिन वह मेरी पर्सनल कम्पलेंट्स हैं लेकिन एज रेलवे मिनिस्टर जब मैं उनकी वर्किंग और रेलवे की वर्किंग को इवेलुएट करता हूं।

[अनुवाद]

सदस्य के रूप में मैं गर्व महसूस करता हूं।

[हिन्दी]

और उसी को एकनोलिज करने के लिए मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि जो एक्सीडेंण्ट्स इत्यादि होते हैं, उनके विषय में हम उनको कम करके आंकने की कोशिश करें। केरल में जो कोचीन एक्सप्रैस की दुर्घटना हुई है, उसके विषय में संसद सदस्यों ने यहां पर बातें कही हैं। मैं उनकी चिन्ता और उनके दुःख को समझता हूं तथा मैं भी उनके साथ अपने आपको को जोड़ना चाहता हूं। यह बात यहां पर भी कही गई, अखबारों में भी आई और इस चीज को देखते हुए उन्होंने रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की वर्किंग पर कुछ आक्षेप करने की कोशिश की। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की कार्यप्रणाली संदन केपंजों से बाहर नहीं है सदन को पूरा अख्तियार है उनकी वर्किंग को क्रिटिसाइज करने का, लेकिन उसको इस रूप में देखना कि रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर रेलवे के फॉल्ट को कवर-अप करने की कोशिश करेगा, यह उचित नहीं है। इसी लिए हमारे देश की नीति के निर्माताओं ने रेलवे

[श्री हरीश रावत]

सेफ्टी कमिश्नर को रेलवे मिनिस्ट्री के अण्डर नहीं रखा, बल्कि उसको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर रखा है। ताकि ऐसा न हो कि अगर कहीं रेलवे फाल्ट करता है, यह यदि रेलवे के अन्दर रहता है तो वह ठीक तरीके से उसको नहीं देख पाएगा और उनकी गलतियों को इवैल्यूएशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया। हर साल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उनकी रिपोर्ट देता है और उसका ब्रिफ यहां पर रखा जाता है। उस ब्रिफ को सदन के पटल पर रखा जाता है और सदस्यों की जानकारी के लिए भी उपलब्ध रहती है।

मैं समझता हूं कि अधिकांश मामलों में बल्कि 80-90 प्रतिशत मामलों में जिनमें रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने इन्क्वायरी की है, उन्होंने रेलवे के ऊपर आक्षेप किया है, रेलवे की फंक्शनिंग के ऊपर आक्षेप किया है। उन्होंने मैन-मैनेजमेंट, मैन्युअल फाल्ट, जो कि आदमियों के कारण होते हैं, उस पर आक्षेप किया है। ट्रैक आदि के विषय में भी आक्षेप किया है। ऐसा नहीं है कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने कभी रेलवे को बख्शा नहीं है। उन्होंने सीमा से बाहर जाकर रेलवे को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। क्रिटिकल नोट उन्होंने रेलवे के लिए दिए हैं। रेलवे मिनिस्ट्री पर उसका क्या रियेक्शन है, उसको भी समय-समय पर सदन के सदस्यों के लिए उपलब्ध रहे। मगर दुःख का विषय है कि हम हर मामले में रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की निष्पक्षता के ऊपर आक्षेप करने की कोशिश करते हैं। मैं भी सहमत नहीं हो सकता इस बात से कि एक तूफान के कारण रेल के डिब्बे उड़े और झील में गिर गए। यह मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है। यह भी सम्भव है कि उस तूफान की वैलोसिटी इतनी ज्यादा है। लेकिन बिना उस पर विचार किए हुए रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की वर्किंग के ऊपर आक्षेप करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह कोई एक अच्छी परम्परा नहीं होगी। मैं सदस्यों के अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई एक अच्छी परम्परा नहीं होगी। मैं रेल मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इस बात को बताने की कृपा करें कि डवेल्पड कन्ट्रीज में एक्सीडेंट का क्या रेशो है और हमारी कन्ट्री में क्या है यह ठीक है कि इन सालों में कमी आई है और कितने मामलों में रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने रेलवे को दोषी पाया है तथा रेलवे ने उनकी रिपोर्ट के अनुसार अपनी वर्किंग को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किए हैं ?

इन शब्दों के साथ रेल मन्त्री द्वारा जो सदन में रेल विधेयक और रेल विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान बनारस-भटनी लाईन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं······

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी नहीं। आप मेरी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित मत करिए।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस तरह से आप सभा में व्यवधान नहीं डाल सकते। मैं पहले ही दूसरे माननीय सदस्य को बुला चुका हूं। मेहरबानी करके बैठ जाइये।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री पी० अप्पालानरसिंहम** (अनकापल्ली) : सभापति महोदय, जब श्री माधव राव सिन्धिया ने रेल मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला तो हम बहुत खुश थे। वह एक युवा और गतिशील मंत्री हैं। हमें उनसे बहुत आशायें थीं। परन्तु दुर्भाग्यवश पिछले दो वर्षों में रेलवे के क्रियाकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ।

महोदय, उत्तर मे रेलवे स्टेशनों की दशा मैं कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। दुर्भाग्यवश देश के दक्षिणी भाग में विशेषतौर पर आंध्र प्रदेश में उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य में बहुत से स्टेशन जो राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट हैं उनकी अवहेलना की गई है। उदाहरण के तौर पर पेंडुरथी में एक रेल उपरिपुल बहुत पहले स्वीकृत किया गया था। यहां तक कि निविदायें भी आमंत्रित की गई थीं : शिलान्यास भी किया गया था। फिर भी वास्तविक निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार अनकापल्ली में एक पुल को बहुत पहले स्वीकृत दी गई थी और अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

महोदय, फिलहाल लिंक एक्सप्रेस जो विशापत्तनम से दिल्ली के बीच चलती है उसे दक्षिण एक्सप्रेस के साथ जोड़ दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल बेकार सिद्ध हुई है। यह गाड़ी 5 जिलों से होकर गुजरती है। गाड़ी के गुजरने का समय 6 घंटे तक बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त धीमी गति के कारण यह गाड़ी इस क्षेत्र के लोगों के लिए फायदेमन्द साबित नहीं हुई है इस गाड़ी में वातानुकूलित डिब्बे प्रतिदिन उपलब्ध नहीं होते हैं। यालामंचाली स्टेशन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यह महत्वपूर्ण स्टेशन है और इसमें 6 मंडल आते है। मद्रास हावड़ा मेल 3 अप और 4 डाउन, तथा ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस 45 अप और 46 डाउन इस स्टेशन पर नहीं रुकती हैं। मैंने पहले कई बार इस मामले का आपके सामने रखा था। मैंने इस मामले को परामर्शयात्री समिति की बैठकों में भी उठाया था। परन्तु उक्त एक्सप्रेस गाड़ी को इस स्टेशन पर रोकने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है इस महान मंच के द्वारा एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह देखें कि ये गाड़ियां येलामंचाली स्टेशन पर रुकें।

महोदय, अन्त में समारलाकाटा से विशाखापत्तनम और बिजयनगरम से विशाखापत्तनम बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हैं। समारलाकोटा तथा विजयनगरम से विशाखापत्तनम लगभग 10,000 दैनिक यात्री यात्रा करते हैं। इनमें से बहुत से लोग मजदूर हैं जो बिशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र तथा अन्य कारखानों में काम करते हैं। अत: समारलाकोटा तथा विजयनगरम दोनों जगहों से विशाखापत्तनम तक डीजल गाड़ियां प्रदान की जानी चाहिए। यह श्रमिकों के लिए फायदेमंद होगा और वी० एस० एल० के शीघ्र निर्माण में भी सहायक होगा।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने हेतु आपका शुक्रिया करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दामोदर पाण्डे (हजारीबाग) : रेलवे ने जो परम्परा कायम की है वह गौरवशाली परम्परा है कोई भी देशवासी इस पर सचमुच अभिमान कर सकता है। आज देश में सबसे सस्ता आवागमन का साधन रेलवे प्रोवाइड करता है। सिर्फ शहरों में ही नहीं, सीजन टिकटों में भी नहीं पूरी टिकट के साथ जो यात्री यात्रा करते हैं मैं मानता हूं कि इससे सस्ता साधन अभी देश में दूसरा नहीं है। यही कारण है

* मूलत: तेलगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री दामोदर पाण्डे

कि यहां पर जितने भी जन प्रतिनिधि बैठे हैं सब कोशिश करते है कि उनके यहां ज्यादा से ज्यादा रेल की सुविधा उपलब्ध हो जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। इतने बड़े सिस्टम में अगर कहीं फेल्योर हो जाये तो यह कोई बड़ा कारण नहीं है। अगर रेलवे में एक एक्सीडेंट हो गया तो यह मान लिया जाये कि रेलवे का काम खराब हो गया है, सही नहीं है। मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था। हम लंदन में कैम्ब्रिज रेल द्वारा जा रहे थे कि अकस्मात बीच लाइन में रेल रुक गई, कुछ पता नहीं लगा। थोड़ी देर बाद रेलवे का टी० टी० आया और उसने कहा कि हमारा इंजन फेल हो गया है और इस वजह से हम तीन घंटे यहीं खड़े रहेंगे। हम दो-तीन आदमी थे, हमें हंसी आई कि पता नहीं अपने देश से यह सिस्टम इंग्लैंड पहुंच गया या इनके यहां से यह सिस्टम हमारे देश में पहुंचा है। लेकिन एक चीज देखने को मिली कि जैसे ही कुछ समय बीता तो उन्होंने कहा कि हमारा इंजन फेल हो गया है इसलिए दो-तीन घंटे इंतजार करना पड़ेगा। हमारे यहां इतना सिस्टम विकसित हुआ है, इतना कम्युनिकेशन डवलपमेंट हुआ, लेकिन रेलवे में सूचना देना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। कभी-कभी यह बड़ा खराब लगता है, खासकर कोई विदेशी आये और हम उसके साथ यात्रा करें तो उनके साथ बात करने में बड़ी सुविधा होती है। आजकल रेलें समय पर चलती हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी हो जाये तो रेलवे को खबर देनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है। जापान में तो यह भी सुविधा है कि अगर रास्ते में गाड़ी लेट हो जाये तो उसका मुआवजा ट्रेन में पे करते हैं, बाहर जाकर नहीं मांगना पड़ता है, अगर जरूरत हो तो पनल्टी भी पे करते हैं। हम इतने आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो हमें भी इस दिशा में कुछ करना चाहिए। इतना बड़ा रेलवे का सिस्टम है, शायद दुनियां में दूसरा या तीसरा स्थान है।

हमें अपनी टेक्नालोजी में सुधार करना पड़ेगा, लेकिन बाहर से कोई टेक्नालोजी मंगाकर सुधार नहीं हो पायेगा। हम अपने व्यवहार में जब तक सुधार नहीं करेंगे काम करने वालों के मन में यह भावना नहीं होगी कि हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए चाहे जिस दर्जे के लोग हों साधारण कर्मचारी हों या अधिकारी हों, काम तो वे करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी काम एक अलग चीज है, वह होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसमें और सुधार होगा। मंत्री जी भी इस पर ध्यान देंगें। मैं जानता हूं कि गौरवशाली परम्परा में अच्छी बातें ही नहीं होतीं कभी-कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में गिले-शिकवे भी होते हैं। वह भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। मंत्री जी पता नहीं क्यों तय करके बैठे हैं कि बिहार वालों को ध्यान नहीं देगें, हम लोग जितना भी कहें। आपने देखा है कि हमारे वहां से कितनी अर्निग होती है। अगर उस अर्निग के अनुपात में थोड़ा हिस्सा भी खर्च कर दें तो बड़ी बात होगी। साउथ रेलवे और ईस्टर्न रेलवे सबसे ज्यादा अर्निग करने वाले जोन हैं। वहीं पर बिहार का कवर करते हैं, अर्थ बिहार को छोड़कर। एक किलोमीटर या एक फर्लांग भी रेल लाइन अगर पांच साल में नहीं बने तो हम नहीं सोचते कि यह अच्छी बात है। आप इस पर पुर्नविचार करें। बिहार ने ऐसा कौन-सा काम किया है जिसकी वजह से मन्त्री जी कृपा दृष्टि इतनी नाराज है ··· क्या आपने बिहार के लिये यह तय कर लिया है कि वहां कोई नई रेल लाइन नहीं बिछायी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसकी डिमाण्ड नहीं की जाती। मैं यहां हजारी बाग जिले से आता हूं जहां के लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है। आजादी से पहले वहां जो रेलवे सिस्टम था, उसमें कोई अन्तर नहीं आया है।

हमें अनेकों बार कहा गया था कि सर्वे किया जा रहा है और हजारीबाग को शीघ्र ही रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाएगा। पहले वह जिला का सदर मुकाम था, आज कमिश्नरी का सदर मुकाम है,

आज तक वहां जितने रेल मंत्री गए, सबने वहां जाकर वायदा किया हमारे प्रधानमन्त्री जी गए, उन्होंने भी वायदा किया, जितने विभिन्न पार्टियों के लोग वहां जाते हैं, वहां की दशा देखकर यही महसूस करते हैं कि इस इलाके में रेलवे लाइन अवश्य जानी चाहिए लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि सर्वे हो जाने के बावजूद, हमें उसके रिजल्ट कम्युनिकेट किए गए कि यहां रेलवे लाइन होना बहुत जरूरी समझा गया है, कोयले का उत्पादन यदि बढ़ता है तो वहां से कोयला ढोने के लिए रेलवे लाइन की बहुत आवश्यक है, हजारीबाग से कोयले को आपूर्ति रेलवे के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से कराया जाना सम्भव नहीं है अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हजारीबाग को रेल नक्शे पर लाने के लिए फिर से विचार करें। सर्वे तो बहुत बार हो चुका है, यदि अब भी आप यही जवाब दें कि सर्वे कर रहे हैं तो उससे लोगों को हर्ष तो आएगी लेकिन संतुष्ट कोई नहीं होगा। आपने वहां से उसे लिंक करना है, सर्वे रिपोर्ट आपके पास हैं; आप सब कुछ जानते हैं, इस सब के बावजूद उस काम में हाथ नहीं लगाया जाता है, बड़ी दुर्दशा है, इसलिए रेल मन्त्री जी, जो बहुत जरूरी चीज है, उस पर तो ध्यान देना चाहिए।

एक-दो बातें और कहकर मैं समाप्त करूंगा। कहने के लिए हमारे यहां नोर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने के लिए कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती हैं, नाम तो उनका अच्छा है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चाहे रांची से चले, धनबाद से चले या जमशेदपुर से चले, लेकिन व्यवस्थित रूप से वे सुपर फास्ट ट्रेनें समय पर पटना पहुंच जायें, और पटना में काम करने के बाद लोग वापस सही अपने स्थान पर पहुंच जायें, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है। यदि हम उन ट्रेनों का नाम "सुपर-स्लो ट्रेनें" रख दें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। वे बिलकुल पैसेंजर ट्रेनों के बराबर चलती हैं, न जाने कितने स्टेशनों पर ठहरती हैं, कोई उनकी फिक्र नहीं करता। सभापति जी, यदि आप बीच में घंटी बजाते रहेंगे तो हमें अपनी बात कहने का मौका कैसे मिलेगा...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मन्त्री जी को 2.50 पर उत्तर देना है और अभी चार व्यक्तियों को बोलना है। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : मैं आपके सामने अब जरूरी बातें ही रखता हूं हमारे यहां बिहार में जितने ट्रेनें चलती हैं, चाहे आप मौर्य एक्सप्रेस को देख लें, रांची-पटना एक्सप्रेस को देख लें, गंगा-दामोदर एक्सप्रेस को देख लें, उन सब में वे डिब्बे लगाये जाते हैं जो दूसरी जगहों पर कन्डेम हो चुके होते हैं। उन्हें सिर्फ बिहार की ट्रेनों में लगाया जाता है पता नहीं किस अपराध की हमें सजा दी जाती है, आप अन्याय करते हैं ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी आप इस ओर विशेष ध्यान दें। ऐसी बात कहीं है कि मन्त्री जी ध्यान दें और काम न हो लेकिन मेरा सुझाव है कि जो बिहार आपको इतना रिवेन्यु देता है, पैसा देता है, आप जरा उसकी दशा पर तो ध्यान देकर देखिए। ऐसा मौका नहीं आना चाहिये कि बिहार में कोई रेलवे लाइन नहीं बनायी जायेगी। वहां जितने रेलवे कम्पार्टमेंट है, चाहे फर्स्ट क्लास के हैं या थर्ड क्लास के, हम लोग तो सभी क्लास के कम्पार्टमेंटस में सफर करते हैं, हमारे बहुत से साथी जाते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि हम दुनिया की ऐसी रेल मे यात्रा कर रहे है जो दुनिया की मानी हुई रेलवे हैं, दुनिया की रेलों के स्टैन्डर्ड को तो छोड़ दीजिए। वैसे हमारा रेलवे सिस्टम दुनिया के उत्तम रेलवे सिस्टमों में गिना जाता

[श्री दामोदर पांडे]

है लेकिन बिहार की रेलों में यात्रा करने पर हमें वैसा कुछ अनुभव नहीं होता । हमें सब जगह जाने का मौका मिला है और मैं यह बात अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूं । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम दुनिया की उस रेलवे में सफर कर रहे हैं जहां की रेलवे नेशनेलाइजेशन के मामले में लगभग 50 साल पीछे है । हम अपने आप को दसवां इंडस्ट्रियलाइज देश मानते हैं, उस देश में बिहार की स्थिति क्या है, जहां सबसे ज्यादा औद्योगिक सेंटर्स हैं, प्रमुख उद्योग धन्धे हैं, वहां की गाड़ियों की क्या दुर्दशा है, सिर्फ एक दिन के लिए, राजधानी एक्सप्रेस धनबाद में खड़ी कर देने से उसकी प्रेस्टिज नहीं बढ़ जायेगी । राजधानी एक्सप्रेस में आपने कितनी सीटें दी हैं ? धनबाद से मुश्किल से 10-12 आदमी चलते हैं, तो पुरे बिहार में प्रेशस ट्रेन देने के लिए सिर्फ 10-12 आदमी आपने सिलेक्ट किए हैं । मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए । इसी तरह की जो दुर्दशा वहां ट्रेनों की है, उनको दूर करना चाहिए ।

एम्पलायमेंट की दशा बुरी है । जमालपुर में एक मात्र वर्कशाप है । जमालपुर में जहां 16 हजार आदमी काम करते थे. अब वहां 10 हजार रह गए हैं । पिछले साल इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकला और लोगों ने एप्लाई किया, लेकिन इंटरव्यू होते-होते एडवर्टाइजमेंट ही कैंसिल हो गया । अब अगर बहाली की यह स्थिति होगी, तो सिर्फ रेलवे कमिश्नर का कार्यालय पटना में खोलने से काम नहीं होगा । इस लिए इस पर ध्यान दें । जो वैकेंसीज हैं, उनको भरने की व्यवस्था की जाए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं ।

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, रेल के अन्तर्गत नागरिकों के लिए रेलों में सुविधा, सुरक्षा और सुदृढ़ता लाने के लिए जो विधेयक यहां लाया गया है, उसका मैं पूरा समर्थन करती हूं । रेलवे के बारे में अभी हमारे माननीय सदस्य और भाई यहां बोल रहे थे कि रेलवे में कर्मचारियों की समस्या है, कमी है, तो यह बात सही है कि रेलवे में चलने वाले यात्रियों की भी समस्याएं हैं वैसे ही सरकार की भी समस्याएं हैं, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याएं हैं और न रेल गाड़ियों की स्थिति ठीक है और न इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति ठीक है । इसमें ज्यादा कर्मचारियों की भरती आवश्यक है । सबसे ज्यादा लोड हमारे देश में रेलवे पर आ रहा है और कई गाड़ियां तो ऐसी हैं जिनके डिब्बे काफी खराब हैं और उनका चलना तुरन्त बन्द करना चाहिए । इस स्थिति के लिए इस बिल में भी ज्यादा और डिटेल्स रूप में कि कौन से ऐसे विभाग हैं कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कितना खर्चा किया जाएगा, उसको भी लाना आवश्यक है । इस बात की किसी माननीय सदस्य ने यहां मांग भी की है । मैं भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए इस बात को दोहराना चाहती हूं कि इस रेल बिल में खर्च को मांगों को ज्यादा डिटेल में वताया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, हमारे जैसे कई सदस्य हैं, जो यह नहीं समझते कि प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग विभाग की मदद से ही रेलवे का पूरा काम काज पूरा किया जाए, या डिमांड्स पूरी की जाएं, यदि यह संभव नहीं है, तो लोगों की तरफ से बाण्ड्स लेकर और लोगों का और समाज का कंट्रीब्यूशन उसमें रखकर रेलवे को सुधार सकते हैं । इसलिए हमें चाहिए कि जो पुरानी चीजें हैं, उनको बदलना चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हैं, वह विदर्भ क्षेत्र है । मैं मन्त्री महोदय का आभार मानती हूं कि इतनी सारी समस्याएं होते हुए भी जिस हिम्मत से माधोराव जी और उनके साथ अब

इसको चला रहे हैं, उसके लिए इनको धन्यवाद देती हूं और एक नाराजगी के साथ इनका अभिनन्दन करती हूं कि कई बार मैंने रेलवे की जोनल कमेटीज में इस बारे में बोला है कि किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो असंतोष होता है और किसी को ज्यादा मिलता है, तो उसको भी गुस्सा ज्यादा है। हमारे देश में फायनेंस की कमी है, आबादी बढ़ती जा रही है, यातायात के साधन कम होते जा रहे हैं, लेकिन विदर्भ जैसे क्षेत्र में अमरावती-नरखेड़ एक रेलवे लाइन है जिसका सर्वे भी अभी तक नहीं हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय श्री माधोराव जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बताया है कि उसका सर्वे किया जाएगा। यह बात आपने पिछले सेशन में मेरे क्वश्चन में बताई है, लेकिन माधोराव जी मेरे पास लैटर्स आते हैं कि उसका दो बार पहले ही सर्वे हो चुका है। तो अब आप जो अपना रिप्लाई दें, उसमें स्पष्ट करें कि कितने दिन बाद अमरावती-नरखेड़ रेलवे लाइन का जो विदर्भ के किसानों के लिए, जो सन्तरे की फसल उगाते हैं, सर्वे किया जाएगा।

उनका मार्केट नजदीक नहीं है इसके लिए उनको सुविधा कब दी जाएगी ? एक छोटी लाइन यवतमाल से मुर्तजापुर की है जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के कब्जे में थी, मेरी यह डिमांड है कि इसको बड़ी लाइन में बदलना चाहिए। पूरे देश में छोटी लाइनों के सुधार के लिए आपने कई प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन इस यवतमाल-मुर्तजापुर लाइन के लिए इन अनुपूरक मांगों में आपने पर्टिकुलरली क्या प्रावधान किया है यह नहीं बताया है। आपसे निवेदन है कि इसको अवश्य बड़ी लाइन बनाएं।

विदर्भ में अमरावती-नरखेड़ा के लिए जो नई रेल लाइन की डिमांड है उसके लिए आप कुछ न कुछ प्लानिंग में अवश्य रखें और यह भी बताने की कृपा करें कि कितने दिनों में वह पूरी की जाएगी और कब काम शुरू होगा ?

इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार व्यक्त करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मन्त्र उत्तर देंगे।

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, मुझे बोलना है।

सभापति महोदय : अपराह्न 3 बजे हमें साम्प्रदायि स्थिति पर चर्चा करनी है। दस मिनट के अन्दर हमें विधेयक पारित करना है।

श्री भद्रेश्वर तांती : आप मुझे नजरअन्दाज नही कर सकते मेरी पार्टी स्वीकृत मान्यता प्राप्त पार्टी है।

सभापति महोदय : समय नहीं है। कृपया सहयोग दीजिए। समय नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूं मैं बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, केवल दो मिनट।

श्री भद्रेश्वर तांती : ठीक है, मैं पांच मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : आपका क्या मतलब है ? मैंने कहा, दो मिनट और आप कहते हैं आप पांच मिनट लेंगे। आपका इससे क्या अभिप्राय है। कृपया दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री भद्रेश्वर तांती : बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का एक पिछड़ा हिस्सा है।

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : उन्होंने दो मिनट के लिए कहा था अब वह पांच मिनट से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, खुशामदी नहीं चलती।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का एक पिछड़ा भाग है। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, अगर आप वहां जायें तो आप पाएंगे कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। पिछले 40 वर्षों से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुछ नहीं किया गया है। रेलवे स्टेशनों की स्थिति सबसे खराब है, रेल के डिब्बों की स्थिति भी बहुत खराब है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल खराब डिब्बे ही भेजे जाते हैं और पिछले दो वर्षों से कोई नई रेल नहीं चलायी गई हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : केवल यात्री ही अच्छे हैं।

श्री भद्रेश्वर तांती : निस्संदेह, यात्री अच्छे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

इस बात पर भली प्रकार ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हम कोई बात कहते हैं तब आप कहते हैं कि मामला विचाराधीन है। हमें रटारटाया यही उत्तर मिलता है।

श्री माधव राव सिंधिया : इस पर कई बार दबाब डाला गया है, कई बार कहा गया है, वे और प्रधान मन्त्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है लेकिन वे सुनते ही नहीं और उनका भाषण भी बना बनाया होता है।

श्री भद्रेश्वर तांती : भाषण पहले ही वहां होता है, यह बना बनाया होता है और यह समाचार पत्रों में और संचार साधनों में आ जाता है। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती।

असम राज्य में गाड़ियां समय पर नहीं चलती। अगर गाड़ी को पांच बजे चलना होता है तो यह 12 बजे चलेगी। ऐसा रोज होता है। आप समय पर यात्रा नहीं कर सकते। आप अपने गन्तव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच सकते। गाड़ियां इतनी धीरे चलती हैं कि उससे अच्छा आप चलकर जा सकते हैं। अगर आप चलकर जायें तो आप जल्दी पहुच सकते हैं। मेरे राज्य की ऐसी बुरी स्थिति है।

कोई नई गाड़ी नहीं चलायी गई है और वहां जो भी गाड़ी है वह देश में सबसे धीरे चलने वाली गाड़ियां हैं। मैं मन्त्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने हमें कई बार आश्वासन दिए हैं कि उपलब्ध सुविधाओं में सुधार किया जाएगा लेकिन सुविधाएं नहीं दी गई है। अगर कोई वहां गाड़ियों में यात्रा करे तो वहां देखेगा कि वहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। रात को गाड़ियों में बिजली नहीं होती और लोगों को अंधेरे में ही यात्रा करनी पड़ती है।

वहां पर लाइनों का विस्तार नहीं किया गया है। मेरे राज्य में कांजीरंग एक्सप्रेस चलायी जाती थी। अब इस गाड़ी को रोक दिया गया है। मैं नहीं जानता कि इस गाड़ी को हटाया क्यों गया है ?

गुवाहाटी से जोरहाट को जोड़ने वाली केवल यही एक सुविधाजनक गाड़ी थी, उसे भी हटा दिया गया है।

मैं मन्त्री जी से असम राज्य की ओर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं। उन्हें असम को नहीं भूलना चाहिए। असम भी देश का एक हिस्सा है। वह काफी कुछ कर रहे हैं अब तक चलाई गई सभी नई गाड़ियां मध्यप्रदेश से होकर जाती हैं जो मन्त्री जी का राज्य है।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, कुछ नहीं किया गया है। सलाहकार समिति में भी, हमने यह मामला उठाया था। मन्त्री जी भी रेल लाइनों का विस्तार करने के लिए सहमत हो गये थे लेकिन कुछ नहीं किया गया।

गाड़ियों में डिब्बों की स्थिति बहुत खराब है, रेलवे स्टेशनों की दशा अत्यन्त सोचनीय है कोई भी व्यक्ति मच्छरों के कारण एक मिनट भी नहीं बैठ सकता है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही खराब है। यहां तक कि दिल्ली से और देश के अन्य भागों से पूर्वोत्तर राज्यों को जाने वाली गाड़ियों के डिब्बों की स्थिति बहुत खराब है। इस पर ठीक प्रकार ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री माधव राव सिंधिया हम 3 बजे साम्प्रदायिक उपद्रवों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : मेरे विचार में, मन्त्री जी केवल कुछ मिनट लेंगे जिससे कि हम तीन बजे साम्प्रदायिक उपद्रवों पर चर्चा आरम्भ कर सकते है। (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : मैं जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जल्दी से बोलने का प्रयास कर रहा हूं··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप केवल घोषणा कर दीजिए कि प्रत्येक बात विचाराधीन है··· (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : यही मैं कहने जा रहा हूं आपने मेरे शब्द कह दिये हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं उन्होंने चर्चा के दौरान रेलवे से सम्बन्धित कानून के संशोधन पर कुछ सुझाव दिए हैं, जैसाकि संयुक्त समिति ने बताया है और जो विनियोग संख्या 3, विधेयक अनुदानों की अतिरिक्त मांगों से संबंधित हैं।

जहां तक अनुदानों की अतिरिक्त मांगों का सम्बन्ध है यह बहुत कम है। कुल स्वीकृत अनुदान राशि 3839 करोड़ रु० थी और वास्तव में खर्च 13846 करोड़ रु० हुआ अत: 13839 करोड़ के बजट में से 7 करोड़ रुपये बहुत कम हैं। मेरे विचार से मुझे उस कोई टिप्पणी करने की जरूरत है।

रेलवे विधेयक 25 अप्रैल 1986 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और यह संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था। इस समय, मैं संयुक्त प्रवर समिति के सभापति श्री अरविन्द नेताम और अन्य सदस्यों की सराहना करना चाहूंगा; जिन्होंने रेलवे के कार्यकरण के सभी पहलुओं पर बहुत मूल्य वान सुझाव और संशोधन दिये हैं, जिन्हें हमने सदन में प्रस्तुत किया है। सभी संशोधन स्वीकृत हो गये है। पिछले सो वर्षो में उसमें खण्डश: संशोधन किए गए थे, जो 41 बार किए गए। अत: हमने इसे युक्तिसंगत बनाया और रेलवे विधेयक को इस तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो समय की आवश्यकताओं और जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। हमने 35 उपबन्धों को निकाल दिया जो पुराने थे और वह उस समय अधिक संगत थे जब रेलवे कम्पनियों द्वारा चलायी जाती थी और अब हमने इसमें 31 नये उपबन्धों को जोड़ दिया है। मेरे विचार से इसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है और सदन के

[श्री भद्रेश्वर तांती]

पास इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए समय था । मैं एक बार फिर समूची समिति को हमें दी गई मूल्यवान सहायता और सलाह के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि भविष्य में उससे रेलवे के कार्यकरण को सरल बनाने में सहायता मिलेगी ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों सर्व श्री बशीर और कृष्ण अय्यर ने क्वीलोन रेल दुर्घटना के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट का जिक्र किया था । मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि मादनीय मंत्री श्री कृष्णकुमार ने भी इस विषय में कई बार मुझसे बातचीत की थी और उन्होंने कई बातें पूछी थी । उनके साथ हुई बातचीत के पश्चात् हमने निर्णय किया कि रेल भवन में हमारे पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद हमें उसका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए जैसाकि हम हमेशा करते हैं । मैं इस मामले को सही ढंग से पेश करने और रेलवे सुरक्षा आयुक्त की बात स्पष्ट करने के विशेषतौर पर श्री हरीश रावत का धन्यवाद करता हूं । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि वह दिन अत्यन्त दुखदायी होगा जब रेलवे सुरक्षा आयुक्त पर आक्षेप लगाए जाएंगे और उनका निरादर करने का प्रयास किया जाएगा ।

महोदय, रेलवे सुरक्षा आयुक्त अत्यन्त सक्षम व्यक्ति है । वह रेलवे के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हैं । वह नागर विमानन के मंत्रालय के अधीन आते हैं जैसा कि माननीय सदस्य श्री हरीश रावत ने कहा है, बहुत से मेरे विचार से लगभग 85 से 90 प्रतिशत मामलों में आयुक्त ने स्पष्ट रूप से दुर्घटना की जिम्मेदारी रेलवे पर डाली है । और हमें दोषी पाया गया है ।

3.00 म०प०

जैसा कि कुछ समाचारपत्रों ने और केरल में कुछ वर्गों ने आरोप लगाया है इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि हम मामले पर पर्दा डालने का प्रयास करें या कुछ छिपाएं या दोष अपने पर न लें । यदि ऐसा होता तो एक दुर्घटना के लिए ऐसा क्यों करें ? 85 से 90 प्रतिशत मामलों में हमें दोषी पाया जाता है और हमने निश्चित मामलों में हमें दोषी पाया जाता है और हमने निश्चित रूप से दोष स्वीकार किया है और हमने उनकी सिफारिशें स्वीकार की है । (व्यवधान) मैं झुकूंगा नहीं क्योंकि मुझे एक मिनट में अपनी बात स्वीकार करनी है ।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यहां प्रस्तुत रेल अधिनियम के संशोधन द्वारा एक नया खण्ड जोड़ा गया है । इससे मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य हो गया है । यह रिपोर्ट सरकार संसद के दोनों सदनों में रखेगी । यह अब अनिवार्य कर दिया गया है । पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी । इससे पता चलता है कि रेलवे सब कुछ खुले तौर पर करता है । हमें इससे लाभ होगा क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे । इसलिए हम रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और इससे रेलवे सुरक्षा उपायों में सुधार की आशा करते हैं ।

मैं माननीय हरीश रावत का आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि रेल दुर्घटनाओं में 32 प्रतिशत की कमी हुई है । परन्तु हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें और कमी लाई जाए ।

इस दुर्घटना के विषय में, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमें इस दुर्घटना विशेष की विशेष परिस्थितियों पर विचार करना होगा । मेरे विचार में रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है । मेरे विचार में कोई टिप्पणी करने से पूर्व इसका गहन अध्ययन आवश्यक है ।

8 जुलाई, 1988 को पेरीनोन के निकट हुई दुर्घटना के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त, बंगलौर की रिपोर्ट मिल चुकी है। इस रिपोर्ट का अभी दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक अध्ययन कर रहे हैं। तत्पश्चात् वह अपनी टिप्पणी मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त और रेलवे बोर्ड को भेजेंगे। उसके बाद मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त के विचार भी प्राप्त किए जाएंगे।

मैं इस मामले पर श्री कृष्णकुमार के साथ विस्तारपूर्वक विचार कर चुका हूं और उन्हें सभी बातों से अवगत करा चुका हूं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों और विशेषतौर पर श्री कृष्णकुमार को आश्वासन देना चाहूंगा क्योंकि वह उस क्षेत्र विशेष से संसद सदस्य हैं कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त, बंगलौर की रिपोर्ट का विस्तृत एवं बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में और दुर्घटना की परिस्थितियों को देखते हुए, हम विशेषज्ञों की एक विशेष समित बनाएंगे जो रिपोर्ट का सभी पहलुओं से अध्ययन करेगी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व हम एक और स्वतन्त्र प्राधिकरण—राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की भी इस मामले में सलाह लेंगे।

मुझे विश्वास है कि इससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि हम मामले की तह तक पहुंचने और समस्या का पता लगाने तथा यदि कोई गलती हुई तो उसका पता लगाने और उसका समाधान करने के लिए कितने उत्सुक हैं। परन्तु इस पर अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व रिपोर्ट का पूर्ण रूप से अध्ययन करना, रेल मन्त्रालय के और बाहर के विशेषज्ञों की परामर्श लेना, राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की सलाह लेना आवश्यक है। मेरे विचार से यह सही प्रक्रिया है क्योंकि यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है और इससे न केवल रेलवे सुरक्षा कार्यों पर प्रभाव पड़ता है बल्कि उस कतिपय संस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रभाव पड़ता है जिसकी ईमानदारी का बहुत अच्छा रिकार्ड है।

इन शब्दों के साथ, मेरे विचार में मैं भूतपूर्व रेल मंत्री श्री मधु दंडवते का सुझाव स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्यों के सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। अधिकांश पर बजट सम्बन्धी चर्चा में बहस हो चुकी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि हम रेलवे के कामकाज में सुधार के लिए अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों से सम्बन्धित विधि के समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 200 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 200 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1986-87 के लिए रेलवे मन्त्रालय की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :

मांग संख्या 5, 13, 14 और 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3·06 म० प०

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक*, 1989

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मार्च, 1987 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभा रकमों को पूरा करने के लिए जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए अनुदान रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1987 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से

* दिनांक 3-5-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित

राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि मार्च, 1987 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च 1987 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचा किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी प्रश्न यह है कि :

"खंड 2 और खंड 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 तथा खंड 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित/प्रस्तुत

3.09 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति— जारी

सभापति महोदय : अब हम 24 अप्रैल 1989 को श्री बलवंत सिंह रामूवालिया द्वारा उठाई गयी देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति सम्बन्धी चर्चा पर आगे विचार करेंगे। श्री बनात वाला बोल रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, जैसाकि मैंने कल कहा था, हजारी-बाग में भी रामनवमी से पहले तनाव बढ़ रहा था किंतु उसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। जब वहां हिंसा भड़क रही थी उस समय वहां पुलिस का क्या रवैया था? हम देखते हैं कि 'बार काउंसिल' के अध्यक्ष ने स्वयं यह कहा है कि जब उन्होंने पुलिस से दंगाईयों पर गोली चलाने के लिए यहां तो उन्होंने रुखा-सा उत्तर दिया कि उन्हें ऐसा करने का आदेश नहीं है। वे वहां हिंसा के तांडव के मूल दर्शक बने रहे।

महोदय, इस प्रकार के गंभीर आरोप हैं कि बिहार मिलिट्री पुलिस धर्मिकों ने, अपने स्वभाव के अनुरूप ही लोगों पर अत्याचार किए और यहां तक कि उन्हें लूटा। अनेक निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दरवाजे तोड़ दिए गए और लोगों को बहुत मारा-पीटा गया। मोहम्मद उस्मान अन्सारी तथा मोहम्मद खलील की पुलिस की मारपीट तथा अत्याचारों के कारण मृत्यु हो गयी। हजारी बाग जिले में सिंदूर पंचायत के निकट एक गांव में क्षत-विक्षत लाशें मिलने के समाचार भी मिले हैं। ग्रामीणों ने समाचारपत्रों के संवाददाताओं को बताया कि 18 अप्रैल को एक ट्रक में पुलिस वाले आए और छह लाशें फेंककर चले गए। दिनांक 21 अप्रैल को पांच और लाशें डाली गईं। शव बोरी में डालकर लाए गए थे। महोदय, इसके लिए चौंका देने वाला तर्क दिया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद लावारिस लाशों को ठिकाने लगाने का यह आम तरीका है और इसका दंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। शवों को ठिकाने लगाने का कितना असभ्य तरीका है और कितनी निर्लज्जता से यह तथ्य स्वीकार किया गया है। मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि वे इस मामले की जांच करें।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में काल्पी में कुछ शरारती तत्वों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद एकत्रित किया और ऐसा लगता था कि उन्होंने पुलिस से एक सामान्य खुली स्वीकृति प्राप्त कर रखी है कि वे बेरोकटोक हथियार और गोली-बारूद एकत्रित कर सकें। कार्यकलापों की सूचना पुलिस को दी गयी थी किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह अत्यन्त दु:खद है कि कुछ शरारती तत्वों ने 17 अप्रैल को मोहल्ला राम चबूतरा पर पी० ए० सी० की शह पर गोलीबारी की तथा हथगोले फेंके। महोदय, मैं पुलिस तथा अन्य अधिकारियों की गैर-जिम्मेदाराना हरकत की बात कर रहा हूं। बताया जाता है कि काल्पी के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि बम एक मस्जिद के बुर्ज से फेंके गए थे। एक जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी ने इस प्रकार उत्तेजित करने वाली बात कही और इसके बाद मामले की जांच की गयी और स्वयं एस० एस० पी० ने यह निष्कर्ष निकाला कि बात ऐसी नहीं थी, तथा जिला मजिस्ट्रेट को बाद में अपने बयान पर पुन: गौर करना पड़ा। इससे प्रशासक के गैर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण का पता चलता है।

सभापति महोदय, सम्प्रदायवाद की समस्या पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक है। इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों ने धर्म के खिलाफ उंगली उठायी है। किंतु तथ्य यह है कि

धार्मिक भावातिरेक साम्प्रदायिक भावातिरेक से भिन्न है। ये बिल्कुल अलग-अलग हैं। इसी प्रकार साम्प्रदायिक दंगों की कानून और व्यवस्था की स्थिति से सम्बन्धित यह पारम्परिक अवधारणा कि यह केवल क्षणभंगुर सामाजिक अंतर्द्वन्द्व केवल आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता और राजनैतिक हथकंडे हैं, पूरी तरह सही नहीं है। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि साम्प्रदायिक तनाव एक साम्प्रदायिक विचारधारा का दूसरे सम्प्रदाय पर मतारोपण करने से उत्पन्न होता है, जिससे दोनों सम्प्रदाय एक-दूसरे के विरुद्ध हो जाते है। आज जो साम्प्रदायिक हिंसा एवं तनाव व्याप्त है, उसका यही आधार है।

महोदय, मैं बाबरी मस्जिद के बारे में विवाद का अवश्य जिक्र करूंगा। इस सदन को तथ्यों के बारे में गुमराह करने का प्रयास किया गया है। तथ्य यह है कि बाबरी मस्जिद लगभग 450 वर्षों से वहां है। वहां प्रार्थनाएं होती रही हैं। उससे पहले वहां किसी मन्दिर के होने का कोई संकेत नहीं है। केवल 22 और 23 दिसम्बर, 1949 के बीच की रात को मस्जिद में चोरी छिपे मूर्तियां रख दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी न्यायालय में यह बात स्वीकार की गयी थी।

महोदय, आज विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा उनसे सम्बन्धित संगठन खुले आम कहते हैं कि यदि न्यायिक फैसला भी उनके विरुद्ध हुआ तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यहां पर भी एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि वहां पर पूजा किया जाना धरती पर कोई ताकत नहीं रोक सकती। पूरे जोश से यह कहा जाता है कि न्यायिक फैसला भी नहीं माना जाएगा। सरकार को विशेष बेंच तथा न्यायिक फैसले की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और पूरे राष्ट्र को यह स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिए कि जो भी न्यायिक निर्णय होगा उसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

महोदय, खुली घोषणा की जा रही है कि बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया जाएगा और नवंबर 1989 में देश के प्रत्येक गांव से लायी गयी ईंटों से मंदिर बनाया जाएगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : अब सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकार चुप्पी साधे हुए है। यह चुप्पी आपराधिक है और इससे शरारती तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। समय पर उचित, पर्याप्त, प्रभावकारी तथा कड़े उपाय किये जाने चाहिएं अन्यथा सरकार स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और यह केवल बाबरी मस्जिद का ही प्रश्न नहीं है। मथुरा में शाही ईदगाह, वाराणसी में शाही मस्जिद तथा महाराष्ट्र में कल्याण में हाजी मलंग दरगाह के लिए भी दावे किए जा रहे है। ऐसे अनेक तीर्थ स्थानो के लिए दावे किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि वे धार्मिक स्थानों के 15 अगस्त 1947, अर्थात् हमारे स्वतन्त्रता दिवस की स्थिति के अनुसार दर्जे की रक्षा करन के लिए कानून बनाएं।

महोदय, साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में सुझावों की कमी नहीं है। कमी राजनैतिक इच्छा शक्ति की है। हमने इस सभा में अनेक चर्चाएं की हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक चर्चा के पश्चात् एक दृढ़ निश्चय दर्शाया जाता है, हमें अनेक आश्वासन दिए जाते हैं। मुझे याद है कि अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी के साथ पुलिस बल के पुनर्गठन का एक बड़ा पुराना सुझाव है। इस सभा में गुजरात के दंगों पर चर्चा के बाद, माननीय मन्त्री श्री पी० चिदम्बरम ने कार्यान्वियन का आश्वासन दिया था परन्तु आज भी वही स्थिति है। कोई भी कार्यान्वियन नहीं किया गया। इसी प्रकार मेरठ के दंगों पर चर्चा के पश्चात् माननीय मन्त्री श्री बूटा सिंह ने एक अन्य बहत पुरानी मांग के कार्यान्वियन का आश्वासन दिया था कि उच्चतम पुलिस तथा सिविल अधिकारियों को दंगों लिए व्यक्तिगत से जिम्मेदार माना जाएगा। महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने अधिकारियों को कितनी बार इस प्रकार जिम्मेदार

[श्री जी० एम० बनातवाला]

ठहराया गया है। अनेक सुझाव है, परन्तु उनके कार्यान्वयन के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। सदन को दिए गए आपके आश्वासन का कार्यान्वयन नहीं हुआ। अब हजारी बाग में अवश्य कुछ अधिकारियों का तबादिला किया गया है। क्या केवल अधिकारियों का तबादला इस गंभीर स्थिति के लिए पर्याप्त है ? महोदय मैं इस बात पर बल देता हूं कि कर्त्तव्यों का निर्वाह न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

साम्प्रदायिक दंगों और तनाव के मामले में पुलिस की भूमिका का प्रश्न महत्वपूर्ण है। पुलिस के दलगत रवैये ने स्थिति को गंभीर बना दिया है मैं यूं ही नहीं बोल रहा। जमशेदपुर के जितेन्द्र नारायण आयोग ने टिप्पणी की है कि :

जितेन्द्र नारायण आयोग ने कहा है :

"···आयोग का यह स्पष्ट मत है कि प्रशासन तथा पुलिस अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा देने में असफल रही है तथा उन्होंने दोनों अधिकारियों को···अपने झूठे और गलत वक्तव्यों से मामलों को तोड़-मरोड़ कर उलझाने की अनुमति दी है। सरकार को उनके व्यवहार की जांच करनी चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए कर्त्तव्य के प्रति इस प्रकार की लापरवाही को दंडित किए बगैर छोड़ देने से प्रशासनिक तन्त्र की ईमानदारी और न्याय निष्ठा से जनता का विश्वास उठ जाएगा।"

सरकार द्वारा जमशेदपुर के दंगों की जांच के सम्बन्ध में गठित जितेन्द्र नारायण आयोग के ये शब्द हैं।

महोदय, अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 31 दिसम्बर, 1988 को समाप्त हुए वर्ष की पहली वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 6 पर कहा गया है कि :

"आयोग ने यह मत भी व्यक्त किया कि पी० ए० सी० ने मुसलमानों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था।"

मार्च, 1981 में प्रस्तुत राष्ट्रीय पुलिस आयोग की छठी रिपोर्ट के पैरा 47.11 में कहा गया है कि :

"ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए जहां ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी तथा कर्मियों ने साम्प्रदायिक स्थिति से निपटते समय एक विशेष समुदाय के खिलाफ पूर्णतया एकतरफा व्यवहार किया··· ।"

ऐसी कितनी रिपोर्टें हैं ? यदि आप मुझे समय दें तो इन सरकारी रिपोर्टों से ऐसे अनेक उद्धरण उद्धृत किए जा सकते हैं। अब सरकार को इस मसले पर गम्भीरता और अनिवार्यता की भावना से विचार करना है।

इस बारे में तत्काल कार्यवाही करने के विषय पर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन स्थानों पर हुए दंगों तथा वहां पुलिस की भूमिका की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष केन्द्रीय दल भेजे। कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। अपराधी शरारती तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते समय निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न

किया जाए। एक निष्पक्ष केन्द्रीय दल द्वारा इन पकड़े गए सभी व्यक्तियों के मामलों की जांच की जाए, तुच्छ राहत देने के बजाय पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पूर्ण मुआवजा दिया जाए।

महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए निदेश देने वाली आपकी घंटी का आदर करते हुए मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि स्थिति गंभीर है। साम्प्रदायिक शांति को भंग करने के लिए एक गहरा षड्यन्त्र रचा गया है। आगामी दिनों में व्यापक हिंसा होने का खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अब और हिचकिचाहट न दिखाए और सख्त कार्यवाही करे। हमारे देश में एकता रहे और इसमें किसी भी धर्म, वर्ग अथवा जाति का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक क्षण के लिए भी असुरक्षित महसूस न करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ब्रज मोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदय, मैं शुरू में इस सभा के सम्मुख यह कहता हूं कि साम्प्रदायिक समस्या पर हमारी चर्चा के दौरान हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ धार्मिक विवाद, मुद्दा नहीं है बल्कि हमें इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि यह जाति का मुद्दा और जातीय विवाद भी है। वर्ष 1988 के दौरान लगभग 300 जातीय झगड़े और तनाव तथा 611 साम्प्रदायिक झगड़े और तनार की स्थितियां उत्पन्न हुई थीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कोई भी भ्रमित न रहे। मान लीजिए अगर सम्पूर्ण भारत में सारी जनसंख्या हिन्दू अथवा मुस्लिम होती तो क्या कोई झगड़े नहीं होते। वस्तुतः हम पाकिस्तान में देखते हैं कि यद्यपि वहां पर अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है लेकिन हम वहां पर हर रोज जातीय समस्याओं, झगड़ों संघर्षों और तनाव के बारे में सुनते हैं। इस लिए यदि यहां पर मुस्लिम न हो तब भी जातीय संघर्ष रहेंगे। मुझे तो आशंका है कि तब संभवतः और अधिक होंगे। आज हम देखते हैं कि हर रोज एक जातीय संघर्ष होता है और कम से कम दो साम्प्रदायिक संघर्ष होते हैं। यह स्थिति है। हमें अशांति उत्पन्न कर रही शक्तियों के विरुद्ध लड़ना है। इसे कौन नहीं जानता है। हर व्यक्ति यह जानता है। हमारी स्वतन्त्रता से पूर्व जब स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष चल रहा था तब इस पर अत्यन्त आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया था और सदैव यह पाया गया कि कुछ वर्ग कुछ निहित स्वार्थ साम्प्रदायिक तनाव को उकसाते हैं और इसे हवा देते हैं।

ये निहित स्वार्थ कौन है? ये वे लोग हैं जिनके आर्थिक स्वार्थ, राजनैतिक स्वार्थ अथवा सामाजिक स्वार्थ परस्पर विरोधी हैं, लेकिन ये लोग गरीब नहीं है। यह तो हिन्दुओं, ईसाईयों और मुसलमानों का उच्च-मध्यम वर्ग ही है जो साम्प्रदायिक गड़बड़ उत्पन्न करने में लगा होता है। हमें इस बारे में अत्यन्त सतर्क रहना चाहिए। चाहे यह बंटवारे का मसला था या गैर-बंटवारे का अथवा दो-राष्ट्र का सिद्धांत अथवा एक राष्ट्र का सिद्धांत था, हमें इस बारे में शर्म महसूस होती है। हम उन दिनों को लगभग भूल रहे हैं। लेकिन उसके तथ्य और लक्षण मौजूद है तथा हम इन्हें समाप्त नहीं कर सके है, यह हमारे राजनैतिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। मैं आपको बताऊंगा कि स्वयं विभाजन की क्या भावना थी। जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे मैं तबके उनके कथन को उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था :

> "आप अपने मन्दिर, अपनी मस्जिद अथवा पूजा के किसी भी अन्य स्थान पर जाने के लिए स्वतन्त्र हैं। पाकिस्तान में आप किसी धर्म, जाति या रंग से सम्बन्धित हों, उसका राज्य कार्य से कोई सरोकार नहीं है।"

यह वक्तव्य पाकिस्तान के निर्माता ने दिया था। वास्तव में राज्य नागरिकों की धार्मिक पूजा,

[श्री बृजमोहन महन्ती]

व्यक्तिगत विश्वास के प्रति पूर्णतया निष्पक्ष था। इस विचार ने मोहम्मद अली जिन्ना को प्रभावित किया था। दुर्भाग्य से बाद में स्थिति बदल गई और कुछ अन्य लोग आ गए और सारे राजनैतिक ढांचे को साम्प्रदायिक रंग तथा इस्लामी रंग दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि श्रीमती बेनजीर भुट्टो इसके खिलाफ लड़ रही हैं। आप जानते हैं किस प्रकार यह प्रयास किए गए कि वह स्वयं प्रधान मंत्री नहीं बन सकती। आप जानते हैं कि पिछले शासक ने किस प्रकार लोगों के वैध अधिकारों को नकारने तथा उन्हें दबाने के लिए धर्म का उपयोग किया। हर व्यक्ति यह जानता है।

अब, हमारी क्या समस्य है और हमें इसका कैसे मुकाबला करना है ? हमें विश्व हिन्दू परिषद द्वारा संसद के सदस्यों के नाम एक खुला पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें अनेक आरोप लगाये गये हैं। लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। धर्म बदलने, उत्पत्ति, घुसपैठ इत्यादि के अनेक आरोप थे। इस प्रकार का दूषित प्रचार चल रहा है और इससे लोगों पर कुछ शरारतपूर्ण प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन हमें इसके विरुद्ध कार्यवाही करनी है। इसलिए हमें इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, इस विचार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हिन्दू परिषद द्वारा कुछ शरारत की जा रही है। उन्होंने एक अन्य पुस्तक में यह मांग की है कि अल्प संख्यकों के लिए कोई अधिकार नहीं होने चाहिए और संविधान में संशोधन होना चाहिए। विश्व में कहीं भी संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है जब धर्म निरपेक्ष शक्तियों को एक हो जाना चाहिए यदि अल्पसंख्यक समझते हैं कि धर्म निरपेक्षता एक पवित्र उद्देश्य है तो धर्म-निरपेक्ष विरोधी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें भी संगठित हो जाना चाहिए। हम तभी सफल हो सकेंगे।

मैं इस्लामी अध्ययन संस्थान के इंजीनियर श्री असगर अली के "हिन्दू-मुस्लिम समस्या—एक सहकारी दृष्टिकोण" नामक शीर्षक के पत्र में उनके विश्लेषण को आपके सम्मुख रखता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया है और पत्र में कहा गया है :

> "इस आम धारणा पर मतभेद है कि मुसलमान राष्ट्रीय मुख्य धारा का भाग बनने के अनिच्छुक हैं। इसमें कहा गया है कि यह वक्तव्य उत्तरी भारत और वह भी शहरी उच्च वर्ग के बारे में सच है। यह बात दक्षिण या पूर्व अथवा उत्तर भारत के ग्रामीण मुस्लिमों के बारे में सच नहीं है।"

इसलिए हमें इस बात पर गौर करना है। धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य कर रहे मुस्लिमों और हिन्दुओं का हमें मुकाबला करना है। इसी प्रकार मुस्लिम जो कि 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत हैं और जो मुख्य धारा में मिलने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें बाध्य करना है। मैं आपको बताता हूं कि उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी में तीन मुस्लिम विधायक हैं और तीनों मन्त्री बनाए गए हैं। हमारे यहां एक सिख विधायक है। उन्हें राज्य सभा की टिकट दी गई है। वह राजस्थान से हैं। हमारे यहां साम्प्रदायिकता या जातीयता पर गौर नहीं किया जाता है। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में यह समस्या है।

हम सिर्फ संविधान के अन्तर्गत ही इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। आप केवल पुलिस के मुख्य तन्त्र के माध्यम से ही इसके विरुद्ध नहीं लड़ सकते। आपको इसके विरुद्ध गलियों में लड़ना होगा। आपको शरारतपूर्ण प्रचार का मुकाबला करना है। इस दिशा में कुछ उपाय किए जाने चाहिए।

मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में आज यह हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हमें भी हिन्दू समाज में कट्टरपंथियों का मुकाबला कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक नया प्रचार शुरू हुआ है कि यदि सती स्वेच्छा से हो तो यह ठीक है। एक उपाध्यक्ष खुलेआम यह कह रहे हैं कि स्वेच्छा से सती होना ठीक है और शंकराचार्य इसका समर्थन करते हैं। शंकराचार्य छुआछूत को अच्छा बता रहे हैं।

मैंने यहां विशेष उल्लेख किया था। शंकराचार्य मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हैं। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। स्वर्ग में भी शैतान और राक्षस हैं। ईसा को यातनाएं दी गई थीं। बुद्ध को यातनायें दी गई थीं। शैतानों ने मुहम्मद को भी यातनाएं दी थीं। आप इस बारे में भूल सकते हैं। हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों में भी कट्टरपंथी होते हैं। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। जो लोग यह दावा करते हैं कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के नेता है उन्हें इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति उनकी वचनबद्धता पर शक न हो। मैं आपको एक बात बताऊंगा।

जहां तक अफगान मुद्दे का सम्बन्ध है तो इस्लामी देशों के विदेश मन्त्रियों ने विद्रोहियों की सरकार को मान्यता दे दी है। पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी। ईरान ने मान्यता नहीं दी परन्तु यहां कुछ मित्रों तथा उन लोगों ने, जो अपने आपको अल्पसंख्यक समुदाय के नेता कहते हैं, यह मांग की है कि भारत सरकार को अफगानिस्तान में विद्रोहियों की सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए। आप इसके प्रभाव की कल्पना कीजिए। धर्म-निरपेक्षता केवल भावुकता की बात नहीं है। यह बहुत युक्ति-परक भी है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : वे अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं।

श्री वृजमोहन महन्ती : यह ठीक है। क्या हम जिनेवा समझौता के प्रति वचनवद्ध नहीं हैं? भारत जिनेवा समझौता के प्रति वचनबद्ध है। पाकिस्तान ने विद्रोही सरकार को मान्यता नहीं दी। ईरान ने भी मान्यता नहीं दी। फैजाबाद वाली घटना में एक स्थानीय समाचार पत्र ने सेटेनिक वर्सेज के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। जब इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था तो तत्काल ही पुलिस ने कार्यवाही की और मुसलमानों की गतिविधियों को नियन्त्रित कर लिया। उन्होंने केवल प्रदर्शन किया। यह दोनों तरफ नियन्त्रण करने का प्रश्न है। इसलिए यही कारण है कि हमें इसका सामना धैर्य पूर्वक करना होगा। एक दूसरी बात है। हमारे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ही दबाव है। भारत के आस-पास जो देश धर्म निरपेक्षता का पालन कर रहे हैं वे धीरे-धीरे धर्मतन्त्रात्मक राज्यों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इसलिए इस पर अपना ही दबाव हैं। इस देश में इसका अपना प्रभाव है। इसलिए इसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन है। परन्तु हम एक काम कर सकते हैं। अपने दलगत सम्बन्धों की ओर ध्यान दिये बिना धर्मनिरपेक्षता समर्थक सारी शक्तियां यदि अल्पसंख्यकों के साथ मिल जाएं तो हम इस स्थिति से उबर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता पावन होनी चाहिए। यदि ये सब ताकतें एकत्र हो जाती हैं तो हम साम्प्रदायिक समस्या का सफलतापूर्वक सामना कर सकते है इसलिये मैं सरकार और उपस्थित सभी राजनेताओं से निवेदन करता हूं कि वे इस शरारती प्रचार के विरुद्ध उपाय करें क्योंकि यह लोगों के मन में घर करता जा रहा है। यह सम्प्रदाय विशेष के विरुद्ध किया जाता है। अत: ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई उपाय होना चाहिए। इस बारे में आम राय होनी चाहिए।

हमें गलत तथा शरारती विचारों से लड़ना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, पिछले एक वर्ष से साम्प्रदायिक स्थिति अच्छी चली आ रही थी लेकिन अचानक पिछले महीने कुछ साम्प्रदायिक घटनाएं घटीं जिससे फिर हम लोगों को एक झटका लगा। हम एक बार फिर इस माननीय सदन में सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो छोटी-छोटी बहुत सारी घटनाएं हुई लेकिन गम्भीर रूप से घटनायें घटी बिहार के हजारी बाग में और राजस्थान के मकराना में। हजारीबाग से जो हमें समाचार मिले हैं उसके अनुसार 40-41 आदमियों की मृत्यु हो गई और उसी तरह से लगभग मकराना में 8-10 लोगों के मारे जाने का समाचार मिला है। यह घटनाएं जब भी घटती हैं तो हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जो सेकुलर करेक्टर है उस पर चोट लगती है और जितने भी धर्म निरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं; ताकते हैं वह एक बार फिर सिर जोड़कर सोचते हैं कि इसको कैसे रोका जाए और क्या किया जाये।

कहानी वही पुरानी है। किसी न किसी बात पर, मामूली सी बात पर दंगे होते हैं और दंगों में नुकसान अल्पसंख्यक वर्ग का ही होता है, उन्हीं की ज्यादा जानें जाती हैं, उन्हीं का ज्यादा माली नुकसान होता है। पुलिस का वही पुराना रोल च हे पी० ए० सी० हो उत्तर प्रदेश की, बी० एम० पी० हो बिहार की, यही आरोप होते हैं कि जानबूझ कर उन लोगों ने माइनोरिटी कम्युनिटी को विशेषकर मुसलमानों को मारा है, सताया है, लूटा है, पकड़ा है और यह सारी चीजें की हैं। यही कहानी हजारी बाग की भी सामने आई है, यही कहानी मकराना की भी आई है जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने जो मुझसे पहले बोल चुके हैं, काफी उन्होंने इसका ब्योरा दिया है और हल भी उसका वही है जो बार-बार इस माननीय सदन में सुझाये जाते हैं। सरकार ने वैसे तो कुछ करने की कोशिश भी की है लेकिन पूरी तरह से उसे सफलता नहीं मिली है।

हमारी जो नेशनल इंटिग्रेशन कोंसिल है उसमें और इस सदन में व सदन के बाहर यह कहा जाता रहा है कि पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों को ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस मामले में भारत सरकार ने कार्यवाही भी की लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यों की बात तो छोड़ दीजिए, केन्द्र के भी जो पुलिस बल हैं जैसे सी० आर० पी०एफ० है, बी० एस० एफ० है, आई० टी० बी० पी० है, इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, अभी भी इनमें ठीक प्रकार से मुसलमानों को, मैं अल्पसंख्यक शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, जानबूझकर मैं मुसलमान कह रहा हू, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मुसलमान एक बड़ी माइनोरिटी है, जो हमारे देश में लगभग 15-16 प्रतिशत की संख्या में आबाद है और आपको जानकर ताज्जुब होगा, सी० आर० पी० एफ० की मैं मिसाल देता हूं, ठीक आंकड़े तो मुझे नहीं मालूम हैं लेकिन उस फोर्स में मुसलमानों से ज्यादा सिखों की तादाद है, मुसलमानों से ज्यादा ईसाइयों की तादाद है और आपको जानकर अमर्ष होगा कि मुसलमानों से ज्यादा पारसियों की तादाद है जो एक बहुत छोटी सी, मामूली सी माइनोरिटी है, जो बम्बई और गुजरात के कुछ भागों में बसती है। इतनी बड़ी माइनोरिटी से ज्यादा सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और पारसी भी हैं और सबसे कम मुसलमान हैं और उसके बाद बोद्ध हैं। बोद्ध भी कम हैं।

मेरे ख्याल से यही स्थिति बी० एस० एफ० की भी है और यही स्थिति और जगह भी है।··· (व्यवधान)··· पुलिस की बात तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं तो केन्द्र सरकार की पुलिस की बात कर रहा हूं जहां कि विशेष तौर से बार-बार आश्वासन दिये गये हैं। इस माननीय सदन में हमारे गृह मन्त्रालय के चिदम्बरम साहब ने तो कई बार आश्वासन दिया, एक बार होम मिनिस्ट्री की कन्सलटेटिव कमेटी में उन्होने वायदा भी किया कि सही प्रतिनिधित्व की संख्या कंसल्टेटिव कमेटी के मेम्बरों को

पहुंचा देंगे, आप लोगों को याद होगा लेकिन अभी तक उसकी कोई संख्या नहीं पहुंचाई है। राज्य सरकारों को भी सरकुलर भेज दिया जाता है लेकिन राज्य सरकारें तो इस मामले में केन्द्र सरकार से भी गई गुजरी है वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, मुख्यमंत्री ने अभी हम लोगों से कहा कि हम स्पेशल पीस कीपिंग फोर्स बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमने केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है, जैसे ही आर्थिक सहायता मिल जाएगी, हम उसको बना देंगे तो हम इस मौके का फायदा उठाते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप उनको परमीशन दीजिए ताकि वह बनायें तो जब केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों की पुलिस बलों की यह हालत है तो फिर हम कैसे मान सकते है, कैसे कह सकते हैं कि दंगों में पुलिस का रोल बदल सकता है। बार-बार हम कहते हैं लेकिन करते नहीं।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि मुसलमान भर्ती होने के लिए नहीं मिलते और हमने एक बोर्ड बनाया है उसमें एक मुसलमान को भी रखते हैं, आप इंस्पेक्टर मुसलमान को रखते है, आप डी० एस० पी० मुसलमान को रखते हैं, जबकि बोर्ड का चेयरमैन डी० आई० जी० रैंक का है तो उस इंस्पेक्टर और डी० एस० पी० की क्या हिम्मत है कि डी० आई० जी० से बहस करेगा कि यह ठीक है कि नहीं ठीक है। जब तक इक्वल रैंक का माइनोरिटी का आफिसर नहीं रखेंगे, अगर डी० आई० जी० है तो डी० आई० जी० का नहीं रखेंगे तो वह लिख देगा कि मिलते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात केन्द्रीय पुलिस बलों और स्टेट पुलिस बलों में यह है कि आज पैसे पर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वहां पैसे पर सीधे रिक्रूटमेंट हैं। मैं उनके मोटिव को भी नहीं समझ सकता कि मुसलमानों को ही नहीं रखते बल्कि बदकिस्मती से मुसलमानों के पास देने को पैसा नहीं है, उनके पास है ही नहीं, वह दस हजार रुपये कहां से देंगे तो इस मामले पर जरा गौर करिये और देखिये।

एक बात अयोध्या राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में कब से इस सदन में भी बहस चल रही है और बाहर भी चल रही है यह चिन्ता का विषय है कि स्थिति गम्भीर होती जा रही है। यह स्थिति भारत के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो धर्म-निरपेक्ष, सैक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। इसका हल क्या हो ? इसके लिए भी आमतौर से जो हमारी सैक्युलर फोर्सेज हैं, धर्म-निरपेक्ष ताकतें हैं उनमें यह आमतौर से सहमति जान पड़ती है कि इस मामले का हल अदालत से कराया जाये। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ बैठायी जाए और इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। उस पीठ में ऐसे जजेज हों जो जाने-माने सैक्युलर लोग हों, जिनकी इन्टीग्रिटी पर किसी को डाउट न हो। मैं देख रहा हूं कि यह कन्सेंसस आमतौर से हमारे देश की सैक्युलर फोर्सेज का बनता जा रहा है। जो भी फैसला अदालत दे, चाहे हाई कोर्ट से, इसको सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही जाना है, लेकिन जो भी जुडिशियल वर्डिक्ट हो, उसको सरकार को पूरी तरह से मनवाना चाहिए। सब को उसको मानना चाहिए।

अगर कोई मसला आपस में तय नहीं होता है, बातचीत से तय नहीं होता है, तो क्या रास्ता रह जाता है ? रास्ता फिर अदालत का फैसला ही होता है, लेकिन हमारे देश की कुछ ताकतें, जो खुले आम इस बात को कह रही हैं कि हम अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे। साथ ही साथ ये ताकतें आज खुले आम यह कह रही हैं कि हम बहुत सुन्दर मन्दिर बनायेंगे। अभी कुम्भ मेले में एक बहुत बड़ा जमघट हुआ और वहां यह एलान किया गया कि गांव-गांव से ईंट बटोरेंगे, रुपया बटोरेंगे, चन्दा बटोरेंगे और उसके बाद वहां मन्दिर बनायेंगे। यह रुपया चन्दा बटोरने की बात नहीं है, लेकिन इस सांप्रदायिकता के जहर को गांव-गांव में फैलाने की बात है। एक-एक गांव में सांप्रदायिकता फैलाने की

[श्री जैनुल बशर]

बात है। इसको रोकने के लिए अभी तक सरकार ने कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया है। जैसे-जैसे चुनाव आएगा, उनकी गतिविधियां और तेज हो जाएंगी, क्योंकि ये ताकतें चाहती हैं कि चुनाव के पहले देश में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिकता उभारी जाए। सांप्रदायिक दंगे कराए जाएंगे और उस का राजनीतिक फायदा, राजनीतिक लाभ उठाया जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है।······(व्यवधान)······

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : बिल्कुल असत्य है। तुम्हारे लोगों ने क्या किया है। मिजोराम मे आप लोगों ने क्या किया है। आपको बोलना चाहिए। आप लोग बिल्कुल असत्य बात बोल रहे हैं। ···(व्यवधान)···राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कांग्रेस दंगे करा रही है। दंगा कराने के लिए आप जिम्मेदार हैं।···(व्यवधान)···

श्री जैनुल बशर : भारतीय जनता पार्टी जो अपने आपको सैक्युलर कहती हैं, वे खुल कर कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को हिन्दुओं को दे देना चाहिए···(व्यवधान)······कोई भी सैक्युलर राजनीतिक पार्टी यह बात नहीं कह सकती है। सैक्युलर जितनी शक्तियां है, उनका एक कंसेंसस है अगर

3.48 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अदालत का फैसला होगा, वह सबको मानना होगा। अदालत का फैसला आप मानने से इन्कार करते हैं। किस तरह से आप सैक्युलर पार्टी है और कैसे सैक्युलर पार्टी हैं। आप यह चाहते हैं कि·········(व्यवधान)···

श्री सी० जंगा रेड्डी : मिजोराम में क्या किया है, बताइए। ···(व्यवधान) ···

श्री जैनुल बशर : साम्प्रदायिक दंगे कराए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके और अंदाज खराब हैं, खतरनाक हैं। उस पर आपको पूरी तरह से नजर रखनी चाहिए, वरना चुनाव आते-आते यह पार्टी देश में गड़बड़ी कर सकती है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कम्यूनिस्ट दोस्तों को जिन्होंने साम्प्रदायिकता की चुनौती को कबूल किया है। मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को इस साम्प्रदायिकता की चुनौती को कबूल करना चाहिए।

जितने सांप्रदायिक तत्व हैं उनके खिलाफ जितने भी सैक्युलर तत्व हैं उनको खड़े होना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। एक बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन शक्तियों का निशाना मुसलमान नहीं है मुसलमान तो एक छोटी सी ताकत है उसे कभी भी पीसा और कुचला जा सकता है। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों का निशाना हमारे यहां की धर्म निरपेक्ष और सैक्युलर ताकते हैं। मुसलमानों को सामने करके उनसे लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। जिस दिन वे जीतेंगे उस दिन देश मे सैक्युलरिज्म और धर्मनिर्पेक्षता खत्म हो जाएगी। उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यह होगा कि भयंकर गृह युद्ध और भयंकर अशांति और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं ··(व्यवधान)···

श्री सी० जंगा रेड्डी : कांग्रेस वाले चाहते हैं।·· (व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : कांग्रेस वाले तो सैक्युलरिज्म चाहते हैं और इस देश को एक साथ लेकर चलना चाहते है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके बाद आपको बुलाऊंगा, मैं आपको अवसर दूंगा। आप इनके बाद में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : यह देश विभिन्न जातियों और अनेकों भाषाओं का है। यहां अनेक प्रकार का खान-पान और रहन-सहन है। क्या यह देश एक सांप्रदायिक तरीके से चलाया जा सकता है। यहां अपनी बात को रखने के लिए सबको छूट होनी चाहिए, सब अपने धर्म को मान सकें और तौर-तरीकों को अपना सकें। इसके लिए सिवाय धर्म-निरपेक्षता के कोई चारा नहीं है। जो लोग इसका विरोध करते हैं चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के क्यों न हों, वे इस देश के दुश्मन हैं, इस देश के दोस्त नहीं हो सकते।···(व्यवधान)···

श्री जंगा रेड्डी बहुत सीधे आदमी हैं और अपनी पार्टी के षड्यन्त्र को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन समझेंगे उस दिन समझ में आयेगा कि क्या कहना चाहते है···(व्यवधान)···आर० एस०एस और शिव सेना का राजनैतिक फ्रंट बी० जे० पी० है। यह खेल बी० जे० पी० उसी दिन से खेल रहा है जबसे उसने विश्व हिन्दू परिषद को संगठित करने का काम किया है और शिव सेना को बढ़ाने का काम किया है। आर० एस० एस० और बी० जे० पी० देश को आग में झोंक देना चाहते हैं। उसके लिए सरकार क्या कर रही है। देश आग में जल जायेगा।···(व्यवधान)—

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैनुल बशर के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। कार्यवाही वृत्तांत में शामिल मत करिये।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीनों के अन्दर बी० जे० पी० की यह साजिश है कि बड़े पैमाने पर पूरे देश में दंगे कराये जायें। यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और अन्दर-अन्दर उनकी कार्यवाही चल रही है कि पूरे देश में दंगे कराये जायें साम्प्रदायिकता को उभारा जाय और उसको उभारने के बाद चुनाव में उसका लाभ उठाया जाये। मुझे दुःख है कि हमारे जनता दल के साथी कैसे इस खतरनाक पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह ऐसा करेंगे तो उनकी नीयत पर भी मुझे शक होगा। कांग्रेस को हराना जरूरी है कि देश को आग में झोंक देना जरूरी है। इसका फैसला जनता दल को करना होगा। सबसे खुशी की बात यह है कि देश के लोग धर्म निरपेक्ष हैं और आपकी दाल गलने वाली नहीं है। सरकार को इस मामले में सचेत होना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। जो अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधान मंत्री जी ने बनाया है उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर अमल ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। चाहे वह केन्द्रीय सरकार

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो। प्रधान मंत्री जी की चिन्ता को हम समझते हैं वह चाहते हैं कि इस पर अमल हो। तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसी मशीनरी बनाई जाये, कोई ऐसा तरीका बनाया जाये कि इस 15 सूत्री कार्यक्रम पर ठीक प्रकार से अमल हो, इससे अल्पसंख्यकों को चाहे आर्थिक सुरक्षा हो या शारीरिक सुरक्षा हो, उसको बल मिलेगा।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस एवान में मैं उनको जरूर ठीक करूंगा लेकिन उनसे लड़ने वाला भी एक मुसलमान मिला, दूसरा कोई आदमी नहीं बोला

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : आप ऐसा नहीं कहें, मैंने खुद उनके लिए कहा है।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी : कई बार इस मसले पर बहस हुई, लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि ऐसा मालूम होता है कि हर सत्र में एक बार हम इसके ऊपर बहस करें और नतीजा उसका बरामद न हो। अगर आप इस एवान को एक यात्रा जैसा बनाना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत और उसके लिए ठोस फैसला हो तो आपको उसके लिए कोई एहतमाम करना होगा। वरना हर सत्र में एक बार सिर्फ बहस ही हो पायेगी। यह मामला बहुत ज्यादा गम्भीर हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्तकबिल तौर पर एक पालिसी अपनाई गई है और यह बात कही गई कि फसादात करवाये जायेंगे मुल्क के अन्दर और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सारा हिन्दुस्तान फसाद की लपेट में आ रहा है। जहां बड़ा फसाद होता है वहां अखबारों में उसकी खबरें आती हैं, लेकिन इस वक्त सारे मुल्क के अन्दर देहात देहात के अन्दर फसाद हो रहे हैं लेकिन उसकी सूचना या खबर अखबार में नहीं है। आपको खुद गौर करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क से फसाद का खात्मा हो जाए तो आपको ठोस तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। आप खुद गौर करें कि ऐसी ताकत मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बम्बई में जब हिन्दू सम्मेलन हुआ तो वहां वाजपेयी साहब की तकरीर हुई, हालांकि वहीं बम्बई थी जहां वाजपेयी साहब ने जनता सरकार के समय मन्त्री के नाते भी तकरीर की थी।

4·00 म० प०

उन्होंने वहां कहा था कि मैंने अपना पुराना आशियाना जला दिया लेकिन अब उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो तकरीर की, उसमें कहा कि हम कुवते बाजू से उसे ढहायेंगे और वहां पर मन्दिर बनायेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुल्क में कोई दस्तूर या कानून बना है या नहीं, क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं। क्या सरकार में किसी ने उसका नोटिस लिया, क्या किसी ने कोई इकदाम किया। बड़े ताज्जुब से मुझे यह कहना पड़ता है कि इस वक्त जहां हम हिन्दुस्तान में नेहरू जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, वहीं इस देश में हेडगेवार सदी समारोह भी बड़े जोर-शोर से मनाए जा रहे हैं। जहां नेहरू जन्म शताब्दि समारोह की चमक-दमक हमें कहीं नजर नहीं आती, वहीं आर० एस० एस०, उसकी बाणी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बड़ी-बड़ी बातें, जोरों से प्रचार किया जा रहा है, उनकी चमक-दमक हमें ज्यादा नजर नहीं आती है। आखिर इस मुल्क में क्या हो रहा है किस किस्म की तवारीख हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई कोई ठोस कदम उठाये जाएं तो मैं चाहूंगा कि जब यहां कौमी यकयती कोंसिल का सम्मेलन हुआ था, उस वक्त यह कहा गया था कि अगर किसी सूबे में आठ दिन तक फसाद नहीं रुकते तो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर को हट जाना चाहिए, उसे मुस्तफी हो जाना चाहिए।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : आठ दिन तो बहुत होते हैं, इतने समय में तो पता नहीं क्या से क्या हो जायेगा ।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं बल्कि यह डिसीजन हुआ था जिसमें मोरार जी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री भी शरीक थे । मैं चाहता हूं कि आप उस डिसीजन के ऊपर कम से कम अमल तो कीजिये । उसके ताल्लुक से यह भी कहा गया था कि अगर पुलिस का कोई ओहदेदार हालात पर काबू न पा सके, फसादात को रोक न सके तो उसे भी हटा देना चाहिए, आप कम से कम उस पर अमल तो कीजिये । आज कोई उस पर अमल नहीं करता । हिन्दुस्तान की एक फौज है, लेकिन देश में न जाने कितनी दूसरी फौजें पैदा हो रही हैं, आखिर इनका मकसद क्या है, यह समझ में नहीं आता । मैं हिन्दी ज्यादा अच्छी नहीं जानता लेकिन मुल्क में जिस तरह नई नई सेनायें बनती जा रही हैं, कहीं शिव सेना, कहीं फला सेना, क्या किसी मुल्क की 25 सेनाएं हो सकती हैं । एक सेना काफी नहीं है । हम देखते हैं कि जब चीन और पाकिस्तान से जंग हुई थी इन सेनाओं के लोग अपने कद से ऊंची लाठी लेकर पाकिस्तान या चीन की सरहद पर जाकर लड़ते कभी दिखायी नहीं दिये । उनके मोहड़े ही पलट गये थे, कोई बांकरा पहलवान सरहदों पर जाकर लड़ता कभी नजर नहीं आया ।

वे तो यहाँ मुल्क के अन्दर निहत्ये गरीब मुसलमानों का फसाद करते हैं । आखिर ये तमाम चीजें क्या हैं, क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं जानती । कांग्रेस के जो लोग आज बरसरे इक्तदार हैं, क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस के मुसलमानों की यह जिम्मेदारी नहीं है, मैं देखता हूं, कांग्रेस की यह रवायात है कि जब बाम्बे और महाराष्ट्र के बीच झगड़ा चल रहा था, स्टेट अलग नहीं की जा रही थीं तो उस वक्त वजीरे फाइनेन्स चिन्तामणि देशमुख ने इस्तीफा दिया था, जब मुहायदे ताशकंद हुआ था तो महावीर त्यागी ने इस्तीफा दिया था, एक रेलवे हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, जब मुल्क में इतने बड़े फसादात हुए लेकिन किसी कांग्रेसी मुसलमान ने अपनी मिनिस्ट्री या ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि यहां तकरीरें करते हैं कि यह हमारा गुलशन है, यह हमारा फूल है, अरे हम उजड़ते जा रहे हैं और तुम गुलशन और फूल की बात करते हो, आखिर कब तक यह चलेगा । कब तक तुम अपने जमीर की आवाज को नजरअंदाज करते रहोगे, कब तक ये तमाम चीजें चलती रहेंगी । मैं कहता हूं, बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । बाबरी मस्जिद का तज-किया, हर वक्त बयान आता है कि अदालत के सुपुर्द कर दिया गया, अदालत में भेज दिया गया । लेकिन कहीं नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं और आप चाहते हैं कि यह मशला इलेक्शन तक बाकी रहे । अगर आप वाकई दयानतदार हैं तो आपका यह काम है कि आप फौरन इसको जनूबे हिन्द की अदालत के सुपुर्द कर दीजिए । इससे बढ़कर और इंसाफ क्या हो सकता है कि 500 वर्ष की एक मस्जिद रजब रही तो मुसलमान नवसाज नवाज पढ़ते रहे उसके बावजूद भी जब दावा किया तो कहा गया कि अदालत के सुपुर्द करो जिसमें न तो कोई हिन्दू जज हो, न कोई मुसलमान जज हो और वह जो फैसला कर दे, वह लागू हो, लेकिन उस पर भी आप मानते नहीं ।

जब कहीं महीने या पन्द्रह दिन में जोर पड़ता है, तो आपने एक बयान दे दिया कि हम अदालत में रिव्यू कर रहे है, लेकिन रिव्यू करते हुए अदालत में कहीं नहीं नजर आते । अगर आप वाकई दया-नतदार हैं, तो अदालत में रिव्यू कीजिये और जल्दी से जल्दी फैसला कराइए, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते, और फिर यह भी मजाक उड़ाया जाता है कि हम अदालत के फैसले को भी नहीं मानेंगे, तो आप बताइए, जो जम्हूरियत के ऊपर यकीन नही रखते, जो इस मुल्क के आईन पर यकीन नहीं

[श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी]

रखते, उन लोगों के साथ आप क्या सुलूक कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जो कुछ भी फसादात हुए हैं—मकरानी या मथुरा में या हिन्दुस्तान के अन्य स्थानों पर, उनको मुकम्मिल मुआवजा दिया जाए। जितना उनका नुकसान हुआ है, उसका पूरा-पूरा मुआवजा दिया जाए और पुलिस के अन्दर मुसलमानों को भर्ती किया जाए और मुझे याद है जब होम अफेयर्स की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में, अब के हमारे वजीरे फायनेंस, उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने यह कहा था कि मुसलमान नहीं आते, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने लोगों को भिजवाया है, एक मुसलमान आफीसर ने जब, उनको भरती करने लगा, तो उसका फौरी तबादला कर दिया गया।

चव्हाण साहब ने मुझसे कहा कि आप उसका नाम और पूरी चीज लिखिए, मैंने उनको लिखकर भिजवाया, लेकिन कोई चीज पूरी होती नजर नहीं आती। आप बताइए, जब कि पुलिस की रिपोर्ट के अन्दर आ चुका है, जब कि कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर आ चुका है कि ये जालिम और जाबिर है इनको निकालना चाहिए; ऐसे अनासुर को, इसको जो आप रखते तो फिर मुझे बताइए आपकी नीयत ठीक है या गलत है। यह दुनिया खुद फैसला कर लेगी। जब आप मुजरिमों को पालते हैं और इसके बाद आप खामोश बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते, जो कुछ भी मिरज, मलियाना, हाकिमपुरा वगैरह में हुआ, उसके ताल्लुक से तमाम दुनिया के अखबारात ने लिखा, लेकिन आप इखदाम करना नहीं चाहते, तो फिर आप बताइए आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम फिरकावारियत को मिटाना चाहते हैं। अगर आप रिजर्वेशन के जरिए तकरीर करना चाहते हैं, तो यह बात चलनें वाली नहीं है।

आप आज टी० वी० को देख लीजिए। टी० वी० खोलने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि सैकुलरिज्म क्या है। बाज लोगों ने यह कहा कि साहब रामायण दिखा रहे हैं, दिखाइए, लेकिन उसके साथ मैं यह चाहूंगा कि एक पिक्चर भी बनी है "मैसेज" आप उसको भी दिखाइए। अगर आपको ऐसा करना है, लेकिन करना नहीं चाहते। तो फिर दोनों को बंद कीजिए। या फिर हमारी भी एक मैसेज पिक्चर है, उसको दिखाइए, लेकिन आप एकतरफा बात करते हैं, तो यह बात चलने वाली नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आज हिन्दुस्तान के अंदर पानी की कीमत है, लेकिन मुसलमान के लहू की कोई कीमत नहीं है। अगर हम पानी लेते हैं, तो हमको कीमत देनी पड़ती है। आज आप बताइए कितनों को आपने फांसी पर चढ़ाया, कितनों को आपने सजा दिलाई, नहीं हुई। आज फसाद होता है, किसी को सजा होती नजर नहीं आती, छूट जाते हैं और अगर कोई पुलिस से जाकर, नुमाइंदी करता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है।

इसी ऐवान में मैंने होम मिनिस्टर साहेब से भी कहा था कि मेरठ के अंदर जो मुसलमान थे वे तो गिरफ्तार रहे, लेकिन हिन्दू छूट गए, मुसलमान बंद रहे। आप बताइए इसके बाद क्या हम इस बात के ऊपर मुतमइयन हों कि इंसाफ किया जाएगा।

मैं आपसे यही कहूंगा कि अकलियत की एक अलहैदा वजारत कायम कीजिए जिस तरह से आपने बहुत से लोगों की कायम की है ताकि वह अकलियतों के मसायतों की देखभाल करें और जो रोज मर्रा के मसायल होते हैं उन पर जांच हो सके।

मुझे एक बात फिर आपसे यही कहनी है कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक साजिश के जरिए मुनज्जम मनसूबे के तहत फसाद की जुरंत पैदा की जा रही है उस पर आप फौरी कदम उठाएं वरना जब यह आग भड़क जाएगी तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये जितनी भी सेनाएं हैं, उन पर आप पाबन्दी लगाएं कि ये तमाम चीजें किसलिए हैं? चड्डी पहने हुए और हद से ऊंची लाठी लिए हुए जो ये फिर रहे हैं, अरे भई, अगर सीखना है तो एफ-16 जैट तैयार है, उसे चलाना सीखो, पैटन टैंक चलाना सीखो, मैं भी चंदा देता हूं आपको, यह मुल्क की हिफाजत के लिए है, लेकिन यह लाठी,

चाकू आखिर किस के लिए है ? यह करना है तो पाकिस्तान की सरहद पर जाओ, मारना है तो वहां जाओ, सब के सब वहीं नजर आएंगे, यहां पर सारे निहत्थों पर क्यों ?

मुझे होम मिनिस्टर से तवक्को है, वह इन चीजों पर गौर फरमाएंगे और ठोस इंतजाम करेंगे।

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہاں اس ایوان میں میں ان کو ضرور ٹھیک کروں گا، لیکن ان سے لڑنے والا بھی ایک مسلمان مُلّا دوسرا کوئی آدمی نہیں بولا ...

شری اوتم راٹھوڑ (ہنگولی): آپ ایسا نہیں کہیں میں نے خود ان کے لئے کہا ہے۔

شری سلطان صلاح الدین اویسی: کئی بار اس مسئلے پر بحث ہوئی لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوسز میں ایک بار ہم اس کے اوپر بحث کریں اور نتیجہ اس کا برآمد نہ ہو، اگر آپ اس ایوان کو ایک یاترا جیسا بنانا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے ۔لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت اور اس کے لئے ٹھوس فیصلہ ہو تو اس کے لئے آپ کو کوئی اہتمام کرنا ہوگا، ورنہ ہوسز میں ایک بار صرف بحث ہی ہو جائے گی۔ یہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکا ہے کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مستقل طور پر ایک پالیسی اپنائی ہے اور یہ بات کہی گئی کہ فسادات کروائے جائیں گے، ملک کے اندر اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ہندوستان فساد کی لپیٹ میں آرہا ہے، جہاں بڑا فساد ہوتا ہے وہاں اخباروں میں اس کی خبریں آتی ہیں لیکن اس وقت سارے ملک کے اندر دیہات کے اندر فساد ہو رہے ہیں لیکن اس کی سوچنا یا خبر اخباروں میں نہیں ہے آپ کو خود غور کرنا چاہیئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک سے فساد کا خاتمہ ہو جائے تو آپ کو ٹھوس طور پر اس پر غور کرنا ہوگا۔ آپ خود غور کریں کہ ایسی طاقت مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بمبئی میں جب ہندو سمیلن ہوا تو وہاں باجپائی صاحب کی تقریر ہوئی حالاں کہ وہی بمبئی تھی جہاں باجپئی صاحب نے جنتا سرکار کے وقت منتری کے ناطے بھی تقریر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا پرانا آشیانہ جلا دیا لیکن اب انھوں نے بابری مسجد کے متعلق سے جو تقریر کی، اس میں کہا کہ ہم قوت بازو سے اسے ڈھائیں گے اور وہاں پر مندر بنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں کوئی دستور یا قانون بنا ہے یا نہیں، کیوں اس طریقے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، کیا سرکار میں کسی نے اس کا نوٹس لیا کیا کسی نے کوئی اقدام کیا، بڑے تعجب سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اس وقت جہاں ہم ہندوستان میں نہرو جنم شتابدی سمارودہ منا رہے ہیں، جہاں نہرو سماروده کی چمک دمک جیسی کہیں نظر نہیں آتی وہیں آر ایس ایس اس کی وانی اس کی ہسٹری کے بارے میں

بہادر شاستری جی نے استعفیٰ دے دیا تھا، جب ملک میں اتنے بڑے فسادات ہوئے لیکن کسی بھی کانگریسی مسلمان نے اپنی منسٹری یا عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا۔ بلکہ یہاں تقریریں کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گلشن ہے یہ ہمارا پھول ہے، ارے ہم اجڑتے جا رہے ہیں اور تم گلشن اور پھول کی باتیں کر رہے ہو، آخر کب تک یہ چلے گا۔ کب تک تم اپنے ضمیر کی آواز کو نظرانداز کرتے رہو گے، کب تک یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی، میں کہتا ہوں بہت ہو چکا، اب برداشت نہیں کیا جائے گا، بابری مسجد کا تذکرہ ہر وقت بیان آتا ہے کہ عدالت کے سپرد کر دیا گیا، عدالت میں بھیج دیا گیا۔ لیکن کہیں نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اتنے ذمہ دار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ الیکشن تک باقی رہے اگر آپ واقعی دیانتدار ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ فوری اس کو جنوبی ہند کی عدالت کے سپرد کر دیجئے اس سے بڑھ کر اور انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ پانچسو برس تک ایک مسجد جب رہی تو مسلمان نماز پڑھتے رہے اس کے باوجود بھی جب دعویٰ کیا تو کہا گیا کہ عدالت کے سپرد کرو جس میں نہ کوئی ہندو جج ہو نہ کوئی مسلمان جج ہو اور وہ جو فیصلہ کر دے وہ بلا گو ہو لیکن اس پر بھی آپ مانتے نہیں جب کہیں چھ مہینے پندرہ دن میں زور پڑتا ہے تو آپ نے ایک بیان دے دیا کہ ہم عدالت کو رجوع کر رہے ہیں لیکن رجوع کرتے ہوئے عدالت میں کہیں نہیں نظر نہیں آتے۔ اگر آپ واقعی دیانتدار ہیں تو عدالت میں رجوع کیجئے اور جلدی سے جلدی فیصلہ کرائیے۔ لیکن آپ ایسا کرنا نہیں چاہتے اور پھر یہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے تو آپ بتائیے جو جمہوریت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جو اس ملک کے آئین پر یقین نہیں رکھتے ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں، میں چاہوں گا جو کچھ بھی فسادات ہوئے ہیں میرٹھ یا متھرا میں یا ہندوستان کے دوسرے مقاموں پر ان کو مکمل معاوضہ دیا جائے، جتنا ان کا نقصان ہوا ہے اس کا پورا پورا معاوضہ دیا جائے اور پولیس کے اندر مسلمانوں کو بھرتی کیا جائے، اور مجھے یاد ہے جب ہوم افیئرس کی کنسلٹیٹو کمیٹی کی میٹنگ میں اب کے ہمارے وزیر فائننس جو اس وقت کے ہوم منسٹر تھے انھوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان نہیں آتے تو میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو بھجوایا ہے ایک مسلمان آفیسر نے جب ان کو بھرتی کرنے لگا تو اس کا فوری تبادلہ کر دیا گیا، چوہان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کا نام اور پوری چیز لکھئے میں نے ان کو لکھ کر بھجوایا لیکن کوئی چیز پوری ہوتی نظر نہیں آتی

بڑی بڑی باتیں زوروں سے پرچار کیا جا رہا ہے، ان کی چمک دمک سے زیادہ نظر آتی ہے، آخر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کس قسم کی تواریخ ہو رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے تو میں چاہوں گا کہ جب یہاں قومی یک جہتی کا نسل کا سمیلن ہوا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی صوبے میں آٹھ دن تک فساد نہیں رکتے تو واقعی اس صوبے کے چیف منسٹر کو ہٹ جانا چاہیئے اسے مستعفی ہو جانا چاہیئے

شری وجے کمار یادو (نالندہ) آٹھ دن تو بہت ہوتے ہیں اتنے سمے میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا

شری سلطان صلاح الدین اویسی: میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ڈسیزن ہوا تھا جس میں مرارجی ڈیسائی اور لال بہادر شاستری بھی شریک تھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ڈسیزن کے اوپر کم سے کم عمل تو کیجئے، اس کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر پولیس کا کوئی عہدہ دار حالات پر قابو نہ پا سکے فسادات کو روک نہ سکے تو اسے بھی ہٹا دینا چاہیئے آپ کم سے کم اس پر تو عمل کیجئے۔ آج کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہندوستان کی فوج ہے۔ لیکن دیش میں نہ جانے کتنی طور کی دوسری فوجیں پیدا ہو رہی ہیں آخر ان کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ہندی زیادہ اچھی نہیں جانتا لیکن ملک میں جس طرح نئی نئی سینائیں بنتی جا رہی ہیں، کہیں وشنو سینا کہیں فلا سینا کیا کسی ملک کی پچیس سینائیں ہو سکتی ہیں، ایک سینا کافی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب چین اور پاکستان سے جنگ ہوئی تھی، ان سیناؤں کے لوگ اپنے قد سے اونچی لاٹھی لے کر پاکستان یا چین کی سرحد پر جا کر لڑتے کبھی دکھائی نہیں دیئے ان کے چہرے ہی پلٹ گئے تھے، کوئی بانکہ پہلوان سرحدوں پر جا کر لڑتا کبھی نظر نہیں آیا، وہ تو یہاں ملک کے اندر نہتے غریب مسلمانوں کا کرتے ہیں آخر یہ تمام چیزیں کیا ہیں، کیا گورنمنٹ کچھ نہیں جانتی، کانگریس کے جو لوگ آج برسر اقتدار ہیں کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کانگریس کے مسلمانوں کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کانگریس کی یہ روایت ہے کہ جب بمبئی اور مہاراشٹر کے بیچ جھگڑا چل رہا تھا، اسٹیٹ الگ نہیں کی جا رہی تھی تو اس وقت وزیر فائننس چنتامنی دیشمکھ نے استعفےٰ دیا تھا، جب معاہدہ تاشقند ہوا تھا تو مہابیر پرشاد تیاگی نے استعفےٰ دیا تھا، ایک ریلوے حادثے کے بعد لال

آپ بتلایئے جبکہ پولیس کی رپورٹ کے اندر آچکا ہے، جبکہ کمیشن کی رپورٹ کے اندر آچکا ہے کہ یہ ظالم اور جابر ہیں ان کو نکالنا چاہیئے ایسے عناصر کو اس کو جو آپ پال رکھتے تو پھر مجھے بتایئے آپ کی نیت ٹھیک ہے یا غلط یہ دنیا خود فیصلہ کرے گی جب آپ مجرموں کو پالتے ہیں اور اس کے بعد آپ خاموش بیٹھے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، جو کچھ بھی موز ملیانہ، ہاشم پورا وغیرہ میں ہوا اس کے تعلق سے تمام دنیا کے اخبارات نے لکھا لیکن آپ اقدام کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو مٹانا چاہتے ہیں اگر آپ ریزولیشن کے ذریعہ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے آپ آج ٹی وی کو دیکھ لیجئے، ٹی وی کھولنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائیگا کہ سیکولرزم کیا ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب رامائن دکھا رہے ہیں، دکھایئے لیکن اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک پکچر بھی بنی ہے "مسیح" آپ اس کو بھی دکھایئے اگر آپ کو ایسا کرنا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ دونوں کو بند کیجئے یا پھر ساری کی ساری ایک سیکولر پکچر ہے اس کو دکھایئے لیکن آپ ایک طرفہ بات کرتے ہیں یہ بات چلنے والی نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ آج ہندوستان کے اندر پانی کی قیمت ہے لیکن مسلمان کے لہو کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر ہم پانی لیتے ہیں تو ہم کو قیمت دینی پڑتی ہے آج آپ بتایئے کتنوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھایا کتنوں کو آپ نے سزا دلائی جہاں فساد ہوتا ہے کسی کو سزا ہوتی نظر نہیں آتی چھوٹ جاتے ہیں اور اگر کوئی پولیس سے جاکر نمائندگی کرتا ہے تو اسی کو گرفتار کیا جاتا ہے اس ایوان میں میں نے ہوم منسٹر صاحب سے بھی کہا تھا کہ میرٹھ کے اندر جو مسلمان تھے وہ تو گرفتار رہے لیکن ہندو چھوٹ گئے مسلمان بند رہے آپ بتلایئے اس کے بعد ہم اس بات پر مطمئن ہوں کہ کہ انصاف کیا جائے گا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اقلیت کی ایک علیحدہ وزارت قائم کیجئے جس طرح سے آپ نے بہت سے لوگوں کی قائم کی ہے تاکہ وہ اقلیتوں کے مسائلوں کی دیکھ بھال کی جائے اور جو روز مرہ کے مسائل ہوتے ہیں ان پر جانچ ہو سکے۔

مجھے ایک بات پھر آپ سے یہی کہنی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک سازش کے ذریعہ منظم منصوبے کے تحت فساد کی صورت پیدا کی جا رہی ہے اس پر آپ فوری قدم اٹھائیں ورنہ جب یہ آگ بھڑک جائے گی تو اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا یہ جتنی بھی سینائیں ہیں ان پر آپ پابندی لگائیں کہ یہ تمام چیزیں کس لئے ہیں جانگیہ پہنے ہوئے اور سر سے اونچی لاٹھی لئے ہوئے جو یہ پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر سیکھنا ہے تو الیٹ۔ جیت قیادہ بھالے چلانا سیکھو، پیٹن ٹینک چلانا سیکھو میں بھی جینا دیتا ہوں آج تو۔ ملک کی حفاظت کے لئے سیکھو یہ لاٹھی جا تو آخر کس کے لئے ہے یہ کرنا ہے تو پاکستان کی طرف سرحد پر جا کر مرنا ہے تو وہاں جاؤ سب کے سب وہاں نظر آئیں گے یہاں ہمارے نہتوں پر کیوں مجھے ہوم منسٹر سے توقع ہے ان چیزوں پر غور فرمائیں گے اور ٹھوس اقدام کریں گے۔

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर साम्प्रदायिकता पर जो चर्चा श्री रामूवालिया जी ने शुरू की है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी शायद वह यहां से चले गये हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बुनियादी प्रश्न उठाए हैं जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय हैं।

41 वर्ष के बाद भी अभी देश में साम्प्रदायिक जातीय दंगे और बहुत सी संकीर्ण बातों पर आधारित्त कार्यक्रम चल रहे हैं ? हमें गम्भीरता से देखना चाहिए कि इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

पिछले दो दशकों से जो देश में राजनीति चलाई जा रही है, जो बुनियाद कुछ दलों की है, वह बहुत खतरनाक है। जिस देश में विश्व बन्धुत्व की कल्पना की गयी हो, उस पर आचरण किया जाता हो, उस देश में आज जातीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर जो दल हमारे यहां बन रहे हैं, वह बहुत खतरनाक हैं। सबसे खतरनाक बात तो तब हो जाती है जब आज दो दलों का देश में जातीयता और साम्प्रदायिकता के आधार पर मेल हो रहा है। आप हरियाणा में देखें और इस सदन में स्वयं देख चुके हैं कि जब जातीयता और साम्प्रदायिकता का मेल हो जाएगा उस रोज देश में क्या स्थिति होगी, इसका भगवान ही मालिक है।

हरियाणा और दूसरी जगहों पर जो देश में सत्ता हथियाने का कार्यक्रम है, उसके पीछे संकीर्ण भावनाएं हैं। जहां तक तथाकथित लोकदल का सवाल है, चाहे वह "अ" हो या "ब" हो ये जातीयता पर आधारित पार्टी हैं। वहीं पर हमारे बी० जे० पी० का जग-जाहिर है कि उसकी क्या संकीर्ण भावनाएं है, किस तरह वह देश में कार्य करना चाहते हैं। गांधी जी की हत्या के बाद।

श्री सी० जंगा रेड्डी : गांधी जी राम का नाम लेते मर गए।

श्री राम प्यारे पनिका : किस तरह से यह पार्टी संकीर्ण भावनाओं से काम करती है। काश ! ये भगवान का नाम लेने वाले लोग राम का नाम लेने वाले लोग, राम के एक आचरण को भी अगर करते तो मैं आपका स्वागत करता, (व्यवधान) लेकिन आज राम को किस संकीर्ण भावना में ये लोग ले जाना चाहते हैं. बी० जे० पी० के लोग, हिन्दू परिषद के लोग, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि भाई, यदि भारतवर्ष में लोकतन्त्र की जड़े मजबूत करनी हैं, लोक-तांत्रिक तरीके से देश का शासन चलाना है तो कम-से-कम हिन्दुस्तान में सारे देश की जनता को एक साथ लेकर चलो। इससे काम नहीं चलेगा कि एक कौम, दो कौम या यह धर्म और वह धर्म। आज समय बीत गया है, इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे दल जिनकी संकीर्ण भावनाएं हों, जो जाति पर आधारित हों उन पर आप तत्काल अंकुश लगाएं और तमाम सेनाओं की और दलों की जो बात की जाती है उन पर आज रोक लगाने की जरूरत है। आज हिन्दुस्तान में चाहे हजारीबाग का प्रश्न हो, चाहे मेरठ का प्रश्न हो, चाहे अलीगढ़ का प्रश्न हो वहां—। ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। आप यह देखें कि कौन इनको शुरूआत करता है ? क्या इसका ठेका बी० जे० पी० वालों ने ले रखा है, उनको कोई हक नहीं है। आज हमें बैठ कर यह तय करना पड़ेगा कि अगर देश को एक खतरा है, यदि राष्ट्रीय एकीकरण की भावना से शासन चलाना है तो आज इन सारी संकीर्ण भावनाओं को दूर करना पड़ेगा। आज ऐसे दलों पर कठोरता से रोक लगानी पड़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम इन पर रोक नहीं लगायेंगे तो देश की जनता जो 80 करोड़ वह उस पर रोक लगायेगी वह समय-समय पर लगाती भी रही है। यह वह देश है जहां जन राम राज्य परिषद की बात की और हिन्दु महासभा की बात की और संकीर्ण भावनाओं की व शिव सेना की बात की यानी जनता ने तुम्हें दो कर दिया यानी

[श्री राम प्यारे पनिका]

कि "तुम दो, तुम्हारे दो" जनसंघ वाले केवल दो ही हैं। जो फिरका परस्ती ताकतें हैं वह आने वाले समय में आगे नहीं आ पायेंगी।

मुझे हिन्दुस्तान के अवाम पर विश्वास है। वह ताकतें आज देश में इस तरह की संकीर्ण भावनाएं बना कर देश में आग लगाना चाहती हैं जैसे-जैसे इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, वैसे-वैसे शिव-सेना आगे आने की कोशिश कर रही है। हमारे एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि एक तरफ हम नेहरू शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो दूसरी तरफ बी० जे० पी० ने······(व्यवधान)······वह जो जयन्ती मना रहे हैं मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसकी क्या कल्पना थी? आप इसको तोड़-मरोड़ कर सकीर्ण भावनाओं में बांध रहे हैं। यह नहीं चलेगा। आप जाकर देवी लाल से कहो कि वह बी० जे० पी० के मिनिस्टरों को अपनी मिनिस्ट्री से अलग करें। उनको वहां रहने का कोई हक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : धन्यवाद। मैं इधर के बैठने वाले सदस्यों से कह रहा हूं जो एक मोर्चा एन० टी० रामाराव की अध्यक्षता में बनाना चाहते हैं। जो यह मोर्चा बनाना चाहते हैं उनका राष्ट्रीय एकता व अखंडता में कोई विश्वास नहीं है। देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि वह ऐसे लोगों को पहचाने। वी० पी० सिंह जब वैस्ट बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा सी० पी० एम० वालों से नेशनल एलाइंस है और जब दिल्ली विश्व विद्यालय में जाते हैं तो···(व्यवधान)···आखिर वह कैसा राष्ट्र चलाना चाहते हैं। हम सी० पी० आई० और सी० पी० एम वालों से कुछ उम्मीद रखते हैं और इनके कुछ सिद्धांत भी अच्छे हैं। हम उनको एग्री भी करते हैं लेकिन दुःख तब होता है जब सत्ता हथियाने के लिए यह भी दूसरी पार्टी वालों से हाथ मिलाने लगते हैं।

मैं रामूवालिया जी के विचारों से सहमत हूं और उनसे इत्तफाक भी करता हूं। मैंने उनके भाषण को शुरू से लेकर अन्त तक सुना। इन्होंने साफ-साफ कहा कि अकाली दल होने से साम्प्रदायिक नहीं हो जाते हैं। वहां तब होता है···(व्यवधान)···

श्री सी० जंगा रेड्डी : वहां क्या होता है ?

श्री राम प्यारे पनिका : वहां तब कुछ होता है जब आप जैसे संकीर्ण विचारधारा वाले लोग आ जाते हैं। जो विश्व हिन्दु संगठन बनाते हैं···(व्यवधान)···यह तो सब जानते हैं कि

"सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया"

इसलिये मैं मांग करता हूं कि समय आ गया है और इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं, जो इधर-उधर देश के हिस्सों में साम्प्रदायिक भावनायें भड़काना चाहते हैं, मैं विरोधी दल वालों को चेताना चाहता हूं, खासकर जो सत्ता हथियाने के लिये नापाक संगठन बनाना चाहते हैं, जातीयता और साम्प्र-दायिकता का, उनको आगाह करना चाहता हूं कि भगवान की खातिर, लोकतंत्र की खातिर, समाज-वाद की खातिर, देश की खातिर और देश की एकता और राष्ट्रीयता की खातिर आप ऐसे नापाक

संगठनों से दूर रहें नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। सत्ता में आना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो वैसे भी देश की सेवा कर सकते हैं, इसके लिये कोई जरूरी नहीं है कि एम० पी० बनो, अगर किसी के सिर मे दर्द हो रहा है तो उसकी आप मालिश कर सकते हैं, उसके लिए एम० पी० बनना जरूरी नहीं है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच्चे मन से देश की सेवा करें। आप 80 करोड़ अवाम की बल्कि कहा जाय तो जय जगत की अगर कल्पना हो, जय जगत और विश्व बन्धुत्व की कल्पना करने वाले हिन्दू धर्म को इतना संकुचित बनाने वाले लोगों क्यों हिन्दुस्तान में विष बो रहे हो, क्यों हिन्दुस्तान के जनमानस को विषाकत कर रहे हो।

आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुत दी, मैं अपने माननीय गृह मन्त्री जी से चाहता हूं कि आप उनके 15 सूत्री कार्यक्रम को आज ईमानदारी से क्रियान्वित कराएं। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न कांग्रेस सरकारों ने उनका कार्यान्वयन अपने हाथ में लिया है लेकिन तहेदिल से नहीं कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह भाषा का मामला हो, चाहे उनके आर्थिक विकास का मामला हो, चाहे हमने राज्यों में मुसलमानों के लिए कारपोरेशंस बनाये हैं, प्रधान मन्त्री जी के डायरेक्टिव्ज हैं, मुझे फख्र है अपने प्रधान मन्त्री पर कि वह चाहते हैं कि देश की माइनोरिटी आगे बढ़े, देश के कमजोर वर्ग आगे बढ़ें, लेकिन कुछ सरकारे ऐसी हैं जो ईमानदारी से काम नहीं कर रही हैं इसलिए मैं अपने गृह मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज की बहस के बाद पुन: सख्ती से राज्य सरकारों को लिखें और जो सरकारें अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए, हरिजन आदिवासियो के लिए अगर विकास का काम न करें तो इस देश में उन सरकारों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे विरोधी दलों की सरकार हो, चाहे अपनी सरकार हो इसलिए मैं आज सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम सब लोगों को आज हृदय साफ करके एक भारत मां की कल्पना करनी चाहिए, जो भी हिन्दुस्तान के लोग हैं चाहे किसी धर्म वाले हों, किसी सम्प्रदाय वाले, किसी क्षेत्र वाले, किसी भाषा वाले हों हम सबको साथ लेकर चलें और हम किसी के दिल को न दुखायें तभी महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा हमारे देश के प्रधान मंत्री आज जगह-जगह पर जाते हैं, जनता में यह भावना बढ़ती जा रही हैं वि जब चुनाव आता है तो कुछ विशेष दल अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे बहस का मुद्दा न बनाएं और उन ताकतों को जो संकीर्ण भावना वाली हैं, उन ताकतों को जो देश में विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा करती हैं, चाहे स्कूल की शिक्षा देतीहों, चाहे कोई परेड कराती हों' चाहे वह जगह-जगह हिन्दू विश्व परिषद बनाती हों, सेना और बल बनाती हों, उन पर हमें कठोरता से अंकुश लगाना होगा और उन प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक भावनाओं और विचारों की जड़ में लोगों को ले जाना होगा जो हमें नैतिक शिक्षा देकर देश को आगे बढ़ाना चाहती हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : [उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में साम्प्रदायिकता कोई नयी समस्या नहीं है। परन्तु इस समय—विशेषतौर पर मुझे कहना चाहिए, इस चुनाव वर्ष के दौरान—यह प्रतीत होता है कि वोट प्राप्त करने की धारणाएं कई ताकतों कई लोगों और कई पार्टियों पर भारी पड़ रही हैं। बेशक, हर व्यक्ति निरक्षेप रूप से साम्प्रदायिकता की निन्दा करने के लिए तैयार हैं।

यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कहेगा कि मैं स्पष्टरूप से साम्प्रदायिकता का समर्थन करता हूं या इसका समर्थक हूं, वह ऐसा नहीं कर सकता। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में घटना क्रम इस तरह चल रहा है कि साम्प्रदायिकता से निरपेक्षरूप से लड़ना अब और अधिक सम्भव नहीं

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

है। यहां कुछ लोगों ने कहा है और मैं उनसे सहमत हूं कि हमें अन्ततः इस संकट का इस खतरे का सामना करना ही होगा यह आवश्यक नहीं कि सभा में ही किया जाये, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह सभा उन सभी अच्छे इरादों के लिए जो यहां व्यक्त किये जाते हैं, मैं नहीं समझता कि इस सभा में साम्प्रदायिक शक्तियों पर विजय पाने की क्षमता है। आप इस सभा में उपस्थिति से ही देख सकते हैं जबकि जीवन और मृत्यु के मामले पर चर्चा हो रही है।

कई सदस्यों ने कहा है कि अन्ततः हमें सड़कों पर उन बस्तियों में जहां लोग रहते हैं, जाना ही होगा और हमें उनके बीच काम करना होगा, उन्हें ऊपर उठाना होगा, उन्हें शिक्षित बनाना होगा, उन्हें एक करना होगा, इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। देश में ढेर सारे कानून लागू हैं परन्तु कई लोग उनका आदर नहीं करते। यदि हम गलियों में जाकर साम्प्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं तो क्या यह कार्य किसी के पहचाने बिना ही निरक्षेपरूप से किया जा सकता है ? मैं जानता हूं कि लोग शत्रु को पहचानने से डरते हैं क्यों कि वह हमें कुछ वोट दिला सकता है। यदि मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जिससे हिन्दु सम्प्रदाय का एक वर्ग नाराज हो जाता है तो मुझे कुछ हिन्दु वोट खोने का जोखिम उठाना पड़ता है। यह सच है। यही बात मुसलमानों के साथ हैं, यही सिखों के साथ है। इसलिए कभी-कभी हमें विवेकी होना चाहिए, जिन्हीं ताकतों किसी सम्प्रदाय अथवा किसी संगठन के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। मेरी पार्टी का यह दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि संसार में सभी कुछ केवल चुनाव में वोट हासिल करने पर ही निर्भर नही करता है।

इस समय देश में आग लगी हुई है, तथा पिछले कुछ महीनों से हम यह देख रहे हैं कि जब तक देश में सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों द्वारा विलक्षण प्रयास नहीं किया जाता मुझे आशंका है, हम ऐसी स्थिति का सामना करने जा रहे हैं जो स्वतन्त्रता के पश्चात इस देश में नहीं आई। अब हमें ये नारे सुनाई पड़ रहे हैं :

[हिन्दी]

"गर्व से कहो हम हिन्दू हैं।"

[अनुवाद]

कोई व्यक्ति यह जवाब दे सकता है :

[हिन्दी]

"गर्व से कहो हम मुसलमान हैं"

[अनुवाद]

परन्तु कोई भी यह नहीं कहता

[हिन्दी]

"गर्व से कहो हम भारतीय हैं" (व्यवधान)

यहां नहीं जनाब वहां आकर कहना पड़ेगा।...(व्यवधान)...

श्री राम प्यारे पनिका : यह हमारे सेवा दल का नारा है।...(व्यवधान)...

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : कांग्रेस का भी है। ···(**व्यवधान**)···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कहना चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी के अन्दर जो कुछ लोग हैं, वे अगर ऐसी बातें बोलें, जो आपके सेंन्टीमेंट से मिलती नहीं हैं, जहां तक मैं जानता हूं रूलिंग पार्टी की जो डिक्लेयर्ड पालिसी है, उसके साथ मिलती नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : हमारे यहां कोई काम्युनल नहीं है।···(**व्यवधान**)···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कर्त्तव्य होता है रूलिंग पार्टी का, रूलिंग पार्टी के नेता का, ऐसे अपने उनके कुछ लोग जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो डायरेक्टली साम्प्रदायिक न भी हों···

[अनुवाद]

किन्तु वे साम्प्रदायिक ताकतों की सहायता कर रहे हैं। उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री की उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं किन्तु कुछ समय पूर्व प्रेस में भी उनके बारे में वाद-प्रतिवाद चल था। (**व्यवधान**) हम पर आक्रमण किया जा रहा है, मुझे इस बात के लिए खुशी है। ···(**व्यवधान**) मुझे खुशी है; मुझे खुशी है कि जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वे खुले वक्तव्य देकर वामपंथियों पर आक्रमण कर रहे हैं। मैं इस बात से प्रसन्न हूं।······ (**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

आपको गिल्टी कान्शियेंस क्यों हो रहा है। आपको कौन कह रहा है।···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : सर्टिफिकेट दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप तो राम के प्यारे है।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि हम वास्तव में इस विषय मे ईमानदार और गंभीर हैं तो जहां कहीं ऐसे स्वर उठते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी कारण या किसी भी विचार से साम्प्रदायिकता के प्रति सहृदय रहना चाहते हैं या इस ढंग से बोलना और कार्य करना चाहते हैं कि वे सम्प्रदाय वादियों का विरोध नही करेंगे तो मैं समझता हूं कि वे दल के नेता जिसके प्रति वे निष्ठावान रहने की शपथ लेते है का यह कर्त्तव्य है कि वह वह उनकी भर्त्सना करें। अन्यथा उन दलों की विश्वसनीयता भी संदिग्ध होगी।

अब, हम सदन में अनेक बार ऐसे विषयों पर वाद-विवाद कर चुके हैं जिन पर कम से कम यहां कभी कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। उदाहरण के लिए, यहां दिए गए आश्वासनों का दूसरी ओर के सदस्यों ने भी हवाला दिया है। उदाहरणार्थ, श्री जैनुल बशर ने इस सत्य का हवाला दिया था कि सरकार द्वारा इस सदन में अनेक बार यह घोषित किया जा चुका है कि जब कभी किसी क्षेत्र विशेष में कोई साम्प्रदायिक दंगा होगा तो उस स्थान विशेष में अपने कर्त्तव्यों में असफल रहने वाले प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों की खबर ली जाएगी, उन्हें जिम्मेवार ठहराया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो—वास्तव में उनका स्थानान्तरण करना तो मामूली बात है जो कि किया जा सकता है—कार्रवाही की जाएगी, और उनकी भर्त्सना भी की जायेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : कम से कम पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि यहां इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा। किन्तु इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों से असहमत हैं। उदाहरणार्थ, हाल ही में हजारीबाग में भयंकर दंगा हुआ था। बिहार के नये मुख्य मंत्री श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने हजारीबाग और निकटवर्ती क्षेत्रों में हुए हाल ही के दंगों के लिए पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराते हुए हजारीबाग से एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया था। उनका वक्तव्य रिकार्ड में है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें यहां वापस लाया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके परिणामस्वरूप हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया। सरकार ने स्थानान्तरण का निर्णय लिया और यह पहला अवसर है जब दंगों के दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण किया गया है। दंगे अभी खत्म नहीं हुए थे, स्थिति सामान्य नहीं हुई थी और कर्फ्यू तब भी लागू था। यदि बिहार सरकार में ये कदम उठाने का साहस है तो मैं उनको बधाई देता हूँ किन्तु कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की है।

अब, मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र भी जंगा रेड्डी उत्तेजित हों। किन्तु यह रिकार्ड में है—आप इसकी जांच कर सकते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार यूनिट के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीत सिंह नाम धारी ने इस पर आपत्ति की है। उन्होंने हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण करने के राज्य सरकार के निर्णय की आलोचना की और यह कहा कि यह निर्णय दंगों में शामिल उन प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए लिया गया था जिनका उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्दा-फास किया जा सकता था। तथापि वह इस बात से सहमत थे कि इस मामले में कोई प्रशासनिक कमी थी और जिला प्रशासन स्थिति पर नियन्त्रण रखने में असफल रहा था। फिर भी उन्होंने इन लोगों का स्थानान्तरण श्री कुमार और श्री किन्नी अर्थात पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त जिनके खिलाफ नगर में शांति कायम करने में विवादास्पद भूमिका की रिपोर्ट थी, को स्थानान्तरित करने के सरकार के निर्णय पर आपत्ति की। आसूचना विभाग की रिपोर्ट में 5 अप्रैल को बिहार शरीफ से हजारीबाग में शस्त्र और विस्फोटक सामग्री के आयात और हजारीबाग में शस्त्र लाने के लिए प्रयोग किए गए वाहनों की संख्या तथा इसमें शामिल लोगों की पहचान की भी सूचना दी गई थी।

इसके बाद भी कोई कारंवाई नहीं की गयी कोई निवारक उपाय नहीं किए गये और उस समय हर व्यक्ति यह जानता था कि झगड़ा खड़ा होगा, जैसा कि हर वर्ष रामनवमी यात्रा द्वारा अपनाये जाने वाले मार्ग के लिये होता है, और इस बार प्रशासन झुक गया। वे जान बूझकर उन साम्प्रदायिक तत्वों के आगे झुक गये जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि यात्रा का मार्ग पिछले वर्ष वाला मार्ग नहीं वरन दूसरा मार्ग होगा जो हजारीबाग नगर की मुख्य मस्जिद के आगे से होकर गुजरता है। वे इस पर राजी हो गये। किन्तु पिछले वर्ष वे इस मार्ग के लिये सहमत नहीं हुए थे। पिछले वर्ष सभी संबंधित नागरिकों और दलों ने यह सुनिश्चित किया था कि उस मार्ग से इत्तर मार्ग अपनाया जाए। किन्तु इस वर्ष प्रशासन झुक गया और इसके बाद ये सभी बम और विस्फोटक पदार्थ आदि-आदि, जो कि आसूचना रिपोर्ट में बताए गये थे, का खुलकर प्रयोग किया गया और भय मिश्रित विध्वंस का वातावरण पैदा किया गया।

योजनाबद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नही है और मेरे मन में इस बात के लिए कोई संदेह नहीं है कि यह षड्यन्त्र कुम्भ मेले के दौरान प्रयाग में रचा गया था। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है। विश्व हिन्दू परिषद ने साधुओं, सन्तों के बड़े समूह और भारतीय जनता पार्टी

और अन्य दलों के साथ मिलकर यह आह्वान किया था कि भारत के हर गांव से लाई गयी ईंटे पवित्र गंगा जल से पवित्र की जाएगी और इसके बाद पैदल चलकर अयोध्या तक ले जायी जाएंगी और यह काफिला चुनावों से कुछ समय पूर्व—अनुमानत: चुनावों से एक माह पूर्व—9 नवम्बर के अयोध्या में इकट्ठा होगा। इसके बाद इन ईंटों से वहां नए मन्दिर का निर्माण किया जाएगा।

कुछ लोगों का कहना है कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना चाहिए; कुछ कहते हैं कि इसे गिराने की आवश्यकता नहीं है। यह भिन्न मामला है। किन्तु पवित्र की गई ईंटों को लेकर भारत के इन गांवों, नगरों और विभिन्न बस्तियों से होकर अयोध्या जाने वाले ये सब लोग मार्ग में क्या करेंगे? क्या यह साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने और धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काने तथा उनके अयोध्या में पहुंचने से पूर्व ही झगड़े कराने का आधार तैयार नहीं करेगा?

महोदय, अब मुझे यह नहीं पता है कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। मुझे पता है कि उन्होंने दल के नेताओं के साथ कोई बैठक की थी। किन्तु इस बैठक से यह नतीजा निकला कि इस मामले को न्याययिक आधार पर निपटाया जाए। सबसे पहले तो विशेष पीठ द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और इसके बाद स्वभावत: यदि लोग इसके खिलाफ अपील करें तो मामले को उच्चतम न्यायालय में भेजा जाएगा।

मुझे खुशी है कि कम से कम कुछ मुसलमान मित्र मुझे नहीं पता कि वे देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, स्पष्टत: कोई भी इसका दावा नहीं कर सकता। किन्तु हमारे कुछ प्रख्यात मुसलमान दोस्त, जो इस सदन में उपस्थित हैं, जो यहां बोल चुके हैं, वे कहते हैं कि वे न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। मैंने उनमें से एक व्यक्ति, जो यहां मेरे पीछे बैठा है, से पूछा था, "मान लीजिये न्यायालय का निर्णय मुसलमानों के विरुद्ध होता है तब आप क्या करेंगे?" उन्होंने कहा, "हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसे अपनी हार मानेगें। इस देश में मुसलमान कई प्रकार से हराये गए हैं। एक बार फिर हम यही कहेंगे कि हम एक बार फिर हार गए।"

किन्तु सम्पूर्ण देश में जहां भिन्न-भिन्न मुस्लिम नेताओं का भिन्न-भिन्न दृष्टि कोण है वहां क्या होगा, मैं यह भी नहीं जानता हूं। किन्तु कम से कम उन्होंने ऐसा कहा तो। जहां तक हिन्दू समुदाय के कुछ वक्ताओं का सम्बन्ध है वे सरे आम यह कह रहे हैं····"यदि न्यायालय का निर्णय हमारे खिलाफ होता है तो हम इसकी अवज्ञा करेंगे और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

अत: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यदि 9 नवम्बर को हजारों की तादाद में लोग पवित्र ईंटे लेकर अयोध्या की ओर जाने वाले हैं और जबकि इनके उग्रवादी नेता पहले ही से सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर रहे हैं कि हम न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय मानने वाले नहीं है जो उनके हक में नहीं हैं—तो उस स्थिति में आपका क्या कदम उठाने का विचार है।

इस चुनाव वर्ष में क्या वे इन लोगों को रोकने के लिए शारीरिक बल का उपयोग करेंगे? हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें उन्हें इस तरह के खतरनाक प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों का प्रयोग करना पड़े। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप यह जोखिम उठाएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस चुनाव वर्ष में सत्तारूढ़ दल यह जोखिम उठाएगा?

महोदय, जहां तक बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद का सम्बन्ध है, हमारी हमेशा यही रायरही है कि किसी तरह इस समस्या के शांतिपूर्वक समाधान के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

चाहिए। यदि ऐसा सम्भव हो सके कि दोनों संप्रदाय आपसी समझौता कर लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। वे जिस बात के लिए सहमत हों, हमें उसका समर्थन करना चाहिए, बशर्ते कि वह आपसी समझौता हो। लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती।

दूसरे, इसके लिए कई विकल्पों का सुझाव दिया जा सकता है। क्या सरकार उस पूरे क्षेत्र को अपने हाथ में लेकर और इसका नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकती ? कई वर्षों तक इस पर ताला पड़ा रहा, यह बात सब जानते हैं।

कोई वहां पूजा करने या नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। यह स्थान बन्द पड़ा था। ताला खुलने से पहले तक वहां कोई समस्या ही नहीं थी। वह ताला किसने खोला ? इसे क्यों खोला गया ? इस बारे में बहुत से अनुमान लगाए जा रहे हैं। मेरे मित्र श्री कल्पनाथ राय, बहुत अर्थपूर्ण ढंग से मुस्करा रहे हैं। संभवत: उन्हें इसके रहस्य की जानकारी है। जो भी हो ताला खुलने के बाद ही सारी समस्याएं शुरू हुईं। क्या अब इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा सकता है ? नहीं। संभवत: सरकार स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकती कि उनका इस बारे में क्या करने का विचार है ?

क्या हम ऐसे समझौते कर सकते हैं कि इस देश के प्रत्येक धार्मिक स्थल चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों, उनमें पूर्ववत: स्थिति बरकरार कर देनी चाहिए जैसी कि 15 अगस्त, 1947 को थी ? जो मस्जिद थी, वह मस्जिद रहेगी, जो गुरुद्वारा था, वह गुरुद्वारा रहेगा, जो मन्दिर था वह मन्दिर रहेगा। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनके बारे में कुछ कठिनाइयां हों क्योंकि कम से कम अगस्त, 1946 और अगस्त, 1947 के बीच की स्थिति के बारे में हमें यह जानकारी है कि हमारे देश में क्या हो रहा था और हो सकता है कि उस अवधि में ऐसे किसी स्थान को अपवित्र किया गया हो। ऐसे कुछ मामलों में कुछ नरमी बरतनी होगी।

लेकिन सामान्य रूप से कहा जाए तो क्या ऐसे समझौते पर पहुंचना सम्भव नहीं है कि सभी धार्मिक पूजास्थलों में अगस्त, 1947 की स्थिति बरकरार रखी जाए और बाद में उसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ? मैं आपको इस बात पर विचार करने के लिए कह रहा हूं कि इसके कई विकल्प हैं। इस सम्बन्ध में अन्य सुझाव भी हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इनके अलावा और कोई सुझाव ही नहीं हैं। किन्तु क्या हमें इसी तरह चुपचाप बैठे रहकर स्थिति को और बिगड़ने देने के बजाय इस स्थिति को सुधारने के लिए अन्य वैकल्पिक उपायों के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

इस समय उन्हें केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की ही प्रतीक्षा है। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन जब एक दल ने यहां तक घोषणा कर दी है कि वे इसे चुनौती देकर इसका विरोध करेंगे, तब इसका क्या अर्थ रह गया है ?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यही बात कही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहरहाल मैंने हाल ही में 29 अप्रैल को अपने राज्य पश्चिम बंगाल में मालदा में श्री लालकृष्ण आडवानी द्वारा दिए गए एक वक्तव्य को देखा है। उसमें उन्होंने कहा था :

"उन्होंने हाल ही में प्रकाशित इस समाचार का खंडन किया कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में यह सुझाव दिया था कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाना चाहिए और इसकी जगह वहाँ राम मन्दिर बनाया जाना चाहिए। उनके

अनुसार, श्री वाजपेयी ने कहा था कि यह स्थान मन्दिर बनाने के लिए हिन्दुओं को सौंप दिया जाए। हम नहीं जानते कि मस्जिद का क्या किया जाये। उन्होंने अर्थात अडवानी ने भी इस विचार का समर्थन किया था। उन्होंने सोचा था कि यदि हिन्दुओं को ऐसा करने की अनुमति न दी गयी तो इसका अर्थ इतिहास को अस्वीकार करना होगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि न्यायालय इस मामले पर अच्छी तरह निर्णय ले सकता है।"

मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले का सही निर्णय कौन लेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से ऐतिहासिक यथार्थता सुनिश्चित करते हुए कौन इसका निपटारा करने के लिए तैयार है और कैसे? अत: ये बातें कहीं जा रहीं हैं और इनका व्यापक प्रसार किया जा रहा है।

मैं तो कहूंगा कि इस समय जिन नारों का प्रचार किया जा रहा है वे भी इतने ही खतरनाक है। मेरे विचार से सर्वाधिक खतरनाक बात यह कहना है कि भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाए, कि औपचारिक रूप से इसे संवैधानिक तौर पर हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। क्या भारत केवल हिन्दुओं के लिए ही है, और किसी के लिए नहीं है? क्या अन्य धर्मों और अन्य संप्रदायों के लोग भारतीय नहीं हैं और क्या भारत में उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है? क्या हम वही दिखाना चाहते हैं जो पाकिस्तान अथवा बंगलादेश में हुआ है? क्योंकि उन्होंने उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया है, इसलिए हमें भी उनकी नकल करके इसे हिन्दू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? क्या हमारा उद्देश्य यही है? मेरे विचार से हर भारतीय को इस बात पर गर्व हैं कि हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों विभिन्न धर्मों, भिन्न भाषाएं बोलने वाले और भिन्न-भिन्न संस्कृतियों वाले लोग रहते है।

हमने समूचे विश्व के समक्ष इसी अनेकता में एकता का उदाहरण रखा है। फिर भी इस हिन्दू राष्ट्र की बात का व्यापक प्रचार किया जा रहा है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप हिन्दू राष्ट्र की ही बात करते रहे तो आप हमारे सिख भाइयों को खालिस्तान की बात करने से कैसे रोक सकते हैं, उन्हें आप क्या तर्क दे सकते हैं? यदि आप कहते हैं कि चूंकि यहां हिन्दू अधिक हैं।

इसलिए इसे हिन्दू-राष्ट्र घोषित किया जाए, तो यदि सीमा पर रहने वाले सिख कहते हैं कि चूंकि वहां उनकी संख्या अधिक है, इसलिए उनके लिए पृथक खालिस्तान राष्ट्र मिलना चाहिए, तो आप उनके समक्ष क्या तर्क रखेंगे? मैं खालिस्तानियों की उस मांग से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और न ही कभी होऊंगा। हम उसे मानने की बजाए इसके विरुद्ध अपनी जान तक देने को तैयार हैं। लेकिन आप उनसे कैसे बहस करेंगे? आप कश्मीर में—जहां मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट आदि कई ताकतवर साम्प्रदायिक बल काम कर रहे हैं—मुसलमानों के साथ क्या विवाद करेंगे यदि वे कहें कि चूंकि वहां मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हैं इसलिए यदि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो फिर देश के उस भाग को मुस्लिम राज्य घोषित क्यों नहीं किया जाता? हमारी सीमा के उन पूर्वोत्तर राज्यों को, जहां ईसाई धर्म के लोग बहुत संख्या में रहते हैं, ईसाई राज्य घोषित क्यों नहीं किया जाये? अत: क्या हम मजहबी राज्य के इस तरह के सिद्धांत को स्वीकार करने जा रहे हैं? मैं ऐसा कहने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेसी इन सब बातों का समर्थन करते हैं किन्तु वे इसका विरोध नहीं करते। वे इन सबके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं और इसका कारण यह है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं··· **(व्यवधान)**

श्री राम प्यारे पनिका : आपसे पहले मैंने भी इसका समर्थ किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि क्या आप पूरे कांग्रेस दल की ओर से कह रहे थे। क्या ऐसा ही है ? कृपया वोट प्राप्त करने के लिए हिन्दुओं की भावनाओं को मत भड़काइये'''(**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : मुझे विश्वास है कि वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बोल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री रावत जी, ताप इसे इतने हल्के ढंग से मत लीजिए। यदि आप इसी तरह करते रहे तो आप और मैं और हम सभी को बहुत परेशानी होगी। आपको जरूर बोलना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। यदि हमारे देश की आम जनता को गलत नारों से भड़काया और प्रोत्साहित नहीं किया जाये तो वे सांप्रदायिक नहीं है, हाल ही में आपने देखा कि बड़ी संख्या में लेखकों, कलाकारों, कवियों, फिल्म अभिनेताओं, हिंदू और मुसलमानों, सबने मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द्र के उद्देश्य से लखनऊ से अयोध्या तक 'मार्च' किया और पूरे रास्ते जनता ने उनका अत्यधिक स्वागत किया। अब वे पुन: दिल्ली से मेरठ तक 'मार्च' करने की योजना बना रहे हैं।

जनता ने इतनी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। लेकिन आपको जनता के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि जब अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसी कोई बात ही नहीं है तो इस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार क्यों होने चाहिए ? दूसरे यह कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाना चाहिए आदि। अतः इस सारी बात के पीछे सुविचारित और सुनियोचित योजना है। यह संप्रदायों में फूट डालने, विशेषकर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए है और जहां ऐसे दंगे होते हैं।

वहां स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाती है। हाल के महीनों में केवल हजारीबाग और मथुरा में ही नहीं, मथुरा, कालपी, जमशेदपुर हजारीबाग, रांची, बरहनपुर, अलीगढ़, भोपाल, मकराना और कुछ अन्य स्थानों पर भी दंगे हुए थे। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी सूची बनाई है।

यह परिषद ने इस तरह की भूमियों-राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्म भूमि और अन्य कई भूमियों— अर्थात ऐसे 103 स्थानों का पता लगाया है—और वे चाहते हैं कि इन्हें मुक्त कराया जाए और यदि वहां कोई मस्जिद वगैरा है तो उन्हें वहां से हटाया जाए—और वे ऐसी एक सूची परिचालित करने जा रहे हैं। उन सूचियों का प्रचार किया जा रहा है और उन्हें लोगों में बांटा जा रहा है। कल मैं पौढ़ी, गढ़वाल में था और मैंने देखा कि गांव में घरों की दीवारों पर लिखा है--

[हिन्दी]

"मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाना, गुलामी की निशानी है।"

[अनुवाद]

ऐसा हर जगह लिखा है। यह कौन लिख रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि इसका यथासंभव सभी प्रकार से जान बूझकर प्रचार किया जा रहा है। हम भी कह रहे थे कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलायी जानी चाहिए। लेकिन मेरा इसमें इसके अतिरिक्त अधिक विश्वास नहीं है कि यह शायद कुछ अनुकूल वतावरण पैदा कर सके। परन्तु राष्ट्रीय एकता परिषद के संकल्पों और निर्णयों का कभी पालन नहीं किया जाता तथा उन्हें कभी क्रियान्वित नहीं किया जाता। मुझे विश्वास है कि श्री बूटासिंह यह जानते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद में पारित किसी अच्छे संकल्प को भी क्रियान्वित नहीं किया जाता शिक्षा को धर्म निरपेक्ष बनाने की बात थी। पाठ्य पुस्तकों की जो आजकल स्कूलों में हमारे बच्चों को

पढ़ायी जाती हैं, विषय वस्तु की जांच करने की बात थी। साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। परन्तु कुछ नहीं किया गया है। सारी परेशानी तो यह है।

यह मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार रमजान का महीना है ऐसा लगता है इस महीने को अनेक स्थानों पर विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हद तक मध्य प्रदेश में, दंगे करने के लिए चुना गया है। इसलिये मैं बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री बरूचा को बधाई देना चाहता हूं। मेरे विचार से इस साहसिक निर्णय की पर्याप्त रूप से प्रशंसा नहीं की गयी है जो उन्होंने विले पारले के शिव सेना के विधायक के मामले में दिया है न्यायाधीश बरूचा ने उनका चुनाव रद्द कर दिया है क्योंकि उन्होंने खुले आम धार्मिक भावनाओं से चुनाव जीता है तथा उसमें शिव सेना के नेता श्री बाल ठाकरे ने भी सहायदा दी थी, इस कारण कानून के अनुसार उन्हें भी चुनाब लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्हें अनेक वर्षों के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। परन्तु शिव सेना की प्रतिक्रिया अपने साम्प्रदायिक अभियान को तेज करने के लिए होगी और यदि वे कर सकते तो वे और अधिक दंगे करेंगे।

महोदय, सुरक्षा बलों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। मलियाना में पी० ए० सी० ने जो कुछ किया था उसे हम नहीं भूले हैं और न कोई इसे भूल सकता है। परन्तु जैसी कि मुझे खबरें मिली है तथा राज्य सभा में हमारे दल के सदस्य श्री चतुरानन मिश्र का, जो अभी हजारीबाग में हैं, तार मिला है, उन्होंने बिहार मिलेट्री पुलिस की भूमिका और उन्होंने जिस तरह इन दंगों में मुख्य रूप से अल्प संख्यक समुदाय पर अत्याचार करके उन पर आक्रमण और उनके घरों की लूट में भाग लिया इसके बारे में उन्होंने खबरें प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित की हैं और उन रहस्यमय शवों के बारे में जो बिहार विधान सभा के विधायकों के दल को जिनके साथ प्रेम के संवाददाता भी थे, पता लगाया है। इनमें से 16 या 18 शव सड़ने के कारण शहर के एक विशेष क्षेत्र में फेंक दिये गये थे, प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया कि यह एक ऐसा स्थान है जहां लावारिस शव हमेशा फेंक दिये जाते हैं इन दंगों से कुछ लेना-देना नहीं है इसका कोई विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है कि बिहार मिलेट्री पुलिस किस प्रकार व्यवहार कर रही है।

यदि सुरक्षा बल इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो हमसे हर बार यही कहा जाता है कि इस तरह के दंगों की स्थिति और साम्प्रदायिकता स्थितियों से निपटने के लिये समन्वित विशेष दल बनाया जा रहा है। श्री चिदम्बरम के मन्त्री बनने से पहले इसके बारे में हमें कितनी बार यह बताया गया है। उनके पूर्व मन्त्रियों ने भी हम से कहा कि समन्वित बलों की स्थापना की जायेगी जिसमें विभिन्न समुदायों और विभिन्न धर्मों के लोग होंगे जिसे कृतिक वल का प्रशिक्षिण दिया जायेगा और उसका दंगों के समय में उपयोग किया जायेगा। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। फिर भी आप चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास करें कि सरकार इस मामले में गम्भीर है और कुछ करना चाहती है। महोदय, ये हमारे लिये बड़ी दु:खद और कष्टदायक बातें हैं।

हजारीबाग और मथुरा में भजरंग दल के नाम से कुछ संगठन खुलेआम उत्तेजक भूमिका निभा रहे हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है यदि आप वहां के लोगों से बात करेंगे तो वे आपको बता देंगे। इसलिये हम यह जानना चाहते हैं कि कम से कम इन कथित साम्प्रदायिक दलों या संगठनों के कथित का तात्पर्य उनसे है जो खुलेआम इस प्रकार की सांप्रदायिकता का उपदेश दे रहे हैं, नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? मैं केवल हिन्दू संगठनों के बारे में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

ही नहीं कह रहा हूं। जहां कहीं भी इस तरह के कथित साम्प्रदायिक संगठन चाहे वे किसी भी समुदाय के हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। पता नहीं उनके प्रति यह उदारता क्यों दिखाई जाती है।

अंत में, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सुझाव दिया गया था कि हमें पहले की तरह कुछ करना चाहिए या कहना चाहिए कि हम सब साम्प्रदायिकता के विरोधी हैं, हमें साम्प्रदायिकता की निंदा करनी चाहिए तथा हमें साम्प्रदायिकता का मुकाबला करना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा एक मत से पारित किया जाना चाहिए और देश को बता देना चासिए कि संसद ने सांप्रदायिकता को सर्वसम्मति से समाप्त कर दिया है और कुछ नहीं होगा। हमें सूक्ष्मदृष्टि डालकर उन ताकतों का पता लगाना चाहिए जो जानबूझ कर योजना बनाकर और व्यवस्थित ढंग से इस देश की एकता को नष्ट करने के लिये कार्य कर रहे हैं और उसके लिए ऐसे संकल्प पर्याप्त नहीं होंगे। सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह क्या उपाय करेगी या नहीं करेगा।

जहां तक लोकप्रिय ताकतों तथा बाहर के लोगों का सम्बन्ध है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि उनके पास जाकर धर्मनिरपेक्ष ताकतों द्वारा भौतिक रूप से हस्तक्षेप किया जाए। मैं जानता हूं कि करने से कहना सरल है। वामपंथी दल अपने आप इस तथ्य की स्वालोचना कर रहे हैं कि आजकल अनेक दंगे हो रहे हैं परन्तु हम भौतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हमें भौतिक रूप से हस्तक्षेप करना है, यदि कुछ लोग मारे भी जाएं तो कोई फर्क नही पड़ता क्योंकि यदि कुछ बलिदान होगा तो सामान्य जनता का साहस बढ़ेगा और मुकावला करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अन्यथा आज किसी में साहस नहीं है क्योंकि इन साम्प्रदायिक अपराधियों के पास पहले से अच्छे हथियार हैं। उन्होंने अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर लिए हैं। उन्हें आश्वासन प्राप्त है कि सुरक्षा बल उनके विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे बल्कि उनका साथ देंगे। परन्तु इन हथियारों स नारे तथा प्रचार अधिक घातक हैं, कट्टर धार्मिक नारे तथा प्रचार जहर की तरह फैल रहे हैं। महोदय, यह अजीब बात है परन्तु मैं यह अनुभव करना चाहता हूं कि आज पंजाब ले निःसंदेह आतंकवादी गतिविधियां और पुलिस द्वारा हत्याएं हो रही हैं, यह सब हो रहा है परन्तु आप जानते हैं आज वहां साम्प्रदायिकता बहुत कम है। पंजाब में कभी भी बड़े पैमाने पर हिन्दू सिख दंगे नहीं हुए परन्तु आज भी आप देख रहे हैं कि आतंकवादी प्रतिदिन जिन लोगों की हत्याएं कर रहे हैं उनमें अधिकांश हिन्दू नहीं बल्कि सिख हैं।

इस प्रकार वहां जो कुछ हो रहा है वह निःसंदेह हमारे देश की सुरक्षा और पंजाब के भविष्य के लिए कष्टदायक है परन्तु इसका साम्प्रदायिक पहलू बहुत कम है तथा वहां और कुछ कार्य कर रही है। परन्तु आज जो कुछ हो रहा है तथा सम्पूर्ण देश में विशेषता उत्तरी भारत में जो कुछ प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, और यदि इसे इसी तरह से करने की अनुमति दी गई है हमारा सम्पूर्ण देश नष्ट हो जाएगा, भारत की एकता अस्त व्यस्त हो जायेगी और देश टुकड़ों में विभाजित हो जायेगा तथा किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब ब्रिटिश शुरू में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ भोले व्यापारी के रूप में यहां आए थे तो उन्होंने चारों तरफ देखा और संतुष्ट हुए कि अधिकांश भारतीय आपस में संघर्ष कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं तथा विभिन्न राजा, महाराजा, बादशाह और नबाब आदि अपनी-अपनी जागीरों के लिए संघर्ष कर रहे थे तथा वे कभी एक नहीं होंगे तो

उन्होंने बड़ी चतुराई से बड़ी सावधानी से देश के विभिन्न भागों में इसका फायदा उठाया और अन्त में उन्होंने उपनिवेशी शासन की स्थापना कर दी जिस पर उन्होंने लगातार 200 वर्ष तक शासन किया।

5.00 म० प०

इस प्रकार जो लोग हमारे देश को अस्थिर बनाना चाहते हैं उन्हें आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले में उन साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा सहायता दी जा रही है। वे जनता को विभाजित करना चाहते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध रक्तपात कराना चाहते हैं इसलिए मुझे आशा है कि वे सभी लोग, जो अपने आपको धर्म निरपेक्ष कहते हैं और वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं और यह अनुभव करते हैं कि आज देश की एकता खतरे में है तो वे एकत्रित होंगे और इस सभा में ही नहीं बोलेंगे बल्कि इस विषय के बारे में बाहर भी एकजुट कार्य करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ताली बजाने का क्या लाभ है? हम पंजाब में ऐसा नहीं करते तथा अन्य कहीं ऐसा नहीं करते। मैं इसका खंडन नहीं करता। विभिन्न दल कुछ कर सकते हैं, साम्प्रदायिकता विरोधी कार्य कर सकते हैं परन्तु वे यह पृथक रूप से करना चाहते हैं, वे इसे अलग से दिखाना चाहते हैं। वे एक साथ नहीं रहना चाहते। (व्यवधान)

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : हम एकजुट होंगे।

श्री हरीश रावत : हम इसका स्वागत करते हैं।...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आइये। हमें शान्ति प्रदर्शन करना चाहिए, हमें जन सभाओं का आयोजन करना चाहिए, हमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का संयुक्त सम्मेलन बुलाना चाहिए, हमें जनता का आह्वान करना चाहिए और उनके बीच जाकर कार्य करना चाहिए। यदि कोई साम्प्रदायिक दंगे करने का प्रयास करेगा तो हमारे अपने स्वयंसेवक होने चाहिए जो भौतिक रूप से इस स्थिति में हस्तक्षेप कर सकें और इन दूषित सुरक्षा बलों के भरोसे न रहें।

5.03 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस प्रकार मैं अपने दल की ओर से सबसे अपील करता हूं कि कोई ऐसी बात न कहें या कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हिन्दुओं या मुसलमानों या सिखों को परेशानी न हो। मैं जानता हूं कि इस सभा में अधिकांश लोग सच्चे और धर्मनिरपेक्ष हैं परन्तु दुर्भाग्यवश हम राजनैतिक रूप से बंटे हुए हैं क्योंकि हम हमेशा आगामी चुनावों के बारे में सोचते हैं इसलिए हिचकिचाहट है। इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं कहते या करते जिससे हिन्दू या मुसलमान या सिख नाराज हों। तब तो आप अपने वोट खो देंगे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में यदि मैं किसी समुदाय की साम्प्रदायिकता के विरुद्ध बात करूंगा तो मैं उस समुदाय के वोट खो दूंगा।

अत: चुप रहना कुछ भी नहीं कहना बेहतर अधिक सुरक्षित और विवेकशील है परन्तु यह कहना बहुत अच्छी बात है कि हम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध हैं, हम सभी लोग साम्प्रदायिकता के विरुद्ध है। और इस बारे में निश्चिन्त है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि हमें एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना है जिसके बारे में मुझे यह बताया गया है कि उसे आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने की संभावना है मुझे यह जानकारी नहीं है कि क्या वह विचार अब भी है अथवा उसे छोड़ दिया गया है। परन्तु

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप किसी ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बारे में सहमत न होइये जिसमें कोई ठोस बात न हो, जिसका कोई अभिप्राय न हो। यदि आप एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कृपया सभी दलों के उन सभी संसद सदस्यों को, जो कि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं; सत्र के बाद अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न गांवों और कस्बों में जाने के लिये और वहां जाकर लोगों को जागृत करने और साम्प्रदायिकता के इस खतरे के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए कार्य करने के लिये कहिये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कम्युनल सिचुएशन जिस तरीके की है, उसके बारे में जो यहां बताया गया, मैं खासतौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जितनी कम्युनल पार्टीज हैं अगर उन सबको बैन कर दिया जाये तो सबसे ज्यादा सुन्दर बात होगी। आज जिस प्रकार की सेनाएं, चाहे वह शिव सेना हो, चाहे बजरंग दल हो या अन्य प्रकार की जितनी भी शक्तियां हों और मुसलमानों की तरफ दूसरी प्रकार की जमातें हों, ये तमाम चीजें जो यहां पर तैयार हो रही हैं, ये आपस में हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए तैयार हो रही हैं इसलिए इन जमातों को जब तक हिन्दुस्तान में एक तरह से बैन नहीं कर दिया जाय, उनके ऊपर पाबन्दी नहीं लगा दी जाय तब तक हम कम्युनल सिचुएशन को यहां पर कण्ट्रोल नहीं कर सकते।

इसलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिए। दूसरी जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो कम्युनल संस्थाओं से मदद लेती हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, इस प्रकार की जो भी संस्थायें हैं उनके ऊपर पाबन्दी लगनी चाहिए। कम्युनल तौर पर देश में अगर प्रचार करते हैं या हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित तरीके से उनके ऊपर पाबन्दी लगनी चाहिए। जैसे कि अभी नजीर दी गई कि बम्बई के हाईकोर्ट में शिव सेना के आदमी को जज साहब ने जिस तरीके से एम० एल० ए० शिप से हटाया, क्योंकि उन्होंने काम्युनल प्रचार करके अपने आपको जिताया, तो निश्चित तरीके से इन व्यवस्थाओं को आपको माकूल तरीके से लागू करना चाहिये; चुनावों के दिनों में खास तौर से इस बात का ज्यादा प्रचार और प्रसार होता है। काम्यूनल भावनाओं से लोगों को भड़काने की विशेष तौर से कोशिश की जाती। यह प्रयत्न सिर्फ वे पार्टियां करती हैं, जो या तो जातिवाद में विश्वास करती हैं और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करती हैं। इसलिए इन पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी निश्चित तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि पोलिटिकल पार्टीज काम्यूनल प्रचार करके लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश न करें।

आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें गलत तरीके से लाई जा रही है। वहां पर काम्युनल भावनाओं को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी विशेष तौर से तवज्जह दी जानी चाहिए। जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर स्कूल खुल रहे है और वहां पर गलत तरीके से प्रचार करके बच्चों को गुमराह करने का प्रयत्न किया जाता है। खास तौर से आर० एस० एस० के लोग स्कूल खोल कर, आदर्श विद्या मन्दिर के नाम पर बड़े-बड़े शहरों के अन्दर इस प्रकार की विचारधारा से अपने बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिससे आगे चलकर उनमें ऐसी

काम्युनल भावनाएं पैदा हो जाती हैं, जिससे देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। इसलिए इन स्कूलों को भी बन्द किया जाना चाहिए। इस तरह की भावनाओं से स्कूल खोला जाता है, जिनमें काम्युनल प्रचार करके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के अन्दर जो काम्यूनल टैन्शन्स और काम्यूनल रायट्स हुए, उनमें मेरे क्षेत्र के बिगोद का नाम लिया गया। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। इन्होंने, माननीय सदस्यों ने उसके बारे में कहा कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर हमला किया गया और अन्य प्रकार की बातें की गयीं। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तरीके से वहां के अधिकारियों ने उस स्थिति को अच्छी तरह से देखा और वहां के जिस तरह के हालात हुए, मस्जिद के पास ही होली के दिन एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक दिया। लोगों ने गुमराह करके वहां पर लड़ाई-झगड़ा पैदा कर दिया, उसके बाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त व्यवहार किया और चाहे जो भी लोग हों, हिन्दू हों या मुसलमान हों, दोनों ग्रुप के लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्यवाही की।

इस प्रकार की बातें कहना कि वहां पर मस्जिद पर हमला किया गया, बिल्कुल गलत बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस बात को गलत तरीके से कहा गया है। इसलिए इस व्यवस्था को भी आपको निश्चित तरीके से देखना चाहिए। जहां तक मकराना का सवाल है, वहां पर भी काम्यूनल लोगों ने दोनों पार्टीज को भड़काने की कोशिश की है। हमारे एक धार्मिक लीडर थे, जिनका कि वहां पर स्टैचू था, उसकी उंगली को काट दिया गया और दूसरी तरफ माइनोरिटीज के लोगों के खिलाफ किसी प्रकार का भद्र व्यवहार किया गया, इस तरह की वहां पर मिली-जुली कार्यवाही हुई। जिसकी वजह से दोनों ही तरफ भड़काव पैदा हुआ। यह जरूर है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर जिस तरीके से बिगोद के अन्दर समय पर पाबन्दी लगाकर समय पर कंट्रोल कर लिया, उस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं हो पाई।

उसकी वजह से वहां ज्यादा नुकसान हुआ और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। माननीय सदस्यों ने कई बार यह सुझाव दिया है कि अगर कहीं पर कम्युनल रायट्स होते हैं तो एस० पी० या कलैक्टर को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए क्योंकि रायट्स को कंटोल करने की जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है। अगर वे ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते तो निश्चित तरीके से उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। अभी सभी सदस्यों ने कहा कि एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति का आदर करना चाहिए। उस तरह की भावना देश के अन्दर होनी चाहिये। हिन्दुओं को चाहिए कि वे मुसलमानों, सिखों, बौद्धों और अन्य धर्म के मानने वालों का आदर करें। इस तरह की भावना स्थापित की जा रही है कि हिन्दु राज या अन्य राज स्थापित करेंगे।

हजारों वर्षों का इतिहास यह कहता है कि हमने कभी भी इस तरह की भावना प्रचलित नहीं की जैसी कि आज लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सांप्रदायिक तत्व चाहते हैं कि किसी तरह से टैन्शन हों और वे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी सैक्युलरिज्म में विश्वास करती है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग वोट के कारण चुप रहते हैं। जहां-जहां भी इस प्रकार की अव्यवस्था होती है, वहां कांग्रेस के लोग उस अव्यवस्था को रोकने का प्रयत्न करते हैं। बिगोद में जिस तरीके से हालात हुए, वहां हम गए और लोगों को समझाने का प्रयास किया। जिन्होंने भी दंगा फैलाने की कोशिश की,

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

हमने उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को कहा है। जो भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए वह निश्चित तरीके से की गई। आज सबसे बड़ा प्रश्न राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का है। कई तरह के विचार उस सम्बन्ध में आए हैं। लेकिन निश्चित बात यह है कि अदालत के जरिये से उसका फैसला होना चाहिए।

अदालत जो भी फैसला करती है, वह सर्वमान्य होना चाहिए। अगर इस देश की एकता और अखण्डता को कायम करना चाहते हैं तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होने से हमारा देश मजबूत होगा और सैक्युलरिज्म मजबूती के साथ आगे बढ़ पायेगा। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि माइनोरिटीज को सुरक्षा दी जाए और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। उनके हकों और सुरक्षा के लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी ने पन्द्रह प्वाइंट प्रोग्राम दिया है। उसको निश्चित तरीके से अमल में लाया जाना चाहिए। पुलिस और फौज में उनकी भर्ती होनी चाहिए ताकि उन्हें विश्वास हो कि हम हिन्दुस्तानी हैं और हमारा पूरा हक है और हम हिन्दुस्तान को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हैं। वैसे सब जगह एथनिकप्राबलम है लेकिन पाकिस्तान और रूस में भी एथनिक प्राबल्म हो रही हैं। एथनिक प्राबलम कहीं पर भी हो सकती है। अगर सरकार की मंशा मजबूत हो तो ऐसी समस्या नहीं हो सकती, जो सांप्रदायिक तत्व हैं उनको सख्ती से दबाया जाना चाहिए। इसलिए इनको रोकने के लिए बहुत सख्ती से कदम उठाने चाहिएं। वोट का मामला नहीं है। अगर हम सख्ती से प्रशासन को चलायेंगे और सब जाति, धर्म और सम्प्रदाय के लोगों को बराबर का अधिकार देंगे तो हमारे वोट कहीं जाने वाले नहीं हैं। हिन्दुस्थान की जनता समझदार है। इसी जनता ने 1977 में कांग्रेस को हरा दिया कि कुछ ज्यादतियां हुई थी और वही जनता ने 1980 में जनता पार्टी का सफाया कर दिया। इतनी समझदार जनता इस देश की है और हम कहते हैं कि बिना पढ़ी-लिखी जनता है, 66 प्रतिशत जनता अनपढ़ है। इसी जनता ने दो फैसले, महत्वपूर्ण फैसले किये हैं। इस जनता पर हमें पूरा विश्वास है कि यह गलत फैसला नहीं करेगी। यह देश धर्म निरपेक्षता को मानने वाले लोगों का देश है। यहां की जनता हमेशा सही फैसला करेगी और हिन्दुस्थान की एकता तथा अखण्डता को बनाये रखेगी। इस जनता पर मेरा पूरा विश्वास है और इस जनता की एकता में हिन्दुस्थान को पूरा भरोसा है। जनता की एकता पर हिन्दुस्थान की एकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्थायें सब राजनीतिक पार्टियों को करनी चाहिएं ताकि हम सब जाति, धर्म और सम्प्रदाय के लोग एकजुट होकर हिन्दुस्थान को मजबूत और सशक्त बनाने में योगदान दें।

[अनुवाद]

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर भाषण देना एक दुःख की बात है। मुझे यह कहना पड़ता है कि मैं जो कुछ कहूंगा वह दुख के साथ कहूंगा। सम्भवतः शेक्सपीयर ने यह कहा था कि जिस कली में मिठास सबसे अधिक होती है सबसे पहले वही सड़ जाती है हमारा देश एक सुन्दर देश है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में ही साम्प्रदायिकता का यह कलंक भी है। यह देश मिली-जुली संस्कृति और विभिन्न धर्मों का देश है। हम लोग एक ही भगवान की पूजा करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से हम एक दूसरे के विरुद्ध बहुत नफरत पैदा किये हुए हैं। हम यह कह सकते हैं कि धर्म के कारण हम अन्य लोगों से प्यार करने के बजाय उनसे नफरत करते हैं। मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि सांप्रदायिक समस्याओं में कई गुना वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता पूर्व समय की अपेक्षा अब देश में सांप्रदायिक समस्याएं कई गुना अधिक हो गई हैं यह बात सुप्रसिद्ध है ब्रिटिश शासन के दौरान रजवाड़ों

में सांप्रदायिक दंगे बहुत कम होते थे परन्तु उस समय कुछ राजाओं के देवता होते थे और वे राज्यों को उन देवताओं के नाम पर चलाते थे। इसके बावजूद भी हमारे सामने समस्यायें नहीं होती थीं। परन्तु दुर्भाग्य से इस समय, यहां इस सदन में सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी हमारे सामने सभी प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मालीगांव, भिवंडी जैसे स्थान और उत्तरप्रदेश में मेरठ, मलियाना अलीगढ़ और मथुरा जैसे स्थान भी सांप्रदायिकता के लिए मशहूर नहीं थे।

5.19 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उसे सदैव सद्भाव के लिए जाना जाता था। परन्तु मथुरा में भी हाल ही में सांप्रदायिक समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। गुजरात निश्चित रूप से वड़ोदरा और अहमदाबाद के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक कि राजस्थान जैसे शान्ति पूर्ण राज्य में भी अब हमारे सामने सांप्रदायिक समस्यायें खड़ी हो रही हैं। उड़ीसा में शान्ति थी। परन्तु अब वहां भी सांप्रदायिकता फैल चुकी है। यह क्या है ? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें यह पता लग चुका है कि सरकार सांप्रदायिक व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की इच्छुक नहीं है। अतः बहुत से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सैकड़ों हजारों दंगे हो रहे हैं। परन्तु अभी तक किसी भी न्यायालय में किसी भी साम्प्रदायिक मामले पर मुकदमा नहीं चला है। कम से कम मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाये जाने की जानकारी नहीं है। अन्ततः इन सभी को समझौतों के आधार पर निपटा दिया जाता और इसके अलावा और कोई कार्यवाही नहीं होती है।

अब साम्प्रदायिक दंगे हमारे लिए एक राष्ट्रीय समस्या बन चुके हैं। और एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर इसका समाधान किया जाना चाहिए, किसी राज्य की कानून और व्यवस्था की समस्या के तौर पर इसका समाधान नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में राज्यों से पूछने पर वे कहते हैं कि "हम अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं।" और केन्द्रीय सरकार यह कहती है कि "यह समस्या राज्य की समस्या है और इसका निपटारा वे लोग ही करेंगे।" परन्तु फिर वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं। मैंने कुछ सुझाव दिये हैं। यहां, इस सदन में गृह मन्त्री ने यह कहा है कि भारत में 82 क्षेत्र सवेदनशील क्षेत्र है। और इन 82 सवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर लिये जाने के बाद भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जब उनका कार्यवाही करने का इरादा ही नहीं है तो वे कार्यवाही कैसे कर सकते हैं ? मैंने यह सुझाव दिया था कि उन्हें उन 82 सवेदन शील क्षेत्रों में संदेहास्पद व्यक्तियों के नामों के बारे में एक प्रकार की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था करनी चाहिए। यदि विभिन्न विभागों में अन्य विभिन्न कार्यों के लिए कम्प्यूटर व्यवस्था लाई जा सकती है तो राष्ट्रीय महत्व के इस विषय के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता।

मैंने गृह मन्त्री, प्रधानमन्त्री और अन्य व्यक्तियों को एक पत्र लिखा है। परन्तु यह कहते हुए कि "मैंने आपका पत्र प्राप्त कर लिया है, आपका बहुत धन्यवाद" पत्र-प्राप्ति की औपचारिकता के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दांडिक अपराधी के मामले में विभिन्न सन्देहास्पद व्यक्तियों के नामों के बारे में कम्प्यूरीकृत व्यवस्था लाई जा चुकी है। इस मुद्दे के दो पहलू हैं। पहला पहलू अपराध है और दूसरा पहलू राजनैतिक अपराध है। मैं बार-बार यह कह चुका हूं कि सन्देहास्पद व्यक्तियों के नाम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने चाहिए। पुलिस को दोष दिया गया है। परन्तु पुलिस अधिकारी को कार्यवाही के लिए क्षेत्र में जाने से पहले भारी और विशाल रिपोर्टों की

[श्री अताउर्रहमान]

जांच करनी पड़ती है और सभी विभिन्न क्षेत्रों के अपराधियों के नामों का चयन पड़ता है। परन्तु यदि आपके पास पहले ही इन क्षेत्रों के अपराधियों के नामों की जानकारी उपलब्ध हो तो आप सदैव बटन दबाकर उन नामों का प्राप्त सकते हैं।

आप राज्यों की राजधानियों में कम्प्यूटर टर्मिनल बना सकते हैं। आप केन्द्रीय सरकार में भी एक कम्प्यूटर टर्मिनल बना सकते हैं जहां से आप इसे नियन्त्रित कर सकते हैं। परन्तु मुझे दुख है कि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उदाहरणतया पहचान की ही बात को लीजिए। इन दंगाइयों का सामना करने में क्या कठिनाई है ? मुख्य कठिनाई उनकी पहचान करना ही है। मैंने यह सुझाव दिया था कि रंगीन पानी का उपयोग करके पहचान की जा सकती है यह तरीका एक व्यवहार्य तरीका हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पत्थर फेंक सकता है तो वह दंगा करने वाली गैर कानूनी भीड़ में रंगीन पानी वाले प्लास्टिक के गुब्बारे भी फेंक सकता है जिनके फटनेपऐ सेर सभी व्यक्तियों पर रंग लग जायेगा। परन्तु मेरे इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है। वे रंगीन पानी की प्लास्टिक की बोतलों के साथ गन का उपयोग भी कर सकते है जिससे भीड़ के सम्पर्क में अथवा उसके निकट आकर उस पर रंगीन पानी डाला जा सके ताकि बाद में ऐसे लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

होता क्या है ? दंगे की स्थिति में वे एकत्रित होकर दंगा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और पुलिस के लिए उनका पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए सामने नहीं आता है।

मैं एक अन्य सुझाव दूंगा जिसका सुझाव मेरे पूर्व वक्ता ने भी दिया है। इन सभी 82 संवेदन शील क्षेत्रों में जांच के लिए संसदीय निकाय होना चाहिए। यह एक राज्य सूची का विषय हो सकता है परन्तु जब देश के किसी भाग में दंगा होता है तो केवल एक अन्य सरकारी अथवा मजिस्ट्रेट ही जांच करता है और उसकी रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। किसी भी अवसर पर किसी भी संसदीय निकाय ने घटना स्थल पर आकर मामले की जांच नहीं की है।

मैं यह कहूंगा कि डी० सी० अथवा एस० पी० के स्थानान्तरण जैसी कार्यवाहियों से कोई लाभ नहीं होगा। जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के अन्दर कानून के अनुपालन उत्पन्न किया जाना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ होने पर उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सके और उनका नियन्त्र किसी राज्य संस्था द्वारा नहीं अपितु केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए। यदि दंगों की स्थिति राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि भारतीय दंड संहिता एक अखिल भारतीय अधिनियम है तो संसद एक ऐसा अधिनियम क्यों नहीं बनाती जिसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष न्यायालय बनाये जा सकें, जिनमें उनका त्वरित विचारण किया जा सके ?

मैं माननीय गृह मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि सांप्रदायिक दंगों के कितने मामलों में अपराधियों को दंड दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में 15 सूत्री कार्यक्रम का बहुत प्रचार किया गया है। परन्तु एक ओर इस प्रकार के ऊपरी निर्देश दिये जाते हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को विभिन्न पुलिस बलों और केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों में नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के पुलिस बलों

और सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पसंख्यक लोगों की नियुक्ति न किये जाने पर कार्यवाही कोई नहीं की जाती है। जब सरकार को कोई प्रतिपुष्टि नहीं दी जाती है तो इस 15 सूत्री कार्यक्रम का क्या लाभ है ?

मुझे ऐसे राज्यों की जानकारी है जो केन्द्रीय सरकार को वापस सूचना भी नहीं देते और उन राज्यों में 15 सूत्री कार्यक्रम की योजना भी नहीं है।

एकीकरण एक दुधारी हथियार है। यदि आप अत्यधिक एकीकरण करते तो पंजाब जैसी समस्यायें खड़ी हो सकती है। जहां तक मैं जानता हूं, एकीकरण सन्तुलित होना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति एकता के मामले में बढ़ा-चढ़ाकर की गई बात को सहन नहीं करेगा।

साम्प्रदायिक अशांति की जांच के लिए गठित किए गए सभी आयोग की रिपोर्टों को प्रकाशित करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यक भारत के अभिन्न अंग हैं। भारतीय अल्पसंख्यक, मुस्लिम विश्व में सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आप उन्हें नकार नहीं सकते। हमें उन्हें अपने साथ रखना है।

————

5.30 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करते हैं। श्रीमती ऊषा ठक्कर बोलें। क्या वह उपस्थिति नहीं हैं ? वह यहां नहीं है। क्योंकि श्रीमती ऊषा ठक्कर उपस्थित नहीं हैं इसलिए हम साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा जारी रखते हैं। अब, चौधरी सुन्दर सिंह साम्प्रदायिक स्थिति पर बोलें।

————

5.50½ म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति

[हिन्दी]

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कसूर उन लोगों का है जो चौधरी बने हुए हैं। मैं पाकिस्तान से आया 1947 में, तो वहां के लोग कहने लगे कि क्यों जाते हो, और कहा कि गहने लेते जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने जेवर उन मुसलमानों को दे दिए। मैंने कहा कि मैंने जाना है, वहां थोड़े ही रहना है। गहने बेच-बेचकर उन लोगों ने मुझे पैसे भेजे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : चौधरी साहब आर० सरदार बूटा सिंह के पास खड़े हैं, ये सरकार है, जरा संभलकर बोलना।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हट के, जरा बच के।

चौधरी सुन्दर सिंह : महात्मा गांधी ने कहा है :

[अनुवाद]

"कटु अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सभी मन्दिर भगवान का आवास नहीं है। उनमें शैतान का आवास भी हो सकता है। यदि इन मन्दिरों की देखभाल करने वाला का अच्छा आदमी नहीं है तो पूजा के इन स्थलों की कोई कीमत नहीं है। मन्दिर, मस्जिद, चर्च तो वैसे ही होते हैं जैसा कि आदमी उन्हें बनाता है।"

[हिन्दी]

यह 1927 में कहा है। मैं कहूंगा कि जो टैम्पल हैं, मस्जिद हैं, ये सब हिन्दुस्तान में इतने ज्यादा हैं कि इनकी हद कोई नहीं है, पर इस पर चलता कोई नही। मैं कहूंगा कि अगर देहातों में लड़ाई होती है तो यह वहां के एम० पी० का कसूर है और किसी का कसूर नहीं है।

मैं एक पुराना शेर कहना चाहता हूं—

मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने,
मन अपना पुराना पापी, बरसों में नवाजी बन न सके,
इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है।
गुफ्तार का गाजी तो यह बना, किदार का गाजी बन न सका।

यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि जो देहातों में लड़ाई होती है, वह हमारा कसूर है। हमें चौधरी बनाकर इसलिए भेजा था कि सबको ठीक करना है। आप यह कहते हैं कि वहां यह हो गया, वह हो गया।

[अनुवाद]

"मेरे लिए भगवान और सत्य एक ही बात है और यदि कोई मुझे कहें कि भगवान तो असत्य और अत्याचार के साथ हैं तो मैं उसकी पूजा करने से इन्कार कर दूंगा। इसलिये हमें राजनीति में भी स्वर्ग का राज्य स्थापित करना है।"

[हिन्दी]

हमको सच बोलना चाहिए कोई कहता है कि मस्जिद में यह हो गया, हिन्दू ऐसे हैं। आपने क्यों नहीं बैन किया। जो कौमुनल है, आप बहुत देर से कहते हैं कि उनको बैन करना है तो अब तक बैन क्यों किया ? अगर बैन नहीं करोगे तो तुम्हारा भट्टा बैठ जाएगा। मैं यह कहूंगा कि को कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिन्दू नहीं है, जो इन्सान हैं, इतने मन्दिर-मस्जिद, गुरुद्वारे है पर इन्सान नहीं हैं।

मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक आदमी को मस्जिद में गाय चली गयी। मस्जिद का जो मुल्ला था उसने उसे मारना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी गाय यहां कैसे आ गयी। इस पर उसने कहा कि यह जानवर है और मैं तो एक इन्सान हूं, मैं यहां कभी नहीं आया हू। मेरा कहना यह है कि मन्दिरों व मस्जिदों में जब तक शरारती तत्वों का जाना आप बंद नहीं करवाएंगे तब तक अमन-चैन नहीं कायम कर सकेंगे।

[अनुवाद]

"आपको भगवान कहां देखना चाहिए ? क्या गरीब, दयनीय और पिछड़े हुए लोग भगवान नहीं है ? पहले उनकी पूजा कीजिए। मैं भगवान और धर्म में विश्वास नहीं करता हूं। विधवाओं के दु:खों को दूर कीजिये। मैं एक अनाथ के लिए थोड़ा भोजन नहीं ला सकता।"

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि दंगों में जिन लोगों को जान-माल को नुकसान पहुंचता है उसकी आपको क्षति-पूर्ति करनी चाहिये। इसके साथ-साथ जो तत्व इसमें दोषी पाये जाएं उन्हें कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। जो यह कहते हैं कि इन दंगों पर काबू पाने के लिये गवर्नमेंट ही कुछ करेगी मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि यह सब काम लोगों ने करना है। गवर्नमेंट अकेले इस काम को नहीं कर सकती है। जहां कहीं भी कम्युनल रायट्स हों वहां पर आपको अपनी कड़ी निगरानी रखनी चाहिये। मैं काफी पुराना इस हाउस का सदस्य हूं। इस कारण सब लोग मुझे मानते हैं।

मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। जिस एम० पी० के इलाके में यह कम्युनल रॉयट्स हों वहां के एम० पी० को पहले अच्छी तरह से ठीक करना चाहिए। आप कहते हैं कि फलाँ चीज पर बैन लगाओ लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब तक आम जनता इसमें सरकार का साथ नहीं देगी तब तक इन दंगों पर काबू नहीं पाया जा सकेगा।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री यहां उपस्थित हैं और वह उर्दू कविता के महान कद्रदान हैं इसलिये मैं आपकी अनुमति से एक पद के साथ भाषण प्रारम्भ करता हूं :

(हिन्दी)

"तुम्हीं कातिल तुम्हीं शाहिद तुम्हीं ठहरे,
अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर"।

[अनुवाद]

महोदय, कुछ शर्मनाक घटनाओं की वृद्धि होने पर बार-बार हम यहां एकत्र होते हैं और ऐसे स्थान मानव के प्रति अमानवता तथा साम्प्रदायिक हिंसा के प्रतीक बन गये है। यदि 1980 मुरादाबाद का वर्ष था तो 1981 बिहार शरीफ का वर्ष था। 1982 मेरठ, 1983 नेवेली का वर्ष था। 1984 दिल्ली और 1985 भिवंडी का वर्ष था। 1986 अहमदाबाद और 1987 फिर से दुर्भाग्यवश मेरठ का वर्ष था। यह वर्ष तो मुर्शीदाबाद, औरंगाबाद, मुजफ्फरनगर, भकराना, मथुरा, हजारीबाग, और बम्बई का वर्ष है।

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

महोदय, हम सदैव ऐसी घटनाओं पर शर्मिन्दा हो जाते हैं। हम हर बार वही पुराने घिसे-पिटे सुझाव और प्रस्ताव देते हैं जो गृह मन्त्री की फाइलों में दबे पड़े हैं और गृह मन्त्री भी खड़े होकर वही आश्वासन दोहरा देते हैं और कभी-कभी तो आंकड़ों की आड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस वर्ष दंगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। कितनी महान उपलब्धि है। इस वर्ष 700 दंगे 'नहीं हुए, केवल 600 हुए। हम मानव की कठिनाई चिंता और परेशानी का कैसे अनुमान लगाते हैं? इस बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। हम यह भूले जाते हैं कि मानव का खून एक ही रंग का है, सभी कठिनाइयां एक-सी होती है, सभी कठिनाइयों का एक ही स्वरूप होता है। यह रूप भारतीय हैं। हम यह भूल जाते हैं कि मानवता अविभाज्य है।

महोदय, मुझे यह कहने की अनुमति दें कि कानून और व्यवस्था के संस्थापक गृह मन्त्री की कृपा से हमारे देश में, स्वतन्त्रता की इस महान भूमि पर हमें मारने और मर जाने की स्वतन्त्रता प्राप्त हैं; गाली देने और सुनने, साम्प्रदायिक संगठनों को प्रचार तथा दूषित प्रचार करने, लोगों को उकसाने और भड़काने, सेनाएं संगठित करने तथा समय-समय पर समस्याएं उत्पन्न करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है यहां पर शैक्षिक संस्थाओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सुन्दर तरीके से मिलाकर पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से साम्प्रदायिक जाग्रति उत्पन्न करने की स्वतंत्रमा प्राप्त है, प्रचार माध्यमों को गलत सूचना देने या तथ्यों को दबाने की स्वतन्त्रता है, राजनैतिक दलों को हिन्दू या मुस्लिम मुद्दे से खिलवाड़ करने की स्वतन्त्रता है, अफसरशाही को रात-दिन अन्याय करने, संघर्ष तथा तनाव की स्थितियों की उपेक्षा करने और फिर पक्षपात करने की स्वतन्त्रता है, यहां पर पुलिस को मारपीट करने और सबक सिखाने की स्वतन्त्रता है। जब हम साम्प्रदायिक जाग्रति को पनपने देते हैं और षड्यन्त्रकारियों को कार्य करने देते हैं और अपने समाज में साम्प्रदायिक तनाव बनने देते हैं और अपने मकानों के तल में विस्फोटक पदार्थ एकत्र करते है तो फिर हमें उस समय क्यों आश्चर्य होता है।

जब ये तनाव हिंसा के रूप में प्रस्फुटित होते हैं? तब आग लगाकर हम नि:सन्देह लम्बे भाषण दे सकते हैं दिखावटी दु:ख प्रकट कर सकते हैं और ढोंग कर सकते है। हमारे देश में कानून निरर्थक हो गया है और कानून के रक्षक निष्किय हो गए हैं।

आज साम्प्रदायिकता आक्रमक हो गई है और साम्प्रदायिकता किसी एक ही समुदाय की नहीं है। लेकिन मुख्य समुदाय की साम्प्रदायिकता, हिन्दू सांप्रदायिकता ने आज संकीर्ण रूप तथा फास्सिटवादी रूप अपना लिया है और यह हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा है। महोदय, उस समय यथास्थिति वाली शक्तियों का षड्यन्त्र होता है जब वे यथास्थिति की विरोधी शक्तियों के इस दबाव का सामना करती है कि समाज की वस्तुओं और संसाधनों का पुन: वितरण होना चाहिए। इस षड्यन्त्र का कारण यह है कि विकास विरोधी, समाज-विरोधी शक्तियां और वे शक्तियों जो यह नहीं चाहती कि समाज की शक्ति और समाज के धन में भागीदारी हो, इन सभी शक्तियों ने इसलिए राजनैतिक वातावरण को साम्प्रदायिक बनाने का षड्यन्त्र किया है कि मौजूदा असफल व्यवस्था जारी रहे। यही वजह है कि पुरानी कहावतें निकाली जाती है पुरानी कहानियां उत्पन्न की जाती है और राम जन्म भूमि मुक्त कराने जैसे आन्दोलन चलाएं जाते हैं। यह ऐसा झगड़ा है जो उत्पन्न किया गया है और यह विवाद तो बनाया गया है यह पहले नहीं था। महोदय, सारे देश में एकात्मता याचना हुई, देशभर में राम-जानकी यात्रा

हुई। मैं जानना चाहूंगा कि उस समय सरकार कहां थी और क्या कर रही थी? क्या यह इन वर्षों में, इन पांच अथवा छ: वर्षों के दौरान निष्क्रिय थी?

भारत साधु समाज और विश्व हिन्दू परिषद जैसे संगठनों द्वारा अनेक स्थानों पर धर्म संसदें आयोजित की गयी। नयी सेनाएं बनाई गई। त्रिशूलधारी शक्तिशाली बन गए और सरकार निष्क्रिय बनी रही। महान धार्मिक महत्व के पवित्र अवसर कुम्भ मेले के समय ऐसे भाषण दिए गए जिनका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं था; कानून व्यवस्था और संविधान का उल्लंघन करके राजनैतिक भाषण दिए गए और सरकार ने कोई एतराज नहीं किया।

महोदय, देशभर में सांप्रदायिक शक्तियां स्वयं को संगठित कर रही है और सुरक्षाबल इस बारे में अब सक्रिय हुए हैं। शिव सेना के नेता बाल ठाकरे ने एक आन्दोलन चलाया कि 'कुरान छोड़ो या सिन्तुस्तान छोड़ो'। में जानना चाहता हूं कि इस बारे में गृह मन्त्री ने क्या कार्यवाही की। बजरंग दल ने समानांतर प्रशासन चलाया। मैंने पिछले वर्ष अगस्त तथा अक्तूबर में गृह मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री से कहा था और फिर सारे उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़क उठी।

मैं जानना चाहता हूं कि बजरंग दल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी। यहां पर ऐसी शक्तियां है जो कुरान तथा संभवतः इस्लाम पर रोक लगाना चाहती हैं। ये शक्तिया मुसलमानों से घृणा करती हैं और यह कहती है कि इनकी उत्पत्ति में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हो रही है और ये घुसपैठ करने में माहिर हैं तथा ये विदेशी धन की सहायता से जबरदस्ती दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं, वे इस देश में मुस्लिम शासन पुन: स्थापित करने का स्वप्न देखते हुए भारत के भविष्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। यह प्रचार बिना किसी रुकावट के चल रहा है।

महोदय, ऐसे लोग हैं, जो सैकड़ों गांवों और नगरों में कब्रिस्तानों तथा मस्जिदों पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे विचार से इस विषय पर मेरे पत्रों से गृह मन्त्री की फाइल भरी हुई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। महोदय, धार्मिक जुलूसों के समय भी उत्तेजित नारों के रूप में गन्दा प्रचार चलता रहता है। मैं इन नारों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि गृह मन्त्री इन्हें जानते हैं। लेकिन इन जलूसों अथवा ऐसे अवसरों के प्रायोजकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। महोदय, क्या हमें एक समुदाय की प्रतिष्ठा का अतिक्रमण करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए; क्या हमें एक समुदाय के विश्वास पर शक करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए? यदि सरकार चुप अथवा मूक बनी रहती है तो शरारती तत्व क्या निष्कर्ष निकालेंगे?

महोदय, प्रहार करने वाली, उत्तेजित करने और उकसाने वाली पुस्तकें और प्रकाशन तथा पोस्टर आदि देश भर में प्रकाशित होते हैं और कानून निष्क्रिय बना रहता है, हालांकि ऐसी पुस्तकों पर कानूनों की कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हिन्दू एकता और हिन्दू शक्ति के मुद्दे को हिन्दू समाज में सुधार के लिए उठाया जाए। लेकिन नहीं, हिन्दुओं की शक्ति को मतभेद, घृणा, नकारात्मक रवैया, संकीर्ण दृष्टिकोण लाने के उद्देश्य से संगठित किया जा रहा है ताकि दूसरे समुदाय के साथ मतभेद उत्पन्न करने के लिए उपयोग हो सके।

महोदय, पुलिस के अत्याचारों के मामले हैं जो साम्प्रदायिक हिंसा से अलग हैं। हम हाशिमपुरा को कभी भी कैसे भुला सकेंगे? 34 नवयुवकों को नहर के किनारे ले जाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।

उनके शवों को नहर में फेंक दिया गया। यह पूरे देश के लिए शर्मनाक है। दो वर्ष बीत चुके

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक भी पुलिसमैन को निलम्बित किया गया है। मलियाना के हत्यारों का क्या हुआ ? बम्बई में सिर्फ एक महीने पूर्व 13 व्यक्तियों की जान-बूझकर हत्या कर दी गयी। यह कोई सांप्रदायिक दंगा या हिंसा का मामला नहीं था। यह कहना सही है कि साम्प्रदायिक ताकतें हमारी सुरक्षा बलों में भी शामिल हो गयी हैं। वे भ्रष्ट हो गये हैं, जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने भी कहा था।

महोदय, यह एक हास्यापद स्थिति है परन्तु अक्सर यही होता है पुलिस बल भीड़ का साथ देता है तथा उन्हें समर्थन देता है और फिर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तत्पश्चात घटना के शिकार व्यक्ति को परेशान किया जाता है। तत्पश्चात् अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां की जाती हैं। महिलाओं को परेशान किया जाता है और उनके सामान इत्यादि को छीन लिया जाता है। बाद में उन्हे पुलिस हिरासत में ले जाकर पीड़ित किया जाता है। उनकी हड्डियां टूट जाती हैं और कई बार तो जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर झूठे मुकद्दमे दर्ज किये जाते हैं। यही मामला है और प्रत्येक जगह ऐसी ही स्थिति है चाहे वह मेरठ हो अथवा मलियाना।

[हिन्दी]

"दामन पर न कोई छींट, न खंजर पर कोई दाग,
तुम कत्ल करे हो कि करामात करो हो।"

[अनुवाद]

महोदय, मैं बाबरी मस्जिद के बारे में बोलना नहीं चाहता था। हां, मैं नहीं चाहता था परन्तु मुझे एक बात कहनी है। अपने हिन्दू भाइयों के खिलाफ हमें कुछ नहीं कहना है यदि हमारे हिन्दू भाई अपने पवित्र शहर अयोध्या में भगवान राम की शान में 100 मन्दिर बनवाना चाहते हैं तब भी मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। उनका स्वागत है परन्तु क्या यह क्यों कहते हैं कि लगभग 450 वर्षों से स्थापित उस ऐतिहासिक मस्जिद को तोड़ना चाह रहे हैं ? जबकि वहां ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित,होता हो कि उस स्थल पर कभी कोई मन्दिर था या भगवान राम का जन्म स्थल ठीक उसी जगह पर है जहां बाबरी मस्जिद है। यह अयोध्या में कहीं पर भी हो सकता है।

हमने द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी तरीकों से बातचीत करने की कोशिश की। हमने राजनैतिक मतैक्य बनाने की भी कोशिश की। हमने राजनीतिक सहमति का भी प्रयास किया है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि देश में धीरे-धीरे राजनैतिक मतैक्य उत्पन्न हो रहा है। परन्तु इस देश में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं कि :

"हम किसी कानून को नहीं मानते।"

हम किसी नियम को नहीं मानते। हम अपने संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। हम किसी कानून अथवा नियम में विश्वास नहीं रखते। हम वही करेंगे जो हमें पसन्द होगा और हम न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे।

महोदय, मैं इस मंच का प्रयोग विश्व हिन्दू परिषद आर० एस० एस० एवं बी० जे० पी० से अपील करूंगा कि कानून एवं उसके अन्तर्गत नियमों का सम्मान करें क्योंकि बिना कानून के यह देश

विभाजित हो जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह विश्व हिन्दू परिषद को कानून की अवज्ञा के परिणामों से अवगत कराये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मस्जिद के विध्वंस को रोकने एवं इसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए हर सम्भव कदम उठाये। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अभियान के सार को देखें। गृह मन्त्री जी एवं प्रधान मन्त्री जी, यह एक धार्मिक अभियान नहीं है। यह केवल एक राजनैतिक अभियान है। बाबरी मस्जिद उनका लक्ष्य नहीं है बलिक उनका लक्ष्य देश की धर्म निरपेक्ष व्यवस्था है। उनका उद्देश्य किसी नये मन्दिर का निर्माण करना नहीं है। उनका उद्देश्य तो एक हिन्दू राष्ट्र का निर्माण करना है।

[हिन्दी]

'यह सियासत की अदा है, सानिहा कोई नहीं।

सबके मुंह में है जुबां, बोलता कोई नहीं।'

[अनुवाद]

महोदय, चुनाव निकट होने दीजिये। परन्तु चुनाव होते हैं और समय बीत जाता है। सरकारें आती हैं और बदल जाती हैं। सत्ता अस्थायी है। कोई भी व्यक्ति हमेशा शासन करने के लिये नहीं जन्मा है। देश का अस्तित्व कायम रहना चाहिये अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह संविधान में निहित उपबन्धों का पूरा-पूरा पालन करते हुए, नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये, राज्य में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्वों का ध्यान रखते हुये और भारत के लोगों के भाग्य का संरक्षण करते हुए हर संभव उपाय करे। समय रहते इस तूफान को रोकना है। इस आग पर काबू पाना है कहीं यह हमारी विरासत, हमारे इतिहास और हमारे जीवन की सभी महत्वपूर्ण और अमूल्य वस्तुओं को भस्म न कर दे।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल धर्म निरपेक्ष भारत ही जीवित रह सकता है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल एक बात कह रहे है। गृह मन्त्री अन्तिम उत्तर देंगे। आप कल बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : ठीक है, मैं तेलुगु में बोलूंगा।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, केवल धर्म निरपेक्ष भारत ही जीवित रह सकता है; शायद वह भारत जो कि धर्म-निर्पेक्ष नहीं, जीवित रहने योग्य भी नहीं है। महोदय, हमारी सभ्यता और हमारे

[श्री राजीव गांधी]
देश के भविष्य की शान को सुनिश्चित करने के लिए भारत और धर्मनिर्पेक्षता को अवश्य ही एक बने रहना चाहिये।

भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बस्ती में और प्रत्येक मोहल्ले में, वहां विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं का विभिन्न संस्कृतियों के लोग पड़ोसियों के रूप में एक साथ रहते हैं। धर्मनिर्पेक्षता हमारे अस्तित्व की एक शर्त है। यह हमारी परम्परा का सार है।धर्म निरपेक्षता और हमारे राष्ट्र को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

हमारा समाज बहुधर्मी, बहुभाषी है बहु-संस्कृति वाला है, लेकिन हमारा समाज बहु-राष्ट्रीय नहीं है। हम सब लोग एक है, हम एक राष्ट्र है, एक देश हैं और हमारी एक ही नागरिकता है।

महोदय, अधिकतर सभ्यताएं, राष्ट्रवाद और विविधता को विरोधी मानते हैं। विश्व की सभ्यता में भारत का एक ही सबसे बड़ा योगदान इस बात का प्रदर्शन रहा है कि विवधता और राष्ट्रवाद के बीच कोई भी भिन्नता नहीं है। आपने 5000 वर्षों के अनुभव के द्वारा हमने विश्व को यह दिखा दिया है कि विविधता में हमारी एकता एक जीवित वास्तविकता है।

महोदय, आज के विश्व को भारत के अनुभव से सीखने की नितांत आवश्यकता है। आधुनिक युग में शांति और अस्तित्व, अहिंसा, सहनशीलता, करुणा और विविध दर्शनों और जीवन के विविध तरीकों के बीच शांतिपुर्ण सह-अस्तित्व के सम्बन्ध में ज्ञान पर निर्भर करती है। प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा विश्व छोटा होता जा रहा है और वह सार्वभौम गांव में बदल रहा है। विश्व को भी एकता और विविधता की उतनी ही आवश्यकता है।

भारत की धर्मनिर्पेक्षता विश्वव्यापी आवश्यकता है क्योंकि विश्व की धर्मनिर्पेक्षता को मानवीय अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता इसे विश्वव्यापी अन्त:निर्भरता से अलग नहीं किया जा सकता, इसे विश्वव्यापी सहयोग से अलग नहीं किया जा सकता।

महोदय, राष्ट्रों की संकीर्णता के परिणामस्वरूप, जिसमें लोगों की राष्ट्र के साथ, धर्म की राष्ट्र के साथ, भाषा की राष्ट्र के साथ, मानव जाति की राष्ट्र के साथ तुलना की जाती है, मानवता का इतिहास खून में सना हुआ है। इतिहास की अशांति और त्रासदी से बचने के लिये बहुत से देश और क्षेत्रीय संगठन अब विगत की अपवर्जिता से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वे बहुसंस्कृति वाले समाजों की ओर जा रहे हैं, जहां पर विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सद्भाव, समानता और विश्वास के साथ इकट्ठे रह सकते हैं, इस विश्वास से वे अपनी विरासत और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, इस आत्मविश्वास के साथ वे विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। एक साथ रहने पर एक दूसरे के साथ विचारों को विकसित किये बिना संस्कृति का नाश हो जाता है।

महोदय, इस विश्व-व्यायी प्रयास में विश्व, भारत में विविधता में एकता से सबक ले रहा है। एक मिलीजुली संस्कृति को बनाने में हमारे रिकार्ड जीतना और किसी अन्य सभ्यता का रिकार्ड नहीं है। धर्मनिर्पेक्षता पर आधारित राज्यतन्त्र चलाने के लिए भी किसी और देश का हमारे जितना रिकार्ड नहीं है।

महोदय, हजारों वर्षों से धर्मनिर्पेक्षता के होते हुये भी साम्प्रदायिक शक्तियां पूरी तरह समाप्त

नहीं हुई है। भारत का इतिहास, धर्मनिर्पेक्षता, सहनशीलता और करुणा की शक्तियों तथा इसके विपरीत साम्प्रदायिकता, कट्टरवाद और धार्मिक अंधविश्वास की शक्तियों के बीच एक द्वन्द्वात्मक प्रकार का इतिहास है। अन्त में धर्मनिर्पेक्षता की ही विजय होगी। लेकिन सांम्प्रदायिकता के विरुद्ध हमारी जो निरन्तर लड़ाई जारी है उसे हमें अवश्य लड़ना चाहिए।

महोदय, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया; हम धर्मनिर्पेक्षता को कैसे समझें? सर्वप्रथम हमारी धर्मनिर्पेक्षता धर्म-विरोधी सिद्धांत नहीं है, हम आध्यात्मिकता की प्रचुर मनोवृत्ति के प्रति गहरा और स्थायी सम्मान रखते हैं जो कि हमारी संस्कृति में व्याप्त है और भारत के प्रत्येक धर्म में व्याप्त है। यह हमारे इतिहास में व्याप्त है, यह हरेक व्यक्ति जोकि भारतीय है, उसमें व्याप्त है। आध्यात्मिकता की वह प्रचुर मनोवृत्ति हमारे नैतिक मूल्यों, हमारे विचारों और हमारे आदर्शों हमारे लक्ष्यों और हमारे उद्देश्यों का स्त्रोत है। हम इस आध्यात्मिक परम्परा का सम्मान करते हैं। हम इसके नैतिक मूल्यों की कदर करते हैं। हम उन सभी विभिन्न रूपों का आदर करते हैं जिनमें यह आध्यात्मिकता दिखाई देती है। हमारी धर्मनिरपेक्षता का मुख्य सिद्धांत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना है अर्थात् **सर्व धर्म समभाव**।

6·00 म० प०

हमारा दूसरा महान सिद्धांत यह है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। सरकार किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ पक्षपात नहीं करती है और धर्म के नाम पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, वह धर्म के ऊपर है। सरकार के लिए धर्म लोगों का निजी और वैकल्पिक मामला है। कोई भी भारतीय चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो या वह किसी भी धर्म का प्रचार करता हो, सरकार के लिए यह एक वैयक्तिक मामला है सरकार का सम्बन्ध केवल उन सभी को पूर्ण संरक्षण देना, उन सभी को समान अवसर देना, सभी को समान लाभ पहुंचाना है। सरकार के लिए सभी भारतीय उसकी नजर में समान भारतीय हैं।

तीसरा सिद्धांत जो कि पहले और दूसरे सिद्धांत से निकलता है क्योंकि धर्म का उच्च मूल्य है लेकिन यह निजी और वैयक्तिक जीवन में ही रहना चाहिए, इसकी देश की राजनीति में कोई भूमिका नहीं है।

महोदय, धर्म को राजनीति में मिलाना हमारी राजनैतिक व्यवस्था में जहर घोलना है। धर्म को राजनीति में शामिल करना हमारी सभ्यता की परम्पराओं हमारे संविधान के सिद्धांतों और हमारे देश के अस्तित्व के विरुद्ध है।

महोदय, हम स्वतंत्रता आंदोलन में धर्म को राजनीति में मिलाने के गम्भीर परिणाम को भूले नहीं हैं और हम उन्हें कभी भूलेंगे भी नहीं। स्वतन्त्रता की लड़ाई से जो कि 1857 से शुरू होकर 1940 तक चली। सम्प्रदायिक तत्वों को छोड़कर सभी समुदायों के भारतीय, भारत को आजाद कराने की लड़ाई में एक साथ थे, भारत के सभी लोगों के लिए, उनमें चाहे वे किसी भी जाति के लोग क्यों न हों, भारत को एक राष्ट्र के रूप स्वतन्त्र कराने से एक साथ रहना स्वयं इस बात को सिद्ध करता था कि वे हमारी शानदार विविधता का आदर कर रहे थे और उसका गुणगान कर रहे थे, और वे इस विश्वास पर एक हो गये थे कि भारत समान रूप से सभी भारतीयों का है।

मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव को पारित किये जाने के तुरन्त बाद, महोदय, भारत छोड़ो

[श्री राजीव गांधी]

आंदोलन के कारण सभी समुदायों और धर्मों के धर्मनिर्पेक्ष नेता उस समय या तो जेलों में थे अथवा छिप गये थे। महोदय, इसमें सांप्रदायिक तत्वों को मुख्य धारा में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। लाहौर प्रस्ताव के एक दशक से भी कम समय के अंदर भारत का बटवारा हो गया। हम भारत का फिर से बंटवारा कभी नहीं होने देंगे। हम धर्मनिर्पेक्षता पर सांप्रदायिक शक्तियों को पुन: कभी जीतने नहीं देंगे।

देशभक्त भारतीय ही धर्मनिर्पेक्ष भारतीय हैं। राष्ट्रवादी भारतीय ही धर्मनिर्पेक्ष भारतीय है। समर्पित भारतीय ही धर्मनिर्पेक्ष भारतीय हैं। अनुशासित भारतीय ही धर्मनिर्पेक्ष भारतीय है।

महोदय, स्वतन्त्रता के बाद के 40 वर्षों में हमने यह दिखा दिया है कि हम एक राष्ट्र हैं। हमने बाहरी आक्रमणों का एक संगठित राष्ट्र के रूप में सामना किया है। हमने कट्टरवादियों और धार्मिक अंधविश्वासों का देश के अन्दर भी एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ता से सामना किया है। पंजाब में जो कुछ हुआ है वह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। पृथकता के समर्थकों और धार्मिक कट्टरपंथियों का उद्देश्य एक ही था वे दोनों मिलकर आतंकवादियों. हत्यारों, खरीदे गए हत्यारों, बन्दूकें बेचने वालों, तस्करों और आम अपराधियों धर्म को राजनीति के साथ मिलाने वालो, अपराध को धर्म के साथ मिलाने वालों को अपने साथ मिला लिया। आपरेशन ब्लेक थंडर तक गुरुद्वारे अपराधी अड्डे बन गये थे, और यह बात सिद्ध हो गई थी कि आतंकवाद धर्म के लिए नहीं था, यह धार्मिक उद्देश्यों के लिये नहीं था परन्तु गलत उद्देश्यों के लिए था। पवित्र स्थानों को अपवित्र किए जाने और धर्म का दुरुपयोग किये जाने पर लोगों को क्षोभ हो गया था। लोगों को ग्रंथियों की डांट-डपट और सेवादारों के दमन से क्षोभ हो गया था।

पंजाब के लोगों ने हार नहीं मानी है। लोगों की सहनशक्ति समाप्त नहीं हुई है। सदियों का भाईचारा विजयी हुआ है। लोगों की स्वाभाविक धर्मनिरपेक्षता विजयी हुई है। महोदय, सांप्रदायिक ताकतों ने हार नहीं मानी है वह हमेशा शरारत करने की ताक में रहती है, वह हमेशा ही औरों को आगे करके पीछे से देश के राजनैतिक जीवन में प्रवेश करने का प्रयत्न करती रहती हैं। यदि धर्मनिर्पेक्ष ताकतें एकजुट होकर रहें तो साम्प्रदायिकता को रोका जा सकता है। खतरा तब होता है जब राज-नैतिक दल अवसरवादिता के लिये उनके संकीर्ण विचारों को समर्थन देते हैं।

इस सदन में भी ऐसे राजनैतिक दल हैं जो जाने या अनजाने धर्म के रूप में छिपे कट्टरपन और जुनून का हथियार बन गए हैं। कुछ राजनैतिक दल अल्पसंख्यकों के डर को बढ़ावा देकर ही जिन्दा है। दूसरे दल बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को उकसा कर फायदा उठाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों को धार्मिक भावनाओं के रूप में भड़काते हैं। और कुछ लाग ऐसे हैं जो बिना बात का बखेड़ा खड़ा करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो धर्म के रक्षकों के रूप में भावनाएं भड़काते हैं। कांग्रेस ने किन्ही भी परिस्थितियों में इन ताकतों के साथ कोई भी सम्बन्ध न रखने की कसम खाई है।

सरकार के रूप में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। हम इस सदन के प्रत्येक वर्ग का सहयोग आमन्त्रित करते है कि वह इस राष्ट्रीय प्रयत्न में हमारा सहयोग दे। मैं श्री इंद्रजीत गुप्त के सुझाव का स्वागत करता हूं। मैंने गृह मन्त्री से पहने भी अनुरोध किया है कि वह सभी धर्म-निरपेक्ष और राष्ट्रीय दलों को आमन्त्रित करें और उनके साथ मिलकर यह पता लगाए कि एक संयुक्त संस्कृति का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है।

हमारी धर्मनिरपेक्ष परम्परा वेदों और पुराणों के साथ आरम्भ होती है। "वसुधैव कुटुम्बकम" की परिकल्पना जिसे बुद्ध और महावीर द्वारा भी विकसित किया गया, भारतीय सभ्यता और हमारे समाज के विकास का आधार थी। हमने केरल में यहूदी धर्म का स्वागत किया। हमने सन्त थामस और ईसाई धर्म का स्वागत किया हमने जो राओसट्रिनिस्म का स्वागत किया और आज विश्व में सबसे अधिक पारसी हमारे यहाँ हैं, हमने गुरु नानक से लेकर गुरुगोविन्द सिंह तक महान सिख गुरुओं का स्वागत किया। हमने इस्लाम और अमीर खुसरो तथा कबीर, बाबा फरीद और शाह अब्दुललतीफ की महान सूफी परम्परा का संश्लेषण किया हमारे धार्मिक त्यौहार किसी एक सम्प्रदाय के नहीं बल्कि सभी भारतीयों और सम्प्रदायों के हैं। हम उन्हें मिलकर मनाते हैं।

पिछले 40 वर्षों के दौरान हमने साम्प्रदायिकता पर काबू पाने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है। यह सांप्रदायिक घटनाओं की घटती प्रवृति से जाहिर होता है। यह साम्प्रदायिक झड़पों में मरने और जख्मी होने वाले लोगों की घटती संख्या से दर्शित होता है। किन्तु काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक सांप्रदायिक झगड़े बन्द नहीं हो जाते, जान और माल का नुकसान रुक नहीं जाता यह काम तब तक पूरा नहीं होगा। तो भी साम्प्रदायिकता को दूर रखने के लिये अत्यधिक सतर्कता की जरूरत होगी। जब तक साम्प्रदायिकता बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती। तब तक हमें इससे लड़ना होगा।

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केन्द्र अधिक से अधिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विचार कर सकता है, मार्गनिर्देश जारी कर सकता है. राज्य सरकारों की सहायता कर सकता है किन्तु आधार भूत उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का ही है। न्यायालयों ने भी कई बार राज्य सरकारों की सहायता की है, मैं बम्बई उच्च न्यायालय और न्यायाधीश बड़ूषा को उनके ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, हमने मुख्य मन्त्रियों को श्री पी० एन० हक्सर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद के उप दल की दूर प्रभावी सिफारिशों की सिफारिश की है। कुछ प्रभाव पड़ा है, यद्यपि कुल कार्यवाही हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। कुल साम्प्रदायिक स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। किन्तु हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। इस सांप्रदायिक दानव को समाप्त करना होगा।

इन्दिरा जी सांप्रदायिक गोलियों का शिकार हुई। वह उस 15 सूत्री कार्यक्रम की लेखक हैं जो सभी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। मैंने उस कार्यक्रम की कई समीक्षाओं की अध्यक्षता की है और हालांकि हमने काफी प्रगति की है किन्तु मैं की गई प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हूं। अभी बहुत कुछ किया जाना है और हम यह ध्यान रखेंगे कि अनुवर्ती कार्यवाही सही ढंग से हो। हमारे प्रत्येक सत्र के पश्चात बेहतर अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और उसके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं प्रगति हो रही है किन्तु यह बहुत धीमी है। इसे तेज किया जाना चाहिए। हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। हमें सभी धर्मों के लोगों का मिला-जुला पुलिस बल तैयार करना होगा। हमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा और उनकी आर्थिक तरक्की के लिए विशेष सहायता देनी होगी।

धर्मनिरपेक्षता को किसी एक ओर से खतरा नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के कट्टरपंथी, अलग-अलग ढंग से परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसलिए जो लोग हमारी संघटक संस्कृति की उपेक्षा करते हैं और अपने अनुयाइयों को भारत के इतिहास की विकृत तस्वीर पेश करके, बिना किसी बात के परेशानी पैदा करते हैं और धार्मिक वक्तव्य देकर राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह राज्य सरकारों का

काम है कि वह इस प्रकार की चालों के प्रति सजग रहे तथा अशांति पैदा करने वालों तथा अशांति वाले स्थानों के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आसूचना व्यवस्था तैयार करे। यह राज्य सरकारों का काम है कि वह निवारक कार्यवाही करें और तुरन्त सुधारात्मक कदम उठाएं।

कोई भी राज्य सरकार चाहे वह कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी बेदाग रिकार्ड का दावा नहीं कर सकती। कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी सभी राज्य सरकारों ने इस समस्या पर काबू पाने का प्रयत्न किया है। किसी भी राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में किसी स्थिति को रोकने या उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा संपूर्ण केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह केन्द्र और राज्य तथा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच भेदभाव का मसला नहीं है यह एक राष्ट्रीय मसला है और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

आम सहमति तथा पूरे देश से तैयार एक अनुकूल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदेशों का पालन पूरी निष्ठा से पालन किया जाना चाहिए। धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमारे हाल के संशोधनों के पश्चात् ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। किन्तु अभी कई राजनैतिक दलों ने अपने संविधान में संशोधन नहीं किया है। इन राजनैतिक दलों को अपने संविधान में संशोधन करके इसे राष्ट्रीय संविधान के अनुरूप बनाना चाहिए।

जिन अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक और आर्थिक सहायता की जरूरत है उन्हें उन समान अवसरों को उपलब्ध कराने में सहायता करनी चाहिए जिनकी गारंटी कानून द्वारा दी गई है। वास्तविक शिकायतों पर तत्काल काबू पाया जाना चाहिए, झूठी शिकायतों का तत्काल पर्दाफाश किया जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था के तन्त्र को सभी धार्मिक पूर्वाग्रहों और साम्प्रदायिक तत्वों से अलग रखा जाना चाहिए। भारत के लोगों को चाहिए कि वह अन्तःस्थित धर्मनिरपेक्षता को वास्तविकता का जामा पहनाए।

इस वर्ष हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहें हैं। वह हमारे सबसे महान धर्मनिरपेक्ष नेताओं में एक थे शायद सबसे महान धर्मनिरपेक्ष नेता।

जब गांधी जी धार्मिक कट्टरपन्थियों का शिकार हुए तो धर्मनिरपेक्षता को आगे ले जाने का दायित्व पंडित जी के कंधों पर आ पड़ा।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन के खून खराबे का विरोध किया, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया बहुसंख्यक समुदाय के पुराने और दमनकारी रिवाजों को बदला। उन्होंने सभी धर्मों के मानने वालों को यह विश्वास दिलाया कि राज्य हर प्रकार के पूर्वाग्रह, भेदभाव और संकीर्णता से ऊपर है। उन्होंने सभी भारतीयों को सम्मान और अवसर दिया।

महोदय, हम जल्द ही साम्प्रदायिकता के मामले पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाना चाहते हैं और हम यदि विपक्षी पार्टियों के नेताओं और सदस्यों के साथ गृह मन्त्रालय की प्रारम्भिक बैठकों के बाद करना चाहेंगे।

महोदय कुछ ही दिनों में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन की 25वीं बरसी मनाएंगे। पंडित जी की याद को सम्मान देने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं कि हम उनके आदेशों को पूरा

करें, भारत का प्रत्येक नागरिक देश के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में अपने आपको धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धांतों के प्रति समर्पित करे जिस पंडित जवाहर लाल नेहरू ने समर्थन किया।

———

6.15½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

71वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 71वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.16 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा, गुरुवार, 4 मई 1989 14 वैशाख, 1911 (शक) 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनलाइट प्रेस, डा० सेन मार्ग, 2265 दिल्ली-6